बिहार सरकार

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम से सम्बंधित महत्वपूर्ण पत्रो का संकलन

COMPENDIUM - 01

(Up to December - 2021)

बिहार सरकार

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम से सम्बंधित महत्वपूर्ण पत्रो का संकलन

COMPENDIUM - 01

(Up to December - 2021)

प्रस्तावना

राज्य में नये सिरे से भू–सर्वेक्षण का कार्य कर नये अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र निर्माण के लिए वर्ष–2011 में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम को अधिसूचित किया गया। इसके पश्चात् वर्ष–2012–16 के मध्य राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने के लिए राज्यस्तरीय अधिसूचना निर्गत की गई एवं आधुनिक तकनीक से भू–सर्वे का कार्य करने के लिए हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को अनुबंधित किया गया। आरंभिक वर्षों में किए गए विशेष सर्वेक्षण कार्य में आने वाली सभी प्रकार की वैधानिक, प्रशासनिक एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए वर्ष–2018 में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम में तथा वर्ष–2019 नियमावली में व्यापक संशोधन किए गए तथा तकनीकी मार्गदर्शिका भी अधिसूचित की गई। इसके पश्चात् कार्यबल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 6875 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के पदों का सृजन कर वर्ष–2020 के उत्तरार्द्ध से राज्य के 20 जिलों के 89 अंचलों के 5130 राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य पूर्णतया सक्रिय रूप से प्रारंभ किया गया। कार्य प्रारंभ करने के पश्चात् आरंभ से अब तक निर्गत महत्त्वपूर्ण अधिसूचनाओं, आदेशों एवं पत्रों की आवश्यकता विभिन्न स्तरों पर महसूस की जाने लगी। इसकी पूर्ति के लिए विशेष सर्वेक्षण के विभिन्न विषयों से संबंधित महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी पत्रों का संकलन भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के स्तर पर किया गया है।

विशेष सर्वेक्षण से संबंधित महत्त्वपूर्ण पत्रों के इस Compendium में विशेष सर्वेक्षण के आरंभ से वर्ष–2021 के दिसबंर तक निर्गत सभी महत्त्वपूर्ण अधिसूचनाओं, आदेश एवं पत्रों को संकलित किया गया है। आशा है कि संकलित किए गए पत्र सभी अधिकारियों एवं कर्मियों के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे एवं महत्त्वपूर्ण पत्रों के इस Compendium से पदाधिकारियों, कर्मियों को विशेष सर्वे के कार्यों के निष्पादन एवं विशेष सर्वेक्षण से संबंधित विभिन्न जानकारी प्राप्त हो सकेगी तथा इसकी सहायता से विभिन्न कार्यों का निष्पादन में सहायता प्राप्त होगी।

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार पटना।

निदेशालय से निर्गत महत्त्वपूर्ण पत्रों की सूची

क्र0सं0	पत्रांक / दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	1838 19.12.2011	तकनीकी परामर्शदातृ समिति के गठन संबंधी अधिसूचना	1—2
2	1574 01.10.2012	विशेष सर्वेक्षण कार्य हेतु 13 जिलों के लिए अधिसूचना	3—6
3	969 24.05.2013	बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 के नियम 15 (2) के संबंध में।	7
4	188 03.02.2015	विशेष सर्वेक्षण कार्य हेतु 05 जिलों के लिए अधिसूचना	8—10
5	1819 01.10.2015	बिहार सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा मुद्रित डिजिटाईज्ड सर्वे मानचित्र एवं वेबसाईट के माध्यम से डिजिटाईज्ड सर्वे मानचित्र की आपूर्ति किये जाने वाले राजस्व मानचित्रों के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में निर्गत पत्रांक—1304 दिनांक—18.07.2013 में आंशिक संशोधन किये जाने के संबंध में।	11—12
6	1973 03.11.2016	विशेष सर्वेक्षण कार्य हेतु 20 जिलों के लिए अधिसूचना	13—16
7	1762 22.11.2017	त्रि—सीमाना के कोडिंग पैटर्न में एकरूपता से संबंधित	17—19
8	725 26.04.2018	एरियल फोटोग्राफी के माध्यम से प्राप्त भू—मानचित्रों का कैडेस्ट्रल / रिविजनल सर्वे मानचित्रों के साथ सत्यापन से संबंधित।	20—21
9	1330 24.08.2018	Permission for using HRSI method for the area not covered under aerial photography-reg.	22—23
10	165 01.02.2019	बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के विभिन्न प्रक्रमों में उपयोग होने वाले प्रपत्रों की छपाई से संबंधित।	24—42
11	291 22.02.2019	विभिन्न विभागों द्वारा अपने स्वामित्व की एवं विभिन्न उद्देश्यों से अर्जित भूमि का विवरण / ब्योरा संबंधित बन्दोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराने एवं उसका नामान्तरण कराने के संबंध में।	43
12	315 27.02.2019	नियमित तथा संविदा सहित कुल 8946 (नियमित पद—1318, पूर्व से संविदा पद— 191 एवं नव सृजित संविदा पत्र— 7437) पदों के अवधि विस्तार / पद सृजन की स्वीकृति का संकल्प।	44—48

क्र0सं0	पत्रांक / दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
13	165 15.03.2019	तकनीकी मार्गदर्शिका का प्रकाशन की अधिसूचना।	49—50
14	477 20.03.2019	विशेष सर्वेक्षण कार्या की समीक्षा तकनीकी मार्गदर्शिका के आलोक में करने हेतु मार्गदर्शन।	51
15	828 30.05.2019	सर्वेक्षण संबंधित कागजातों को संरक्षित करने के संबंध में।	52—53
16	759 16.05.2019	विभिन्न विभागों द्वारा अपने स्वामित्व की एवं विभिन्न उद्देश्यों से अर्जित भूमि का विवरण/ब्योरा संबंधित बन्दोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराने एवं उसका नामान्तरण कराने के संबंध में।	54—55
17	870 06.06.2019	राज्य में प्रारम्भ होनेवाले भू—सर्वे अभियान में पंचायत सरकार भवन को सर्वे कैम्प केन्द्र के रूप में उपयोग करने के संबंध में।	56—73
18	1315 05.08.2019	सरकारी/लोक भूमि की सूची तैयार कर विशेष सर्वेक्षण शिविर में उपलब्ध कराने से संबंधित।	74—75
19	1600 20.09.2019	20 जिलों में सर्वे संबंधी कार्य प्रारंभ करने का आदेश	76
20	1721 17.11.2019	त्रि—सीमाना पीलर की संरचना से संबंधित।	77—78
21	408 28.02.2020	विशेष सर्वेक्षण के सदर्भ में विस्तृत कार्य—योजना एवं समेकित निदेश।	79—96
22	992 05.03.2020	वक्फ अधिनियम, 1995 (संशोधित अधिनियम, 2013) के तहत वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण करने के संबंध में।	97—99
23	6976 16.04.2020	बंदोबस्त कार्यालय में कार्यरत नियमित/संविदा कर्मियों के वेतनादि मद आवंटन से संबंधित।	100—102
24	10009 20.06.2020	विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के लिए नवनियुक्त किए जाने वाले विशेष सर्वेक्षण अमीन के जिलों में पदस्थापन के पश्चात् कार्य प्रारंभ किये जाने के संबंध में।	103—104
25	10038 24.06.2020	विशेष सर्वेक्षण कार्य हेतु अंचल/शिविर में पदस्थापित होने वाले कर्मियों के लिए कार्ययोजना तैयार करने से संबंधित।	105—112
26	10080 29.06.2020	विशेष सर्वेक्षण कार्य हेतु चयनित एजेंसियों को प्रथम चरण के 20 जिलों में कार्य प्रारंभ करने हेतु दिशा—निदेश।	113—114
27	10233 09.07.2020	बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त कार्य की समीक्षा से संबंधित।	115—118

क्र0सं0	पत्रांक / दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
28	10459 14.08.2020	होर्डिंग, बैनर और पोस्टर के जरिए बिहार विशेष सर्वेक्षण का व्यापक प्रचार–प्रसार से संबंधित।	119–120
29	10508 20.08.2020	विशेष सर्वेक्षण कार्य हेतु विशेष सर्वेक्षण स0ब0प0 / कानूनगों को दी जाने वाली सामग्री के लिए राशि आवंटित करने के संबंध में ।	121–125
30	10512 20.08.2020	भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के नियंत्रणाधीन सभी 38 बन्दोबस्त कार्यालयों एवं 02 प्रशिक्षण संस्थानों तथा राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया / शास्त्रीनगर में विभिन्न पदों को पुर्नआवंटित करने के संबंध में।	126–128
31	10771 10.09.2020	नवनियोजित संविदा कर्मियों के ई0पी0एफ0 खाता खुलवाने से संबंधित।	129–130
32	10776 10.09.2020	शिविर गठन में संशोधन से संबंधित।	131
33	10777 10.09.2020	विशेष सर्वेक्षण कार्य हेतु प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त का दायित्व निर्वहन से संबंधित।	132
34	10849 17.09.2020	नवनियोजित संविदा कर्मियों के स्थानीय आवास का सत्यापन एवं विडियो मिटिंग में उपस्थिति से संबंधित।	133–134
35	10888 22.09.2020	विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रक्रिया अन्तर्गत जिन ग्रामों में पूर्व में कार्य किया गया है, वहाॅ कार्य के प्रक्रम के अनुसार अग्रतर कार्य करने के संबंध में।	135–136
36	10889 22.09.2020	विशेष सर्वेक्षण कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्रों को भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में संधारित करने से संबंधित।	137–139
37	10933 28.09.2020	भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय स्तर से निर्गत हुए कुछ महत्वपूर्ण पत्रों से संबंधित।	140–142
38	10932 28.09.2020	विगत वर्षो में हुए विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य से संबंधित कागजातों को अमीनों से प्राप्त कर संरक्षित रखने से संबंधित।	143–144
39	10935 28.09.2020	होर्डिंग, बैनर और पोस्टर के जरिए बिहार विशेष सर्वेक्षण का व्यापक प्रचार–प्रसार से संबंधित।	145–146
40	11016 13.10.2020	विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य के दौरान हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों का दायित्व सुनिश्चित करने से संबंधित।	147–149
41	11056 20.10.2020	बेतिया राज की भू–सम्पदा सहित राजस्व पर्षद के संरक्षणाधीन अन्य भू–सम्पदाओं का बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान अधिकार अभिलेख निर्माण के के समय संरक्षण से संबंधित।	150–151

क्र0सं0	पत्रांक / दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
42	11032 20.10.2020	विशेष सर्वेक्षण कार्य हेतु चयनित अंचलों तथा विशेष सर्वेक्षण कार्य संलग्न कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित।	152—153
43	11061 21.10.2020	नवनियोजित संविदा कर्मियों को ई0पी0एफ0 खाता खुलवाने से संबंधित।	154—156
44	11089 27.10.2020	सरकारी / लोक भूमि की सूची तैयार करने एवं जिला बंदोबस्त कार्यालय / संबंधित शिविर के विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराने के संबंध में।	157—159
45	11200 13.11.2020	भू—सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में खेसरा की यूनिक आई0डी0 का विकल्प प्रावधानित करने से संबंधित।	160—164
46	11269 24.11.2020	बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्य हेतु चिन्हित शिविर कार्यालय में निगरानी एवं सुरक्षा हेतु चौकीदारों को प्राधिकृत करने से संबंधित।	165—166
47	11355 01.12.2020	भू—नक्शा सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी आडिटिंग सर्टिफाइड इमपैनल्ड (Empanelled) एजेंसी से करवाने के संबंध में।	167
48	11378 03.12.2020	एम0आई0एस0 पोर्टल पर प्रतिवेदन अद्यतन करने से संबंधित।	168—169
49	11409 07.12.2020	अंचल अधिकारी के समकक्षीय पद—सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (बिहार राजस्व सेवा के प्रथम प्रोन्नति स्तर) पद का राज के बन्दोबस्त कार्यालयों हेतु पद कर्णांकित करने के संबंध में।	170—172
50	788 10.12.2020	बिहार जोतों का समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम, 1956 से आच्छादित ग्रामों में बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम, 2011 के तहत कार्यों के सम्पादन में दिशा—निर्देश के संबंध में।	173—174
51	11718 10.12.2020	प्रभारी पदाधिकारी (चार्ज ऑफिसर), बन्दोबस्त के पद की अधिसूचना	175
52	11659 22.12.2020	राज्य के सभी अंचलों में जमीन के मापी हेतु सभी राजस्व मौजों का दो—दो प्रति राजस्व मानचित्र संधारित रखने के संबंध में।	176—177
53	69 08.01.2021	विभिन्न विभागों के अधीनस्थ सरकारी / लोक भूमि की सूची तैयार कर जिला बंदोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराने से संबंधित।	178—179
54	93 13.01.2021	अंचल स्तरीय आधुनिक अभिलेखागार—सह—डाटा सेंटर के संचालन प्रक्रिया के संबंध में।	180—192

क्र0सं0	पत्रांक / दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
55	149 19.01.2021	भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में खेसरों के विशिष्ट क्रमांक की प्रविष्टि करने के संबंध में।	193–194
56	238 25.01.2021	विशेष सर्वेक्षण कार्यो की प्रगति के लिए शिविर एवं ग्राम स्तरीय निरीक्षण के संबंध में।	195–197
57	236 25.01.2021	विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत ग्राम के त्रि–सीमाना पर लगाए जाने वाले पीलर के निर्माण एवं अधिष्ठापन के संबंध में।	198–199
58	307 02.02.2021	नव पदस्थापित बंदोबस्त पदाधिकारियों को आवास उपलब्ध कराने के संबंध में।	200
59	312 02.02.2021	नव पदस्थापित बंदोबस्त पदाधिकारियों को सुरक्षा हेतु अंगरक्षक उपलब्ध कराने से संबंधित।	201–205
60	1017 19.02.2021	बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम अंतर्गत त्रि–सिमाना स्थापन के पश्चात् D.G.P.S ऑब्जर्वेशन के संबंध में।	206–207
61	1162 06.03.2021	विशेष सर्वेक्षण के लिए चयनित जिलों में भू–दान से संबंधित भूमि का विस्तृत ब्योरा जिला बंदोबस्त कार्यालय / विशेष सर्वेक्षण शिविरों को उपलब्ध कराने से संबंधित।	208
62	1179 08.03.2021	विशेष सर्वेक्षण हेतु गठित शिविर के सामग्रियों को CIMS में प्रविष्टि करने से संबंधित।	209–213
63	1180 08.03.2021	Regarding ULPIN Vs 14 digit Unique Parcel ID during Special Land Survey in Bihar.	214
64	1233 16.03.2021	वक्फ अधिनियम, 1195 (संशोधित अधिनियम, 2013) के तहत वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण करने के संबंध में।	215–216
65	1358 01.04.2021	भू–नक्शा सॉफ्टवेयर से तैयार मानचित्रों में संकेत चिन्हों के प्रदर्शन के संबंध में।	217
66	1475 16.04.2021	L.P.M की प्रिटिंग एवं वितरण पूर्व RoR एवं मानचित्र के रकवा की समानता के संबंध में।	218
67	1493 19.04.2021	बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 के अंतर्गत प्रपत्र – 6 (खेसरा पंजी) में सूची के अनुसार प्रविष्टि करने के संबंध में पूर्व निर्गत संलग्न सूचियों में से नवैयत की सूची में आंशिक सुधार से संबंधित।	219–221
68	1494 19.04.2021	प्रपत्र–06 की इंट्री सॉफ्टवेयर में करने के उपरान्त जेनरेट L.P.M में आने वाली त्रुटि निराकरण के सम्बन्ध में।	222–223

क्र0सं0	पत्रांक / दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
69	1524 27.04.2021	विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत राजस्व ग्रामों के साथ सम्मिलित नगर–निकायों की विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया के संबंध में।	224–225
70	1551 29.04.2021	विशेष सर्वेक्षण कार्यो की समीक्षा जूम के माध्यम से होने के समय समीक्षा बैठक में भाग नहीं लेने के संबंध में।	226–227
71	1544 01.06.2021	वर्ष 1956 से वर्ष 1967 तक फील्ड बुझारत द्वारा रैयतों के नाम जमाबंदी खोलने के कार्रवाई संबंधी अभिलेखों की उपलब्धता से संबंधित।	228–229
72	1553 03.06.2021	सरकारी भूमि का सर्वे के दौरान रैयती खाता सृजित होने पर जांचोपरांत यथोचित कार्रवाई के संबंध में।	230–231
73	1573 07.06.2021	सरकारी / लोक भूमि की सूची की सॉफ्ट कॉपी विहित प्रपत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।	232
74	1678 15.06.2021	चयनित अंचलों के अतिरिक्त अन्य अंचलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त शिविर गठन करने से संबंधित।	233–243
75	1692 16.06.2021	विगत सर्वेक्षण का अधिकार–अभिलेख एवं मानचित्र अनुपलब्ध रहने की स्थिति में की जानवाली कार्यवाही से संबंधित।	244–250
76	1695 16.06.2021	प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के स्तर से शिविर कार्योलयों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अपेक्षित सहयोग प्रदान कराने से संबंधित।	251–252
77	1777 23.06.2021	खतियान एवं मानचित्र के अनुपलब्धता की स्थिति में किए जाने वाले उपाय के संबंध में।	253–254
78	2167 31.07.2021	विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में प्रपत्र–6 की डाटा इंट्री की जाँच के सम्बन्ध में।	255–257
79	1015 19.02.2021	बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2021 तथा संशोधित 2019 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आलोक में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य ससमय सम्पादित करने के संबंध में।	258–261
80	2661 06.09.2021	राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना के छात्रावास के कमरों / प्रशिक्षण हॉल को सरकारी कार्य हेतु अन्य विभागों / सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षण का दर निर्धारण के संबंध में।	262–263
81	2748 11.09.2021	ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना ज्ञापांक–432027 दिनांक–31.03.2021 के आलोक में जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक–3353 दिनांक– 03.06.2021 के संबंध में।	264–267

क्र0सं0	पत्रांक / दिनांक	विषय	पृष्ठ संख्या
82	2897 01.10.2021	बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम एवं नियमावली अंतर्गत खानापुरी पर्चा के वितरण उपरान्त दावा/आपत्तियों और प्रारूप प्रकाशन के उपरांत प्राप्त दावा/आपत्तियों एवं उन पर पारित आदेशों के आलोक में किए गए संशोधनों की जाँच (विश्रांति) कार्य हेतु समेकित निदेश के संबंध में।	268–274
83	2984 07.10.2021	विभिन्न जिलों के भ्रमण के क्रम में की गई समीक्षा एवं MIS प्रतिवेदन के अनुसार कार्य प्रगति के आलोक में विशेष सर्वेक्षण कार्य में सुधार लाए जाने के संबंध।	275–276
84	4166 12.11.2021	आपके जिले में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की प्रक्रिया में अंचल अधिकारियों द्वारा भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर अंतर्गत प्रपत्र–5 एवं प्रपत्र–6 का अवलोकन करना तथा दर्ज प्रविष्टियों का परीक्षण एवं उसके आलोक में सरकारी भूमि के संरक्षण हेतु आवश्यक सभी कार्रवाई करने के संबंध में।	277–278
85	4165 12.11.2021	वर्त्तमान में 20 जिलों में संचालित विशेष सर्वेक्षण व बन्दोबस्त कार्य के क्रम में शेष 18 जिलों में जनवरी, 22 से विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के आरंभिक चरण का कार्य प्रारंभ करने के संबंध में।	279–280
86	4329 03.12.2021	विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त संबंधी कार्यों के अनुश्रवण के संबंध में।	281–293
87	4372 07.12.2021	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या Civil No.- 4850/2021 में दिए गए निर्णय के आलोक में विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत निर्मित होने वाले अधिकार अभिलेख में मंदिर, मठ आदि की भूमि के स्वामित्व निर्धारण के संबंध में।	294–321

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संख्या :– 17 – NLRMP(वि०स०विस्तारीकरण)–217/2011........... पटना, दिनांक :–

अधिसूचना

भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना एवं केन्द्रीय योजनागत योजनाओं को समेकित रूप से "राष्ट्रीय भू–अभिलेखों का आधुनिकीकरण कार्यक्रम" The National Land Records Modernization Programme - NLRMP के अन्तर्गत एकीकृत रूप से शामिल कर लिया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा मार्गदर्शिका उपलब्ध करायी गयी है जिसमें आधुनिक तकनीक के रूप में कई विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा NLRMP के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में विभिन्न प्रकार की तकनीकी योजनाओं को बाहयस्त्रोतीकरण (Out Source) अथवा जननीजी भागीदारी (PPP मॉडल) से क्रियान्वित कराने का प्रावधान है। इसके लिए निविदा के माध्यम से एजेंसियों का चुनाव किया जाता है। निदेशालय स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञों की सेवा उपलब्ध नही होने के कारण तकनीकी रूप से दक्ष एजेंसियों के चुनाव से संबंधित कार्य यथा EOI/RFP का अभिलेख तैयार करना/तकनीकी अभिलेखों की जांच/तकनीकी प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन/एजेंसी द्वारा किए जाने वाले तकनीकी कार्यो का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करने में कठिनाई हो रही है।

वर्णित परिस्थिति में केन्द्र प्रायोजित योजना NLRMP के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप को आवश्यक तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्न प्रकार तकनीकी परामर्शदातृ समिति (Technical Advisory Committee) गठित की जाती है :–

1.	निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप	–	अध्यक्ष
2.	राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी	–	सदस्य
3.	सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग के पदाधिकारी	–	सदस्य
4.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पदाधिकारी	–	सदस्य
5.	भू–स्थानिक डाटा केन्द्र, सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार के पदाधिकारी	–	सदस्य
6.	निबंधन विभाग के पदाधिकारी	–	सदस्य
7.	राजस्व पर्षद के उप सचिव अथवा संयुक्त सचिव	–	सदस्य
8.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव अथवा विशेष सचिव अथवा संयुक्त सचिव	–	सदस्य
9.	वित्त विभाग के पदाधिकारी	–	सदस्य
10.	योजना एवं विकास विभाग के पदाधिकारी	–	सदस्य
11.	उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना – 7	–	सदस्य
12.	बंदोबस्त पदाधिकारी (उपलब्धता के अनुसार)	–	सदस्य
13.	बेलट्रॉन, पटना के पदाधिकारी	–	सदस्य
14.	सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना	–	सदस्य सचिव

क्र०पृ०उ०

D:\Year 2011\Prakash Ranjan\Notification\Notification reg Advice Committee.doc

2. निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप बैठक के एजेंडा के आधार पर अपने स्तर से आवश्यकतानुसार उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य किसी तकनीकी विशेषज्ञ को बैठक में आमंत्रित करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

3. विभिन्न प्रकार की योजनाओं के कार्यान्वयन क्रम में किसी भी प्रकार के तकनीकी मामले में तकनीकी परामर्शदातृ समिति का परामर्श प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके बाद निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

4. प्रस्ताव में सरकार की सहमति प्राप्त है।

5. यह व्यवस्था तत्कालिक प्रभाव से लागू मानी जाएगी।

6. पूर्व में विभागीय अधिसूचना संख्या 237 दिनांक 20.03.2009 द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(सी॰ अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 17 – NLRMP(वि0स0विस्तारीकरण)–217/2011.....1838 **पटना, दिनांक :–19/12/11**

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग/सचिव, निबंधन विभाग/प्रबंध निदेशक, बेलट्रॉन, पटना/राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना/निदेशक, भू–स्थानिक डाटा केन्द्र, सर्वे ऑफ इंडिया, पटना/सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। इनसे अनुरोध है कि अपने विभाग से संबंधित किसी पदाधिकारी को परामर्शदातृ समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु प्राधिकृत करते हुए इसकी सूचना निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को उपलब्ध करा दी जाए।

(सी॰ अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

D:\Year 2011\Prakash Ranjan\Notification\Notification reg Advice Committee.doc

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संख्या :– 17–स्था0(अधिसूचना)–210/2011......1574 पटना, दिनांक 01/10/12

अधिसूचना

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा – 3 (भागलपुर के संदर्भ में धारा – 3 के साथ साथ धारा – 4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतत् द्वारा आदेश देते हैं कि स्थानीय शहरी निकायों (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत) की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर बिहार के 13 जिलों यथा नालन्दा, शेखपुरा, छपरा, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, जमुई, सिवान, पूर्णियाँ, कटिहार, मोतिहारी के अनुबद्ध अनुसूची में वर्णित कुल 189 अंचलों में सन्निहित सभी ग्रामों की बाह्य सीमाओं के भीतर अवस्थित केन्द्र तथा राज्य सरकार की भूमि सहित समस्त भूमि का भू–सर्वेक्षण (अंतिम प्रकाशन स्तर तक) संचालित किया जाए और उसके संबंध में अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए।

2. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के तहत तैयार अधिकार अभिलेख में अभिलिखित किए जाने वाली विवरणी में निम्नांकित समाविष्ट होंगे :–

(क) प्रत्येक रैयत अथवा अभिधारी का नाम,

(ख) प्रत्येक अभिधारी का वर्ग अर्थात वह भूधृति धारक अथवा निश्चित लगान पर भूमि धारण करने वाला रैयत है, अधिभोगी अथवा गैर अधिभोगी रैयत या दर रैयत है तथा यदि वह भूधृति धारक है तो स्थायी भूधृति धारक है या नहीं और उसकी भूधृति की अवधि में लगान बढने योग्य है या नही,

(ग) प्रत्येक अभिधारी अथवा दखलकर्त्ता द्वारा धारित भूमि की अवस्थिति एवं क्षेत्रफल और एक या अधिक चौहदियाँ,

(घ) अधिकार अभिलेख तैयार करते समय भुगतेय लगान,

(ङ) लगान निर्धारण किस रीति से किया गया है – संविदा के द्वारा, न्यायिक आदेश के द्वारा या अन्यथा,

(च) यदि लगान उत्तरोतर बढ़ रहा हो तो वह किस समय तथा किन चरणों में बढ रहा है,

(छ) निम्नलिखित के संबंध में प्रत्येक अभिधारी और भू–स्वामी के अधिकार एवं दायित्व :–

(i) कृषि प्रयोजनों के लिए अभिधारियों द्वारा किसी नदी, झील, तालाब या कुएँ या किसी अन्य आपूर्ति स्रोत से प्राप्त जल का उपयोग और

D:\Year 2012\Ravindra Pr\Notification\Notification (Hindi) 2.doc

(ii) प्रत्येक अभिधारी द्वारा धारित भूमि पर खेती के लिए जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निमित्त साधित्र की मरम्मती और अनुरक्षण चाहे ऐसा साधित्र ऐसा भूमि की सीमाओं के भीतर अवस्थित हो या नही,

(ज) अभिधृति की कोई विशेष शर्त्त और अनुषंगी तथ्य, यदि कोई हो,

(झ) जिस भूमि का अधिकार अभिलेख तैयार किया जा रहा है उससे सम्बद्ध आवागमन अथवा सुविधा संबंधी कोई अधिकार,

(ञ) यदि भूमि के लगानमुक्त रूप में धारित होने का दावा किया जाए तो वस्तुतः लगान चुकाया गया है या नहीं, और यदि नही चुकाया गया हो तो दखलकर्त्ता लगान के भुगतान के बिना जमीन धारण करने का हकदार है अथवा नही, यदि ऐसा है तो किस प्राधिकार के अधीन,

और

(ट) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत संचालित सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रचालनों के आधार पर घोषित प्रत्येक भू–स्वामी (Proprietor) की निजी भूमि की अवस्थिति, क्षेत्रफल और एक या अधिक चौहदियाँ।

अनुसूची

विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम प्रचालन संचालित करने हेतु संबंधित जिले एवं अंचलों के नाम

क्रम संख्या	जिला का नाम	अंचल का नाम
1	नालन्दा	बेन, कतरीसराय, थरथरी, नूरसराय, रहुई, राजगीर, इस्लामपुर, हरनौत, हिलसा, चण्डी, बिन्द, सिलाव, अस्थावां, नगरनौसा, बिहारशरीफ, परवलपुर, करायपरशुराय, एकंगरसराय, गिरीयक, सरमेरा।
2	शेखपुरा	शेखपुरा सदर, घाट कुसुम्बा, शेखोपुर सराय, चेवाड़ा, अरियरी, बरबीघा।
3	छपरा	गरखा, मसरख, रिविलगंज, बनियापुर, सोनपुर, मांझी, जलालपुर, मकेर, छपरा सदर, मढ़ौरा, पानापुर, दरियापुर, इसुआपुर, नगरा, दिघवारा, अमनौर, लहलादपुर, परसा, तरैया, एकमा।
4.	मुंगेर	टेटिया बम्बर, मुंगेर सदर, जमालपुर, बरियारपुर, धरहरा, हवेली–खड़गपुर, असरगंज, संग्रामपुर, तारापुर।

5	भागलपुर	गोपालपुर, सुल्तानगंज, शाहकुंड, इस्माईलपुर, रंगराचौक, सन्हौला, नाथ नगर, पीरपैंती, खरीक, कहलगाँव, सबौर, गौराडीह, नारायणपुर, बिहपुर, जगदीशपुर, नौगछिया।
6	बेगूसराय	तेघडा, बछवारा, बलिया, बीरपुर, बेगूसराय सदर, साम्हो अकड़ा कुड़हा, मटिहानी, बरौनी, भगवानपुर, मंसुरचक, डन्डारी, बखरी, नावकोठी, गढ़पुरा, चेरिया बरियारपुर, छोड़ाही, खोदाबन्दपुर, साहेबपुर कमाल
7	लखीसराय	लखीसराय सदर, हलसी, सूर्यगढ़ा, पिपरीया, रामगढ़ चौक, बड़हिया, चानन
8.	खगड़िया	गोगरी, मानसी, चौथम, खगड़िया सदर, परबत्ता, अलौली, बेलदौर
9 .	जमुई	लक्ष्मीपुर, चकाई, जमुई सदर, सोन्हो, झाझा, सिकन्दरा, बरहट गिद्धौर, खैरा, अलीगंज
10	सिवान	मैरवा, आन्दर, सिवान सदर, पचरूखी, हसनपुरा, दरौली, लकड़ी नवीगंज, नौतन, रघुनाथपुर, जीरादेई, सिसवन, महाराजगंज, बड़हरिया, भगवानपुर हाट, हुसैनगंज, गुठनी, गौरया कोठी, दरौंदा, बसंतपुर
11	पूर्णियाँ	कृत्यानगर, रूपौली, बड़हरा कोठी, बनमंखी, पूर्णियाँ पूर्व, जलालगढ़, भवानीपुर, धमदाहा, वायसी, कसवा, श्रीनगर, डगरूआ, वैसा, अमौर
12	कटिहार	आजमनगर, आमदाबाद, कदवा, प्राणपुर, हसनगंज, मनसाही, कुरसैला, दण्डखोड़ा, बरारी, कोढ़ा, कटिहार सदर, समेली, मनीहारी, वारसोई, बलरामपुर, फलका
13	मोतिहारी	चकिया, बंजरिया, केसरिया, हरसिद्धि, पिपराकोठी, आदापुर, फेन्हारा, तेतरीया रामगढ़वा, रक्सौल, सुगौली, अरेराज, चिरैया, ढाका, संग्रामपुर, मेहसी, वनकटवा, पताही, पहाड़पुर, पकड़ी दयाल, कोटवा, तुरकोलिया, कल्याणपुर, मधुबन, मोतिहारी सदर, घोड़ा साहन, छौड़ादानो

3. इस विभाग की संख्या 17–स्था0(अधिसूचना)–210 / 2011–384 दिनांक 29.02.2012 एतत् द्वारा निष्प्रभावी की जाती है।

4. यह अधिसूचना, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(signature) 1.10.12

(सी॰ अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना

D:\Year 2012\Ravindra Pr\Notification\Notification (Hindi) 2.doc

ज्ञापांक :— 17—स्था0(अधिसूचना)—210 / 2011......1574 पटना, दिनांक :— 01/10/12

प्रतिलिपि :— अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के अधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड—3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाए।

1.10.12
(सी॰ अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :— 17—स्था0(अधिसूचना)—210 / 2011......1574 पटना, दिनांक :—01/10/12

प्रतिलिपि :— अधीक्षक, सचिवालय, प्रेस गुलजारबाग, पटना – 7 को (सी॰डी॰ एवं हार्ड कॉपी के साथ) बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ। अनुरोध है कि राजपत्र की 800 अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

1.10.12
(सी॰ अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :— 17—स्था0(अधिसूचना)—210 / 2011......1574 पटना, दिनांक :—01/10/12

प्रतिलिपि :— सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सचिव, राजस्व पर्षद / सभी समाहर्त्ता / उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना—7 / सभी बंदोबस्त पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

1.10.12
(सी॰ अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

D:\Year 2012\Ravindra P\Notification\Notification (Hindi) 2.doc

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या – 17 तक0 को0 भागलपुर–02/2012......769

प्रेषक,

हुकुम सिंह मीणा, भा0प्र0से0
सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
–सह–
निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक :– 24/5/13

विषय :– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 के नियम 15 (2) के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में कहना है कि अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख के विरूद्ध दावों की सुनवाई एवं निपटारा हेतु बन्दोबस्त पदाधिकारी को अधिसूचित किया जाएगा। क्योंकि अधिनियम व नियमावली में उक्त आदेश के विरूद्ध किसी प्रकार के अपील का प्रावधान नहीं है।

विश्वासभाजन

Hukum 23/5/2013
(हुकुम सिंह मीणा)
सचिव–सह–निदेशक

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संख्या :— 17—स्था0(अधिसूचना)—210 / 2011.......... पटना, दिनांक

अधिसूचना

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा — 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतत् द्वारा आदेश देते हैं कि स्थानीय शहरी निकायों (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत) की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर बिहार के 05 जिलों यथा सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज एवं अररिया के अनुबद्ध अनुसूची में वर्णित कुल 50 अंचलों में सन्निहित सभी ग्रामों की बाह्य सीमाओं के भीतर अवस्थित केन्द्र तथा राज्य सरकार की भूमि सहित समस्त भूमि का भू—सर्वेक्षण (अंतिम प्रकाशन स्तर तक) संचालित किया जाए और उसके संबंध में अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए।

2. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के तहत तैयार अधिकार अभिलेख में अभिलिखित किए जाने वाली विवरणी में निम्नांकित समाविष्ट होंगे :—

(क) प्रत्येक रैयत अथवा अभिधारी का नाम,

(ख) प्रत्येक अभिधारी का वर्ग अर्थात वह भूधृति धारक अथवा निश्चित लगान पर भूमि धारण करने वाला रैयत है, अधिभोगी अथवा गैर अधिभोगी रैयत या दर रैयत है तथा यदि वह भूधृति धारक है तो स्थायी भूधृति धारक है या नहीं और उसकी भूधृति की अवधि में लगान बढने योग्य है या नही,

(ग) प्रत्येक अभिधारी अथवा दखलकर्त्ता द्वारा धारित भूमि की अवस्थिति एवं क्षेत्रफल और एक या अधिक चौहद्दियाँ,

(घ) अधिकार अभिलेख तैयार करते समय भुगतेय लगान,

(ङ) लगान निर्धारण किस रीति से किया गया है — संविदा के द्वारा, न्यायिक आदेश के द्वारा या अन्यथा,

(च) यदि लगान उत्तरोतर बढ़ रहा हो तो वह किस समय तथा किन चरणों में बढ़ रहा है,

(छ) निम्नलिखित के संबंध में प्रत्येक अभिधारी और भू—स्वामी के अधिकार एवं दायित्व :—

(i) कृषि प्रयोजनों के लिए अभिधारियों द्वारा किसी नदी, झील, तालाब या कुएँ या किसी अन्य आपूर्ति स्रोत से प्राप्त जल का उपयोग और

(ii) प्रत्येक अभिधारी द्वारा धारित भूमि पर खेती के लिए जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निमित्त साधित्र की मरम्मती और अनुरक्षण चाहे ऐसा साधित्र ऐसा भूमि की सीमाओं के भीतर अवस्थित हो या नही,

D:\2014 new\ravindra prasad\notification\Notification (Hindi) 2.doc

(ज) अभिधृति की कोई विशेष शर्त्त और अनुषंगी तथ्य, यदि कोई हो,

(झ) जिस भूमि का अधिकार अभिलेख तैयार किया जा रहा है उससे सम्बद्ध आवागमन अथवा सुविधा संबंधी कोई अधिकार,

(ञ) यदि भूमि के लगानमुक्त रूप में धारित होने का दावा किया जाए तो वस्तुतः लगान चुकाया गया है या नहीं, और यदि नही चुकाया गया हो तो दखलकर्त्ता लगान के भुगतान के बिना जमीन धारण करने का हकदार है अथवा नही, यदि ऐसा है तो किस प्राधिकार के अधीन,

और

(ट) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत संचालित सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रचालनों के आधार पर घोषित प्रत्येक भू–स्वामी (Proprietor) की निजी भूमि की अवस्थिति, क्षेत्रफल और एक या अधिक चौहद्दियाँ।

अनुसूची

विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम प्रचालन संचालित करने हेतु संबंधित जिले एवं अंचलों के नाम

क्रम संख्या	जिला का नाम	अंचल का नाम
1	सहरसा	सोनवर्षा, सिमरी बख्तियारपुर, सौर बाजार, महिषि, कहरा, नौहटा, पतरघट, बनमाई टिहरी, सतर कटैया, सलखुआ = 10 अंचल
2	मधेपुरा	ग्वालपाड़ा, मधेपुरा सदर, गम्हरिया, उदाकिशनगंज, पूरैनी, सिंघेश्वर स्थान, आलम नगर, कुमार खंड, धैलाढ़, शंकरपुर, चौसा, मुरलीगंज, बिहारीगंज = 13 अंचल
3	सुपौल	बसंतपुर, पिपरा, सुपौल सदर, राघोपुर, त्रिबेणीगंज, छातापुर, सरायगढ़ भटियाही, किशनपुर, प्रतापगंज, निर्मली, मरौना = 11 अंचल
4	किशनगंज	किशनगंज सदर, बहादुरगंज, कोचाधामन, टेढ़ागाछ, दिग्धल बैंक, ठाकुरगंज, पोठीया = 07 अंचल
5	अररिया	जौकीहाट, फारबिसगंज, भरगामा, रानीगंज, नरपतगंज, सिकटी, पलासी, कुरसा कॉंटा, अररिया सदर = 09 अंचल

3. यह अधिसूचना, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(व्यास जी)
प्रधान सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना

D:\2014 new\ravindra prasad\notification\Notification (Hindi) 2.doc

ज्ञापांक :– 17–स्था0(अधिसूचना)–210/2011.......... पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के अधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड–3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाए।

ह0/–

प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 17–स्था0(अधिसूचना)–210/2011.......... पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय, प्रेस गुलजारबाग, पटना – 7 को (सी॰डी॰ एवं हार्ड कॉपी के साथ) बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ। अनुरोध है कि राजपत्र की 800 अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 17–स्था0(अधिसूचना)–210/2011–188 पटना, दिनांक :– 03/02/15

प्रतिलिपि :– सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव, राजस्व पर्षद/सभी समाहर्त्ता/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना–7/सभी बंदोबस्त पदाधिकारी/विभागीय आ0ई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

D:2014 new\ravindra prasad\notification\Notification (Hindi) 2.doc

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संख्या :– 17 स्था0 (नक्शा दर)–980/95..............

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
पटना।

* वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

* द्वारा – वित्त विभाग।

पटना, दिनांक :–

विषय :– बिहार सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा मुद्रित डिजिटाईज्ड सर्वे मानचित्र एवं वेबसाइट के माध्यम से डिजिटाईज्ड सर्वे मानचित्र की आपूर्त्ति किये जाने वाले राजस्व मानचित्रों के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में निर्गत पत्रांक–1304 दिनांक 18.07.2013 में आंशिक संशोधन किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पत्रांक–1304 दिनांक 18.07.2013 द्वारा निर्गत राज्यादेश की कंडिका–3 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

"(3) डिजिटाईज्ड राजस्व सर्वे मानचित्रों की आपूर्त्ति निर्धारित मूल्य पर आम जनता के साथ–साथ डी0पी0आर0 तैयार करने वाले एजेंसियों को आपूर्त्ति की जाएगी; किन्तु राज्य सरकार के विभागों, जिला पदाधिकारियों एवं बन्दोबस्त कार्यालयों आदि को डिजिटाईज्ड मानचित्रों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।"

उपरोक्त आदेश वित्त विभागीय गैर सरकारी संख्या–2536 दिनांक 29.07.2015 के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

पत्रांक–1304 दिनांक 18.07.2013 द्वारा निर्गत राज्यादेश की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन
ह0/–
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 17 स्था0 (नक्शा दर)–980/95..............**पटना, दिनांक** :–

प्रतिलिपि :– अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की एक सौ प्रति निदेशक, भू– अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

ह0/–
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 17 स्था0 (नक्शा दर)–980/95–1819 पटना, दिनांक :– 01/10/15

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना/सभी समाहर्त्ता/सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना–7/सभी अनुमंडलाधिकारी/अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संख्या :– 17–स्था0(अधिसूचना)–210 / 2011.......... पटना, दिनांक...........

अधिसूचना

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा – 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतत् द्वारा आदेश देते हैं कि स्थानीय शहरी निकायों (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत) की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर बिहार के 20 जिला यथा मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर, प0 चम्पारण, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, कैमूर, रोहतास, गोपालगंज, समस्तीपुर, दरभंगा, भोजपुर, बक्सर, पटना, मधुबनी, नवादा एवं बांका के अनुबद्ध अनुसूची में वर्णित कुल 295 अंचलों मे सन्निहित सभी ग्रामों की बाह्य सीमाओं के भीतर अवस्थित केन्द्र तथा राज्य सरकार की भूमि सहित समस्त भूमि का भू–सर्वेक्षण (अंतिम प्रकाशन स्तर तक) संचालित किया जाए और उसके संबंध मे अधिकार अभिलेख तैयार किया जाए।

2. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के तहत तैयार अधिकार अभिलेख में अभिलिखित किए जाने वाली विवरणी में निम्नांकित समाविष्ट होंगे :–

(क) प्रत्येक रैयत अथवा अभिधारी का नाम,

(ख) प्रत्येक अभिधारी का वर्ग अर्थात वह भूधृति धारक अथवा निश्चित लगान पर भूमि धारण करने वाला रैयत है, अधिभोगी अथवा गैर अधिभोगी रैयत या दर रैयत है तथा यदि वह भूधृति धारक है तो स्थायी भूधृति धारक है या नहीं और उसकी भूधृति की अवधि में लगान बढ़ने योग्य है या नहीं,

(ग) प्रत्येक अभिधारी अथवा दखलकर्त्ता द्वारा धारित भूमि की अवस्थिति एवं क्षेत्रफल और एक या अधिक चौहद्दियाँ,

(घ) अधिकार अभिलेख तैयार करते समय भुगतेय लगान,

(ङ) लगान निर्धारण किस रीति से किया गया है – संविदा के द्वारा, न्यायिक आदेश के द्वारा या अन्यथा,

(च) यदि लगान उत्तरोतर बढ़ रहा हो तो वह किस समय तथा किन चरणों में बढ़ रहा है,

(छ) निम्नलिखित के संबंध में प्रत्येक अभिधारी और भू–स्वामी के अधिकार एवं दायित्व –

(i) कृषि प्रयोजनों के लिए अभिधारियों द्वारा किसी नदी, झील, तालाब या कुँए या किसी अन्य आपूर्ति स्रोत से प्राप्त जल का उपयोग और

(ii) प्रत्येक अभिधारी द्वारा धारित भूमि पर खेती के लिए जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निमित्त साधित्र की मरम्मती और अनुरक्षण चाहे ऐसा साधित्र ऐसी भूमि की सीमाओं के भीतर अवस्थित हो या नहीं,

(ज) अभिधृति की कोई विशेष शर्त्त और अनुषंगी तथ्य, यदि कोई हो,

(झ) जिस भूमि का अधिकार अभिलेख तैयार किया जा रहा है उससे सम्बद्ध आवागमन अथवा सुविधा संबंधी कोई अधिकार,

(ञ) यदि भूमि के लगानमुक्त रूप में धारित होने का दावा किया जाए तो वस्तुतः लगान चुकाया गया है या नहीं, और यदि नही चुकाया गया हो तो दखलकर्त्ता लगान के भुगतान के बिना जमीन धारण करने का हकदार है अथवा नही, यदि ऐसा है तो किस प्राधिकार के अधीन,

और

(ट) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत संचालित सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रचालनों के आधार पर घोषित प्रत्येक भू–स्वामी (Proprietor) की निजी भूमि की अवस्थिति, क्षेत्रफल और एक या अधिक चौहद्दियाँ।

अनुसूची

विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम प्रचालन संचालित करने हेतु संबंधित जिले एवं अंचलों के नाम

क्रम संख्या	जिला का नाम	अंचल का नाम
1	मुजफ्फरपुर	कांटि, कुढ़नी, मड़वन, मोतिपुर, पारू, साहेबगंज, सरैया, औराई, बान्द्रा, बोचहाँ गायघाट, कटरा, मीनापुर, गुरौल, मुसहरी एवं सकरा = 16 अंचल
2	सीतामढ़ी	बैरगनिया, बथनाहा, डुमरा, मेजरगंज, परिहार, रीगा, रूनीसैदपुर, सोनवर्षा, सुप्पी, बेलसंड, परसौनी, बाजपट्टी, बोखरा, चोरौत, नानपुर, पुपरी एवं सुरसंड = 17 अंचल
3	वैशाली	देसरी, महनार, सहदई बुजुर्ग, चेहराकला, गोरौल, जन्दाहा, महुआ, पातेपुर, राजापाकाड़, भगवान, बिदुपुर, हाजीपुर, लालगंज, पटेढ़ी बेलसर, राघोपुर, वैशाली = 16 अंचल
4	शिवहर	डुमरी कटसरी, पीपराही, पुरनहीया, शिवहर, तरियानी = 05 अंचल
5	प0 चम्पारण	बगहा–1, बगहा–2, भिताहा, मधुबनी, पिपरासी, रामनगर, ठकराहा, गौनाहा, लौरीया, मैनाटाड़, नरकटियागंज, सिकटा, बैरिया, बेतिया, चनपटीया, जोगापट्टी मझौलिया, नौतन = 18 अंचल
6	गया	बेलागंज, बोधगया, फतेहपुर, मानपुर, सदर गया, टनकुप्पा, वजीरगंज, अतरी, नीमचकबथानी, खिजरसराय, मोहरा, आमस, बांके बाजार, बाराचट्टी, डोभी डुमरिया, गुरूआ, ईमामगंज, मोहनपुर, शेरघाटी, गुरारू, कोच, परैया, टेकारी = 24 अंचल
7	जहानाबाद	घोषी, हुलासगंज, जहानाबाद, काको, मखदुमपुर, मोदनगंज, रतनीफरीदपुर = 07 अंचल
8	औरंगाबाद	दाउदनगर, गोह, हसपुरा, ओबरा, औरंगाबाद, वारूण, देव, कुटुम्बा, मदनपुर नवीनगर, रफीगंज = 11 अंचल
9	अरवल	अरवल, कलेर, करपी, कुर्था, सोनभद्र वंशी सूर्यापुर = 05 अंचल
10	कैमूर	अधौरा, भभुआ, भगवानपुर, चैनपुर, चाँद, रामपुर, दुर्गावती, कुदरा, मोहनियाँ, नुवाँव, रामगढ़ = 11 अंचल

...2016\Notification\Notification (Hindi) dated 20.09.2016.doc

क्रम संख्या	जिला का नाम	अंचल का नाम
11	रोहतास	अकोढी गोला, डिहरी, नौहट्टा, रोहतास, तिलोथू, विक्रमगंज, दावथ, दिनारा, काराकाट, नसरीगंज, राजपुर, संझौली, सुर्यपुरा, चेनारी, करहगर, कोचस, नोखा, सासाराम, शिवसागर = 19 अंचल
12	गोपालगंज	बैकुण्डपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचोईकोट, मांझा, सिधवलिया, थावे, भोरे, विजयपुर, हथुआ, कटैया, पंचदेउरी, फुलवरीया, उचकागाँव = 14 अंचल
13	समस्तीपुर	मोहनपुर, मोहदीनगर, पटौरी, विभूतिपुर, बिथान, हसनपुर, रोसड़ा, शिवाजीनगर, सिंघिया, कल्याणपुर, खानपुर, मोरवा, पूसा, समस्तीपुर, सरायरंजन, ताजपुर, वारीसनगर, दलसिंहसराय, उजियारपुर, विधापतिनगर = 20 अंचल
14	दरभंगा	बहादुरपुर, बहेरी, दरभंगा, हनुमाननगर, हायाघाट, जाले, केवटी, मनीगाछी, सिंघवारा, तारडीह, अलीनगर, बेनीपुर, बिरौल, गौराबउरम, घनश्यामपुर, किरतपुर, कुश्शेवर स्थान प0, कुश्शेवर स्थान पुर्वी = 18 अंचल
15	भोजपुर	अगिऑव, आरा, बरहरा, गढ़नी, काईलवर, सहार, संदेश, उदवतनगर, बिहिया, जगदीशपुर, शाहपुर, चरपोखरी, पीरो, तरारी = 14 अंचल
16	बक्सर	बक्सर, चौसा, ईटाड़ी, राजपुर, ब्रह्मपुर, चक्की, चौगाई, डुमराव, केसठ, नावानगर, सिमरी = 11 अंचल
17	पटना	बिहटा, दानापुर, मनेर, नौबतपुर, विक्रम, दुल्हिन बाजार, पालीगंज, अथमलगोला, बख्तियारपुर, बाढ़, बेलछी, घोसवरी, मोकामा, पंडारक, पटना सदर, फुलवारीशरीफ, संमपतचक, धनरूआ, मसौढ़ी, पुनपुन, दनियांवा, फतुआ, खुसरूपुर = 23 अंचल
18	मधुबनी	बेनीपट्टी, बिसफी, हरलाखी, माधवापुर, बाबूबरही, कलुआही, खजौली, पंडौल, रहिका, राजनगर, अंधराठाढ़ी, झंझारपुर, लखनौर, मधेपुर, बासोपट्टी, जयनगर, लदनीया, धोधरडीहा, खुटौना, लौकही, फुलपरास = 21 अंचल
19	नवादा	अकबरपुर, गोविंदपुर, मेसकौर, नरहट, रजौली, रोह, सिरदल्ला, हिसुआ, काशीचक, कौआकोल, नारदीगंज, नावादा सदर, पकरीवरावाँ, वारसलीगंज = 14 अंचल
20	बांका	अमरपुर, बांका, बाराहाट, बेलहर, बौंसी, चानन, धौरेया, कटोरिया, फुलीडूमर, रजौन, शंभुगंज = 11 अंचल

3. यह अधिसूचना, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना

D:\...\2016\MI Info\notification\Notification (Hindi) dated 20-09-2016.doc

ज्ञापांक :- 17-स्था0(अधिसूचना)-210/2011.......... पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के अधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाए।

ह0/-
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 17-स्था0(अधिसूचना)-210/2011.......... पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय, प्रेस गुलजारबाग, पटना - 7 को (सी.डी. एवं हार्ड कॉपी के साथ) बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ। अनुरोध है कि राजपत्र की 800 अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 17-स्था0(अधिसूचना)-210/2011-1973 पटना, दिनांक :- 03-11-2016

प्रतिलिपि :- सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव, राजस्व पर्षद/सभी समाहर्त्ता/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना-7/सभी बंदोबस्त पदाधिकारी/विभागीय आ0ई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2/11/2016
प्रधान सचिव

D:\year 2016\Md. Islam\notification\Notification_Hindi dated 20-09-2016.doc

Fax/Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 17– रै0 सर्वे0 एजेंसी (तकनीकी प्रतिवेदन) – 91 / 2017 ... 1162

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रोजेक्ट मैनेजर,
IIC Technologies Ltd.,Hyderabad,
IL&FS Environmental Infrastructure Services Ltd.New Delhi,
GIS Consortium India Pvt Ltd. New Delhi

पटना, दिनांक :– 22/11/2017

विषय :– त्रि–सीमाना के कोडिंग पैटर्न में एकरूपता के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 के तहत किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य के अन्तर्गत हवाई फोटोग्राफी एजेंसी द्वारा ग्राम सीमा स्थित सभी त्रि–सीमानों का मोन्यूमेंटेशन का कार्य प्रारंभ किया गया है। उक्त स्थापित किये जा रहे त्रीसीमानों और उसके टाईलाईन से सबद्ध ए0सी0पी0 (ACP) के कोड का संधारण डाटाबेस में किया जाना है। तीनों हवाई फोटोग्राफी एजेंसियों द्वारा निर्मित किये जा रहे डाटा में एकरूपता बनी रहें इसके लिए त्रि–सीमाना के कोडिंग पैटर्न में एकरूपता रखा जाना आवश्यक है। जिसके लिए त्रि–सीमाना के कोडिंग के निर्धारण हेतु निदेशालय द्वारा कोडिंग की विधि तैयार की गई है (छायाप्रति संलग्न)।

अतः उपर्युक्त के आलोक में त्रि–सीमाना के कोडिंग पैटर्न निदेशालय द्वारा तैयार विधि के आधार पर तैयार करने हेतु विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर में त्रि–सीमाना एवं ACP से संबंधित विवरण अपलोड करें ताकि एकरूप डाटाबेस निर्मित हो सके एवं आवश्यकतानुसार साप्ताहिक प्रतिवेदन का सत्यापन किया जा सके।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक

त्रि–सीमाना के कोडिंग की विधि

त्रि–सीमाना कोड 15 डिजिट का एक अंकिक कोड होगा। जो 5 टुकडों में तैयार होगा।

(i) पहला टुकडा 1 डिजिट का होगा, जो यह बतायेगा कि कन्ट्रोल प्वाइट किस तरह का है।

P.C.P के लिए 1
S.C.P के लिए 2
T.C.P के लिए 3
A.C.P के लिए 4
त्रि–सीमाना के लिए 5

अर्थात् सारे त्रिसीमाने के 15 अंकों के कोड में पहला अक 5 ही होगा।

(ii) दूसरा टुकडा दो अंकों का होगा, जो जिला का कोड बतायेगा। 38 जिला के लिए कोड की सूची N.I.C द्वारा उपलब्ध करायी गयी है जो निम्नवत है :–

(iii) तीसरा टुकड़ा भी दो अंकों का होगा, जो अंचल का कोड बतायेगा। जिलावार अंचल का कोड भी N.I.C द्वारा उपलब्ध करायी गयी है जो निम्नवत है :–

(iv) चौथा टुकडा एक अंक का होगा, जो ग्राम से बडी भौगोलिक इकाई के सीमा की प्रकृति बतायेगा।

यदि त्रि–सीमाना किसी
अंचल सीमा पर नहीं है
और केवल ग्राम–सीमा
के मध्य है तो उसके लिए 0

यदि त्रि–सीमाना किसी
ग्राम– सीमा के साथ
किसी अंचल सीमा पर
भी है तो उसके लिए 1

यदि त्रि–सीमाना किसी
ग्राम– सीमा के साथ
किसी जिला सीमा पर
भी है तो उसके लिए 2

यदि त्रि–सीमाना किसी
ग्राम–सीमा के साथ
किसी राज्य सीमा पर
भी है तो उसके लिए 3

यदि त्रि–सीमाना किसी
ग्राम–सीमा के साथ
किसी अंतराष्ट्रीय सीमा पर
भी है तो उसके लिए 4

अगर किसी त्रि–सीमाना के लिए चौथे टुकडे के लिए एक से ज्यादा विकल्प उपलब्ध होता है तो सबसे बड़े अंक को कोड में उपलब्ध किया जाएगा अर्थात बृहत्तर भौगोलिक इकाई की सीमा को वरीयता प्रदान किया जाएगा।

(v) पाँचवा टुकडा नौ अंकों का होगा जो तीनों ग्रामों के राजस्व थाना नं0 (R.T No.) से मिलकर बना होगा। कोई भी त्रि–सीमाना भू–सतह के ऊपर चार फलकों से बना हुआ पिरामीडनुमा संरचना है। प्रत्येक फलक के सम्मुख जो भी ग्राम पड़ता है उसका राजस्व थाना नं0 (R.T No.) अंकित किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर त्रि–सीमाना का तीन फलक अंकित हो जाएगा और एक फलक खाली रहेगा जिस पर उपरोक्त वर्णित चार टुकडों को मिला कर बनने वाला छः अंकों का कोड अंकित किया जाना चाहिए।

मोन्यूमेंट किए जाने वाले सारे त्रि–सीमाना स्तंभों के लिए सार्वभौमिक रूप से उत्तर दिशा के पिरामीड फलक पर उपर में कैपिटल "N" लिखा जाना चाहिए ताकि उत्तर दिशा का ज्ञान आसानी से हो सके।

{नोटः– सॉफ्टवेयर में G.C.N की विवरणी उपलब्ध कराते वक्त हवाई एजेंसियों को त्रि–सीमाना के पंद्रह अंकों के कोड में पाँचवें टुकडे के रूप में अंतिम नौ अंकों को उत्तर दिशा से बामावर्त्त (anticlockwise) घूमते हुए तीनों ग्रामों के राजस्व थाना नं0 (R.T No.) से निर्मित करना है।}

त्रि–सीमाने से संबद्ध A.C.P के कोडिंग की विधि

A.C.P कोड 16 डिजिट का एक अंकिक कोड होगा। इस कोड का पहला अंक 4 होगा तथा दूसरे से 15वें अंक तक संबंधित त्रि–सीमाना के कोड को Follow करेगा अर्थात A.C.P जिस त्रि–सीमाने से संबद्ध है उसका दूसरे से 15वें अंक तक का कोड समान होगा। 16वें अंक के लिए A.C.P किस ग्राम में है इसकी सूचना संधारित होगी। प्रत्येक त्रि–सीमाने के परितः टाई–लाईन निर्दिष्ट करने के लिए तीन A.C.P अलग–अलग ग्राम में चिह्नित किए जाऐंगे। उत्तर दिशा से वामावर्त्त (anticlockwise) घूमते हुए।

पहले ग्राम के लिए.............................. 1
दूसरे ग्राम के लिए.............................. 2
तीसरे ग्राम के लिए.............................. 3

स0ब0प0 (मुख्यालय) द्वारा प्रत्येक ग्राम के त्रि–सीमाने और उससे संबंधित A.C.P का पूर्ण विवरण वेबसाईट पर हवाई एजेंसियों द्वारा अपलोड करवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बिहार के लिए एक राज्यस्तरीय शुद्ध एवं एकरूप डाटाबेस का निर्माण हो सके।

पत्रांक— 17-वि0स0एरियल-भा0रे0-68/ 2018-725

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

फैक्स / ई-मेल

सभी समाहर्त्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी,
सभी अपर समाहर्त्ता,
सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 26/4/2018

विषय :— **भू-सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया को संचालित किये जाने के उद्देश्य से एरियल फोटोग्राफी के माध्यम से प्राप्त भू-मानचित्रों का कैडस्ट्रल/रिविजनल सर्वे से संबंधित भू-मानचित्रों के साथ सत्यापन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि वर्तमान में राज्य के 13 जिलों यथा- नालन्दा, शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज एवं कटिहार में भू-सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्राथमिकता के आधार पर बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में किया जा रहा है। उक्त प्रयोजनार्थ उक्त सभी जिलों का एरियल फोटोग्राफी के माध्यम से मौजावार भू-नक्शा संबंधित ऐजेंसी के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एंव बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा-6 एवं नियमावली, 2012 के नियम-7 में यह प्रावधान अंकित किया गया है कि किसी राजस्व ग्राम के किस्तवार का क्रियान्वयन आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से धरातल मानचित्रण, भू-खंडो के साथ राजस्व ग्राम का सीमांकन तथा स्थल सत्यापन द्वारा किया जाएगा। विभिन्न जिलों में एरियल फोटोग्राफी के माध्यम से उपलब्ध कराये गये भू-मानचित्रों का सत्यापन कैडस्ट्रल सर्वे/रिविजनल सर्वे के भू-मानचित्रों के माध्यम से किये जाने पर Gap एवं Overlap की समस्यां प्रतिवेदित है। उल्लेखनीय है कि कैडस्ट्रल सर्वे/रिविजनल सर्वे का कार्य जरीब से जमीन की मापी किये जाने के आधार पर सम्पादित किया गया, जबकि वर्तमान में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य एरियल फोटोग्राफी से प्राप्त भू-मानचित्रों के आधार पर किया जा रहा है। कैडस्ट्रल सर्वे/रिविजनल सर्वे के दौरान जमीन के मापी जरीब से किये जाने के कारण 20 (बीस) कड़ी तक के Error को समानुपातिक रूप से वितरित किये जाने के सिद्धांत के आधार पर क्षान्त किया गया था। चूकि वर्तमान में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य एरियल फोटोग्राफी के माध्यम से

किया जा रहा है, साथ ही सरजमीन का वास्तविक मापी ETS/GPS की मदद से किया जा रहा है/प्रस्तावित है, जिसके कारण किसी प्रकार का Error मापी में सम्भावित नहीं है अर्थात् किसी भी मापी में 20 cm से अधिक का अन्तर मान्य नहीं होगा।

उपर्युक्त के आलोक में दो आसन्न राजस्व मौजों के मध्य शांतिपूर्ण दखल–कब्जा के साथ जो भी प्राकृतिक विभाजन यथा–मेढ़, नाला, सड़क, नदी इत्यादित वर्तमान में उपलब्ध है, को वर्तमान संदर्भ में मौजा का सीमा माना जाय, अर्थात वर्तमान में सरजमीनी हकीकत के अनुरूप ही मानचित्र की मौजा सीमा का निर्धारण किया जाय। जिन मामलों में वर्तमान सरजमीनी स्थिति एवं कैडस्ट्रल सर्वे भू–नक्शा/रिविजनल सर्वे भू–नक्शा में विवाद की स्थिति हो, तो वैसी स्थिति में स्थल सत्यापन एवं जांच से संतुष्ट होने के उपरान्त राजस्व मौजा के सीमा का निर्धारण किया जाय। इस प्रकार से सत्यापित मौजा के भू–मानचित्र के शतप्रतिशत भू–खण्डों का सत्यापन अमीन के माध्यम से कानूनगो/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में कराया जाय। साथ ही कानूनगो, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी Random रूप से कुछ भू–खण्डों की जांच स्वयं भी करेंगे।

अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त से संबंधित किस्तवार प्रक्रम के दौरान एरियल फोटोग्राफी से प्राप्त भू–मानचित्रों का सत्यापन सरजमीनी स्थिति के आलोक में करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन,

20/4/18

(ब्रजेश मेहरोत्रा),
प्रधान सचिव।

Fax/Mail

Govt. of Bihar
Deptt. of Revenue & Land Reforms
(Directorate of Land Records &Surveys)
File No. 17-Re-Survey (Patna Division) 153/2016..1330

Form,

Jai Singh, I.A.S
Director,
Land Records & Surveys,
Bihar, Patna.

To

M/s IIC Technology,
Hydrabad.
M/s IL&FS,
New Delhi.

Patna, Date.24-08-18

Sub :- Permission for using HRSI method for the area not covered under aerial photography – reg.

Sir,

Please refer to the subject matter cited above. Under Bihar special survey Act'2011 and Rule'2012, special survey work is going on in all 38 district of Bihar by using aerial photography method.

As reported by you that due to Ministry of Defence (MoD) objection and some unavoidable reason, the image acqusition couldn't be completed through the aerial photography method in some area in the following districts:-

Sl. No.	Name of the district	Area (sq. km.)	Name of Agencies
1.	Begusarai	139	IIC Technology, Hydrabad
2.	Lakhisarai	95	
3.	Araria	76	
4.	Purnia	1442	
5.	Katihar	566	
6.	Madhubani	1850	IL&FS, New Delhi
	Total	**4168**	

It is requested by you for allowing HRSI method for the area mentioned above for preparation of survey map.

In view of above this department allow you to use HRSI method for above said area which are not covered under aerial photography method and the payment shall be done on the basis of rate for HRSI hybrid method as decided by the DoLR.

Your's faithfully

(Jai Singh)
Director
Land Records & Survey

Memo No. 17-Re-Survey (Patna Division) 153/2016..1330 **Patna, Dated :-**24-08-18

Copy forwarded to :- Director, Directorate of Survey (AIR) & Delhi Geo-Spatial Data Centre, 2nd Floor, Wing IV, West Block No.4, R.K.Puram New Delhi-110066 (E-mail:delhi.gdc.soi@gov.in). for information and necessary action.

Director
Land Records & Survey

C:\Users\Raju\Desktop\153-2016.doc

Memo No. 17-Re-Survey (Patna Division) 153/2016..1330 **Patna, Dated :-** 24-08-2018

Copy forwarded to :- Joint Secretary (G/Air) Ministry of Defence, Govt. of India, New Delhi for information and necessary action.

Director
Land Records & Survey

Memo No. 17-Re-Survey (Patna Division) 153/2016..1330 **Patna, Dated :-** 24-08-18

Copy forwarded to :- Sri Vinay Kumar Thakur, Assistant Director, Land Acquisition-Cum-on Board Security Officer/Sri Mukul kumar, Assistant Director, Land Reforms & Survey-Cum- on Board Security Officer, Govt. of Bihar for information and necessary action.

Director
Land Records & Survey

Memo No. 17-Re-Survey (Patna Division) 153/2016.1330 **Patna, Dated :-** 24-08-18

Copy forwarded to :- Secretary/Joint Secretary, Department of Land resources, Ministry of Rural Development, Govt. of India, New Delhi ofr information and necessary acton.

Director
Land Records & Survey

Memo No. 17-Re-Survey (Patna Division) 153/2016.1330 **Patna, Dated :-** 24-08-18

Copy forwarded to :- Principal Secretary, Revenue and Land Reforms Department, Bihar, Patna for information.

Director
Land Records & Survey

C:\Users\Satis\Desktop\153-2016.doc

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या –17– वि0 सर्वे0–(शेखपुरा) –244 / 2015...165...

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,भा0प्र0से0
प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वित्त विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :–01-02-2017

विषय :– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के विभिन्न प्रक्रमों में उपयोग होने वाले प्रपत्रों की छपाई के संबंध में।

महाशय,

बिहार राज्य में केन्द्र प्रयोजित योजना NLRMP/DILRMP के अन्तर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम संचालित है। उक्त सर्वेक्षण कार्यक्रम में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रपत्रों की छपाई किया जाना आवश्यक है, जिसकी विवरणी प्रपत्रवार संलग्न की जा रही है। उक्त पत्रों की छपाई 70 GSM पेपर पर सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना–7 के स्तर से किये जाने पर विचार किया जा रहा है। संलग्न विवरणी के क्रमांक 01 से 07 तक अंकित प्रपत्रों की उपलब्धता पूरे बिहार में सर्वे कार्य हेतु माह मई 2019 के अंतिम सप्ताह तक आवश्यक होगी।

अतः अनुरोध है कि संलग्न विवरणी के अनुसार प्रपत्रों की छपाई कार्य करने की सहमति देते हुए इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 1/2
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव
भू–अभिलेख एवं परिमाप

क्र० सं०	प्रपत्र संख्या	विषय	कुल पन्नों की संख्या	प्रपत्र/ पंजी की कुल संख्या	पंजी का आकार	प्रथम चरण में 50 प्रतिशत आपूर्ति की लक्ष्य की तिथि	द्वितीय चरण में 50 प्रतिशत आपूर्ति की लक्ष्य की तिथि	अभ्युक्ति
1	प्रपत्र–2	प्रपत्र–2 रैयत द्वारा स्वामित्व/ धारित भूमि की स्वघोषणा (जमाबंदी का 2%)	540000	540000	A4 8.27 x 11.7 इंच	31.05.2019	30.07.2019	प्रपत्र
2	प्रपत्र–3	प्रपत्र–3 स्व घोषणा के विरुद्ध निर्गत किये जाने वाले सत्यापन प्रमाण पत्र पंजी की कुल संख्या (100 पन्नों की 1 पंजी के आधार पर)	27000000	270000	A4 8.27 x 11.7 इंच	31.05.2019	30.07.2019	पंजी
3	प्रपत्र –3(i)	प्रपत्र–3 (i) वंशावली दो अलग–अलग पृष्ठों में (भाग–1 एवं भाग–2) में (जमाबंदी का 2%)	1080000	1080000	A4 8.27 x 11.7 इंच	31.05.2019	30.07.2019	प्रपत्र
4	प्रपत्र –3(ii)	याद्दाश्त पंजी प्रपत्र –3(ii) की कुल संख्या (100 पन्नों की 1 पंजी के आधार पर)	27000000	270000	A3 11.7 x 16.5 इंच	31.05.2019	30.07.2019	पंजी
5	प्रपत्र–4	प्रपत्र–4 गैर सत्यापित/विवादग्रस्त भूमि पंजी की कुल संख्या (100 पन्नों की 1 पंजी के आधार पर)	2700000	27000	A3 11.7 x 16.5 इंच	31.05.2019	30.07.2019	पंजी
6	प्रपत्र–5	प्रपत्र–5 खतियानी विवरणी पंजी की कुल संख्या (100 पन्नों की 1 पंजी के आधार पर)	9000000	90000	A3 11.7 x 16.5 इंच	31.05.2019	30.07.2019	पंजी
7	प्रपत्र–6	खेसरा पंजी की कुल संख्या (100 पन्नों की 1 पंजी के आधार पर)	10800000	108000	A3 11.7 x 16.5 इंच	31.05.2019	30.07.2019	पंजी
8	प्रपत्र–8	प्रपत्र–8 दावों/आक्षेपों का प्रपत्र (जमाबंदी का 3%)	810000	810000	A4 8.3 x 11.7 इंच	30.07.2019	31.10.2019	प्रपत्र
9	प्रपत्र–9	प्रपत्र–9 दावों/आक्षेपों की पावती पंजी (एक पृष्ठ में दो पावती रहेगा) (ग्रामवार) (100 पन्नों की) पावती अलग करने के लिए निर्धारित रेखा को छिद्रयुक्त रखा जाए।	4500000	45000	A5 5.8 x 8.3 इंच (एक पृष्ठ में दो पावती का प्रपत्र रहेगा।)	30.07.2019	31.10.2019	पंजी
10	प्रपत्र–10	प्रपत्र–10 दावा/ आक्षेप पंजी (100 पन्नों की) (ग्रामवार)	4500000	45000	A4 8.3 x 11.7 इंच (100 पृष्ठ में)	30.07.2019	31.10.2019	पंजी
11	प्रपत्र–11	प्रपत्र–11 सूचना का प्रपत्र	1044030	1044030	A5 5.8 x 8.3 इंच	30.07.2019	31.10.2019	प्रपत्र
12	प्रपत्र–14	प्रपत्र–14 दावा/आक्षेप दायर करने का प्रपत्र (जमाबंदी का 2%)	540000	540000	A4 8.3 x 11.7 इंच	30.07.2019	31.10.2019	प्रपत्र
13	प्रपत्र–15	प्रपत्र–15 अधिकार–अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर किए गए दावों/आक्षेपों की पंजी (100 पन्नों की)	4550000	45500	A4 8.3 x 11.7 इंच (200 पृष्ठ में)	30.07.2019	31.10.2019	पंजी
14	प्रपत्र–16	प्रपत्र–16 दावों/ आक्षेपों की पावती प्रपत्र एक पृष्ठ में दो पावती रहेगा (एक पृष्ठ में दो पावती रहेगा (ग्रामवार) (100 पन्नों की) पावती अलग करने के लिए निर्धारित रेखा को छिद्रयुक्त रखा जाए।	4550000	45500	A5 5.8 x 8.3 इंच (एक पृष्ठ में दो पावती का प्रपत्र रहेगा।	30.07.2019	31.10.2019	पंजी
15	प्रपत्र–17	प्रपत्र–17 सूचना का प्रपत्र (जमाबंदी का 2%)	696020	696020	A5 5.8 x 8.3 इंच	30.07.2019	31.10.2019	प्रपत्र
16	अमीन डायरी	नवनियुक्त होने वाले विशेष सर्वेक्षण अमीन की संख्या के अनुसार (100 पन्नों में)	4500000	45000	A4 8.3 x 11.7 इंच	31.05.2019	30.07.2019	पंजी
17	आदेशफलक	(मुख्य पृष्ठ एवं द्वितीय पृष्ठ)	1620000 1350000	1620000 1350000	A4 8.3 x 11.7 इंच	30.07.2019	31.10.2019	प्रपत्र

103810050

(दस करोड़ अड़तीस लाख दस हजार पचास पन्नें)

नोटः– औसतन 600 जमाबंदी रैयत प्रति राजस्व ग्राम के अनुसार 45000 राजस्व ग्रामों के आधार पर आँकलन किया गया है। इस प्रकार रैयतों की कुल संख्या 27000000 होता है।

प्रपत्र–2
(देखें नियम–6 उप नियम–(1))
रैयत द्वारा स्वामित्व/धारित भूमि की स्व–घोषणा हेतु प्रपत्र

राजस्व ग्राम–........................ थाना नं0:–........................ हल्का नं0–........................

पुलिस थाना–........................ अंचल:–........................ जिला........................

रैयत का नाम (सह–हिस्सेदारों का नाम एवं अंश, अगर कोई हो, सहित) एवं पिता का नाम	स्थायी पता	स्वामित्व/धारित भूमि का ब्यौरा						जमाबंदी सं0	भूमि पर दावा का आधार यथा–उत्तराधिकार/दान क्रय/बंदोबस्त/अन्य	अभ्युक्ति अगर कोई हो।
		खाता	खेसरा	रकबा ए0 डी0	चौहद्दी	किस्म जमीन	सेस को छोड़कर लगान			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि स्व–घोषणा में की गई प्रविष्टि मेरी/हमारी जानकारी में सही है। स्व–घोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए मैं/हम जवाबदेह हूँ/हैं।

नोट– इस प्रपत्र को दो प्रतियों में दाखिल किया जायेगा। एक प्रति आवेदक को प्राप्तकर्ता पदा0/कर्मी द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदन की तारीख एवं क्रमांक अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण के रूप में लौटाया जाएगा।

तिथि–

स्थान–

रैयत का हस्ताक्षर/अगूँठे का निशान
मोबाईल नं0 एवं आधार सं0

प्रपत्र–3

(देखें नियम–6 का उप नियम–(7))

स्व–घोषणा के विरूद्ध निर्गत किये जाने वाले सत्यापन प्रमाण पत्र हेतु प्रपत्र

राजस्व ग्राम:–.................................थाना नं0:–................................ हल्का नं0:–..............................

अंचल:–...............................जिला:–..................................

रैयत का नाम	रैयत द्वारा दाखिल स्व–घोषणा का क्र0 सं0	भूमि का ब्यौरा				भूमि का वर्गीकरण	जमाबंदी सं0	सेस को छोड कर लगान	भूमि जिसकी प्रविष्टि सही पायी गयी				अभ्युक्ति अगर कोई हो।
		खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा ए0 डी0	चौहदी				खाता	खेसरा	रकबा ए0 डी0	चौहदी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

अमीन का हस्ताक्षर

कानूनगो का हस्ताक्षर

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र 3 (1)

वंशावली

अधिनियम की धारा 5 (1)

सेवा में,

शिविर प्रभारी
अंचल...
जिला...

विषयः– स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं/हमलोग

(i) श्री/श्रीमती..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..
(ii) श्री/श्रीमती.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..
(iii) श्री/श्रीमती.. श्री/श्रीमती..
पुत्री (यों), पत्नी..................................निवासी............................ग्राम..................................
थाना......................अंचलः–...................... जिला......................**जाति**..............................
ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र ।। में अंकित है स्व.........
.... पिताः–.. ग्राम ....
जो राजस्व ग्रामः–................. अंचलः–............................के जमाबंदी क्रमांक संख्या...........
.........................में प्रविष्ट थे, की...................................../खतियान में अंकित खाता
संख्या..खेसरा संख्या....................रकबा..............................
लगान.. को उत्तराधिकार/बंटवारा के आधार पर हित अर्जित
किया है।
मैं/हमलोगों निम्न वंशावली/वंशवृक्ष से उत्तराधिकारी के आधार पर हित आर्जित किया हूँ/हैं। वंशावली/वंशवृक्ष (मुल खतियान/पंजी–।। के अनुसार)
(नीचे वंश वृक्ष टेबल फार्म बनायें)

मैं/हमलोगों का उल्लेखित भूमि पर शान्तिपूर्ण दखल–कब्जा है तथा भूमि स्वत्ववाद एवं विवाद से मुक्त है। मैं/हमलोगों की वंशावली, खतियान/जमाबंदी पंजी के अनुसार निम्नरूपेण है। अतः अनुरोध है कि प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर तथा प्रश्नगत भूमि में उत्तराधिकार के आधार पर मेरे/हमलोगों के नाम पर सर्वेक्षण प्रक्रिया से तैयार होने वाले अभिलेख में खाता खोलकर सम्बन्धित खेसरों को उसमें प्रविष्ट करने की कृपा की जाय।
अनुलग्नक–याचिकाकर्त्ता (ओं) का वंशवृक्ष

विश्वासभाजन

याचिकाकर्त्ता (ओं) का हस्ताक्षर

वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है:–

रैयत का नाम	पिता का नाम	स्थायी पता	स्वामित्व/धारित भूमि का ब्यौरा				जमाबंदी संख्या
			खाता	खेसरा	रकवा ए0डी0	चौहद्दी	

मैं/हमलोग का उल्लेखित भूमि पर शांतिपूर्ण दखल–कब्जा है तथा भूमि स्वत्ववाद से मुक्त है। अतः प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर तथा प्रश्नगत भूमि में उत्तराधिकार/बंटवारा के आधार पर मेरे/हमलोगों के नाम पर सर्वेक्षण प्रक्रिया से तैयार होने वाले अधिकार–अभिलेख में खाता खोलकर संबंधित खेसरों को प्रविष्टि करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक–

1. मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि/वर्ष
2. जमाबंदी संख्या की विवरणी/मालगुजारी रसीद सं0/वर्ष
3. खतियान की नकल (यदि उपलब्ध हो तो)
4. दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों की विवरणी
5. अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की सच्ची प्रति
6. आवेदनकर्त्ता या हित अर्जन करने वाले का मृतक का वारिज होने के संबंध में प्रमाण–पत्र
7. आवेदनकर्त्ता/ओं के आधार कार्ड की छायाप्रति
8. आवेदनकर्त्ता/ओं के वोटर कार्ड की छायाप्रति

विश्वासभाजन

याचिकाकर्त्ता (ओं) का हस्ताक्षर
एवं पूरा पता

यादृदाश्त पंजी

प्रपत्र 3 (2)

{धारा 5 की उप धारा (1)}

अमीन द्वारा संधारित किया जाने वाला यादृदाश्त पंजी

बंदोबस्त कार्यालय का नाम.................................. अंचल ....पंचायत ....

शिविर ...., कार्यालय का नाम ....राजस्व ग्राम ....

थाना संख्या ...., जिला ....अमीन का नाम एवं पंजीयन संख्या...................

यादृदाश्त क्रम संख्या	नया खेसरा संख्या	पुराना खेसरा संख्या	पुराना खाता संख्या	पुराने खातेदार का नाम एवं पूरा पता	वर्तमान दखलकार का नाम एवं पूरा पता	वर्तमान दखलकार का वैधानिक आधार पुराने दर्ज खतियानी रैयत/दखलकार के साथ वर्तमान दखलकर्ता का सम्बन्ध एवं दावे से सम्बन्धित दस्तावेजों का विवरण	अन्य कागजी साक्ष्यों के आधार पर दावा किये जाने वाले भूमि का रकबा	दखल के अन्तर्गत की भूमि का खाता–खेसरा रकबा–चौहद्दी का विवरण	स्थान पर उपस्थित व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर तिथि के साथ	मौके पर अनुपस्थित किन्तु बाद में उपस्थित रैयत/ रैयतों का हस्ताक्षर तिथि सहित	आदेश का विवरणी	प्रपत्र 6 में प्रविष्टि की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्रपत्र–4
(देखें नियम–6 का उप नियम–(8))
गैर–सत्यापित/विवादग्रस्त भूमि की पंजी का प्रपत्र

राजस्व ग्राम:–.................................थाना नं0:–................................ हल्का नं0:–..................

अंचल:–...............................जिला:–..

रैयत का नाम	रैयत द्वारा प्रस्तुत स्व–घोषणा–पत्र की क्रम संख्या	भूमि का ब्यौरा				भूमि का वर्गीकरण	जमाबंदी सं0 (अगर हो तो)	सत्यापन नहीं किए जाने का संक्षिप्त कारण	अभ्युक्ति
		खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा ए0 डी0	चौहदी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अमीन का हस्ताक्षर

कानूनगो का हस्ताक्षर

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र–5
(देखे नियम–9 का उप नियम–(1)
खतियानी विवरणी

राजस्व ग्राम:–.................................थाना नं0:–............................... अंचल...............................

जिला:–..............................

क्र0 सं0	रैयत का नाम पिता/पति का नाम एवं पूरा पता	खतियान या अधिकार–अभिलेख का क्रम संख्या	खेसरा संख्या	चौहदी (वैकल्पिक	रकबा				लगान सेस को छोड़कर	अभ्युक्ति
					कृषित	अकृषित	अन्य	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

अमीन का हस्ताक्षर — कानूनगो का हस्ताक्षर — सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र–6

(देखे नियम–9 का उप नियम–(1)

खेसरा पंजी का प्रपत्र

राजस्व ग्राम:–..थाना नं0:–.. हलका नं0..

अंचल:–.. जिला:–..

क्र0 सं0	रैयत का नाम पिता/पति का नाम जाति एवं पता	रैयत का आधार नं0 एवं मोबाईल नं0	खेसरा सं0		पुराना खाता नं0	खेसरा का रकबा		चौहदी	खेसरा की भौतिक विवरणी/उपलब्ध अलामत	भूमि का वर्गीकरण वासगीत/कृषि/भीठ/चौर दियारा/सरकारी/शहरी/व्यावसायिक	फसल के अंतर्गत रकबा						शेष छोड़कर लगान	वर्तमान में भूमि के उपयोग का स्वरूप					अभ्युक्ति
			नया	पुराना		ए0	डि0				भदई	अगहनी	रबी	अन्य फसल	कृषि योग्य	कृषि हेतु अयोग्य		कृषि	परती	आवासीय	व्यावसायिक	औद्योगिक अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

अमीन का हस्ताक्षर   कानूनगो का हस्ताक्षर   सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र–8
(देखें नियम–9 उप नियम–(9)
दावों/आक्षेपों का प्रपत्र

1. दावाकर्त्ता/आक्षेपकर्त्ता का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पताः–
2. प्रतिवादी का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पताः–
3. विवादित भूमि का ब्यौराः–
   राजस्व ग्रामः–.................................. थाना नं0:–.................................. खाताः–..
   खेसराः–.. रकबाः–..
4. दावा/आक्षेप का सारः–
5. अपेक्षित राहतः–

दावाकर्त्ता/आक्षेपकर्त्ता का
हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान..............................

प्रपत्र–9
(देखें नियम–9 उप नियम–9)
दावों/आक्षेपों की पावती का प्रपत्र

क्रम संख्या.. तिथि...दावाकर्त्ता/आक्षेपकर्त्ता का नाम :–...

प्राप्तकर्त्ता पदाधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर/मुहर

नोटः– रेखा के नीचे वाले भाग को फाड़कर दावाकर्त्ता/आक्षेपकर्त्ता को दावा/आक्षेप की प्राप्ति के प्रमाण के रूप में दिया जायेगा।

प्रपत्र–10

(देखें नियम–9 उप नियम–(10)

दावा/आक्षेप पंजी का प्रपत्र

राजस्व ग्रामः–......................थाना नं0:–......................हल्का नं0:–......................... अंचलः–................................

जिला....................................

क्र0 सं0	आवेदन दाखिल करने की तिथि	दावाकर्त्ता/आक्षेपकर्त्ता का नाम पूरा पता सहित	प्रतिवादी का नाम पूरा पता सहित	विवादित भूमि			निपटारे की तिथि	आदेश का सार तिथि सहित	आदेश के अनुसार सुधार किये जाने की तिथि
				खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा ए0 डी0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रपत्र–11

(देखें नियम–10 का उप नियम–(1)

सूचना का प्रपत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी.............................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.. निवासी ग्राम.. डाकघर.............................थाना......................... अंचल.................. जिला......................को एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांकः............................को दायर दावों/आक्षेपों, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, की सुनवाई दिनांक..........................को पूर्वाह्न/अपराह्न (स्थान).................................. पर नियत की गयी है।

वाद संख्या एवं दाखिल करने की तिथि	दावाकर्ता/आक्षेपकर्ता का नाम के साथ–साथ पिता/पति का नाम एवं पता	भूमि का ब्यौरा						दावों/आपत्तियों का सार
		राजस्व ग्राम का नाम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा ए0 डी0	चौहद्दी	
1	2	3	4	5	6	7		8

आपको निदेश दिया जाता है कि सुनवाई हेतु नियत तिथि, समय एवं स्थान पर अपने दावों/आक्षेप के समर्थन में साक्ष्य, अगर कोई हो, सहित स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हों।
अगर आप सुनवाई हेतु नियत तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित नहीं होते हैं तो वाद को उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एक पक्षीय निपटारा किया जा सकेगा।

पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र–14

(देखें नियम–13 उप नियम–(4))

दावों/आक्षेप दायर करने का प्रपत्र

1. दावाकर्त्ता/आक्षेपकर्त्ता का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पताः–
2. प्रतिवादी का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पताः–
3. विवादित भूमि का ब्यौराः–

   राजस्व ग्रामः–.................................. थाना नं0:–.................................. खाताः–..

   खेसराः–.. रकबाः–.......................................
4. दावा/आक्षेप का सारः–
5. अपेक्षित राहतः–

दावाकर्त्ता/आक्षेपकर्त्ता का
हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान..............................

प्रपत्र–15
(देखें नियम–13 उप नियम–(5))
अधिकार–अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर किए गए दावों/आक्षेपों की पंजी का प्रपत्र

क्र० सं०	वाद संख्या एवं दायर करने की तिथि	दावाकर्त्ता/आक्षेपकर्त्ता का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पता	प्रतिवादी का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पता	विवादित भूमि का ब्यौरा						सुनवाई की तिथि	आदेश का सार	आदेश के अनुसार सुधार की तिथि, अगर आवश्यक हो	पदाधिकारी का हस्ताक्षर
				अंचल	राजस्व ग्राम	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा ए० डी०				
1	2	3	4	8	9	10			11	12	13		14

प्रपत्र–16
(देखें नियम–13 उप नियम–(5))

दावों/आक्षेपों की पावती का प्रपत्र

क्रम संख्या.. तिथि.................................. दावाकर्त्ता/आक्षेपकर्त्ता का नाम..

प्राप्तकर्त्ता पदाधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर/मुहर

नोटः– रेखा के नीचे वाले भाग को फाड़कर दावाकर्त्ता/आक्षेपकर्त्ता को दावा/आक्षेप की प्राप्ति के प्रमाण के रूप में दिया जायेगा।

प्रपत्र–17
(देखें नियम–13 उप नियम–(7))
अधिकार–अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर दावों/आक्षेपों की सुनवाई हेतु पक्षकारों को सूचना का प्रपत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी..........................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.............................. निवासी ग्राम.................................
डाकघर...........................थाना........................ अंचल.................. जिला.....................को एतत् द्वारा जानकारी दी जाती है कि दिनांक:.......................... को दायर दावों/आक्षेपों, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है, से सम्बन्धित सुनवाई दिनांक.....................को पूर्वाह्न/अपराह्न (स्थान)................................. पर नियत की गयी है।

वाद संख्या	दायर करने की तिथि	संबंधित पक्ष	भूमि का ब्यौरा						दावों/आक्षेपों का सार
			राजस्व ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा ए0 डी0	चौहद्दी	
1	2	3		4	5	6	7		8

आपको निदेश दिया जाता है कि अपने दावा/आक्षेप के समर्थन मे साक्ष्य के साथ आप स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत के द्वारा सुनवाई हेतु नियत तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित हों अन्यथा वाद को, उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, एकपक्षीय निपटारा किया जा सकेगा।

शिविर के प्रभारी पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

अमीन डायरी

अमीन का नाम ...., मौजा का नाम ....थाना संख्या ....

दिनांक	किस्तवार			खानापुरी खेसरा का सत्यापन			सुनवाई	
	ग्राम–सीमा सत्यापन एवं किस्तवार कार्य	खेसरा की संख्या कुल	क्षेत्रफल	पुराने खातेदार का नाम एवं पूरा पता	खेसरा की कुल संख्या	क्षेत्रफल	सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा अमीन को जाँच एवं मापी हेतु वादों की संख्या एवं तिथि	जाँच प्रतिवेदन शिविर में वापस करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

जाँच करने वाले पदाधिकारी का
हस्ताक्षर

अमीन का हस्ताक्षर

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या – 17 कम्प्यू० (उ०स०) – 223/2016.......291

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :– 22-02-2019

विषय :– विभिन्न विभागों द्वारा अपने स्वामित्व की एवं विभिन्न उद्देश्यों से अर्जित भूमि का विवरण/ब्योरा संबंधित बन्दोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराने एवं उसका नामान्तरण कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के तरफ ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना है कि बिहार राज्य में केन्द्र प्रायोजित योजना NLRMP/DILRMP के अन्तर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम का कार्य वर्ष 2012–13 से कराया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के 13 जिलों में इस योजना का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के निदेशानुसार इस कार्यक्रम का कार्य त्वरित गति से करते हुए सभी जिलों में आगामी वित्तीय वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस हेतु निदेशालय/विभाग स्तर पर सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

विभिन्न समीक्षात्मक बैठकों से यह ज्ञात हुआ कि विभिन्न विभागों द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि तथा विभिन्न उद्देश्यों से अर्जित भूमि/जमीन का विवरण/ब्योरा राजस्व विभाग/निदेशालय के पास संधारित नहीं है, जबकि सर्वेक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी भूमि/जमीन का अधिकार अभिलेख (RoR) बन्दोबस्त कार्यालय के माध्यम से अद्यतन किया जाना है। वर्णित परिस्थिति में यह आवश्यक है कि राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि तथा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अर्जित भूमि/जमीन का विवरण/ब्योरा संबंधित बन्दोबस्त कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाए तथा ऐसी सभी भूमि का नामान्तरण भी करा लिया जाए ताकि सर्वेक्षण के दौरान अद्यतन अधिकार अभिलेख तैयार किया जा सके।

अतएव अनुरोध है कि विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकार अभिलेखों (RoR) को अद्यतन करने के उद्देश्य से विभागों द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि तथा विभिन्न उद्देश्यों के पूर्ति हेतु अर्जित भूमि/ज़मीन का विवरण/ब्योरा संबंधित बन्दोबस्त कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाए तथा ऐसी सभी भूमि का नामान्तरण भी करा लिया जाए ताकि अधिकार अभिलेख (RoR) के निर्माण/अद्यतनीकरण के क्रम में संबंधित विभाग का नाम प्रदर्शित किया जा सके।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका सं0:– 17–योजना (अवधि विस्तार)–25 / 2019...315 **पटना, दिनांक :–** 27-02-2019

संकल्प

विषय – दिनांक 09.10.2018 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–35 में स्वीकृत प्रस्ताव को निरस्त करते हुए एवं दिनांक 25.02.2019 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या 50 में स्वीकृत प्रस्ताव बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के आलोक में राजस्व मानचित्रों तथा खतियान के अद्यतनीकरण हेतु विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय भू–अभिलेख एवं प्रबंधन कार्यक्रम (NLRMP/DILRMP) को चालू रखते हुए वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 तक 04 (चार) वर्ष के लिए योजना के अवधि विस्तार हेतु राज्यांश **94415.44** लाख रूपये (नौ अरब चौवालीस करोड़ पन्द्रह लाख चौवालीस हजार रूपया) तथा केन्द्रीय अंशदान की राशि **17407.07** लाख रूपये (एक अरब चौहत्तर करोड़ सात लाख सात हजार रूपये) अर्थात् राज्यांश एवं केन्द्रांश सहित कुल राशि **111822.51** लाख रूपये (ग्यारह अरब अठारह करोड़ बाईस लाख एकावन हजार रूपया) के व्यय एवं नियमित तथा संविदा सहित कुल 8946 (नियमित पद–1318, पूर्व से संविदा पद –191 एवं नव सृजित संविदा पद–7437) पदों के अवधि विस्तार / पद सृजन की स्वीकृति।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 के आलोक में दिनांक 19.04.2012 को योजना प्राधिकृत समिति तथा दिनांक–15.05.2012 को मंत्रिपरिषद् द्वारा 3 वर्षों यथा 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 (तीन वर्षों) के लिए स्वीकृत प्राप्त योजना, जिसमें अराजपत्रित एवं राजपत्रित कुल 3486 पदों की स्वीकृति प्राप्त योजना को चालू रखते हुए अगले तीन वर्षों यथा–2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दिनांक 11.05.2015 को योजना प्राधिकृत समिति एवं दिनांक 16.06.2015 को मंत्रिपरिषद द्वारा प्राप्त थी। पुनः दिनांक 12.09.2018 को लोक वित्त समिति से आगामी दो वर्षों यथा–2018–19 से 2019–20 एवं दिनांक 09.10.2018 को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई।

सर्वे / री–सर्वे योजना पूर्णतः तकनीक पर आधारित कार्य है, अतः उक्त योजना को तय सीमा अर्थात 2018–19 से 2021–22 तक पूर्ण करने हेतु तकनीकी रूप से दक्ष पदाधिकारी / कर्मियों की सेवा लेने का प्रस्ताव है। इस हेतु सिविल अभियंत्रण में डिग्री / डिप्लोमाधारी एवं अमानत में डिप्लोमा / आई0टी0आई0 से सर्वेयर के प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त तकनीकी व्यक्तियों का संविदा पर नियोजन करते हुए राज्य के सभी 534 अंचलो में सर्वे / री–सर्वे कराया जायेगा।

(2) **अनुमानित व्यय :–** बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय भू–अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (NLRMP/DILRMP) के अन्तर्गत चार वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2021–22 तक होने वाले राज्यांश की राशि 94415.44 लाख रूपये (नौ अरब चौवालीस करोड़ पन्द्रह लाख चौवालीस हजार रूपया) एवं केन्द्रांश की राशि 17407.07 लाख रूपये (एक अरब चौहत्तर करोड़ सात लाख सात हजार रूपये मात्र) अर्थात् राज्यांश एवं केन्द्रांश सहित 111822.51 लाख रूपये (ग्यारह अरब अठारह करोड़ बाईस लाख एकावन हजार रूपया)मात्र का व्यय निम्न अनुसार किया जायेगा :–

क्र0 सं0	अवयव का नाम	वित्तीय वर्षवार बजट उपबंध प्रस्ताव (राशि लाख रूपये में)				कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
वर्षवार		2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	
1	स्थापना मद में व्यय	2200.00	2600.00	2900.00	3200.00	10900.00
2	स्थापना मद से भिन्न मद में व्यय	3927.36	9927.91	29797.35	29787.35	73439.97
3	राज्यांश मैचिंग ग्राण्ट	0.01	2411.49	2411.49	–	4822.99
4	अंचल स्तर पर डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार	733.26	1504.83	257.20	257.19	2752.48
5	राजस्व अभिलेखों के स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन	–	2500.00	–	–	2500.00
राज्यांश का योग (क)		6860.63	18944.23	35366.04	33244.54	94415.44
6	केन्द्रांश की राशि (ख)	0.01	8772.00	8635.06	–	17407.07
महायोग राज्यांश एवं केन्द्रांश सहित (क+ख)		6860.64	27716.23	44001.10	33244.54	111822.51
(ग्यारह अरब अठारह करोड़ बाईस लाख एकावन हजार) रूपये मात्र						

(3) **पदों का सृजन/अवधि विस्तार** :– लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आगामी चार वर्षो यथा वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2021–22 के लिए निम्न तालिका अनुसार 1318 नियमित पदो का अवधि विस्तार, पूर्व से सृजित संविदा पद में से कतिपय संविदा पदों का प्रत्यर्पण एवं शेष का अवधि विस्तार तथा 7437 नवसृजित पदों का सृजन किया गया है :–

क्र0 स0	पदनाम	पूर्व से स्वीकृत नियमित पद	पूर्व से स्वीकृत संविदा पद में से कतिपय पदों का प्रत्यर्पण	पूर्व से स्वीकृत संविदा पद में से कतिपय पदों एवं संख्या को प्रत्यर्पण के पश्चात् शेष संविदा पद अवधि विस्तार हेतु	प्रस्तावित नवसृजित संविदा पद	स्वीकृति हेतु कुल प्रस्तावित संविदा पद (5+6)	नियमित पद के अवधि विस्तार की स्वीकृति हेतु कुल प्रस्तावित पद	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित अवधि विस्तार एवं संविदा पद सहित कुल संख्या (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बंदोबस्त पदाधिकारी	38	—	–	—	–	38	38
2	प्रभारी पदाधिकारी	38	—	–	—	–	38	38
3	सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी	60	439	48	—	48	60	108
	विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी	–	—	–	275	275	–	275
4	अंचल निरीक्षक सह कानूनगो	72	475	–	—	–	72	72
	विशेष सर्वेक्षण कानूनगो	—	—	–	550	550	–	550
5	प्रधान लिपिक एवं लिपिक	70	—	–	—	–	70	70
6	मोहर्रिर	294	—	–	—	–	294	294
	विशेष सर्वेक्षण लिपिक	–	—	–	550	550	–	550
7	प्रारूपक	77	483	–	—	–	77	77
8	अमीन / सर्वेयर	160	323	117	–	117	160	277
	विशेष सर्वेक्षण अमीन	–	—	–	4950	4950	–	4950
	अमीन	–	–	–	550	550	–	550
9	चालक	16	—	–	—	–	16	16
10	अनुसेवक / जंजीर वाहक	493	307	–	—	–	493	493
11	कार्यपालक सहायक	–	—	–	275	275	–	275
12	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर / कम्प्यूटर ऑपरेटर	–	–	26	12	38	–	38
13	आई0टी0 ब्याय	–	—	–	275	275	–	275
	कुल योग	1318	2027	191	7437	7628	1318	8946

(4) (क) बिहार राज्य के सरकारी पॉलिटेकनिक महाविद्यालय से असैनिक अभियंत्रण से डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए मानदेय पर आधारित विशेष सर्वेक्षण कानूनगों एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन के संविदा पद पर नियोजन में 40 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया जायेगा।

(ख) बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित अभियंत्रण महाविद्यालय से असैनिक अभियंत्रण से स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए मानदेय पर आधारित विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के संविदा पद पर नियोजन में 50 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया जायेगा।

(5) नियोजन एवं पारिश्रमिक भुगतान प्राधिकार :— सर्वेक्षण एंव बन्दोबस्त कार्य हेतु संविदा पर नवसृजित पद यथा विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगों, विशेष सर्वेक्षण लिपिक, विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं अमीन का नियोजन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / बिहार

विकास मिशन/बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एवं पारिश्रमिकी का भुगतान भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय/बिहार विकास मिशन/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध करायी गई राशि से बिहार विकास मिशन/भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा किया जायेगा एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं आई0टी0 ब्वॉय का नियोजन बेल्ट्रॉन के माध्यम से तथा कार्यपालक सहायक का नियोजन जिला समाहर्त्ता के पैनल से किया जायेगा। उक्त पर होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	नियोजन प्राधिकार	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता	न्यूनतम कार्य अनुभव	सरकार पर पड़ने वाला प्रतिकर्मी व्यय भार (EPF&ESI सहित)	अनुमानित कुल वार्षिक व्यय	संविदा नियोजन में वेटेज	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी	275	भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) / बिहार विकास मिशन / बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग	सिविल इंजिनियरिंग में स्नातक+2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव	दो वर्ष का सरकारी/ निबंधित गैर सरकारी संस्थान में कार्य करने का अनुभव	59000/– (मानदेय 52202.50, EPF&ESI सरकार का अंशदान– 2797.50, मोबाईल लैपटॉप व इन्टरनेट व्यय की प्रतिपूर्ति –4000)	19,47,70,000/–	1. मैट्रिक–10 2. इन्टर–15 3. स्नातक–50 4. स्नातकोत्तर–5 5. अनुभव– 20	(1) न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए 5 एवं अधिकतम 20 अंक देय
2	विशेष सर्वेक्षण कानूनगो	550		सिविल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा +2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव	दो वर्ष का सरकारी/ निबंधित गैर सरकारी संस्थान में कार्य करने का अनुभव	36000/– (मानदेय 29202.50, EPF&ESI सरकार का अंशदान– 2797.50, मोबाईल लैपटॉप व इन्टरनेट व्यय की प्रतिपूर्ति –4000)	23,76,00,000/–	1. मैट्रिक–10 2. डिप्लोमा–70 3. अनुभव– 20	
3	विशेष सर्वेक्षण अमीन	4950		सिविल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा	–	31000/– (मानदेय 24202.50, EPF&ESI सरकार का अंशदान– 2797.50, मोबाईल लैपटॉप व इन्टरनेट व्यय की प्रतिपूर्ति –4000)	1,84,14,00,000/–	1. मैट्रिक–10 2. डिप्लोमा–90	–
4	अमीन	550		सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अमानत की डिग्री या आई0टी0 आई0 से सर्वेयर की प्रशिक्षण में सफल	–	22000/– (मानदेय 15345.00, EPF&ESI सरकार का अंशदान– 2655, मोबाईल लैपटॉप व इन्टरनेट व्यय की प्रतिपूर्ति –4000)	14,52,00,000/–	1. मैट्रिक–10 2. डिप्लोमा/ आई0 टी0 आई0 –90	(2) स्तम्भ संख्या–7 में अंकित नियोजित कर्मियों हेतु पारिश्रमिकी /मानदेय में यदि भविष्य सरकार/ विभाग द्वारा कोई संशोधन/परिवर्तन (वृद्धि /कमी) किया जाता है तो उक्त नियोजित कर्मियों को संशोधित/ परिवर्तित (वृद्धि /कमी) पारिश्रमिकी/मानदेय अनुमान्य किया जायेगा।
5	लिपिक/ विशेष सर्वेक्षण लिपिक	550		स्नातक	–	25000/– प्रति माह प्रति कर्मी	16,50,00,000/–	1. मैट्रिक–10 2. इन्टर–15 3. स्नातक–70 4. स्नातकोत्तर–05	–
6	कार्यपालक सहायक	275	जिला पैनल से	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा निर्धारित	–	13000/– प्रति माह प्रति कर्मी	4,29,00,000/–	–	–
7	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	12	बेल्ट्रॉन के माध्यम से	बेल्ट्रॉन द्वारा निर्धारित	–	25000/– प्रति माह प्रति कर्मी	36,00,000/–	–	–
8	आई0टी0 ब्वाय	275			–	16118/– प्रति माह प्रति कर्मी	5,31,89,400/–	–	–
कुल योग :–		7437					2,68,36,59,400/–	–	–

(6) राजस्व अभिलेखों के स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन में 25 करोड़ रूपये व्यय किया जाएगा।

(7) संविदा पर नियोजित कर्मियों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण संबंधित जिलों के समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी/निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के समन्वय से किया जाएगा।

(8) पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या 1730 दिनांक 10.11.2018को निरस्त किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

27/2/19
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
सरकार के प्रधान सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 17–योजना (अवधि विस्तार)–25/2019..315 **पटना, दिनांक** :– 27-02-2019

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/19
सरकार के प्रधान सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 17–योजना (अवधि विस्तार)–25/2019..315 **पटना, दिनांक** :– 27-02-2019

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना के अगले असाधारण अंक में प्रकाषनार्थ अग्रसारित। अनुरोध है कि इस संकल्प की 300 प्रतियाँ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा करें।

27/2/19
सरकार के प्रधान सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 17–योजना (अवधि विस्तार)–25/2019..315 **पटना, दिनांक** :– 27-02-2019

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी/सभी प्रभारी पदाधिकारी/ सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग/प्राचार्य, राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/19
सरकार के प्रधान सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 17–योजना (अवधि विस्तार)–25/2019..315 **पटना, दिनांक** :– 27-02-2019

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार विधान परिषद्/सचिव, बिहार विधान सभा/मुख्यमंत्री सचिवालय/निबंधक, पटना उच्च न्यायालय/महाधिवक्ता, बिहार, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

27/2/19
सरकार के प्रधान सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 17–योजना (अवधि विस्तार)–25/2019..315 **पटना, दिनांक** :–27-02-2019

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।

27/2/19
सरकार के प्रधान सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

संख्या–8/नियम संशोधन(सर्वे0)–08–02/2012(खंड)– 165 (8)/रा0, पटना–15, दिनांक–15/03/19

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 के नियम 21(अध्याय–XI) के प्रावधान के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **"तकनीकी मार्गदर्शिका"** अधिसूचित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(ब्रजेश मेहरोत्रा),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8/नियम संशोधन(सर्वे0)–08–02/2012(खंड)– 165 (8)/रा0, पटना–15, दिनांक–15/03/19
प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को अधिसूचना की 1000 प्रतियाँ सरकारी गजट के असाधारण अंक में मुद्रित करने हेतु प्रेषित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8/नियम संशोधन(सर्वे0)–08–02/2012(खंड)– 165 (8)/रा0, पटना–15, दिनांक–15/03/19
प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

FAX
EMAIL

(ब्रजेश मेहरोत्रा),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8/नियम संशोधन(सर्वे0)–08–02/2012(खंड)– 165 (8)/रा0, पटना–15, दिनांक–
प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8/नियम संशोधन(सर्वे0)–08–02/2012(खंड)– 165 (8)/रा0, पटना–15, दिनांक–15/3/19
प्रतिलिपिः–महाधिवक्ता, बिहार, उच्च न्यायालय, पटना, को सूचनार्थ प्रेषित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा),
प्रधान सचिव।

क0प्र0उ0

1308
25.3.19

ज्ञापांक–8 / नियम संशोधन(सर्वे0)–08–02 / 2012(खंड)– 165 (8) / रा0, पटना–15, दिनांक– 15/03/19
प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 15/3
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8 / नियम संशोधन(सर्वे0)–08–02 / 2012(खंड)– 165 (8) / रा0, पटना–15, दिनांक– 15/03/19
प्रतिलिपिः–सभी विभागाध्यक्ष / प्रधान सचिव / सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा), 15/3
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8 / नियम संशोधन(सर्वे0)–08–02 / 2012(खंड)– 165 (8) / रा0, पटना–15, दिनांक– 15/03/
प्रतिलिपिः–सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा), 15/3
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8 / नियम संशोधन(सर्वे0)–08–02 / 2012(खंड)– 165 (8) / रा0, पटना–15, दिनांक– 15/03/19
प्रतिलिपिः–माननीय मुख्य मंत्री के सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा), 15/3
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8 / नियम संशोधन(सर्वे0)–08–02 / 2012(खंड)– 165 (8) / रा0, पटना–15, दिनांक– 15/03/19
प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा), 15/3
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8 / नियम संशोधन(सर्वे0)–08–02 / 2012(खंड)– 165 (8) / रा0, पटना–15, दिनांक– 15/03/19
प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर आज ही अपलोड करें।

(ब्रजेश मेहरोत्रा), 15/3
प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या :– 17–तक0 सर्वेक्षण मार्गदर्शन–28 / 2018..477..........

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, नालंदा,
शेखपुरा, मुंगेर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा,
किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया एवं अररिया।

पटना, दिनांक :– 20-03-2019

विषय :– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या– 165 (8) / रा0, पटना–15 दिनांक–15.03.2019 द्वारा तकनीकी मार्गदर्शिका अधिसूचित किए जाने के पश्चात विशेष सर्वेक्षण अंतर्गत अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा तकनीकी मार्गदर्शिका के आलोक में करने एवं उसके पश्चात की सभी कार्रवाई भी मार्गदर्शिका के आलोक में ही करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना द्वारा अधिसूचना संख्या– 165 (8) / रा0, पटना–15 दिनांक–15.03.2019 द्वारा तकनीकी मार्गदर्शिका अधिसूचित की गई है। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि आपके जिले में अब तक किए गए विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा तकनीकी मार्गदर्शिका के आधार पर कर ली जाए एवं इस बात की संपुष्टि कर ली जाए कि अब तक किया गया विशेष सर्वेक्षण का कार्य तकनीकी मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के अनुकूल ही किया गया है। यदि विशेष सर्वेक्षण के किसी प्रक्रम में भिन्नता की स्थिति पाई जाती है तो उसकी समीक्षा कर उसमें यथा आवश्यक सुधार की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए एवं पश्चात की सभी कार्रवाईयाँ भी तकनीकी मार्गदर्शिका के प्रावधानों के आलोक में ही की जाए।

बंदोबस्त पदाधिकारी का विशेषकर दायित्त्व होगा कि अंतिम प्रकाशन से पूर्व भलीभांति संतुष्ट हो लेंगे की विशेष सर्वेक्षण अंतर्गत की गयी अब तक की सभी कार्रवाईयाँ तकनीकी मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुकूल है।

विश्वासभाजन

20/3/19
(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या :– 17–तक0 को0–312/2018......828......

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया एवं अररिया।

पटना, दिनांक :–30-05-19

विषय :– सर्वेक्षण संबंधित कागजातों को संरक्षित करने के संबंध में।

प्रसंग:– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का पत्रांक–477 दिनांक– 20.03.2019, पत्रांक–712 दिनांक– 07.05.2019, अधिसूचना संख्या– 1574 दिनांक–01.10.2012 तथा 188 दिनांक–03.02.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के क्रम में कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या– 1574 दिनांक–01.10.2012 तथा 188 दिनांक–03.02.2015 द्वारा आपके जिलों में विशेष भू–सर्वेक्षण की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। उल्लेखनीय है कि अधिनियम एवं नियमावली अंतर्गत भू–सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती की कार्रवाई तकनीकी मार्गदर्शिका के आधार पर किया जाना है। इस संदर्भ में विभागीय स्तर से तकनीकी मार्गदर्शिका तैयार करने की कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में भी तकनीकी मार्गदर्शिका के आधार पर भू–सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की कार्रवाई हेतु सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–1868/2018 भी दायर किया गया था। इस आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–165(8)/रा0 दिनांक–15.03.2019 द्वारा तकनीकी मार्गदर्शिका अधिसूचित की गई है। दिनांक– 17.05.2019 को ईमेल द्वारा तकनीकी मार्गदर्शिका बिहार राज्य के सभी समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी भेजा गया है। आशा है कि आपके द्वारा तकनीकी मार्गदर्शिका का अध्ययन कर लिया गया होगा। उल्लेखनीय है कि आपके जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती की प्रक्रिया तकनीकी मार्गदर्शिका पर आधारित है और समीक्षात्मक बैठक हेतु तकनीकी मार्गदर्शिका एक आधार होगा।

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का पत्रांक–477 दिनांक– 20.03.2019 द्वारा अधिसूचित तकनीकी मार्गदर्शिका के आलोक में यह निदेशित किया गया था कि "यह आवश्यक है कि आपके जिले में अब तक किए गए विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा तकनीकी मार्गदर्शिका के आधार पर कर ली जाए एवं इस बात की संपुष्टि कर ली जाए कि अब तक किया गया विशेष सर्वेक्षण का कार्य तकनीकी मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के अनुकूल ही किया गया है। यदि विशेष सर्वेक्षण के किसी प्रक्रम में भिन्नता की स्थिति पाई जाती है तो उसकी समीक्षा कर उसमें यथा आवश्यक सुधार की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए एवं पश्चात की सभी कार्रवाईयाँ भी तकनीकी मार्गदर्शिका के प्रावधानों के आलोक में ही की जाए।

बंदोबस्त पदाधिकारी का विशेषकर दायित्त्व होगा कि अंतिम प्रकाशन से पूर्व भलीभांति संतुष्ट हो लेंगे कि विशेष सर्वेक्षण अंतर्गत की गयी अब तक की सभी कार्रवाईयाँ तकनीकी मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुकूल है।"

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित वर्ष–2017), बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 (यथा संशोधित वर्ष–2019), तकनीकी मार्गदर्शि— एवं एन0आई0सी0 द्वारा तैयार भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के आलोक में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि वर्त्तमान में 14 जिलों यथा– नालंदा, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, पश्चिम चंपारण, जहानाबाद, जमुई, बांका एवं अरवल में प्राथमिकता के आधार पर वर्ष–2019–20 में नवनियोजित कार्यबल के द्वारा तकनीकी रूप से सक्षम तरीकों का उपयोग कर भू–सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की कार्रवाई की जाए।

इस संदर्भ में निदेशालय के आदेश संख्या– 712 दिनांक–07.05.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा संसूचित किया गया है कि– "पूर्व से संचालित 13 जिलों में से 6 जिलों यथा– खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णियाँ, कटिहार एवं अररिया में चल रहे सर्वेक्षण कार्य को तत्काल स्थगित किया जाता है।

स्थगित किए गए 6 जिलों में नई व्यवस्था के तहत् सर्वे कार्य किया जाएगा, तब जिस अवस्था में यह स्थगित किया गया है, संभावनाओं एवं त्रुटियों को देखते हुए विनिश्चय स्तर से पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया जाएगा।"

उपरोक्त वर्णित निर्णयों के आलोक में यह आवश्यक है कि जिन 13 जिलों यथा– नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, पूर्णियाँ, कटिहार, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज एवं अररिया में भू–सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की कार्रवाई पूर्व में प्रारंभ की गई थी, उन जिलों में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर से सर्वेक्षण के दौरान जो कागजात तैयार किए गए है यथा– किस्तवार, वंशावली, याददाश्त पंजी, प्रपत्र–5, प्रपत्र–6, प्रपत्र–7, दावा–आपत्ति के आवेदन, दावा–आपत्ति के निराकरण हेतु की गई कार्रवाई के साथ–साथ सर्वेक्षण के दौरान संग्रहित अन्य कागजात तथा अभिलेख आदि को सुरक्षित रूप से संग्रहित कर लिया जाए ताकि वर्त्तमान में प्रारंभ होनेवाले विशेष सर्वेक्षण के दौरान उन कागजातों के आधार पर त्वरित गति से कार्रवाई हो सके।

जिन जिलों में वर्त्तमान में भू–सर्वेक्षण की कार्रवाई को तत्काल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है, उन जिलों में वहां हुए उल्लेखित अधिसूचना अंतर्गत सर्वेक्षण से संबंधित कागजात एवं अभिलेखों को भविष्य में कार्य की सुगमता हेतु संरक्षित रखा जाना आवश्यक है।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त एवं सभी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों को अपने स्तर से निदेशित कर एवं उल्लेखित अधिसूचनाओं के अंतर्गत हुए सर्वेक्षण के दौरान तैयार/प्राप्त कागजातों एवं अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए वृहद समीक्षा पश्चात अविलंब कार्रवाई कर ली जाए।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
29/5
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 17–तक0 को0–312/2018........828........**पटना, दिनांक :–** 30-05-19

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय /खगड़िया /लखीसराय/ नालंदा / शेखपुरा / मुंगेर / सुपौल / सहरसा / मधेपुरा / किशनगंज / कटिहार / पूर्णियाँ एवं अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया प्रासंगिक पत्र के क्रम में अंकित निदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

29/5
प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 17–तक0 को0–312/2018........828........**पटना, दिनांक :–** 30-05-19

प्रतिलिपिः– सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) बंदोबस्त कार्यालय, बेगूसराय/ खगड़िया/ लखीसराय/ नालंदा / शेखपुरा / मुंगेर / सुपौल / सहरसा / मधेपुरा / किशनगंज / कटिहार / पूर्णियाँ एवं अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया प्रासंगिक पत्र के क्रम में अंकित निदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

29/5
प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सु र विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिम.प निदेशालय)

संख्या – 17 कम्प्यू0 (उ0स0) – 223/2016......759..

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/
प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :– 16-05-2019

विषय :– विभिन्न विभागो द्वारा अपने स्वामित्व की एवं विभिन्न उद्देश्यों से अर्जित भूमि का विवरण/ब्योरा संबंधित बन्दोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराने एवं उसका नामान्तरण कराने के संबंध में।

प्रसंग :– निदेशालय का पत्रांक–291 दिनांक 21.02.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया संदर्भ किया जाए। प्रासंगिक पत्र के द्वारा अनुरोध किया गया था कि विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकार अभिलेखों (RoR) की अद्यतन करने के उद्देश्य से विभागों द्वारा अपने स्वायित्व की भूमि तथा विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति हेतु अर्जित भूमि/जमीन का विवरण/ब्योरा संबंधित बन्दोबस्त कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाए तथा ऐसी सभी भूमि का नामांतरण भी करा लिया जाए, ताकि अधिकार अभिलेखों (RoR) के निर्माण/अद्यतीकरण के क्रम में संबंधित विभाग का नाम प्रदर्शित किया जा सके।

इस संबंध में यह भी कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 एवं नियमावली, 2012 तथा इस पर आधारित तकनीकी मार्गदर्शिका के आलोक में बिहार राज्य के जिलों यथा सीतामढ़ी, बांका, नालंदा, शिवहर, शेखपुरा, अरवल, जमुई, जहानाबाद, मुंगेर, सुपौल, किशनगंज, लखीसराय, बेगूसराय एवं पश्चिमी चंपारण में प्रथम चरण में सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य माह अक्टूबर – नवंबर, 2019 से प्रारंभ करने की योजना है।

उक्त सर्वेक्षण/बंदोबस्ती के क्रम में सरकारी/लोक भूमि के संरक्षण हेतु यह आवश्यक है कि संबंधित विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण शिविर को उक्त भूमि की विवरणी/सूचना उपलब्ध रहे ताकि खानापुरी एवं प्रारूप प्रकाशन के समय से ही सरकारी भूमि की पहचान सुनिश्चित किया जा सके।

इस संबंध में उल्लेखित करना है कि विभिन्न विभागों के सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के संदर्भ में राजस्व विभागीय पत्रांक 06/खा0म0 (विविध) अतिक्रमण–01–17 – 67 (6)/रा0 दिनांक–08.02.2017 द्वारा विभिन्न विभागों के भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु, बिहार राज्य के सभी समाहर्त्ता को निदेश निर्गत करते हुए, पत्र की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु विभागीय सचिवों/प्रधान सचिवों को भी प्रेषित किया गया था। आशा है कि उक्त पत्र के आलोक में सभी विभागों द्वारा भी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को यथोचित निदेश निर्गत किया गया होगा।

विभाग स्तर से सभी समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी को भी निदेशित किया जा रहा है कि सरकारी/लोक भूमि यथा गैरमजरूआ आम (अनाबाद सर्वसाधारण), गैरमजरूआ मालिक/खास (अनाबाद बिहार सरकार) खासमहल, भू–दान में अर्जित भूमि, भू–हदबंदी अधिनियम अंतर्गत अर्जित भूमि, कैसरेहिन्द, विभिन्न सरकारी विभागों की भूमि, केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की भूमि, बोर्ड, निगमों एवं उपक्रमों की

भूमि [illegible] सैरात [illegible] सरकारी भूमि की [illegible] तैयार [illegible] उक्त [illegible] अतिक्रमण हो [illegible] अतिक्रमण [illegible] की [illegible] लिया [illegible]।

[illegible] उपक्रमों को निदेशित किया [illegible] विशेष [illegible] सहायक [illegible] पदाधिकारी [illegible]।

(2) राजस्व [illegible] (विविध) [illegible] करने [illegible] जिला [illegible] चिह्नित [illegible] अतिक्रमित [illegible] अतिक्रमण हटाने [illegible] अतिक्रमण हटाते [illegible] का [illegible]।

(3) इस [illegible] उल्लेखित [illegible] E-mail ID- [illegible] पर [illegible]।

[illegible]
(हस्ताक्षर) 7/5
[illegible]
[illegible]

ज्ञापांक – 17 [illegible] – [illegible]/201[illegible] 759 [illegible] दिनांक – 16-05-2019

प्रतिलिपि– [illegible] प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 7/5
[illegible] सुधार विभाग

ज्ञापांक – 17 [illegible] – [illegible] 759 [illegible] दिनांक – 16-05-2019

प्रतिलिपि– [illegible] आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 7/5
[illegible] भूमि सुधार [illegible]

ज्ञापांक – 17 [illegible] – [illegible]/201[illegible] 759 [illegible] दिनांक – 16-05-19

प्रतिलिपि– [illegible] मैनेजर [illegible] एवं भूमि [illegible] विभाग, बिहार, [illegible] को [illegible] विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन [illegible] हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 7/5
[illegible] सचिव
[illegible] भूमि सुधार विभाग

Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या –17–तक0को0–106 / 2011 Part-II 870

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, नालन्दा, लखीसराय, शेखपुरा,
मुंगेर, जमुई, बांका, सुपौल, सीतामढ़ी, शिवहर,
जहानाबाद, अरवल, पश्चिम चम्पारण, किशनगंज।

पटना, दिनांक :– 06-08-2019

विषय :– राज्य में प्रारम्भ होनेवाले भू–सर्वे अभियान में पंचायत सरकार भवन को सर्वे कैम्प केन्द्र के रूप में उपयोग करने के संबंध में।

प्रसंग :– पंचायती राज विभाग, बिहार का पत्रांक 17–27 / 2019–2979 / पं0रा0 दिनांक 06.05.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पंचायती राज विभाग, बिहार के पत्रांक 17–27 / 2019–2979 / पं0रा0 दिनांक 06.05.2019 की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा जिले में प्रारम्भ होनेवाले भू–सर्वेक्षण कार्य के लिए पंचायत सरकार भवन को सर्वे कैम्प केन्द्र के रूप में उपयोग करने हेतु सहमति प्रदान की गई है।

अतः अनुरोध है कि आपके जिले में प्रारम्भ हो रहे भू–सर्वे के कार्य हेतु पंचायत सरकार भवन को सर्वे कैम्प शिविर के रूप में उपयोग करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन
3/8/19
(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

पत्रांक–पं०/विविध–27/2019/2971/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषकः

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 06/05/2019

विषयः राज्य में होने वाले सर्वे अभियान में पंचायत सरकार भवन को कैम्प केन्द्र के रूप में उपयोग हेतु सहमति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

दूरभाष पर पंचायत सरकार भवनों के संबंध में आपके द्वारा मांगी गई सूचना के तौर पर राज्य में निर्मित पंचायत सरकार भवनों की सूची संलग्न कर भेजी जा रही है।

2. अबतक कुल 1765 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 1058 पंचायत सरकार भवन पूर्ण हो गये हैं।

3. पंचायत सरकार भवन में राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत मुखिया/उप–मुखिया, कचहरी सरपंच/उप सरपंच के बैठने की व्यवस्था है। साथ ही कार्यालय कक्ष, सभाकक्ष, कम्प्यूटर केन्द्र आदि तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। पंचायत सरकार भवनों में फर्नीचर के लिए पर्याप्त राशि दी गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक–एक कार्यपालक सहायक की व्यवस्था बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के पैनल से की गई है। इन पंचायत सरकार भवनों में से अधिकांश में लोक सेवाओं के अधिकार कानून के तहत आर०टी०पी०एस० केन्द्रों का संचालन शुरू हो गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत कार्यालय में समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। पंचायत सरकार भवन परिसर में ही पंचायत सचिव के आवास भी बनाये गये हैं।

4. राज्य में होने वाले सर्वे अभियान में पंचायत सरकार भवन को कैम्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस हेतु आप अपने स्तर से जिला पदाधिकारी को उचित मार्गदर्शन जारी करना चाहेंगे।

विश्वासभाजन

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

313

क्र.सं.	जिला का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	[illegible]	स्थिति
56	नालंदा	कार्य प्रमंडल-2, हिलसा	[illegible]	[illegible]		[illegible]
57	नालंदा	कार्य प्रमंडल-2, हिलसा	एकंगरसराय	[illegible]	(14)	Complete
58	नालंदा	कार्य प्रमंडल-2, हिलसा	एकंगरसराय	[illegible]	(15)	Complete
59	नालंदा	कार्य प्रमंडल-2, हिलसा	परबलपुर	[illegible]	[illegible]	Complete
60	नालंदा	कार्य प्रमंडल-2, हिलसा	इस्लामपुर	[illegible]	(17)	Complete
61	नालंदा	कार्य प्रमंडल-2, हिलसा	इस्लामपुर	पचलोवा	(18)	Complete
62	नालंदा	कार्य प्रमंडल-2, हिलसा	इस्लामपुर	[illegible]	(19)	Complete
63	रोहतास	कार्य प्रमंडल-1, सासाराम	कोचस	कथराहा	(01)	Complete
64	रोहतास	कार्य प्रमंडल-1, सासाराम	कोचस	[illegible]	(02)	Complete
65	रोहतास	कार्य प्रमंडल-1, सासाराम	करगहर	गोरसन	(21)	Complete
66	रोहतास	कार्य प्रमंडल-1, सासाराम	करगहर	खड़ारी	(22)	Complete
67	रोहतास	कार्य प्रमंडल-1, सासाराम	कोचस	कपुरियाँ	(24)	Complete
68	रोहतास	कार्य प्रमंडल-1, सासाराम	चेनारी	कनारकला	(25)	Complete
69	रोहतास	कार्य प्रमंडल-1, सासाराम	चेनारी	मल्लीपुर	(26)	Complete
70	रोहतास	कार्य प्रमंडल-1, सासाराम	शिवसागर	कोनार	(27)	Complete
71	रोहतास	कार्य प्रमंडल-1, सासाराम	शिवसागर	शिवसागर	(28)	Complete
72	रोहतास	कार्य प्रमंडल-1, सासाराम	शिवसागर	आलमपुर	(29)	Complete
73	रोहतास	कार्य प्रमंडल-1, सासाराम	सासाराम	अमरी	(31)	Complete
74	रोहतास	कार्य प्रमंडल-1, सासाराम	सासाराम	सिकरियाँ	(32)	Complete
75	रोहतास	कार्य प्रमंडल-1, सासाराम	अकोढ़ीगोला	अकोढ़ी	(33)	Complete
76	रोहतास	कार्य प्रमंडल-1, सासाराम	डिहरी	बिसैनीकला	(34)	Complete
77	रोहतास	कार्य प्रमंडल-1, सासाराम	डिहरी	दहाउर	(36)	Complete
78	रोहतास	कार्य प्रमंडल-1, सासाराम	तिलौथू	तिलौथू पूर्वी	(37)	Complete
79	रोहतास	कार्य प्रमंडल-1, सासाराम	तिलौथू	चंदनपुरा	(38)	Complete
80	रोहतास	कार्य प्रमंडल-1, सासाराम	रोहतास	रसूलपुर	(39)	Complete
81	रोहतास	कार्य प्रमंडल-1, सासाराम	नौहट्टा	उचैला	(40)	Complete
82	रोहतास	कार्य प्रमंडल-1, सासाराम	नौहट्टा	तिलोखर	(41)	Complete
83	रोहतास	कार्य प्रमंडल-1, सासाराम	नौहट्टा	जयंतीपुर	(42)	Complete
84	रोहतास	कार्य प्रमंडल-2, बिक्रमगंज	दिनारा	बिसीकला	(03)	Complete
85	रोहतास	कार्य प्रमंडल-2, बिक्रमगंज	दिनारा	दिनारा	(04)	Complete
86	रोहतास	कार्य प्रमंडल-2, बिक्रमगंज	दिनारा	तेनुअज	(05)	Complete
87	रोहतास	कार्य प्रमंडल-2, बिक्रमगंज	दावथ	सहिनौव	(06)	Complete
88	रोहतास	कार्य प्रमंडल-2, बिक्रमगंज	दावथ	सेमरी	(07)	Complete
89	रोहतास	कार्य प्रमंडल-2, बिक्रमगंज	सूर्यपुरा	गोसलडीह	(08)	Complete
90	रोहतास	कार्य प्रमंडल-2, बिक्रमगंज	बिक्रमगंज	जमोढ़ी	(09)	Complete
91	रोहतास	कार्य प्रमंडल-2, बिक्रमगंज	बिक्रमगंज	मानी	(10)	Complete
92	रोहतास	कार्य प्रमंडल-2, बिक्रमगंज	काराकाट	काराकाट	(11)	Complete
93	रोहतास	कार्य प्रमंडल-2, बिक्रमगंज	काराकाट	गोडारी	(12)	Complete
94	रोहतास	कार्य प्रमंडल-2, बिक्रमगंज	काराकाट	आमौना	(13)	Complete
95	रोहतास	कार्य प्रमंडल-2, बिक्रमगंज	नासरीगंज	खिरियाँव	(14)	Complete
96	रोहतास	कार्य प्रमंडल-2, बिक्रमगंज	नासरीगंज	धनौंव	(15)	Complete
97	रोहतास	कार्य प्रमंडल-2, बिक्रमगंज	राजपुर	वरूना	(16)	Complete
98	रोहतास	कार्य प्रमंडल-2, बिक्रमगंज	राजपुर	बरॉव	(17)	Complete
99	रोहतास	कार्य प्रमंडल-2, बिक्रमगंज	संझौली	संझौली	(18)	Complete
100	रोहतास	कार्य प्रमंडल-2, बिक्रमगंज	नोखा	चनकी	(19)	Complete
101	रोहतास	कार्य प्रमंडल-2, बिक्रमगंज	नोखा	घोसियाँ	(20)	Complete
102	रोहतास	कार्य प्रमंडल-2, बिक्रमगंज	नोखा	धर्मपुरा	(23)	Complete
103	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-1, भोजपुर	उदवन्तनगर	कारीसाथ	(10)	Complete
104	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-1, भोजपुर	गड़हनी	बगवाँ	(11)	Complete
105	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-1, भोजपुर	उदवन्तनगर	बेलाउर	(12)	Complete
106	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-1, भोजपुर	आरा	जमीरा	(13)	Complete
107	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-1, भोजपुर	आरा	सिनदिया	(14)	Complete
108	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-1, भोजपुर	आरा	धमार	(15)	Complete
109	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-1, भोजपुर	बड़हरा	ख्वासपुर	(16)	Complete
110	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-1, भोजपुर	बड़हरा	सिन्हाँ	(17)	Complete
111	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-1, भोजपुर	बड़हरा	सेमरियाँ	(18)	Complete
112	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-1, भोजपुर	बड़हरा	नटकपुर	(19)	Complete
113	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-1, भोजपुर	कोइलवर	वीरमपुर	(20)	Complete
114	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-1, भोजपुर	कोइलवर	सकड्डी	(21)	Complete
115	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-1, भोजपुर	कोइलवर	जलपुरा	(22)	Complete
116	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-1, भोजपुर	सन्देश	अखगाँव	(23)	Complete

क्रम सं० / जिला का नाम		प्रमंडल का नाम	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम (क्लस्टर सं0)	(क्लस्टर सं0)	भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
	1	2	4	5	6	7	8
[illegible]	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-1, भोजपुर	[illegible]	कोरी	[illegible]	Complete	
118	भोजपुर	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Complete	
119	भोजपुर	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(2?)	Complete	
120	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-1, भोजपुर	[illegible]	रतनाढ	(27)	Complete	
121	भोजपुर	[illegible]	[illegible]	बलिगाँव	(28)	Complete	
122	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-1 भोजपुर	अगिआँव	पसौर	(29)	Complete	
123	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-2, जगदीशपुर	शाहपुर	दुमरिया	(02)	Complete	
124	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-2, जगदीशपुर	बिहिया	रनीसागर	(03)	Complete	
125	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-2, जगदीशपुर	बिहिया	कमरियाँव	(04)	Complete	
126	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-2, जगदीशपुर	शाहपुर	डोभा बेनपतिया	(05)	Complete	
127	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-2, जगदीशपुर	शाहपुर	बिलौटी	(06)	Complete	
128	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-2, जगदीशपुर	जगदीशपुर	दावाँ	(07)	Complete	
129	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-2, जगदीशपुर	जगदीशपुर	दलीपपुर	(08)	Complete	
130	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-2, जगदीशपुर	जगदीशपुर	हरिगाँव	(09)	Complete	
131	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-2, जगदीशपुर	पीरो	बराँव	(31)	Complete	
132	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-2, जगदीशपुर	पीरो	अगिआँव बाजार	(33)	Complete	
133	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-2, जगदीशपुर	पीरो	नारायणपुर	(34)	Complete	
134	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-2, जगदीशपुर	तरारी	शंकरडीह	(35)	Complete	
135	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-2, जगदीशपुर	तरारी	सिकरहट्टा	(36)	Complete	
136	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-2, जगदीशपुर	तरारी	मोआपकलाँ	(37)	Complete	
137	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-2, जगदीशपुर	तरारी	खडाँव	(38)	Complete	
138	भोजपुर	कार्य प्रमंडल-2, जगदीशपुर	तरारी	एकवारी	(39)	Complete	
139	कैमूर (भभुआ)	कार्य प्रमंडल-कैमूर (भभुआ)	नुआँव	अकोल्ही	(01)	Complete	
140	कैमूर (भभुआ)	कार्य प्रमंडल-कैमूर (भभुआ)	नुआँव	बदेश	(02)	Complete	
141	कैमूर (भभुआ)	कार्य प्रमंडल-कैमूर (भभुआ)	रामगढ	बढ़ीपुर	(03)	Complete	
142	कैमूर (भभुआ)	कार्य प्रमंडल-कैमूर (भभुआ)	रामगढ	रामगढ	(04)	Complete	
143	कैमूर (भभुआ)	कार्य प्रमंडल-कैमूर (भभुआ)	दुर्गावती	खामीदौरा	(05)	Complete	
144	कैमूर (भभुआ)	कार्य प्रमंडल-कैमूर (भभुआ)	दुर्गावती	कल्याणपुर	(06)	Complete	
145	कैमूर (भभुआ)	कार्य प्रमंडल-कैमूर (भभुआ)	मोहनिया	बम्हौर खास	(07)	Complete	
146	कैमूर (भभुआ)	कार्य प्रमंडल-कैमूर (भभुआ)	मोहनिया	कठेज	(08)	Complete	
147	कैमूर (भभुआ)	कार्य प्रमंडल-कैमूर (भभुआ)	मोहनिया	मुजान	(09)	Complete	
148	कैमूर (भभुआ)	कार्य प्रमंडल-कैमूर (भभुआ)	कुदरा	खरहना	(10)	Complete	
149	कैमूर (भभुआ)	कार्य प्रमंडल-कैमूर (भभुआ)	कुदरा	सलथुआँ	(11)	Complete	
150	कैमूर (भभुआ)	कार्य प्रमंडल-कैमूर (भभुआ)	कुदरा	जहानाबाद	(12)	Complete	
151	कैमूर (भभुआ)	कार्य प्रमंडल-कैमूर (भभुआ)	चाँद	चौरी	(13)	Complete	
152	कैमूर (भभुआ)	कार्य प्रमंडल-कैमूर भभुआ	चाँद	पाढ़ी, करवादियाँ	(14)	Complete	
153	कैमूर (भभुआ)	कार्य प्रमंडल-कैमूर (भभुआ)	चाँद	अमाँव	(15)	Complete	
154	कैमूर (भभुआ)	कार्य प्रमंडल-कैमूर (भभुआ)	चैनपुर	मदुरना	(16)	Complete	
155	कैमूर (भभुआ)	कार्य प्रमंडल-कैमूर (भभुआ)	चैनपुर	बढ़ौना	(17)	Complete	
156	कैमूर (भभुआ)	कार्य प्रमंडल-कैमूर (भभुआ)	भभुआ	कुड़ासन	(18)	Complete	
157	कैमूर (भभुआ)	कार्य प्रमंडल-कैमूर (भभुआ)	भभुआ	रूईया	(19)	Complete	
158	कैमूर (भभुआ)	कार्य प्रमंडल-कैमूर (भभुआ)	भभुआ	बहुअन	(20)	Complete	
159	कैमूर (भभुआ)	कार्य प्रमंडल-कैमूर (भभुआ)	भभुआ	सोनहन	(21)	Complete	
160	कैमूर (भभुआ)	कार्य प्रमंडल-कैमूर (भभुआ)	भगवानपुर	पढ़ौती	(22)	Complete	
161	कैमूर (भभुआ)	कार्य प्रमंडल-कैमूर (भभुआ)	रामपुर	सबार	(24)	Complete	
162	कैमूर (भभुआ)	कार्य प्रमंडल-कैमूर (भभुआ)	अधौरा	अधौरा	(25)	Complete	
163	कैमूर (भभुआ)	कार्य प्रमंडल-कैमूर (भभुआ)	अधौरा	सारोदाग	(26)	Complete	
164	बक्सर	कार्य प्रमंडल-बक्सर	चौसा	चौसा	(01)	Complete	
165	बक्सर	कार्य प्रमंडल-बक्सर	चौसा	रामपुर	(02)	Complete	
166	बक्सर	कार्य प्रमंडल-बक्सर	राजपुर	कैथहरकला	(04)	Complete	
167	बक्सर	कार्य प्रमंडल-बक्सर	राजपुर	सिमरहता	(05)	Complete	
168	बक्सर	कार्य प्रमंडल-बक्सर	ईटाराही	उनवास	(06)	Complete	
169	बक्सर	कार्य प्रमंडल-बक्सर	बक्सर	जासो	(08)	Complete	
170	बक्सर	कार्य प्रमंडल-बक्सर	सिमरी	सिमरी	(11)	Complete	
171	बक्सर	कार्य प्रमंडल-बक्सर	ब्रह्मपुर	रघुनाथपुर	(16)	Complete	
172	बक्सर	कार्य प्रमंडल-बक्सर	ब्रह्मपुर	बराढी	(17)	Complete	
173	बक्सर	कार्य प्रमंडल-बक्सर	डुमरॉव	कनझरूआ	(19)	Complete	
174	बक्सर	कार्य प्रमंडल-बक्सर	डुमराव	कोरान सराय	(20)	Complete	
175	भागलपुर	कार्य प्रमंडल-1, भागलपुर	सुलतानगंज	मिरहट्टी	(01)	Complete	
176	भागलपुर	कार्य प्रमंडल-1, भागलपुर	सुलतानगंज	खैरहिया	(02)	Complete	

51)

		प्रमंडल का नाम	प्रखंड का नाम	कलस्टर का नाम क्लिस्टर का	कलस्टर कोड	स्थिति
		3	4	5	6	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	(02)	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	(04)	[illegible]
		कार्य प्रमंडल-1, भागलपुर	[illegible]	[illegible]	(05)	[illegible]
		कार्य प्रमंडल-1, भागलपुर	[illegible]	[illegible]	(06)	[illegible]
		कार्य प्रमंडल-1, भागलपुर	[illegible]	[illegible]	(07)	Complete
182	[illegible]	कार्य प्रमंडल-1, भागलपुर	नाथनगर	[illegible]	(09)	Complete
183	[illegible]	कार्य प्रमंडल-1, भागलपुर	जगदीशपुर	जगदीशपुर	(10)	Complete
[illegible]	[illegible]	कार्य प्रमंडल-1, भागलपुर	जगदीशपुर	[illegible]	(11)	Complete
185	[illegible]	कार्य प्रमंडल-1, भागलपुर	गोराडीह	[illegible]	(13)	Complete
186	भागलपुर	कार्य प्रमंडल-1, भागलपुर	गोराडीह	कासिमपुर	(14)	Complete
187	भागलपुर	कार्य प्रमंडल-1, भागलपुर	सबौर	[illegible]	(15)	Complete
188	भागलपुर	कार्य प्रमंडल-1, भागलपुर	सबौर	[illegible]	(16)	Complete
189	भागलपुर	कार्य प्रमंडल-1, भागलपुर	सन्हौला	सन्हौला	(17)	Complete
190	भागलपुर	कार्य प्रमंडल-1, भागलपुर	सन्हौला	[illegible]	(18)	Complete
191	भागलपुर	कार्य प्रमंडल-1, भागलपुर	सन्हौला	महेशपुरघनश्यामचक	(19)	Complete
192	भागलपुर	कार्य प्रमंडल-1, भागलपुर	कहलगाँव	भोलसार	(21)	Complete
193	भागलपुर	कार्य प्रमंडल-1, भागलपुर	कहलगाँव	[illegible]	(22)	Complete
194	भागलपुर	कार्य प्रमंडल-1, भागलपुर	पिरपैंती	[illegible]	(25)	Complete
195	भागलपुर	कार्य प्रमंडल-1 भागलपुर	पिरपैंती	[illegible]	(26)	Complete
196	भागलपुर	कार्य प्रमंडल-1, भागलपुर	पिरपैंती	मानिकपुर	(27)	Complete
197	भागलपुर	कार्य प्रमंडल-1, भागलपुर	पीरपैंती	[illegible]	(28)	Complete
198	भागलपुर	कार्य प्रमंडल-1 भागलपुर	पीरपैंती	राजगांव / [illegible]	(29)	Complete
199	भागलपुर	कार्य प्रमंडल-2, नवगछिया	नारायणपुर	[illegible] दक्षिण [illegible]	(31)	Complete
200	भागलपुर	कार्य प्रमंडल-2, नवगछिया	बिहपुर	बिहपुर द0	(32)	Complete
201	भागलपुर	कार्य प्रमंडल-2, नवगछिया	बीहपुर	हरिओ / मड़वा	(33)	Complete
202	भागलपुर	कार्य प्रमंडल-2, नवगछिया	खरीक	चोरहर	(34)	Complete
203	भागलपुर	कार्य प्रमंडल-2, नवगछिया	नवगछिया	तेतरी	(37)	Complete
204	भागलपुर	कार्य प्रमंडल-2, नवगछिया	नवगछिया	नगरह	(38)	Complete
205	भागलपुर	कार्य प्रमंडल-2, नवगछिया	रंगरा	मुरली / रंगरा	(39)	Complete
206	भागलपुर	कार्य प्रमंडल-2, नवगछिया	नवगछिया	खैरपुर कदवा	(40)	Complete
207	भागलपुर	कार्य प्रमंडल-2, नवगछिया	रंगरा	रंगरा	(41)	Complete
208	बाँका	कार्य प्रमंडल-बाँका	शंभूगंज	भरतशिला	(01)	Complete
209	बाँका	कार्य प्रमंडल-बाँका	शम्भूगंज	पकरिया	(02)	Complete
210	बाँका	कार्य प्रमंडल-बाँका	शंभूगंज	पहरिया	(03)	Complete
211	बाँका	कार्य प्रमंडल-बाँका	शंभूगंज	मालडीह	(04)	Complete
212	बाँका	कार्य प्रमंडल-बाँका	बेलहर	झिकुलिया	(06)	Complete
213	बाँका	कार्य प्रमंडल-बाँका	बेलहर	साहबगंज	(07)	Complete
214	बाँका	कार्य प्रमंडल-बाँका	बेलहर	रींगा	(08)	Complete
215	बाँका	कार्य प्रमंडल-बाँका	अमरपुर	लक्ष्मीपुर चिरैया	(09)	Complete
216	बाँका	कार्य प्रमंडल-बाँका	असरपुर	फतेहपुर	(11)	Complete
217	बाँका	कार्य प्रमंडल-बाँका	बाँका	दोमुहान	(13)	Complete
218	बाँका	कार्य प्रमंडल-बाँका	बाँका	लाधम, बलिया मारा	(14)	Complete
219	बाँका	कार्य प्रमंडल-बाँका	चांदन	चांदन	(17)	Complete
220	बाँका	कार्य प्रमंडल-बाँका	चांदन	चाँदवारी	(18)	Complete
221	बाँका	कार्य प्रमंडल-बाँका	फौसी	अरानाहा	(21)	Complete
222	बाँका	कार्य प्रमंडल-बाँका	बाराहाट	सोनहीहा दक्षिणी	(22)	Complete
223	बाँका	कार्य प्रमंडल-बाँका	बाँका	करमा (टोलाभतकुंडी)	(23)	Complete
224	बाँका	कार्य प्रमंडल-बाँका	बाराहाट	नारायणपुर	(24)	Complete
225	बाँका	कार्य प्रमंडल-बाँका	धुरैया	रणगांव	(25)	Complete
226	बाँका	कार्य प्रमंडल-बाँका	धुरैया	काठबनगाँव बीरदतपुर	(26)	Complete
227	बाँका	कार्य प्रमंडल-बाँका	धुरैया	ताहिरपुर मौरा	(27)	Complete
228	बाँका	कार्य प्रमंडल-बाँका	धुरैया	अहिरो	(28)	Complete
229	बाँका	कार्य प्रमंडल-बाँका	रजौन	सिंहनान	(29)	Complete
230	बाँका	कार्य प्रमंडल-बाँका	रजौन	तिलकपुर	(30)	Complete
231	बाँका	कार्य प्रमंडल-बाँका	रजौन	मोरामा बनगाढ	(31)	Complete
232	मुंगेर	कार्य प्रमंडल-मुंगेर	सदर मुंगेर	जानकीनगर	(02)	Complete
233	मुंगेर	कार्य प्रमंडल-मुंगेर	जमालपुर	इटहरी	(04)	Complete
234	मुंगेर	कार्य प्रमंडल-मुंगेर	धरहरा	शिवकुण्ड / हेमजापुर	(07)	Complete
235	मुंगेर	कार्य प्रमंडल-मुंगेर	ह0खड़गपुर	बहिरा	(09)	Complete
236	मुंगेर	कार्य प्रमंडल-मुंगेर	ह0खड़गपुर	रतैठा	(10)	Complete

Page 4

	[illegible]ा का नाम	प्रमंडल का नाम	[illegible]	[illegible] (क्लस्टर सं0)	[illegible] सं0	भौतिक [illegible]	अभ्युक्ति
	2	3	[illegible]	5	6	7	8
[illegible]7	मुंगेर	कार्य प्रमंडल-मुंगेर	[illegible]	[illegible]	(12)	Complete	
[illegible]	मुंगेर	कार्य प्रमंडल-मुंगेर	तारापुर	[illegible]	(14)	Complete	
239	मुंगेर	कार्य प्रमंडल-मुंगेर	तारापुर	[illegible]	(15)	Complete	
240	मुंगेर	कार्य प्रमंडल-मुंगेर	[illegible]	[illegible]	(16)	Complete	
241	बेगुसराय	कार्य प्रमंडल-1 बेगुसराय	बछवाड़ा	[illegible]पुर	(20)	Complete	
242	बेगुसराय	कार्य प्रमंडल-1 बेगुसराय	बछवाड़ा	चिरजांदापुर	(21)	Complete	
243	बेगुसराय	कार्य प्रमंडल-1 बेगुसराय	बछवाड़ा	रानी-1	(22)	Complete	
244	बेगुसराय	कार्य प्रमंडल-1 बेगुसराय	मसूरचक	गोविन्दपुर	(23)	Complete	
245	बेगुसराय	कार्य प्रमंडल-1 बेगुसराय	भगवानपुर	[illegible]	(24)	Complete	
246	बेगुसराय	कार्य प्रमंडल-1 बेगुसराय	बछवाड़ा	मोहना	(27)	Complete	
247	बेगुसराय	कार्य प्रमंडल-1 बेगुसराय	तेघड़ा	बरौनी-1	(28)	Complete	
248	बेगुसराय	कार्य प्रमंडल-1 बेगुसराय	तेघड़ा	फुलवड़िया-1	(30)	Complete	
249	बेगुसराय	कार्य प्रमंडल-1 बेगुसराय	बेगुसराय	[illegible]	(32)	Complete	
250	बेगुसराय	कार्य प्रमंडल-1 बेगुसराय	बेगुसराय	सूजा	(33)	Complete	
251	बेगुसराय	कार्य प्रमंडल-1 बेगुसराय	बेगुसराय	पहसरा	(35)	Complete	
252	बेगुसराय	कार्य प्रमंडल-1 बेगुसराय	मटिहानी	रामदीरी	(36)	Complete	
253	बेगुसराय	कार्य प्रमंडल-1 बेगुसराय	मटिहानी	सफापुर	(37)	Complete	
254	बेगुसराय	कार्य प्रमंडल-1 बेगुसराय	मटिहानी	सैदपुर एमा	(38)	Complete	
255	बेगुसराय	कार्य प्रमंडल-1 बेगुसराय	बरौनी	मल्हीपुर द0	(42)	Complete	
256	बेगुसराय	कार्य प्रमंडल-2, बखरी	छौड़ाही	मालपुर	(01)	Complete	
257	बेगुसराय	कार्य प्रमंडल-2, बखरी	खोदावन्दपुर	दरियारपुर पूर्वी, बरियारपुर	(03)	Complete	
258	बेगुसराय	कार्य प्रमंडल-2, बखरी	छौड़ाही	खोदावन्दपुर	(04)	Complete	
259	बेगुसराय	कार्य प्रमंडल-2, बखरी	नावकोठी बरियारपुर	खोजाहीपुर	(05)	Complete	
260	बेगुसराय	कार्य प्रमंडल-2, बखरी	गढ़पुरा	गढ़पुरा	(07)	Complete	
261	बेगुसराय	कार्य प्रमंडल-2, बखरी	डंडारी	कटरमाला दक्षिणी	(13)	Complete	
262	बेगुसराय	कार्य प्रमंडल-2, बखरी	डंडारी	महीपटाल	(14)	Complete	
263	बेगुसराय	कार्य प्रमंडल-2, बखरी	बलिया	भगतपुर	(15)	Complete	
264	बेगुसराय	कार्य प्रमंडल-2, बखरी	साहेबपुर कमाल	समस्तीपुर	(19)	Complete	
265	लखीसराय	कार्य प्रमंडल-लखीसराय	चानन	महेशलेटा	(01)	Complete	
266	लखीसराय	कार्य प्रमंडल-लखीसराय	चानन	कुन्दर	(02)	Complete	
267	लखीसराय	कार्य प्रमंडल-लखीसराय	रामगढ़	शरमा	(03)	Complete	
268	लखीसराय	कार्य प्रमंडल-लखीसराय	रामगढ़	कन्दी	(04)	Complete	
269	लखीसराय	कार्य प्रमंडल-लखीसराय	हलसी	मोहद्दीनगर	(05)	Complete	
270	लखीसराय	कार्य प्रमंडल-लखीसराय	चानन	संग्रापुर	(06)	Complete	
271	लखीसराय	कार्य प्रमंडल-लखीसराय	सूर्यगढ़ा	अरमा	(07)	Complete	
272	लखीसराय	कार्य प्रमंडल-लखीसराय	सूर्यगढ़ा	पूर्वी सलेमपुर	(09)	Complete	
273	लक्खीसराय	कार्य प्रमंडल-लक्खीसराय	पिपरिया	सैदपुरा	(10)	Complete	
274	लक्खीसराय	कार्य प्रमंडल-लक्खीसराय	पिपरिया	रामचन्द्रपुर	(11)	Complete	
275	लक्खीसराय	कार्य प्रमंडल-लक्खीसराय	बड़हिया	पाली	(12)	Complete	
276	लक्खीसराय	कार्य प्रमंडल-लक्खीसराय	बड़हिया	बालगुदर	(13)	Complete	
277	लक्खीसराय	कार्य प्रमंडल-लक्खीसराय	लखीसराय	महिसोना	(14)	Complete	
278	शेखपुरा	कार्य प्रमंडल-शेखपुरा	घाट कुशम्भा	भदौसी	(01)	Complete	
279	शेखपुरा	कार्य प्रमंडल-शेखपुरा	बरबीघा	तेउस	(02)	Complete	
280	शेखपुरा	कार्य प्रमंडल-शेखपुरा	बरबीघा	सामसखुर्द (खोजागाछी)	(03)	Complete	
281	शेखपुरा	कार्य प्रमंडल-शेखपुरा	अरियरी	हजरतपुर मडरा	(04)	Complete	
282	शेखपुरा	कार्य प्रमंडल-शेखपुरा	अरियरी	कसार	(05)	Complete	
283	शेखपुरा	कार्य प्रमंडल-शेखपुरा	चेवारा	छठियारा	(06)	Complete	
284	शेखपुरा	कार्य प्रमंडल-शेखपुरा	शेखोपुरा	बेलाव	(07)	Complete	
285	शेखपुरा	कार्य प्रमंडल-शेखपुरा	शेखपुरा	गवय	(08)	Complete	
286	शेखपुरा	कार्य प्रमंडल-शेखपुरा	शेखपुरा	महसार	(09)	Complete	
287	जमुई	कार्य प्रमंडल-जमुई	[illegible]	[illegible]	(04)	Complete	
288	जमुई	कार्य प्रमंडल-जमुई	जमुई	गरसंडा	(05)	Complete	
289	जमुई	कार्य प्रमंडल-जमुई	गिद्दौर	सेवा	(06)	Complete	
290	जमुई	कार्य प्रमंडल-जमुई	अलीगंज	पुरसंडा	(11)	Complete	
291	जमुई	कार्य प्रमंडल-जमुई	[illegible]	खड़ाईच	(13)	Complete	
292	जमुई	कार्य प्रमंडल-जमुई	खैरा	कन्दीह	(14)	Complete	
293	जमुई	कार्य प्रमंडल-जमुई	खैरा	अमारा	(15)	Complete	
294	जमुई	कार्य प्रमंडल-जमुई	सोनो	सारेबाद	(16)	Complete	
295	जमुई	कार्य प्रमंडल-जमुई	सोनो	सोनो	(17)	Complete	

Page 5

(17)

क्र0	जिला का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम (कलस्टर सं0)	कलस्टर सं0	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7
[illegible]	[illegible]	कार्य प्रमंडल-जमुई	[illegible]	[illegible]	(18)	Complete
[illegible]	[illegible]	कार्य प्रमंडल-जमुई	[illegible]	[illegible]	(19)	Complete
[illegible]	जमुई	कार्य प्रमंडल-जमुई	सिकन्दरा	सिकन्दरा	(20)	Complete
[illegible]	जमुई	कार्य प्रमंडल-जमुई	[illegible]	[illegible]	(22)	Complete
300	जमुई	कार्य प्रमंडल-जमुई	चकाई	चकाई	(24)	Complete
301	जमुई	कार्य प्रमंडल-जमुई	चकाई	चन्द्रमंडी	(25)	Complete
302	जमुई	कार्य प्रमंडल-जमुई	चकाई	उरवा	(26)	Complete
303	खगड़िया	कार्य प्रमंडल-खगड़िया	अलौली	रौन	(01)	Complete
304	खगड़िया	कार्य प्रमंडल-खगड़िया	अलौली	कन्हाइचकआ	(03)	Complete
305	खगड़िया	कार्य प्रमंडल-खगड़िया	अलौली	परैय	(04)	Complete
306	खगड़िया	कार्य प्रमंडल-खगड़िया	खगड़िया	जहाँगीरा	(05)	Complete
307	खगड़िया	कार्य प्रमंडल-खगड़िया	खगड़िया	मथुरा	(07)	Complete
308	खगड़िया	कार्य प्रमंडल-खगड़िया	खगड़िया	रहिमपुर मध्य	(08)	Complete
309	खगड़िया	कार्य प्रमंडल-खगड़िया	चौथम	चौथम	(10)	Complete
310	खगड़िया	कार्य प्रमंडल-खगड़िया	चौथम	बुढ़ी मोहनपुर	(11)	Complete
311	खगड़िया	कार्य प्रमंडल-खगड़िया	बेलदौर	पीरनगरा	(13)	Complete
312	खगड़िया	कार्य प्रमंडल-खगड़िया	बेलदौर	बेलदौर	(14)	Complete
313	खगड़िया	कार्य प्रमंडल-खगड़िया	चौथम	तेलौंछ	(15)	Complete
314	खगड़िया	कार्य प्रमंडल-खगड़िया	बेलदौर	डुमरी	(12)	Complete
315	खगड़िया	कार्य प्रमंडल-खगड़िया	गोगरी	गोछारी	(18)	Complete
316	खगड़िया	कार्य प्रमंडल-खगड़िया	परबत्ता	कवेला	(19)	Complete
317	खगड़िया	कार्य प्रमंडल-खगड़िया	परबत्ता	बैसा	(20)	Complete
318	खगड़िया	कार्य प्रमंडल-खगड़िया	परबत्ता	महद्दीपुर	(21)	Complete
319	खगड़िया	कार्य प्रमंडल-खगड़िया	परबत्ता	सियादतपुर अगुवानी	(22)	Complete
320	गया	कार्य प्रमंडल-1,गया	कोंच	केर	(01)	Complete
321	गया	कार्य प्रमंडल-1,गया	परैया	करहरा	(05)	Complete
322	गया	कार्य प्रमंडल-1,गया	बेलागंज	साकीर बिगहा	(09)	Complete
323	गया	कार्य प्रमंडल-1,गया	नीमचक बथानी	खुखड़ी	(11)	Complete
324	गया	कार्य प्रमंडल-1,गया	खिजरसराय	सैनीया	(12)	Complete
325	गया	कार्य प्रमंडल-1,गया	खिजरसराय	होरमा	(13)	Complete
326	गया	कार्य प्रमंडल-1,गया	अतरी	जीरी	(14)	Complete
327	गया	कार्य प्रमंडल-1,गया	मोहरा	गेहलौर	(15)	Complete
328	गया	कार्य प्रमंडल-1,गया	नीमचक बथानी	मनियारा	(16)	Complete
329	गया	कार्य प्रमंडल-1,गया	मोहरा	दरियापुर	(17)	Complete
330	गया	कार्य प्रमंडल-1, गया	वजीरगंज	तरवाँ	(18)	Complete
331	गया	कार्य प्रमंडल-1, गया	वजीरगंज	विशुनपुर	(20)	Complete
332	गया	कार्य प्रमंडल-1, गया	मानपुर	मोरे	(26)	Complete
*333	गया	कार्य प्रमंडल-1,गया	गया नगर	रसलपुर	(32)	Complete
334	गया	कार्य प्रमंडल-1,गया	गया नगर	कोरमा	(33)	Complete
*335	गया	कार्य प्रमंडल-1,गया	गुरूआ	गुनेरी	(37)	Complete
336	गया	कार्य प्रमंडल-2, शेरघाटी	फतेहपुर	बरोखरी	(21)	Complete
337	गया	कार्य प्रमंडल-2, शेरघाटी	फतेहपुर	भारे	(22)	Complete
338	गया	कार्य प्रमंडल-2, शेरघाटी	फतेहपुर	कठोती केवाल	(23)	Complete
339	गया	कार्य प्रमंडल-2, शेरघाटी	टनकुप्पा	जगरनाथ पुर	(24)	Complete
340	गया	कार्य प्रमंडल-2, शेरघाटी	टनकुप्पा	चौवार	(25)	Complete
341	गया	कार्य प्रमंडल-2, शेरघाटी	बोधगया	मोराटाल	(28)	Complete
342	गया	कार्य प्रमंडल-2, शेरघाटी	बोधगया	धनावां	(29)	Complete
343	गया	कार्य प्रमंडल-2, शेरघाटी	बोधगया	पुनाकला	(30)	Complete
344	गया	कार्य प्रमंडल-2, शेरघाटी	शेरघाटी	चिताबकला	(39)	Complete
345	गया	कार्य प्रमंडल-2, शेरघाटी	शेरघाटी	ढावबिरैया	(40)	Complete
346	गया	कार्य प्रमंडल-2, शेरघाटी	डोभी	कुसबिगहा	(41)	Complete
347	गया	कार्य प्रमंडल-2, शेरघाटी	डोभी	डोभी	(42)	Complete
348	गया	कार्य प्रमंडल-2, शेरघाटी	बाराचट्टी	सरवां	(43)	Complete
349	गया	कार्य प्रमंडल-2, शेरघाटी	बाराचट्टी	बीबीपेसरा	(44)	Complete
350	गया	कार्य प्रमंडल-2, शेरघाटी	बाराचट्टी	काहुदाग	(45)	Complete
351	गया	कार्य प्रमंडल-2, शेरघाटी	मोहनपुर	अमकोला	(46)	Complete
352	गया	कार्य प्रमंडल-2, शेरघाटी	मोहनपुर	धरहरा	(47)	Complete
353	गया	कार्य प्रमंडल-2, शेरघाटी	मोहनपुर	बगुला	(48)	Complete

[illegible]	[illegible]	[illegible]	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम (क्रमांक सं०)	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	कार्य प्रमंडल-2 शेरघाटी	आमस	[illegible]	(49)	Complete
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	(50)	Complete
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Complete
		कार्य प्रमंडल-2 शेरघाटी	बांकेबाजार	[illegible]	(53)	Complete
		कार्य प्रमंडल-2 शेरघाटी	इमामगंज	[illegible]	(54)	Complete
359	गया	कार्य प्रमंडल-2 शेरघाटी	डुमरिया	पनकरा	(55)	Complete
360	जहानाबाद	कार्य प्रमंडल-जहानाबाद	जहानाबाद	अमैन	(02)	Complete
361	जहानाबाद	कार्य प्रमंडल-जहानाबाद	रतनीफरीदपुर	झुनाठी	(03)	Complete
362	जहानाबाद	कार्य प्रमंडल-जहानाबाद	रतनीफरीदपुर	सिकन्दरपुर	(04)	Complete
363	जहानाबाद	कार्य प्रमंडल-जहानाबाद	जहानाबाद	गोनवां	(05)	Complete
364	जहानाबाद	कार्य प्रमंडल-जहानाबाद	मखदुमपुर	कुम्हरडीह	(06)	Complete
365	जहानाबाद	कार्य प्रमंडल-जहानाबाद	मखदुमपुर	कोहरा	(07)	Complete
366	जहानाबाद	कार्य प्रमंडल-जहानाबाद	मखदुमपुर	सरनई	(08)	Complete
367	जहानाबाद	कार्य प्रमंडल-जहानाबाद	घोसी	उबेर	(09)	Complete
368	जहानाबाद	कार्य प्रमंडल-जहानाबाद	काको	मनियावां	(10)	Complete
369	जहानाबाद	कार्य प्रमंडल-जहानाबाद	घोसी	लखावर	(11)	Complete
370	जहानाबाद	कार्य प्रमंडल-जहानाबाद	हुलासगंज	तीर्रा	(12)	Complete
371	जहानाबाद	कार्य प्रमंडल-जहानाबाद	हुलासगंज	धौरी	(13)	Complete
372	जहानाबाद	कार्य प्रमंडल-जहानाबाद	मोदनगंज	देवरा	(14)	Complete
373	जहानाबाद	कार्य प्रमंडल-जहानाबाद	मोदनगंज	गंधार	(15)	Complete
374	जहानाबाद	कार्य प्रमंडल-जहानाबाद	काको	दमुहां	(16)	Complete
375	अरवल	कार्य प्रमंडल-अरवल	अरवल	फखरपुर	(01)	Complete
376	अरवल	कार्य प्रमंडल-अरवल	अरवल	रामपुर बैना	(02)	Complete
377	अरवल	कार्य प्रमंडल-अरवल	कलेर	मनपुरा	(03)	Complete
378	अरवल	कार्य प्रमंडल-अरवल	कलेर	नदी	(04)	Complete
379	अरवल	कार्य प्रमंडल-अरवल	कलेर	उसरी	(05)	Complete
380	अरवल	कार्य प्रमंडल-अरवल	करपी	शहर तेलपा	(06)	Complete
381	अरवल	कार्य प्रमंडल-अरवल	वंशी	माली	(07)	Complete
382	अरवल	कार्य प्रमंडल-अरवल	करपि	पुरणिया शखा	(08)	Complete
383	अरवल	कार्य प्रमंडल-अरवल	करपि	परियारी	(09)	Complete
384	अरवल	कार्य प्रमंडल-अरवल	वंशी	धमण्डी	(10)	Complete
385	अरवल	कार्य प्रमंडल-अरवल	कुर्था	धमौल	(11)	Complete
386	नवादा	कार्य प्रमंडल-नवादा	काशीचक	पैंलर	(01)	Complete
387	नवादा	कार्य प्रमंडल-नवादा	वारसलीगंज	हाजीपुर	(02)	Complete
388	नवादा	कार्य प्रमंडल-नवादा	वारसलीगंज	चकवाय	(03)	Complete
389	नवादा	कार्य प्रमंडल-नवादा	पकड़ीबरावाँ	जीउरी	(06)	Complete
390	नवादा	कार्य प्रमंडल-नवादा	रोह	छनौन	(07)	Complete
391	नवादा	कार्य प्रमंडल-नवादा	कौआ-कौल	देवनगढ़	(08)	Complete
392	नवादा	कार्य प्रमंडल-नवादा	कौआ-कौल	पहाड़पुर	(09)	Complete
393	नवादा	कार्य प्रमंडल-नवादा	रोह	रोह	(10)	Complete
394	नवादा	कार्य प्रमंडल-नवादा	रोह	मरुई	(11)	Complete
395	नवादा	कार्य प्रमंडल-नवादा	गोविन्दपुर	बनिया बिगहा	(12)	Complete
396	नवादा	कार्य प्रमंडल-नवादा	अकबरपुर	माखर	(14)	Complete
397	नवादा	कार्य प्रमंडल-नवादा	अकबरपुर	पुचरूखी	(15)	Complete
398	नवादा	कार्य प्रमंडल-नवादा	रजौली	लेंगुरा	(17)	Complete
399	नवादा	कार्य प्रमंडल-नवादा	रजौली	फरीदा बुर्जुग	(18)	Complete
400	नवादा	कार्य प्रमंडल-नवादा	सिरदला	खनपुरा	(19)	Complete
401	नवादा	कार्य प्रमंडल-नवादा	सिरदला	साढ़ मझगॉवा	(20)	Complete
402	नवादा	कार्य प्रमंडल-नवादा	सिरदला	बड़गॉव	(21)	Complete
403	नवादा	कार्य प्रमंडल-नवादा	मेसकौर	रसलपुरा	(22)	Complete
404	नवादा	कार्य प्रमंडल-नवादा	मेसकौर	तितरिंवा	(23)	Complete
405	नवादा	कार्य प्रमंडल-नवादा	नरहट	[illegible]	(24)	Complete
406	नवादा	कार्य प्रमंडल-नवादा	नरहट	शेखपुरा	(25)	Complete
407	नवादा	कार्य प्रमंडल-नवादा	हिसुआ	हदसा	(26)	Complete
408	नवादा	कार्य प्रमंडल-नवादा	हिसुआ	छतिहर	(27)	Complete
409	नवादा	कार्य प्रमंडल-नवादा	नवादा	सोनसिहारी	(30)	Complete
410	नवादा	कार्य प्रमंडल-नवादा	नरदीगंज	हड़िया	(31)	Complete
411	नवादा	कार्य प्रमंडल-नवादा	नवादा	भगवानपुर	(32)	Complete
412	औरंगाबाद	कार्य प्रमंडल-औरंगाबाद	गोह	झिकटिया	(01)	Complete
413	औरंगाबाद	कार्य प्रमंडल-औरंगाबाद	गोह	गोह	(02)	Complete

547

	नाम	प्रमंडल का नाम	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	2	3	4	5	6	7
[illegible]	[illegible]	कार्य प्रमंडल-औरंगाबाद	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Complete
417	[illegible]	कार्य प्रमंडल-औरंगाबाद	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Complete
418	औरंगाबाद	कार्य प्रमंडल-औरंगाबाद	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Complete
419	औरंगाबाद	कार्य प्रमंडल-औरंगाबाद	[illegible]	[illegible]	(10)	Complete
420	औरंगाबाद	कार्य प्रमंडल-औरंगाबाद	[illegible]	[illegible]	(11)	Complete
421	औरंगाबाद	कार्य प्रमंडल-औरंगाबाद	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Complete
422	औरंगाबाद	कार्य प्रमंडल-औरंगाबाद	औरंगाबाद	[illegible]	(14)	Complete
423	औरंगाबाद	कार्य प्रमंडल-औरंगाबाद	[illegible]	[illegible]	(15)	Complete
424	औरंगाबाद	कार्य प्रमंडल-औरंगाबाद	बारुण	भोपतपुर	(16)	Complete
425	औरंगाबाद	कार्य प्रमंडल-औरंगाबाद	बारुण	बारुण	(17)	Complete
426	औरंगाबाद	कार्य प्रमंडल-औरंगाबाद	नवीनगर	बरेवा	(18)	Complete
427	औरंगाबाद	कार्य प्रमंडल-औरंगाबाद	नवीनगर	रामपुर	(19)	Complete
428	औरंगाबाद	कार्य प्रमंडल-औरंगाबाद	नवीनगर	मझियावाँ	(20)	Complete
429	औरंगाबाद	कार्य प्रमंडल-औरंगाबाद	नवीनगर	बराडीह	(21)	Complete
430	औरंगाबाद	कार्य प्रमंडल-औरंगाबाद	कुटुम्बा	रिसियप	(22)	Complete
431	औरंगाबाद	कार्य प्रमंडल-औरंगाबाद	कुटुम्बा	कुटुम्बा	(23)	Complete
432	औरंगाबाद	कार्य प्रमंडल-औरंगाबाद	कुटुम्बा	डुमरा	(25)	Complete
433	औरंगाबाद	कार्य प्रमंडल-औरंगाबाद	देव	हसौली	(26)	Complete
434	औरंगाबाद	कार्य प्रमंडल-औरंगाबाद	देव	एरौरा	(27)	Complete
435	औरंगाबाद	कार्य प्रमंडल-औरंगाबाद	मदनपुर	पिपरौरा	(28)	Complete
436	औरंगाबाद	कार्य प्रमंडल-औरंगाबाद	मदनपुर	द० उमगा	(29)	Complete
437	औरंगाबाद	कार्य प्रमंडल-औरंगाबाद	मदनपुर	बनिया	(30)	Complete
438	औरंगाबाद	कार्य प्रमंडल-औरंगाबाद	रफीगंज	लोहरा	(31)	Complete
439	औरंगाबाद	कार्य प्रमंडल-औरंगाबाद	रफीगंज	चौवहा	(32)	Complete
440	औरंगाबाद	कार्य प्रमंडल-औरंगाबाद	रफीगंज	भदवा	(33)	Complete
441	औरंगाबाद	कार्य प्रमंडल-औरंगाबाद	रफीगंज	इटार	(34)	Complete
442	सारण	कार्य प्रमंडल-1, छपरा	लहलादपुर	पुरुषोतिमपुर	(01)	Complete
443	सारण	कार्य प्रमंडल-1, छपरा	लहलादपुर	मिर्जापुर	(02)	Complete
444	सारण (छपरा)	कार्य प्रमंडल-1, छपरा	बनियापुर	सुरौधा	(04)	Complete
445	सारण (छपरा)	कार्य प्रमंडल-1, छपरा	बनियापुर	मिठठी सहाबुददीन	(05)	Complete
446	सारण (छपरा)	कार्य प्रमंडल-1, छपरा	बनियापुर	सहाजितपुर	(06)	Complete
447	सारण	कार्य प्रमंडल-1, छपरा	एकमा	रसूलपुर	(07)	Complete
448	सारण	कार्य प्रमंडल-1, छपरा	मांझी	मदनसाठ	(11)	Complete
449	सारण (छपरा)	कार्य प्रमंडल-1, छपरा	मांझी	जैतपुर	(12)	Complete
450	सारण	कार्य प्रमंडल-1, छपरा	मांझी	मांझी पूर्वी	(13)	Complete
451	सारण (छपरा)	कार्य प्रमंडल-1, छपरा	छपरा सदर	बदलू टोला	(16)	Complete
452	सारण	कार्य प्रमंडल-1, छपरा	जलालपुर	देवरिया	(19)	Complete
453	सारण (छपरा)	कार्य प्रमंडल-1, छपरा	जलालपुर	सम्होता	(20)	Complete
454	सारण	कार्य प्रमंडल-1, छपरा	जलालपुर	किशुनपुर	(21)	Complete
455	सारण (छपरा)	कार्य प्रमंडल-1, छपरा	मशरख	कवलपुरा	(31)	Complete
456	सारण (छपरा)	कार्य प्रमंडल-1, छपरा	मशरख	गंगौली	(33)	Complete
457	सारण (छपरा)	कार्य प्रमंडल-2, सोनपुर	नगरा	कोरैया	(22)	Complete
458	सारण	कार्य प्रमंडल-2, सोनपुर	नगरा	नगरा	(23)	Complete
459	सारण (छपरा)	कार्य प्रमंडल-2, सोनपुर	मढ़ौरा	गौरा	(24)	Complete
460	सारण	कार्य प्रमंडल-2, सोनपुर	मरौढ़ा	हसनपुरा	(25)	Complete
461	सारण (छपरा)	कार्य प्रमंडल-2, सोनपुर	मरौढ़ा	माधोपुर	(26)	Complete
462	सारण (छपरा)	कार्य प्रमंडल-2, सोनपुर	परसा	अमनौर कल्याण	(36)	Complete
463	सारण (छपरा)	कार्य प्रमंडल-2, सोनपुर	अमनौर	रसूलपुर	(37)	Complete
464	सारण (छपरा)	कार्य प्रमंडल-2, सोनपुर	अमनौर	जोगिन परसा	(38)	Complete
465	सारण (छपरा)	कार्य प्रमंडल-2, सोनपुर	मकेर	कैतुकानन्दन	(39)	Complete
466	सारण (छपरा)	कार्य प्रमंडल-2, सोनपुर	परसा	माडर	(40)	Complete
467	सारण (छपरा)	कार्य प्रमंडल-2, सोनपुर	परसा	पंचलख	(41)	Complete
468	सारण	कार्य प्रमंडल-2, सोनपुर	परसा	चाँदपुरा	(42)	Complete
469	सारण	कार्य प्रमंडल-2, सोनपुर	दरियापुर	प्रतापपुर	(47)	Complete
470	सारण (छपरा)	कार्य प्रमंडल-2, सोनपुर	दरियापुर	बेला	(48)	Complete
471	सारण	कार्य प्रमंडल-2, सोनपुर	दिघवारा	बरुआ	(51)	Complete
472	सिवान	कार्य प्रमंडल-1, सिवान	सिवान सदर	धनौती	(12)	Complete
473	सिवान	कार्य प्रमंडल-1, सीवान	सिवान	चनुउर	(13)	Complete

(370)

क्रम सं.	जिला का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखंड का नाम	भवन का नाम (क्लस्टर सं0)	क्लस्टर सं0	भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
			4	5	6	7	8
[illegible]	[illegible]	कार्य प्रमंडल-1, सिवान	[illegible]	[illegible]	(27)	Complete	
[illegible]	[illegible]	कार्य प्रमंडल-1, [illegible]	[illegible]	[illegible]	(28)	Complete	
[illegible]	सिवान	कार्य प्रमंडल-1, [illegible]	[illegible]	[illegible]पुर	(29)	Complete	
[illegible]	[illegible]	कार्य प्रमंडल-1, सिवान	[illegible]	[illegible]	(30)	Complete	
[illegible]	[illegible]	कार्य प्रमंडल-1, [illegible]	[illegible]	[illegible]पुर	(31)	Complete	
479	सिवान	कार्य प्रमंडल-1, सिवान	बरहारिया	बालापुर	(32)	Complete	
[illegible]	सिवान	कार्य प्रमंडल-1, सिवान	बरहरिया	रामपुर	(33)	Complete	
481	सिवान	कार्य प्रमंडल-1, सिवान	बरहरिया	हरिहरपुर लालगढ़	(34)	Complete	
482	सिवान	कार्य प्रमंडल-1, सिवान	महाराजगंज	पकड़ी	(39)	Complete	
483	सिवान	कार्य प्रमंडल-1, सिवान	[illegible]पुर हाट	मझगदा	(41)	Complete	
484	सिवान	कार्य प्रमंडल-1, सिवान	भगवानपुर हाट	तरवार	(42)	Complete	
485	सिवान	कार्य प्रमंडल-1, सिवान	भगवानपुर हाट	बिलासपुर	(43)	Complete	
486	सिवान	कार्य प्रमंडल-1, सिवान	लकड़ी नबीगंज	डुमरा	(44)	Complete	
487	सिवान	कार्य प्रमंडल-1, सीवान	लकड़ी नबीगंज	पडौली	(45)	Complete	
488	सिवान	कार्य प्रमंडल-1, सीवान	बसंतपुर	कुमकुमपुर	(46)	Complete	
489	सिवान	कार्य प्रमंडल-1 सिवान	गोरियाकोठी	लाका टोला	(49)	Complete	
490	सिवान	कार्य प्रमंडल-1 सिवान	गोरिया कोठी	सतवार	(50)	Complete	
491	सिवान	कार्य प्रमंडल-2, सिवान	दरौली	सरहरवाँ	(03)	Complete	
492	सिवान	कार्य प्रमंडल-2, सिवान	मैरवा	इगलिश	(06)	Complete	
493	सिवान	कार्य प्रमंडल-2, सिवान	नौतन	मुरारपट्टी	(07)	Complete	
494	सिवान	कार्य प्रमंडल-2, सीवान	नौतन	अंगौता	(08)	Complete	
495	सिवान	कार्य प्रमंडल-2, सीवान	जीरादेई	तितरा	(09)	Complete	
496	सिवान	कार्य प्रमंडल-2, सीवान	जिरादेई	चन्दौली मगौली	(10)	Complete	
497	सिवान	कार्य प्रमंडल-2, सिवान	जीरादेई	गडार, हरदोपट्टी	(11)	Complete	
498	सिवान	कार्य प्रमंडल-2, सीवान	हुसैनगंज	मचकना, करहनु	(15)	Complete	
499	सिवान	कार्य प्रमंडल-2, सीवान	आंदर	सहसरॉव	(18)	Complete	
500	सिवान	कार्य प्रमंडल-2, सीवान	सिसवन	रामगढ़, मेहदार	(23)	Complete	
501	सिवान	कार्य प्रमंडल-2, सिवान	रघुनाथपुर	नरहन	(25)	Complete	
502	सिवान	कार्य प्रमंडल-2, सिवान	रघुनाथपुर	पंजवार	(26)	Complete	
503	सिवान	कार्य प्रमंडल-2, सीवान	दरौंधा	रमसापुर	(35)	Complete	
504	सिवान	कार्य प्रमंडल-2, सीवान	दरौंधा	ककुन्दीपुर	(36)	Complete	
505	गोपालगंज	कार्य प्रमंडल-गोपालगंज	विजयीपुर	बेलवा पाण्डेयपुर	(01)	Complete	
506	गोपालगंज	कार्य प्रमंडल-गोपालगंज	विजयीपुर	मझवलिया	(02)	Complete	
507	गोपालगंज	कार्य प्रमंडल-गोपालगंज	भोरे	गोपालपुर	(03)	Complete	
508	गोपालगंज	कार्य प्रमंडल-गोपालगंज	भोरे	लामीचौर	(04)	Complete	
509	गोपालगंज	कार्य प्रमंडल-गोपालगंज	भोरे	डुमर नरेन्द	(05)	Complete	
510	गोपालगंज	कार्य प्रमंडल-गोपालगंज	कटेया	पडरिया	(06)	Complete	
511	गोपालगंज	कार्य प्रमंडल-गोपालगंज	कटैया	रूद्रपुर	(07)	Complete	
512	गोपालगंज	कार्य प्रमंडल-गोपालगंज	पंचदेवरी	सिकटियां, कपूरी	(08)	Complete	
513	गोपालगंज	कार्य प्रमंडल-गोपालगंज	पंचदेवरी	भगवानपुर, बारा धाप	(09)	Complete	
514	गोपालगंज	कार्य प्रमंडल-गोपालगंज	फुलवारिया	फुलवरिया	(10)	Complete	
515	गोपालगंज	कार्य प्रमंडल-गोपालगंज	फुलवारिया	मांझा गोसाई	(11)	Complete	
516	गोपालगंज	कार्य प्रमंडल-गोपालगंज	हथुआ	कुसौधी	(12)	Complete	
517	गोपालगंज	कार्य प्रमंडल-गोपालगंज	हथुआ	सोहागपुर	(13)	Complete	
518	गोपालगंज	कार्य प्रमंडल-गोपालगंज	हथुआ	लाईन बजार	(15)	Complete	
519	गोपालगंज	कार्य प्रमंडल-गोपालगंज	उचकागाँव	दहीभाता	(16)	Complete	
520	गोपालगंज	कार्य प्रमंडल-गोपालगंज	उचकागाँव	बैरिया दुर्ग	(17)	Complete	
521	गोपालगंज	कार्य प्रमंडल-गोपालगंज	कुचायकोट	पुरखास	(18)	Complete	
522	गोपालगंज	कार्य प्रमंडल-गोपालगंज	कुचायकोट	रामपुर खरेया	(19)	Complete	
523	गोपालगंज	कार्य प्रमंडल-गोपालगंज	कुचायकोट	ढोढवलिया	(20)	Complete	
524	गोपालगंज	कार्य प्रमंडल-गोपालगंज	कुचायकोट	तिवारी, मटिहनिया	(21)	Complete	
525	गोपालगंज	कार्य प्रमंडल-गोपालगंज	कुचायकोट	कुचायकोट	(22)	Complete	
526	गोपालगंज	कार्य प्रमंडल-गोपालगंज	गोपालगंज	बराडीला	(23)	Complete	
527	गोपालगंज	कार्य प्रमंडल-गोपालगंज	गोपालगंज	रामपुर टंगराही	(24)	Complete	
528	गोपालगंज	कार्य प्रमंडल-गोपालगंज	थावे	वृन्दावन	(26)	Complete	
529	गोपालगंज	कार्य प्रमंडल-गोपालगंज	मांझागढ	देवापुर, पुर्दिल टोला	(28)	Complete	
530	गोपालगंज	कार्य प्रमंडल-गोपालगंज	मांझा	मांझा पश्चिमी	(29)	Complete	
531	गोपालगंज	कार्य प्रमंडल-गोपालगंज	बरौली	कल्याणपुर	(32)	Complete	
532	गोपालगंज	कार्य प्रमंडल-गोपालगंज	सिंध वलिया	बखरौर	(35)	Complete	

(315)

क्र0	जिला	प्रमंडल का नाम	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम (क्लस्टर सं0)	क्लस्टर सं0	[illegible]
		2	3	4	5	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(36)	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(37)	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(38)	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(30)	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(40)	[illegible]
538	[illegible]	कार्य प्रमंडल-1, मुजफ्फरपुर	बोचहाँ	[illegible]	(29)	[illegible]
539	[illegible]	कार्य प्रमंडल-1, मुजफ्फरपुर	जमालाबाद	[illegible]	(33)	[illegible]
540	[illegible]	कार्य प्रमंडल-1, मुजफ्फरपुर	[illegible]	[illegible]	(34)	Complete
541	[illegible]	कार्य प्रमंडल-1, मुजफ्फरपुर	मुशहरी	[illegible]	(36)	Complete
542	[illegible]	कार्य प्रमंडल-1, मुजफ्फरपुर	मीनापुर	[illegible]	(37)	Complete
543	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-1, मुजफ्फरपुर	मीनापुर	[illegible]	(38)	Complete
544	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-1, मुजफ्फरपुर	मीनापुर	[illegible]	(39)	Complete
545	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-1, मुजफ्फरपुर	मीनापुर	[illegible]	(41)	Complete
546	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-1, मुजफ्फरपुर	बोचहान	[illegible]	(44)	Complete
547	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-1, मुजफ्फरपुर	बोचहान	मैदापुर	(45)	Complete
548	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-1, मुजफ्फरपुर	औराई	मरथुआ	(46)	Complete
549	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-1, मुजफ्फरपुर	औराई	जीयाजोर	(47)	Complete
550	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-1, मुजफ्फरपुर	कटरा	बर्रई द0	(50)	Complete
551	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-1, मुजफ्फरपुर	कटरा	कटरा	(51)	Complete
552	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-1, मुजफ्फरपुर	औराई	कटाई	(53)	Complete
553	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-1, मुजफ्फरपुर	गायघाट	बेरूआ	(55)	Complete
554	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-1, मुजफ्फरपुर	गायघाट	बलौर निधि	(57)	Complete
555	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-1, मुजफ्फरपुर	बंदरा	नूनफारा	(58)	Complete
556	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-1, मुजफ्फरपुर	बंदरा	बंदरा	(59)	Complete
557	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-1, मुजफ्फरपुर	मुरौल	सादिकपुर मुरौल	(60)	Complete
558	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-1, मुजफ्फरपुर	सकरा	मुरा हरलोचनपुर	(61)	Complete
559	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-1, मुजफ्फरपुर	सकरा	जगदीशपुर बानगरी	(62)	Complete
560	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-1, मुजफ्फरपुर	सकरा	पैगम्बरपुर	(63)	Complete
561	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-1, मुजफ्फरपुर	सकरा	बाजीबुर्जुग	(64)	Complete
562	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-1, मुजफ्फरपुर	सकरा	समस्तापुर	(65)	Complete
563	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर	साहेबगंज	हुस्सेपुररति	(02)	Complete
564	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर	साहेबगंज	गुलाबपट्टी	(03)	Complete
565	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर	साहेबगंज	सरैया	(04)	Complete
566	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर	मोतीपुर	मगुराहा ताजपुर	(05)	Complete
567	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर	मोतीपुर	बरुजी	(06)	Complete
568	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर	मोतीपुर	जसौली	(07)	Complete
569	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर	मोतीपुर	बरियारपुर दक्षिणी	(08)	Complete
570	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर	मोतीपुर	महिमा गोपीनाथपुर	(09)	Complete
571	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर	पारू	मोहब्बतपुर	(10)	Complete
572	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर	पारू	चाँदपुर	(11)	Complete
573	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर	पारू	मोहज्जमा	(12)	Complete
574	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर	पारू	ग्यासपुर	(13)	Complete
575	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर	पारू	महद्दीनपुर	(14)	Complete
576	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर	पारू	रामपुर केशो उर्फ मलाही	(15)	Complete
577	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर	सरैया	बखरा	(17)	Complete
578	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर	सरैया	बंधनगरी	(18)	Complete
579	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर	सरैया	पोखरैरा	(19)	Complete
580	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर	सरैया	अमैठा	(20)	Complete
581	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर	कांटी	रागनाथ धमौली पूर्वी	(21)	Complete
582	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर	कांटी	पानापुर हवेली	(22)	Complete
583	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर	कांटी	साईन	(23)	Complete
584	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर	मड़वन	रक्सा	(24)	Complete
585	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर	मड़वन	मटोना	(25)	Complete
586	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर	कुढ़नी	चंदहट्टी	(26)	Complete
587	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर	कुढ़नी	किशनपुर मधुबन	(27)	Complete
588	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर	कुढ़नी	गोरिया दुबीयाही	(28)	Complete
589	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर	कुढ़नी	सोनबरसा	(30)	Complete
590	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर	मोतीपुर	जमहरूआ	(31)	Complete
591	मुजफ्फरपुर	कार्य प्रमंडल-2, मुजफ्फरपुर	कुढ़नी	चढ़ुआँ	(32)	Complete
592	प0 चम्पारण	कार्य प्रमंडल-1, बेतिया	बेतिया	पीपरा पकड़ी	(01)	Complete

730	वैशाली	कार्य प्रमंडल-2, महनार	पातेपुर	बकाढ	(03)	Complete
731	वैशाली	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(04)	Complete
732	वैशाली	कार्य प्रमंडल-2, महनार	राजापाकर	बेलादरगाह	(05)	Complete
733	वैशाली	कार्य प्रमंडल-2, महनार	जन्दाहा	राजबखरी बड़ाई	(16)	Complete
734	वैशाली	कार्य प्रमंडल-2, महनार	जन्दाहा	बसतपुर	(17)	Complete
735	वैशाली	कार्य प्रमंडल-2, महनार	जन्दाहा	अरनिया	(18)	Complete
736	वैशाली	कार्य प्रमंडल-2, महनार	जन्दाहा	चाँद सराय	(19)	Complete
737	वैशाली	कार्य प्रमंडल-2, महनार	महनार	लोमा	(20)	Complete
738	वैशाली	कार्य प्रमंडल-2, महनार	महनार	करनौती	(21)	Complete
739	वैशाली	कार्य प्रमंडल-2, महनार	देसरी	बासुदेवपुर चंदेल	(22)	Complete
740	वैशाली	कार्य प्रमंडल-2, महनार	बिहपुर	चकजमाल	(24)	Complete
741	वैशाली	कार्य प्रमंडल-2, महनार	बिदुपुर	चेचर	(27)	Complete
742	वैशाली	कार्य प्रमंडल-2, महनार	राघोपुर	चकसिकन्दर कल्याणपुर	(28)	Complete
743	वैशाली	कार्य प्रमंडल-2, महनार	[illegible]	मल्लिकपुर	(47)	Complete
743	वैशाली	कार्य प्रमंडल-2, महनार	राघोपुर	फतेहपुर	(48)	Complete
744	वैशाली	कार्य प्रमंडल-2, महनार	राघोपुर	वीरपुर	(49)	Complete
745	शिवहर	कार्य प्रमंडल-शिवहर	पुरनहियाँ	बखार चंडिहा	(01)	Complete
746	शिवहर	कार्य प्रमंडल-शिवहर	पुरनहिया	कोल्हुआ ठिकहाँ	(02)	Complete
747	शिवहर	कार्य प्रमंडल-शिवहर	शिवहर	मालीपोखर भिन्डा	(03)	Complete
748	शिवहर	कार्य प्रमंडल-शिवहर	डुमरी कटसरी	मकसूदपुर करारिया	(06)	Complete
749	शिवहर	कार्य प्रमंडल-शिवहर	तरीयानी	वृन्दावन	(07)	Complete
750	शिवहर	कार्य प्रमंडल-शिवहर	तरीयानी	सलेमपुर		Complete
751	दरभंगा	कार्य प्रमंडल-1, दरभंगा	जाले	जाले उत्तरी	(01)	Complete
752	दरभंगा	कार्य प्रमंडल-1, दरभंगा	जाले	जाले पूर्वी	(02)	Complete
753	दरभंगा	कार्य प्रमंडल-1, दरभंगा	जाले	राढ़ी पश्चिमी	(03)	Complete
754	दरभंगा	कार्य प्रमंडल-1, दरभंगा	जाले	मस्सा	(04)	Complete
755	दरभंगा	कार्य प्रमंडल-1, दरभंगा	सिंघवाड़ा	सिमरी	(07)	Complete
756	दरभंगा	कार्य प्रमंडल-1, दरभंगा	सिंघवाड़ा	माधोपुर, बसतवाड़ा	(08)	Complete
757	दरभंगा	कार्य प्रमंडल-1, दरभंगा	सिंघवाड़ा	हरिहरपुर प0	(09)	Complete
758	दरभंगा	कार्य प्रमंडल-1, दरभंगा	केवटी	पिण्डारूच	(10)	Complete
759	दरभंगा	कार्य प्रमंडल-1, दरभंगा	केवटी	केवटी	(11)	Complete
760	दरभंगा	कार्य प्रमंडल-1, दरभंगा	केवटी	लाल गंज	(12)	Complete
761	दरभंगा	कार्य प्रमंडल-1, दरभंगा	दरभंगा सदर	बासुदेवपुर / शहबाजपुर	(14)	Complete
762	दरभंगा	कार्य प्रमंडल-1, दरभंगा	दरभंगा सदर	बिजली / बलहा	(16)	Complete
763	दरभंगा	कार्य प्रमंडल-1, दरभंगा	दरभंगा	भालपट्टी	(17)	Complete
764	दरभंगा	कार्य प्रमंडल-1, दरभंगा	बहादुरपुर	उघरा महपारा	(18)	Complete
765	दरभंगा	कार्य प्रमंडल-1, दरभंगा	बहादुरपुर	खराजपुर	(20)	Complete
766	दरभंगा	कार्य प्रमंडल-1, दरभंगा	मनीगाछी	राघोपुर द0	(31)	Complete
767	दरभंगा	कार्य प्रमंडल-1, दरभंगा	मनीगाछी	जगदीशपुर	(32)	Complete
768	दरभंगा	कार्य प्रमंडल-1, दरभंगा	मनीगाछी	चनौर	(33)	Complete

[illegible]	जिले का नाम	प्रखंड [illegible]	[illegible]		[illegible] सं0	[illegible]	
					6	7	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(12)	Complete	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	कार्य प्रमंडल–1, हाजीपुर	हाजीपुर	[illegible]	(32)	Complete	
[illegible]	[illegible]	कार्य प्रमंडल–1, हाजीपुर	हाजीपुर	[illegible]	(34)	Complete	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(35)	Complete	
[illegible]	[illegible]	कार्य प्रमंडल–1, हाजीपुर	भगवानपुर	[illegible]	(36)	Complete	
[illegible]	[illegible]	कार्य प्रमंडल–1, हाजीपुर	भगवानपुर	[illegible]	(37)	Complete	
[illegible]	[illegible]	कार्य प्रमंडल–1, हाजीपुर	[illegible]	[illegible]	(38)	Complete	
[illegible]	[illegible]	कार्य प्रमंडल–1, हाजीपुर	भगवानपुर	[illegible]	(39)	Complete	
721	वैशाली	कार्य प्रमंडल–1, हाजीपुर	लालगंज	बसता [illegible] (बुजुर्ग)	(40)	Complete	
722	वैशाली	कार्य प्रमंडल–1, हाजीपुर	लालगंज	[illegible] (पश्चिम)	(41)	Complete	
723	वैशाली	कार्य प्रमंडल–1, हाजीपुर	लालगंज	खरौना	(42)	Complete	
724	वैशाली	कार्य प्रमंडल–1, हाजीपुर	बेलसर	मिश्रौलिया अफजलपुर	(43)	Complete	
725	वैशाली	कार्य प्रमंडल–1, हाजीपुर	वैशाली	चिन्तामणिपुर	(45)	Complete	
726	वैशाली	कार्य प्रमंडल–1, हाजीपुर	हाजीपुर	चक अलहदाद	(46)	Complete	
727	वैशाली	कार्य प्रमंडल–2, महनार	पातेपुर	सदपुरडुमरा	(01)	Complete	
728	वैशाली	कार्य प्रमंडल–2, महनार	पातेपुर	नीलोरूकुन्दपुर	(02)	Complete	
729	वैशाली	कार्य प्रमंडल–2, महनार	पातेपुर	बकाढ	(03)	Complete	
730	वैशाली	कार्य प्रमंडल–2, महनार	पातेपुर	बालिगाव	(04)	Complete	
731	वैशाली	कार्य प्रमंडल–2, महनार	पातेपुर	दलादरगाह	(05)	Complete	
732	वैशाली	कार्य प्रमंडल–2, महनार	राजापाकर	राजबखशी बहाई	(16)	Complete	
733	वैशाली	कार्य प्रमंडल–2, महनार	जन्दाहा	बसतपुर	(17)	Complete	
734	वैशाली	कार्य प्रमंडल–2, महनार	जन्दाहा	अरनिया	(18)	Complete	
735	वैशाली	कार्य प्रमंडल–2, महनार	जन्दाहा	चाँद सराय	(19)	Complete	
736	वैशाली	कार्य प्रमंडल–2, महनार	जन्दाहा	लोमा	(20)	Complete	
737	वैशाली	कार्य प्रमंडल–2, महनार	महनार	करनौती	(21)	Complete	
738	वैशाली	कार्य प्रमंडल–2, महनार	महनार	बासुदेवपुर चंदेल	(22)	Complete	
739	वैशाली	कार्य प्रमंडल–2, महनार	देसरी	चकजमाल	(24)	Complete	
740	वैशाली	कार्य प्रमंडल–2, महनार	बिदुपुर	चेचर	(27)	Complete	
741	वैशाली	कार्य प्रमंडल–2, महनार	बिदुपुर	चकसिकन्दर कल्याणपुर	(28)	Complete.	
742	वैशाली	कार्य प्रमंडल–2, महनार	राघोपुर	मल्लिकपुर	(47)	Complete	
743	वैशाली	कार्य प्रमंडल–2, महनार	राघोपुर	फतेहपुर	(48)	Complete	
744	वैशाली	कार्य प्रमंडल–2, महनार	राघोपुर	वीरपुर	(49)	Complete	
745	शिवहर	कार्य प्रमंडल–शिवहर	पुरनहियाँ	बखार चंडिहा	(01)	Complete	
746	शिवहर	कार्य प्रमंडल–शिवहर	पुरनहिया	कोल्हुआ ठिकहाँ	(02)	Complete	
747	शिवहर	कार्य प्रमंडल–शिवहर	शिवहर	मालीपोखर भिन्डा	(03)	Complete	
748	शिवहर	कार्य प्रमंडल–शिवहर	डुमरी कटसरी	मकसूदपुर कररिया	(06)	Complete	
749	शिवहर	कार्य प्रमंडल–शिवहर	तरीयानी	वृन्दावन	(07)	Complete	
750	शिवहर	कार्य प्रमंडल–शिवहर	तरीयानी	सलेमपुर		Complete	
751	दरभंगा	कार्य प्रमंडल–1, दरभंगा	जाले	जाले उत्तरी	(01)	Complete	
752	दरभंगा	कार्य प्रमंडल–1, दरभंगा	जाले	जाले पुर्वी	(02)	Complete	
753	दरभंगा	कार्य प्रमंडल–1, दरभंगा	जाले	राढ़ी पश्चिमी	(03)	Complete	
754	दरभंगा	कार्य प्रमंडल–1, दरभंगा	जाले	मरसा	(04)	Complete	
755	दरभंगा	कार्य प्रमंडल–1, दरभंगा	सिंघवाडा	सिमरी	(07)	Complete	
756	दरभंगा	कार्य प्रमंडल–1, दरभंगा	सिंघवाडा	माधोपुर, बरसतवाडा	(08)	Complete	
757	दरभंगा	कार्य प्रमंडल–1, दरभंगा	सिंघवाडा	हरिहरपुर प0	(09)	Complete	
758	दरभंगा	कार्य प्रमंडल–1, दरभंगा	केवटी	पिण्डारूच	(10)	Complete	
759	दरभंगा	कार्य प्रमंडल–1, दरभंगा	केवटी	केवटी	(11)	Complete	
760	दरभंगा	कार्य प्रमंडल–1, दरभंगा	केवटी	लाल गंज	(12)	Complete	
761	दरभंगा	कार्य प्रमंडल–1, दरभंगा	दरभंगा सदर	वासुदेवपुर / शहवाजपुर	(14)	Complete	
762	दरभंगा	कार्य प्रमंडल–1, दरभंगा	दरभंगा सदर	बिजली / बलहा	(16)	Complete	
763	दरभंगा	कार्य प्रमंडल–1, दरभंगा	दरभंगा	भालपट्टी	(17)	Complete	
764	दरभंगा	कार्य प्रमंडल–1, दरभंगा	बहादुरपुर	उघरा महपारा	(18)	Complete	
765	दरभंगा	कार्य प्रमंडल–1, दरभंगा	बहादुरपुर	खराजपुर	(20)	Complete	
766	दरभंगा	कार्य प्रमंडल–1, दरभंगा	मनीगाछी	राघोपुर द0	(31)	Complete	
767	दरभंगा	कार्य प्रमंडल–1, दरभंगा	मनीगाछी	जगदीशपुर	(32)	Complete	
768	दरभंगा	कार्य प्रमंडल–1, दरभंगा	मनीगाछी	चनौर	(33)	Complete	

(541)

क्र०	जिला	कार्य प्रमंडल का नाम	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम ([illegible])	[illegible]	प्रतिवेदन
1		3	4	5		
769	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
770	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
771	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
772	[illegible]	[illegible]	तारडीह	[illegible]	(26)	[illegible]
773	[illegible]	[illegible]	अलीनगर	हनीफपुर	(35)	[illegible]
774	दरभंगा	कार्य प्रमंडल-2, बेनीपुर	गौड़ाबौराम	[illegible]	(38)	Complete
775	दरभंगा	कार्य प्रमंडल-2, बेनीपुर	[illegible]	[illegible]	(44)	Complete
776	दरभंगा	कार्य प्रमंडल-2, बेनीपुर	बिरौल	[illegible]	(45)	Complete
777	दरभंगा	कार्य प्रमंडल-2, बेनीपुर	बिरौल	बिरौल	(48)	Complete
778	दरभंगा	कार्य प्रमंडल-2, बेनीपुर	कुशेश्वर स्थान	बेरि	(49)	Complete
779	दरभंगा	कार्य प्रमंडल-2, बेनीपुर	कुशेश्वर स्थान पू०	उसरी	(50)	Complete
780	दरभंगा	कार्य प्रमंडल-2, बेनीपुर	कुशेश्वर स्थान पू०	कुशेश्वर स्थान उ०	(52)	Complete
781	दरभंगा	कार्य प्रमंडल-2, बेनीपुर	घनश्यामपुर	ब्रह्मपुरा, मसवासी	(53)	Complete
782	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-1, मधुबनी	हरलाखी	कलना	(54)	Complete
783	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-1, मधुबनी	माधवापुर	बासुकी बिहारी उ०	(01)	Complete
784	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-1, मधुबनी	बेनीपट्टी	सलहा	(04)	Complete
785	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-1, मधुबनी	बेनीपट्टी	परौल	(10)	Complete
786	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-1, मधुबनी	बिस्फी	जगवन प०	(11)	Complete
787	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-1, मधुबनी	बिस्फी	नूरचक	(12)	Complete
788	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-1, मधुबनी	बिस्फी	नाहस रुपौली द०	(14)	Complete
789	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-1, मधुबनी	बिस्फी	जफरा	(15)	Complete
790	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-1, मधुबनी	कलुआही	हरिपुर द०	(16)	Complete
791	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-1, मधुबनी	बेनीपट्टी	मलमल उ०	(20)	Complete
792	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-1, मधुबनी	जयनगर	पड़वा बेलही	(21)	Complete
793	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-1, मधुबनी	खजौली	भकुआ	(26)	Complete
794	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-1, मधुबनी	खजौली	दतुआर	(27)	Complete
795	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-1, मधुबनी	खजौली	बेता ककडघटी	(28)	Complete
796	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-1, मधुबनी	पंडौल	बथने	(29)	Complete
797	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-1, मधुबनी	पंडौल	सकरी पूर्वी	(34)	Complete
798	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-1, मधुबनी	पंडौल	सरसोपाही प०	(36)	Complete
799	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-1, मधुबनी	बाबूबरही	महेशवाड़ा	(37)	Complete
800	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-1, मधुबनी	बाबूबरही	मिश्रौलिया	(45)	Complete
801	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-1, मधुबनी	बाबूबरही	भटचौड़ा	(46)	Complete
802	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-1, मधुबनी	लदनिया	खोजा	(48)	Complete
803	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-1, मधुबनी	लदनिया	बेलाही	(49)	Complete
804	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-2, झंझारपुर	राजनगर	करहिया पूर्वी	(50)	Complete
805	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-2, झंझारपुर	राजनगर	पटवारा दक्षिण	(30)	Complete
806	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-2, झंझारपुर	राजनगर	सिमरी	(31)	Complete
807	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-2, झंझारपुर	राजनगर	रामपट्टी	(32)	Complete
808	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-2, झंझारपुर	झंझारपुर	काको	(33)	Complete
809	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-2, झंझारपुर	फुलपरास	सैनी	(39)	Complete
810	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-2, झंझारपुर	झंझारपुर	संग्राम	(40)	Complete
811	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-2, झंझारपुर	अंधरा ठाढ़ी	हररी	(41)	Complete
812	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-2, झंझारपुर	अंधराठाढ़ी	गनौली	(42)	Complete
813	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-2, झंझारपुर	अंधरा ठाढ़ी	देवहार	(43)	Complete
814	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-2, झंझारपुर	खुटौना	बीरपुर	(44)	Complete
815	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-2, झंझारपुर	लौकही	सिकटियाही	(51)	Complete
816	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-2, झंझारपुर	खुटौना	चतुर्भुजपिपराही	(52)	Complete
817	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-2, झंझारपुर	लौकही	अटरी	(53)	Complete
818	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-2, झंझारपुर	लौकही	महादेव मठ	(54)	Complete
819	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-2, झंझारपुर	लौकही	बनगामा उ०	(55)	Complete
820	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-2, झंझारपुर	फुलपरास	गोडियारी	(56)	Complete
821	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-2, झंझारपुर	फुलपरास	महथौर खुर्द	(57)	Complete
822	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-2, झंझारपुर	घोघरडीहा	सांगी	(58)	Complete
823	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-2, झंझारपुर	घोघरडीहा	नौआबाखर	(59)	Complete
824	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-2, झंझारपुर	लखनौर	कैथिनिया	(60)	Complete
825	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-2, झंझारपुर	लखनौर	लौफा	(63)	Complete
826	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-2, झंझारपुर	मधेपुर	तरडीहा	(64)	Complete
827	मधुबनी	कार्य प्रमंडल-2, झंझारपुर	मधेपुर	भीठ भगवानपुर	(65)	Complete
					(66)	Complete

(340)

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम (कलस्टर)	कलस्टर सं0	भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-1 समस्तीपुर	[illegible]	[illegible]	(37)	Complete	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(55)	Complete	
830	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-1 समस्तीपुर	कल्याणपुर	[illegible]	(01)	Complete	
831	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-1 समस्तीपुर	कल्याणपुर	गोरई	(02)	Complete	
832	समस्तीपुर	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(03)	Complete	
833	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-1 समस्तीपुर	कल्याणपुर	खरसंड पूर्वी	(04)	Complete	
834	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-1 समस्तीपुर	पूसा	हरपुर महमदा	(06)	Complete	
835	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-1 समस्तीपुर	पूसा	चन्दौली अखिलयारपुर [illegible]	(07)	Complete	
836	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-1 समस्तीपुर	समस्तीपुर	फोकुरैया	(15)	Complete	
837	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-1,समस्तीपुर	समस्तीपुर	चकनूर	(16)	Complete	
838	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-1,समस्तीपुर	समस्तीपुर	लगुनियाँ रघुकंठ	(17)	Complete	
839	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-1,समस्तीपुर	समस्तीपुर	जितवारपुर निजामत	(18)	Complete	
840	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-1,समस्तीपुर	ताजपुर	मुरादपुर बंगरा	(19)	Complete	
841	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-1,समस्तीपुर	ताजपुर	बाघी	(20)	Complete	
842	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-1 समस्तीपुर	मोरवा	लरूआ	(29)	Complete	
843	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-1,समस्तीपुर	मोरवा	मोरवा द0	(30)	Complete	
844	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-1,समस्तीपुर	मोरवा	इन्द्रवारा	(31)	Complete	
845	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-1,समस्तीपुर	पटोरी	बकसैलन	(32)	Complete	
846	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-1,समस्तीपुर	पटोरी	बहादुरपुर, पटोरी	(33)	Complete	
847	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-1,समस्तीपुर	सरायरंजन	गंगापुर	(35)	Complete	
848	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-1,समस्तीपुर	सरायरंजन	सरायरंजन (पश्चिमी)	(36)	Complete	
849	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-1,समस्तीपुर	सरायरंजन	रायपुर बुजुर्ग	(37)	Complete	
850	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-1,समस्तीपुर	सरायरंजन	नरघोघी	(38)	Complete	
851	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-1,समस्तीपुर	विद्यापतिनगर	मनियारपुर	(39)	Complete	
852	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-1,समस्तीपुर	मोहिउद्दीननगर	मदईया	(41)	Complete	
853	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-1,समस्तीपुर	मोहिउद्दीननगर	तेतारपुर	(42)	Complete	
854	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-1,समस्तीपुर	मोहिउद्दीननगर	दुबहा	(43)	Complete	
855	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-1,समस्तीपुर	मोहनपुर	मोहनपुर	(44)	Complete	
856	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-1,समस्तीपुर	मोहनपुर	डुमरी उत्तरी / जलालपुर	(45)	Complete	
857	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-2,रोसड़ा	वारिसनगर	मोहिउद्दीनपुर	(08)	Complete	
858	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-2,रोसड़ा	वारिसनगर	गोही	(10)	Complete	
859	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-2,रोसड़ा	खानपुर	दिनमनपुर उत्तरी	(12)	Complete	
860	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-2,रोसड़ा	खानपुर	श्रीपुर गाहर पूर्वी	(13)	Complete	
861	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-2,रोसड़ा	खानपुर	पुरूषोत्तमपुर अन्नु	(14)	Complete	
862	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-2,रोसड़ा	उजियारपुर	बेलदौर पश्चिमी	(22)	Complete	
863	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-2,रोसड़ा	उजियारपुर	नाजिरपुर	(23)	Complete	
864	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-2,रोसड़ा	उजियारपुर	पतैली पूर्वी	(24)	Complete	
865	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-2,रोसड़ा	उजियारपुर	हरपुर रेवाड़ी	(25)	Complete	
866	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-2,रोसड़ा	दलसिंहसराय	केवटा	(27)	Complete	
867	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-2,रोसड़ा	विभूतिपुर	रामपुर जलालपुर	(28)	Complete	
868	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-2,रोसड़ा	विभूतिपुर	चकहबीब	(41)	Complete	
869	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-2,रोसड़ा	विभूतिपुर	कल्याणपुर उत्तर	(47)	Complete	
870	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-2,रोसड़ा	विभूतिपुर	चौरा टभका	(48)	Complete	
871	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-2,रोसड़ा	विभूतिपुर	विभूतिपुर उत्तर	(49)	Complete	
872	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-2,रोसड़ा	विभूतिपुर	पतैलिया उ0	(50)	Complete	
873	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-2,रोसड़ा	रोसड़ा	मोतीपुर	(51)	Complete	
874	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-2,रोसड़ा	रोसड़ा	मरवारी	(52)	Complete	
875	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-2,रोसड़ा	रोसड़ा	भिरहा दक्षिण	(53)	Complete	
876	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-2,रोसड़ा	सिंघिया	कुण्डल-1	(54)	Complete	
877	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-2,रोसड़ा	सिंघिया	लीलहौल	(55)	Complete	
878	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-2,रोसड़ा	खानपुर	बल्लीपुर	(57)	Complete	
879	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-2,रोसड़ा	शिवाजी नगर	करियन	(58)	Complete	
880	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-2,रोसड़ा	हसनपुर	अहिलवार, गजपति	(60)	Complete	
881	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-2,रोसड़ा	हसनपुर	मरोंची उजागीर	(61)	Complete	
882	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-2,रोसड़ा	हसनपुर	औरा	(62)	Complete	
883	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-2,रोसड़ा	बिथान	सिहमा	(64)	Complete	
884	समस्तीपुर	कार्य प्रमंडल-2,रोसड़ा	बिथान	उजान, परड़ी	(65)	Complete	
885	सहरसा	कार्य प्रमंडल-सहरसा	नौहट्टा	कासिमपुर	(02)	Complete	
886	सहरसा	कार्य प्रमंडल-सहरसा	सत्तरकटैया	बाड़ा	(03)	Complete	
887	सहरसा	कार्य प्रमंडल-सहरसा	सत्तरकटैया	बिशनपुर	(05)	Complete	

339

क्र0	जिला का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम (कलस्टर [illegible])	कलस्टर सं0	भौतिक [illegible]
1	2	3	4	5	6	7
888	सहरसा	कार्य प्रमंडल-सहरसा	[illegible]	[illegible] पुर		
889	सहरसा	कार्य प्रमंडल-[illegible]	[illegible]	पुरैनी [illegible]	(06)	Complete
890	सहरसा	कार्य प्रमंडल-सहरसा	कहरा	अमरपुर	(09)	Complete
891	सहरसा	कार्य प्रमंडल-सहरसा	सौरबाजार	तीरी	(11)	Complete
892	सहरसा	कार्य प्रमंडल-सहरसा	सौरबाजार	सुहथ	(12)	Complete
893	सहरसा	कार्य प्रमंडल-सहरसा	पतरघाट	किसनपुर	(14)	Complete
894	सहरसा	कार्य प्रमंडल-सहरसा	पतरघाट	गोलमा पू0	(15)	Complete
895	सहरसा	कार्य प्रमंडल-सहरसा	सोनवर्षा	बिराटपुर	(16)	Complete
896	सहरसा	कार्य प्रमंडल-सहरसा	सोनबरसा	काशनगर	(18)	Complete
897	सहरसा	कार्य प्रमंडल-सहरसा	सिमरी बख्तियारपुर	मोहनपुर	(19)	Complete
898	सहरसा	कार्य प्रमंडल-सहरसा	सिमरी बख्तियारपुर	रायपुरा	(20)	Complete
899	सुपौल	कार्य प्रमंडल-सुपौल	निर्मली	डगमारा	(22)	Complete
900	सुपौल	कार्य प्रमंडल-सुपौल	मरौना	हिंडरी	(01)	Complete
901	सुपौल	कार्य प्रमंडल-सुपौल	किशनपुर	किशनपुर उत्तर	(03)	Complete
902	सुपौल	कार्य प्रमंडल-सुपौल	निर्मली	मझारी	(05)	Complete
903	सुपौल	कार्य प्रमंडल-सुपौल	सुपौल	बैरिया	(06)	Complete
904	सुपौल	कार्य प्रमंडल-सुपौल	सुपौल	मल्हनी	(07)	Complete
905	सुपौल	कार्य प्रमंडल-सुपौल	सुपौल	लाउढ	(09)	Complete
906	सुपौल	कार्य प्रमंडल-सुपौल	पिपरा	कटैयामाहे	(11)	Complete
907	सुपौल	कार्य प्रमंडल-सुपौल	पिपरा	अमहा	(12)	Complete
908	सुपौल	कार्य प्रमंडल-सुपौल	त्रिवेणीगंज	सिमरिया	(13)	Complete
909	सुपौल	कार्य प्रमंडल-सुपौल	त्रिवेणीगंज	गुड़िया	(14)	Complete
910	सुपौल	कार्य प्रमंडल-सुपौल	त्रिवेणीगंज	परसागढ़ी उ0	(16)	Complete
911	सुपौल	कार्य प्रमंडल-सुपौल	प्रतापगंज	सुर्यापुर	(17)	Complete
912	सुपौल	कार्य प्रमंडल-सुपौल	सरायगढ़ भपटियाही	चाँदपीपर	(18)	Complete
913	सुपौल	कार्य प्रमंडल-सुपौल	राघोपुर	हरिराहा	(21)	Complete
914	सुपौल	कार्य प्रमंडल-सुपौल	राघोपुर	पिपराही	(22)	Complete
915	सुपौल	कार्य प्रमंडल-सुपौल	बसंतपुर	भगवानपुर	(23)	Complete
916	सुपौल	कार्य प्रमंडल-सुपौल	बसंतपुर	विशनपुर शिवराम	(25)	Complete
917	सुपौल	कार्य प्रमंडल-सुपौल	छातापुर	मधुबनी	(27)	Complete
918	सुपौल	कार्य प्रमंडल-सुपौल	छातापुर	रामपुर	(28)	Complete
919	सुपौल	कार्य प्रमंडल-सुपौल	छातापुर	चौरहा	(29)	Complete
920	सुपौल	कार्य प्रमंडल-सुपौल	छातापुर	ग्वालपाड़ा	(30)	Complete
921	मधेपुरा	कार्य प्रमंडल-मधेपुरा	गम्हरिया	भेलवा	(31)	Complete
922	मधेपुरा	कार्य प्रमंडल-मधेपुरा	घैलाढ़	श्रीनगर	(01)	Complete
923	मधेपुरा	कार्य प्रमंडल-मधेपुरा	घैलाढ़	घैलाढ़	(02)	Complete
924	मधेपुरा	कार्य प्रमंडल-मधेपुरा	मधेपुरा	मिठाई	(03)	Complete
925	मधेपुरा	कार्य प्रमंडल-मधेपुरा	मधेपुरा	मधुबन	(04)	Complete
926	मधेपुरा	कार्य प्रमंडल-मधेपुरा	मधेपुरा	महेशुआ	(05)	Complete
927	मधेपुरा	कार्य प्रमंडल-मधेपुरा	सिंहेश्वर	गौरीपुर	(06)	Complete
928	मधेपुरा	कार्य प्रमंडल-मधेपुरा	सिंहेश्वर	सुखासन	(07)	Complete
929	मधेपुरा	कार्य प्रमंडल-मधेपुरा	शंकरपुर	गिद्धा	(08)	Complete
930	मधेपुरा	कार्य प्रमंडल-मधेपुरा	कुमारखण्ड	टेंगराहा सिकियाहा	(09)	Complete
931	मधेपुरा	कार्य प्रमंडल-मधेपुरा	कुमारखण्ड	रौता	(10)	Complete
932	मधेपुरा	कार्य प्रमंडल-मधेपुरा	कुमारखण्ड	लक्ष्मीपुरभगवती	(11)	Complete
933	मधेपुरा	कार्य प्रमंडल-मधेपुरा	कुमारखण्ड	बैशाढ़	(12)	Complete
934	मधेपुरा	कार्य प्रमंडल-मधेपुरा	मुरलीगंज	पड़वा नवटोल	(13)	Complete
935	मधेपुरा	कार्य प्रमंडल-मधेपुरा	मुरलीगंज	सिंघियोन	(14)	Complete
936	मधेपुरा	कार्य प्रमंडल-मधेपुरा	मुरलीगंज	जोरगामा	(15)	Complete
937	मधेपुरा	कार्य प्रमंडल-मधेपुरा	बिहारीगंज	शेखपुरा	(16)	Complete
938	मधेपुरा	कार्य प्रमंडल-मधेपुरा	बिहारीगंज	मोहनपुर	(17)	Complete
939	मधेपुरा	कार्य प्रमंडल-मधेपुरा	ग्वालपाड़ा	टेमाभेला	(18)	Complete
940	मधेपुरा	कार्य प्रमंडल-मधेपुरा	ग्वालपाड़ा	पीर नगर, झझरी	(19)	Complete
941	मधेपुरा	कार्य प्रमंडल-मधेपुरा	उदाकिशनगंज	शहजादपुर	(20)	Complete
942	मधेपुरा	कार्य प्रमंडल-मधेपुरा	उदा किशनगंज	रामपुर खोड़ा	(21)	Complete
943	मधेपुरा	कार्य प्रमंडल-मधेपुरा	उदाकिशनगंज	लक्ष्मीपुर	(22)	Complete
944	मधेपुरा	कार्य प्रमंडल-मधेपुरा	पुरैनी	करामा	(23)	Complete
945	मधेपुरा	कार्य प्रमंडल-मधेपुरा	पुरैनी	वंशगोपाल	(24)	Complete
946	मधेपुरा	कार्य प्रमंडल-मधेपुरा	चौसा	रसुलपुर धुरिया	(25)	Complete
947	मधेपुरा	कार्य प्रमंडल-मधेपुरा	चौसा	चौसा पूर्वी	(26)	Complete

(27) Complete

[illegible]	[illegible]	प्रमंडल का नाम	प्रखंड का नाम	[illegible]	[illegible]	भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Complete	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Complete	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	पूर्णिया	[illegible]	[illegible]	Complete	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Complete	
953	पूर्णिया	[illegible]	बायसी	मलहरिया	(33)	Complete	
954	पूर्णिया	[illegible]	बायसी	[illegible]	(34)	Complete	
955	पूर्णिया	[illegible]	अमौर	आमगाछी	(36)	Complete	
956	पूर्णिया	[illegible]	अमौर	झाबारा	(37)	Complete	
957	पूर्णिया	[illegible]	अमौर	तालबाड़ी	(39)	Complete	
958	पूर्णिया	कार्य प्रमंडल-1 पूर्णिया	बैसा	सिरसी	(40)	Complete	
959	पूर्णिया	कार्य प्रमंडल-1 पूर्णिया	बैसा	[illegible]	(41)	Complete	
960	पूर्णिया	कार्य प्रमंडल-1 पूर्णिया	बैसा	[illegible]	(42)	Complete	
961	पूर्णिया	कार्य प्रमंडल-2 बनमनखी	बनमनखी	महाराजगंज	(01)	Complete	
962	पूर्णिया	कार्य प्रमंडल-2 बनमनखी	बनमनखी	धरहरा	(03)	Complete	
963	पूर्णिया	कार्य प्रमंडल-2 बनमनखी	बनमनखी	कचहरी बलुआ	(04)	Complete	
964	पूर्णिया	कार्य प्रमंडल-2 बनमनखी	बीकोठी	गौरीपुर	(06)	Complete	
965	पूर्णिया	कार्य प्रमंडल-2 बनमनखी	भवानीपुर	लाठी-सोनदीहा	(08)	Complete	
966	पूर्णिया	कार्य प्रमंडल-2 बनमनखी	रूपौली	बसंतपुर गढ़ीघाट	(10)	Complete	
967	पूर्णिया	कार्य प्रमंडल-2 बनमनखी	धमदाहा	कुवारी	(14)	Complete	
968	पूर्णिया	कार्य प्रमंडल-2 बनमनखी	धमदाहा	बिशनपुर	(15)	Complete	
969	पूर्णिया	कार्य प्रमंडल-2 बनमनखी	धमदाहा	रूपसपुर खगहा	(16)	Complete	
970	पूर्णिया	कार्य प्रमंडल-2 बनमनखी	धमदाहा	मुगलिया पुरदाहा	(17)	Complete	
971	पूर्णिया	कार्य प्रमंडल-2 बनमनखी	धमदाहा	चम्पावति	(18)	Complete	
972	पूर्णिया	कार्य प्रमंडल-2 बनमनखी	के नगर	कोहबारा	(19)	Complete	
973	पूर्णिया	कार्य प्रमंडल-2 बनमनखी	के नगर	मजरा	(21)	Complete	
974	पूर्णिया	कार्य प्रमंडल-2, बनमनखी	श्रीनगर	गढिया बलवा गढिया	(22)	Complete	
975	पूर्णिया	कार्य प्रमंडल-2, बनमनखी	श्रीनगर	खुटिधुनेली	(23)	Complete	
976	पूर्णिया	कार्य प्रमंडल-2, बनमनखी	कसबा	सझौली	(29)	Complete	
977	पूर्णिया	कार्य प्रमंडल-2 बनमनखी	कसबा	धोइदोर	(30)	Complete	
978	पूर्णिया	कार्य प्रमंडल-2, बनमनखी	जलालगढ	चक	(31)	Complete	
979	पूर्णिया	कार्य प्रमंडल-2 बनमनखी	जलालगढ	एकम्बा	(32)	Complete	
980	कटिहार	कार्य प्रमंडल-1,कटिहार	फलका	हथवारा	(02)	Complete	
981	कटिहार	कार्य प्रमंडल-1,कटिहार	कोढ़ा	बहरखाल	(03)	Complete	
982	कटिहार	कार्य प्रमंडल-1,कटिहार	कोढ़ा	रामपुर	(04)	Complete	
983	कटिहार	कार्य प्रमंडल-1,कटिहार	कोढ़ा	सिमरिया दक्षिण	(05)	Complete	
984	कटिहार	कार्य प्रमंडल-1,कटिहार	हसनगंज	बलुआ	(06)	Complete	
985	कटिहार	कार्य प्रमंडल-1,कटिहार	फलका	सोहथा उत्तरी	(07)	Complete	
986	कटिहार	कार्य प्रमंडल-1,कटिहार	फलका	पोठिया	(08)	Complete	
987	कटिहार	कार्य प्रमंडल-1,कटिहार	समेली	पश्चिमी चांदपुर	(10)	Complete	
988	कटिहार	कार्य प्रमंडल-1, कटिहार	बरारी	लक्ष्मीपुर	(11)	Complete	
989	कटिहार	कार्य प्रमंडल-1,कटिहार	बरारी	दक्षिणी भंडारतल	(12)	Complete	
990	कटिहार	कार्य प्रमंडल-1, कटिहार	मनसाही	मोहनपुर	(18)	Complete	
991	कटिहार	कार्य प्रमंडल-1,कटिहार	बरारी	बकिया सुखाय	(14)	Complete	
992	कटिहार	कार्य प्रमंडल-1,कटिहार	अमदाबाद	जंगलाटाल	(36)	Complete	
993	कटिहार	कार्य प्रमंडल-1,कटिहार	अमदाबाद	चौकिया पहाड़पुर	(37)	Complete	
994	कटिहार	कार्य प्रमंडल-1,कटिहार	मनिहारी	कुमारीपुर	(38)	Complete	
995	कटिहार	कार्य प्रमंडल-1,कटिहार	अमदाबाद	उत्तरी करिमुल्लापुर	(40)	Complete	
996	कटिहार	कार्य प्रमंडल-2, बारसोई	डंडखोरा	महेशपुर	(15)	Complete	
997	कटिहार	कार्य प्रमंडल-2, बारसोई	प्राणपुर	बस्तौल	(16)	Complete	
998	कटिहार	कार्य प्रमंडल-2, बारसोई	प्राणपुर	राहजा	(17)	Complete	
999	कटिहार	कार्य प्रमंडल-2, बारसोई	आजमनगर	आजमनगर	(19)	Complete	
1000	कटिहार	कार्य प्रमंडल-2, बारसोई	आजमनगर	बघौडा	(20)	Complete	
1001	कटिहार	कार्य प्रमंडल-2, बारसोई	आजमनगर	महेशपुर	(21)	Complete	
1002	कटिहार	कार्य प्रमंडल-2, बारसोई	आजमनगर	शीतलपुर	(23)	Complete	
1003	कटिहार	कार्य प्रमंडल-2, बारसोई	बलरामपुर	भिमियाल	(25)	Complete	
1004	कटिहार	कार्य प्रमंडल-2, बारसोई	बारसोई	बिघोरहाट	(27)	Complete	
1005	कटिहार	कार्य प्रमंडल-2, बारसोई	बारसोई	सुल्तानपुर	(28)	Complete	
1006	कटिहार	कार्य प्रमंडल-2, बारसोई	बारसोई	बैलवा	(29)	Complete	
1007	कटिहार	कार्य प्रमंडल-2, बारसोई	बारसोई	चापाखोर	(30)	Complete	

क्र0	जिला का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम (कलस्टर सं0)	कलस्टर सं0	भौतिक प्रगति	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8
100[illegible]	कटिहार	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(31)	[illegible]	
1009	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(33)	Complete	
1010	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(34)	Complete	
1011	कटिहार	[illegible]	कदवा	[illegible]	(35)	Complete	
1012	अररिया	कार्य प्रमंडल-अररिया	[illegible]	[illegible]	(01)	Complete	
1013	अररिया	कार्य प्रमंडल-अररिया	भरगामा	शंकरपुर	(06)	Complete	
1014	अररिया	कार्य प्रमंडल-अररिया	भरगामा	मनुल्लाहपट्टी	(07)	Complete	
1015	अररिया	कार्य प्रमंडल-अररिया	भरगामा	खुटहा बैजनाथपुर	(08)	Complete	
1016	अररिया	कार्य प्रमंडल-अररिया	रानीगंज	बिस्टोरिया	(09)	Complete	
1017	अररिया	कार्य प्रमंडल-अररिया	रानीगंज	बेलसारा	(10)	Complete	
1018	अररिया	कार्य प्रमंडल-अररिया	रानीगंज	पहुँसरा	(12)	Complete	
1019	अररिया	कार्य प्रमंडल-अररिया	रानीगंज	हाँसा	(13)	Complete	
1020	अररिया	कार्य प्रमंडल-अररिया	रानीगंज	[illegible]	(14)	Complete	
1021	अररिया	कार्य प्रमंडल-अररिया	फारबिसगंज	किरकिचिया	(16)	Complete	
1022	अररिया	कार्य प्रमंडल-अररिया	फारबिसगंज	हरिपुर	(17)	Complete	
1023	अररिया	कार्य प्रमंडल-अररिया	फारबिसगंज	औराही पूरब	(18)	Complete	
1024	अररिया	कार्य प्रमंडल-अररिया	फारबिसगंज	ख्वासपुर	(19)	Complete	
1025	अररिया	कार्य प्रमंडल-अररिया	अररिया	साहसमल	(20)	Complete	
1026	अररिया	कार्य प्रमंडल-अररिया	अररिया	रामपुर मोहनपुर (पश्चिम)	(21)	Complete	
1027	अररिया	कार्य प्रमंडल-अररिया	अररिया	अररिया बस्ती	(22)	Complete	
1028	अररिया	कार्य प्रमंडल-अररिया	अररिया	बनगामा	(23)	Complete	
1029	अररिया	कार्य प्रमंडल-अररिया	अररिया	चातर	(24)	Complete	
1030	अररिया	कार्य प्रमंडल-अररिया	जोकीहाट	भगवानपुर	(26)	Complete	
1031	अररिया	कार्य प्रमंडल-अररिया	जोकीहाट	दमहा	(27)	Complete	
1032	अररिया	कार्य प्रमंडल-अररिया	नरपतगंज	अचरा	(02)	Complete	
1033	अररिया	कार्य प्रमंडल-अररिया	पलासी	कनखुदिया	(31)	Complete	
1034	अररिया	कार्य प्रमंडल-अररिया	पलासी	मजलिसपुर	(32)	Complete	
1035	अररिया	कार्य प्रमंडल-अररिया	कुर्साकांटा	कुर्साकांटा	(33)	Complete	
1036	अररिया	कार्य प्रमंडल-अररिया	कुरसाकटा	रहटमीना	(34)	Complete	
1037	अररिया	कार्य प्रमंडल-अररिया	सिक्टी	बोकन्तरी	(36)	Complete	
1038	किशनगंज	कार्य प्रमंडल-किशनगंज	टेढ़ागाछ	कालपीर	(01)	Complete	
1039	किशनगंज	कार्य प्रमंडल-किशनगंज	टेढ़ागाछ	चिल्हनियाँ	(02)	Complete	
1040	किशनगंज	कार्य प्रमंडल-किशनगंज	कोचाधामन	बिशनुपर	(03)	Complete	
1041	किशनगंज	कार्य प्रमंडल-किशनगंज	कोचाधामन	मौधो	(04)	Complete	
1042	किशनगंज	कार्य प्रमंडल-किशनगंज	कोचाधामन	हिम्मतनगर	(05)	Complete	
1043	किशनगंज	कार्य प्रमंडल-किशनगंज	कोचाधामन	पटकोईकला	(06)	Complete	
1044	किशनगंज	कार्य प्रमंडल-किशनगंज	बहादुरगंज	दैशियाटोला	(07)	Complete	
1045	किशनगंज	कार्य प्रमंडल-किशनगंज	बहादुरगंज	डोहर	(08)	Complete	
1046	किशनगंज	कार्य प्रमंडल-किशनगंज	बहादुरगंज	महेशबथना	(09)	Complete	
1047	किशनगंज	कार्य प्रमंडल-किशनगंज	दिघलबैंक	तुलसिया	(10)	Complete	
1048	किशनगंज	कार्य प्रमंडल-किशनगंज	दिघलबैंक	सिंघीमारी	(11)	Complete	
1049	किशनगंज	कार्य प्रमंडल-किशनगंज	दिघलबैंक	मुंगरा	(12)	Complete	
1050	किशनगंज	कार्य प्रमंडल-किशनगंज	ठाकुरगंज	तातपौआ	(13)	Complete	
1051	किशनगंज	कार्य प्रमंडल-किशनगंज	ठाकुरगंज	बरचौन्दी	(14)	Complete	
1052	किशनगंज	कार्य प्रमंडल-किशनगंज	ठाकुरगंज	पटेसरी	(15)	Complete	
1053	किशनगंज	कार्य प्रमंडल-किशनगंज	ठाकुरगंज	बेसरबाटी	(16)	Complete	
1054	किशनगंज	कार्य प्रमंडल-किशनगंज	पोठिया	मिर्जापुर	(17)	Complete	
1055	किशनगंज	कार्य प्रमंडल-किशनगंज	पोठिया	बुधरा	(18)	Complete	
1056	किशनगंज	कार्य प्रमंडल-किशनगंज	पोठिया	पहाड़कट्टा	(19)	Complete	
1057	किशनगंज	कार्य प्रमंडल-किशनगंज	किशनगंज	हालामाला	(20)	Complete	
1058	किशनगंज	कार्य प्रमंडल-किशनगंज	किशनगंज	चकला	(21)	Complete	

29/3

(ई0 कृष्ण चन्द्र मिश्रा)
मुख्य अभियंता।

29.03.19

Mail

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 17– सरकारी भूमि अनुरक्षण कोषांग – 95 / 2019...1315

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
सीतामढ़ी, बांका, नालंदा, शिवहर, शेखपुरा,
अरवल, जमुई, जहानाबाद, मुगेंर, सुपौल,
किशनगंज, लखीसराय, बेगूसराय एवं पश्चिमी चंपारण।

पटना, दिनांक :–05-08-19

प्रसंग :– 17– सरकारी भूमि अनुरक्षण कोषांग – 95 / 2019 – 716 दिनांक– 08.05.2019

विषय :– सरकारी / लोक भूमि की सूची तैयार करने एवं विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, को विशेष सर्वेक्षण शिविर में उपलब्ध करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 एवं नियमावली, 2012 के आलोक में विशेष सर्वेक्षण कार्य उपर्युक्त जिले में से नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, सुपौल, किशनगंज, लखीसराय एवं बेगुसराय में प्रारंभ है। शेष जिलों में सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य माह अक्टूबर – नवंबर, 2019 से प्रस्तावित है।

उक्त सर्वेक्षण बंदोबस्ती के क्रम में सरकारी / लोक भूमि के संरक्षण हेतु यह आवश्यक है कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण शिविर को उक्त भूमि की विवरणी उपलब्ध रहे ताकि खानापुरी एवं प्रारूप प्रकाशन के समय से ही सरकारी भूमि की पहचान सुनिश्चित रह सके।

राजस्व विभागीय विभिन्न पत्रों द्वारा सरकारी / लोक भूमि के संरक्षण एवं अतिक्रमण मुक्त करने हेतु निदेश दिये गये है। साथ ही सरकारी भूमि की विवरणी जिला, अनुमंडल, अंचल एवं हल्कावार पंजी में संधारित रखने के संबंध में भी पूर्व में निदेश निर्गत किये गये हैं।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि – (1) सरकारी / लोक भूमि यथा गैरमजरूआ आम (अनाबाद सर्वसाधारण), गैरमजरूआ मालिक / खास (अनाबाद बिहार सरकार) खासमहल, भू–दान में अर्जित भूमि, भू–हदबंदी अधिनियम अंतर्गत अर्जित भूमि, कैसरेहिन्द, विभिन्न सरकारी विभागों की भूमि, केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की भूमि, बोर्ड, निगमों एवं उपक्रमों की भूमि, पंचायती राज एवं नगर निकायों की भूमि, नहर, पाईन, वन एवं सैरात की भूमि सहित अन्य सभी सरकारी भूमि की सूची अबिलम्ब तैयार कर ली जाय।

(2) अपने क्षेत्र अंतर्गत सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित किया जाय कि उनके अंचल अंतर्गत प्रारंभ होने वाले विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण शिविर को सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ होने के साथ ही सरकारी / लोक भूमि की सूची उपलब्ध करा दें एवं इस आशय का प्रमाण पत्र भी अंचलाधिकारियों के स्तर से प्राप्त कर ली जाय कि सभी सरकारी / लोक भूमि की सूची उपलब्ध करा दी गई है तथा उसके अतिरिक्त कोई सरकारी भूमि उनके क्षेत्र अंतर्गत नहीं है।

(3) इस संबंध में यह भी आवश्यक है कि अपने क्षेत्र अतंर्गत सभी सरकारी विभागों/उपक्रमों तथा बोर्डो – निगमों के पदाधिकारियों को आपके स्तर से निदेशित किया जाय कि वे अपने स्तर से भी भूमि की सूची विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सूनिश्चित करेंगे ताकि सरकार का हित अक्षुण्ण रखा जा सके।

अतएव उपर्युक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

प्रधान सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 17–तक0को0–312 / 2018 ....1600........... **पटना, दिनांक :–**..20-09-2019

आदेश

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के आदेश संख्या–17–तक0को0– 312 / 2018– 712 दिनांक–07.05.2019 द्वारा खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णियां, कटिहार एवं अररिया जिले में चल रहे विशेष भू–सर्वेक्षण के कार्यों को स्थगित करते हुए, अधिसूचित तकनीकी मार्गदर्शिका के आधार पर बिहार राज्य के 14 जिलों नालंदा, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, सुपौल, किशनगंज, बांका, सीतामढ़ी, पश्चिम चम्पारण, जमुई, जहानाबाद, अरवल, शिवहर एवं शेखपुरा में विशेष सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किए जाने का आदेश निर्गत किया गया था।

बिहार राज्य में भू–सर्वेक्षण के कार्यो में उच्च स्तर पर समीक्षा पश्चात् निर्णय लिया गया है कि:–

(क) बिहार राज्य के 20 जिलों नालंदा, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, सुपौल, किशनगंज, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णियां, कटिहार, शिवहर, बांका, अरवल, जमुई, जहानाबाद, सीतामढ़ी, पश्चिम चम्पारण, अररिया एवं शेखपुरा जिलों में वर्ष– 2019–2020 में प्राथमिकता के आधार पर विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रथम चरण में प्रारंभ किया जाएगा।

(ख) बिहार राज्य के 18 जिलों यथा– मुजफ्फरपुर, वैशाली, गया, औरंगाबाद, कैमुर, रोहतास, गोपालगंज, समस्तीपुर, दरभंगा, भोजपुर, बक्सर, पटना, मधुबनी, नवादा, छपरा, भागलपुर, सीवान एवं पूर्वी चम्पारण हेतु विशेष भू–सर्वेक्षण संबंधी अधिसूचना के क्रम में तत्काल कार्यबल के अभाव में सर्वेक्षण कार्य को स्थगित रखा जाएगा। इन जिलों में कार्यबल के स्थिति के अनुरूप विशेष सर्वेक्षण का कार्य अगले चरणों में किया जाएगा।

उपरोक्त पर माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त।

इस हद तक भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के आदेश संख्या– 712 दिनांक– 07.05.2019 एवं 1366 दिनांक– 14.08.2019 को संशोधित समझा जाए।

(जय सिंह)
निदेशक 18/9/19
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 17–तक0को0–312 / 2018 ....1600........... पटना, दिनांक :–..20-09-2019
प्रतिलिपि :– सभी समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,

ज्ञापांक :– 17–तक0को0–312 / 2018 ....1600........... पटना, दिनांक :–..20-09-2019
प्रतिलिपि :– उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,

ज्ञापांक :– 17–तक0को0–312 / 2018 ....1600........... पटना, दिनांक :–..20-09-2019
प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 18/9/19
भू–अभिलेख एवं परिमाप,

D:\Sanjeev-2019\Prakash Mohan\Order\order_18.09.2019_order final.doc

Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या – 17–नि0 (सर्वेक्षण)–विविध मार्गदर्शन–133/2015–1721

प्रेषक

श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र भा0प्र0से0
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

The Project Manager
(i) IL & FS, New Delhi
(ii) IIC Technology Ltd. Hyderabad
(iii) GIS Consortium Udra Pvt. Ltd. New Delhi

पटना, दिनांक – 17/11/2017

विषय – त्रि–सीमाना पीलर की संरचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के तहत् किए जाने वाले सर्वेक्षण कार्य हेतु त्रि–सीमाना स्थापित करने के लिए, पीलर की संरचना (Design) की स्वीकृति का अनुरोध आई0आई0सी0, टेक्नलॉजी, हैदराबाद द्वारा किया गया है।

उक्त के आलोक में दिनांक–04.10.2017 को Video Conferecing के माध्यम से आयोजित साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में त्रि–सीमाना के डिजाईन की स्वीकृति अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रदान की गई है।

त्रि–सीमाना पीलर की संरचना (Design) की स्वीकृति प्रति उपलब्ध कराया जा रहा है (पीलर संरचना की छायाप्रति संलग्न)।

निदेश है कि ग्रामवार त्रि–सीमाना स्थापित कर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर में साप्ताहिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। उक्त प्रतिवेदन में निम्नांकित बिन्दु सम्मिलित होनी चाहिए –

(i) विहित संरचना में मोन्यूमेंटेशन स्थापित करने से संबंधित।
(ii) तत्संगत तीन A.C.P की पहचान से संबंधित।
(iii) तीनों टाईलाईन का E.T.S measurment से संबंधित।
(iv) ग्राम का त्रि–सीमाना और त्रि–सीमाने के संगत टाईलाईन को दर्शाते हुए Image Crop कर अपलोड करने से संबंधित।
(v) त्रि–सीमाना / A.C.P Co-ordinates की D.G.P.S reading एवं M.S.L से स्थल की ऊँचाई से संबंधित।
(vi) त्रि–सीमाना / A.C.P. के कोड से संबंधित।
(vii) D.G.P.S द्वारा त्रि–सीमाना Co-ordinates reading और ऑर्थो पर के तत्संगत इमेज प्वाइंट का कॉर्डिनेट रिडिंग समान या सपाती होने से संबंधित।

विश्वासभाजन
ह0/ 17/11/17
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

Tri Junction Pillar

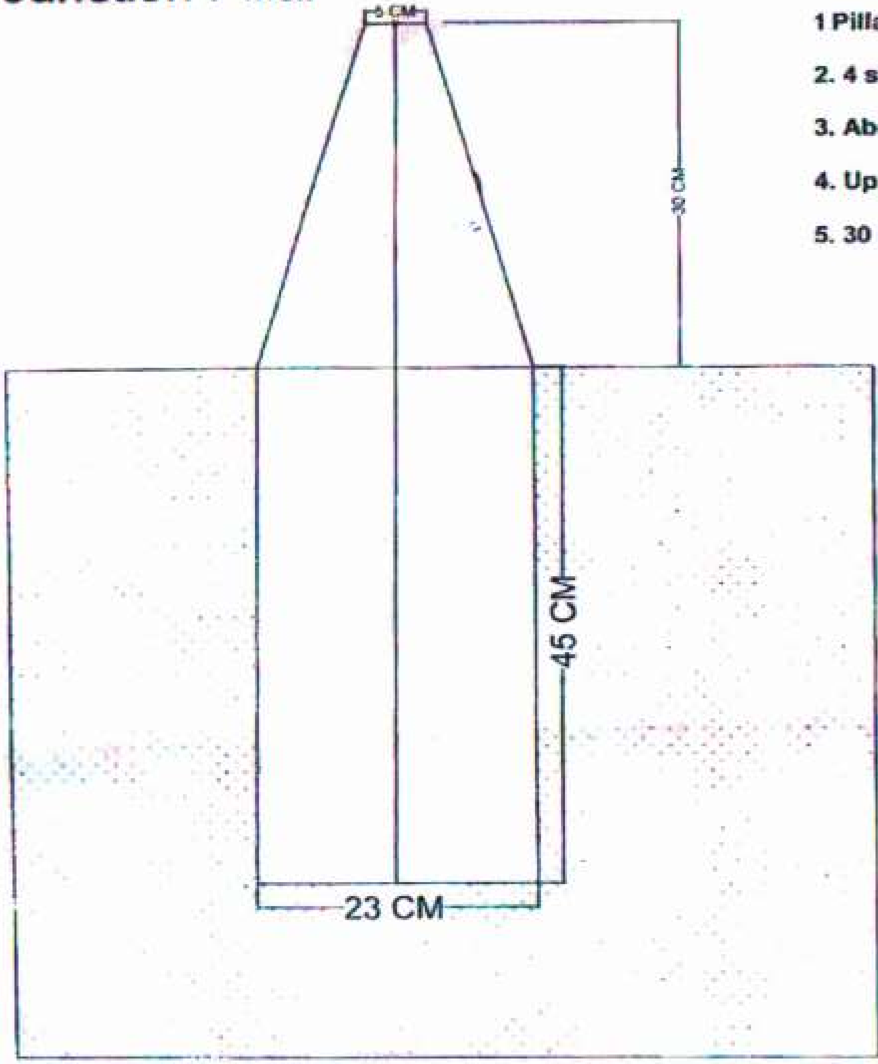

Note :-

1 Pillar Size 23cm * 23cm*75cm

2. 4 sides & middle Iron 8mm Rods with Rings

3. Above 30 CM shape should be in pyramid style

4. Up to 45 Cm under ground

5. 30 Cm above the Ground

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 17 –वि0 सर्वेक्षण (नोडल पदा0) – 101/2019 ....408.....

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
पटना, अररिया, अरवल, कटिहार , किशनगंज, खगड़िया
जमुई, जहानाबाद, नालंदा, प0 चम्पारण, पूर्णियाँ,
बांका, बेगूसराय, मधेपुरा, मुंगेर, लखीसराय,
शिवहर, शेखपुरा, सहरसा, सीतामढ़ी एवं सुपौल।

पटना, दिनांक :–28-02-2020

विषय :– विशेष सर्वेक्षण के संदर्भ में विस्तृत कार्य–योजना एवं समेकित निदेश।
प्रसंग :– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का पत्रांक– 915 दिनांक– 11.06.2019

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा पूर्व में विशेष सर्वेक्षण के संबंध में कार्य–योजना तथा अग्रेतर कार्रवाई के संदर्भ में निदेश दिए गए थे। उल्लेखनीय है कि वर्त्तमान में दो चरणों में भू–सर्वेक्षण कार्य कराये जाने की योजना है, जिसमें आपके जिले को भी प्रथम चरण के लिए चयनित किया गया है। इस संदर्भ में प्रमंडलीय स्तर पर कतिपय जिलों के भू–सर्वेक्षण कार्य किए जाने के संबंध में प्रारंभिक रूप से अवगत कराया गया है। भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के ज्ञापांक–1600 दिनांक– 20.09.2019 द्वारा आपके जिलों में प्रथम चरण में भू–सर्वेक्षण का कार्य कराया जाने संबंधी आदेश पूर्व से संसूचित है।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम एवं नियमावली के अधीन संपूर्ण बिहार में आधुनिक तकनीकों के आधार पर सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। यह तकनीक संकर हाईब्रिड पद्धति, स्थल सत्यापन, ई0टी0एस0/डी0जी0पी0एस0, एवं आवश्यकतानुसार पुराने पद्धति के उपयोग पर आधारित है। विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रावैधिकी की सहायता से डिजिटाईज्ड ऑनलाईन अधिकार–अभिलेखों एवं मानचित्रों का संधारण तथा संरक्षण एवं अद्यतीकरण की प्रक्रिया की निरंतरता को बनाए रखना है। इस संदर्भ में ''भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर'' में सर्वेक्षण से संबंधित सभी डाटा को संधारित किया जाएगा ताकि कम्प्यूटर जनित एवं संधारित डाटा एवं अभिलेख भविष्य की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति में भी सहायक होंगे।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम एवं नियमावली के अधीन कार्य करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त कार्मिक की आवश्यकता को देखते हुए और तकनीकी प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए पदाधिकारियों एवं कर्मियों के नियोजन एवं उनके प्रशिक्षण पश्चात अंचलों में इन्हें सर्वेक्षण शिविरों में प्रतिनियुक्त/पदस्थापित करते हुए, बंदोबस्त पदाधिकारी–सह–समाहर्त्ता के अधीन जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की कार्रवाई किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि नियोजन की कार्रवाई अब अपने अंतिम चरण में है।

पूर्व में 6 जिलों यथा– खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णियाँ, कटिहार एवं अररिया में पूर्व से चल रहे सर्वेक्षण कार्य को तत्काल स्थगित करते हुए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय) के पत्रांक संख्या– 828 दिनांक–30.05.2019 द्वारा निदेशित किया गया है कि जिन जिलों में वर्त्तमान में भू–सर्वेक्षण की कार्रवाई को तत्काल स्थगित करने का निर्णय लिया

गया है, उन जिलों में वहां हुए सर्वेक्षण से संबंधित कागजातों एवं अभिलेखों को भविष्य में कार्य की सुगमता हेतु संरक्षित रखा जाए। आशा है कि इन जिलों में निदेश अनुरूप कागजातों एवं अभिलेखों को संरक्षित रख लिया गया होगा।

1. **<u>तकनीकी मार्गदर्शिका :–</u>** बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम एवं नियमावली के अधीन कार्य करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त कार्मिक की आवश्यकता एवं तदनुसार तकनीकी प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए पदाधिकारियों एवं कर्मियों के नियोजन एवं उनके प्रशिक्षण पश्चात अंचलों में इन्हें सर्वेक्षण शिविरों में प्रतिनियुक्त/पदस्थापित करते हुए, बंदोबस्त पदाधिकारी–सह–समाहर्त्ता के अधीन जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की कार्रवाई किया जाएगा। विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम एवं नियमावली के अधीन कार्य करने हेतु अधिनियम की धारा–25 एवं नियमावली के अध्याय– xi के अनुपालन में तकनीकी मार्गदर्शिका भी बिहार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या– 8/नियम संशोधन (सर्वे)–08–02/2012(खंड)– 165 (8)/रा0, पटना–15, दिनांक– 15.03.2019 को अधिसूचित कर दी गई है। तकनीकी मार्गदर्शिका की सॉफ्ट कॉपी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करते हुए बिहार राज्य के सभी समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी को ई–मेल द्वारा भेज दिया गया है। तकनीकी मार्गदर्शिका के पूरक के रूप में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त निदेश समय–समय पर उपलब्ध करा दिया जाएगा।

2. **<u>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से नोडल पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्तिः</u>** – राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय) के आदेश संख्या– 687 दिनांक– 30.04.2019 द्वारा पूर्व में 14 जिलों के लिए अलग–अलग नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया था एवं सभी संबंधित जिलों के समाहर्त्ता को इसकी सूचना दी गई थी। पुनः आपके जिलों में चल रहे सर्वेक्षण कार्य की निगरानी हेतु राज्य मुख्यालय स्तर से नोडल पदाधिकारियों को पुनः प्रतिनियुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इन नोडल पदाधिकारियों द्वारा संबंधित जिलों का परिभ्रमण कर विशेष सर्वेक्षण के कार्यों का अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं समीक्षा की जाएगी। आवश्यकतानुसार जिला स्तर से अपने जिले के लिए प्राधिकृत नोडल पदाधिकारी से संपर्क कर विशेष सर्वेक्षण से संबंधित कार्यों में सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

3. <u>नियोजनः</u>–

(क) नियोजन की रूप–रेखाः– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम को वित्तीय वर्ष–2018–19 से 2021–22 तक संपूर्ण बिहार में सफलतापूर्वक हवाई फोटोग्राफी एवं जमीनी सत्यापन की मिश्रित तकनीक एवं आधुनिक उपकरणों की सहायता से संपन्न करने हेतु संविदा आधारित विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (असैनिक अभियंत्रण में स्नातक) के 275, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा) के 550, विशेष सर्वेक्षण अमीन (सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा) के 4950, अमीन (अमानत डिग्रीधारी) के 550 एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक (स्नातक) के 550 संविदा आधारित पदों पर नियोजन की कार्रवाई की गई है।

(ख) चयनित पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र एवं अनुबंधः– नियोजन की प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात् अंतिम रूप से चयनित पदाधिकारियों/कर्मियों को ऑनलाईन नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा। नियोजित पदाधिकारियों/कर्मियों के नियोजन पश्चात् अनुबंध की कार्रवाई की जाएगी।

विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी एवं विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के साथ अनुबंध राज्य मुख्यालय स्तर पर विधिवत् संपन्न की जाएगी।

विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं संविदा अमीन तथा विशेष सर्वेक्षण लिपिक के साथ अनुबंध की कार्रवाई हेतु सभी आवश्यक कागजात संबंधित जिले जहाँ इन्हें पदस्थापित किया जाएगा उन्हें भेजने की कार्रवाई की जाएगी।

(ग) चयनित पदाधिकारियों/कर्मियों का योगदानः— अंतिम रूप से चयनित पदाधिकारियों/कर्मियों को राज्य मुख्यालय में योगदान दिलाया जाएगा।

नियोजित पदाधिकारियों/कर्मियों को राज्य मुख्यालय स्तर पर योगदान पश्चात् विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं कानूनगो का प्रशिक्षण पश्चात् जिलों में पदस्थापन किया जाएगा एवं उनके द्वारा बंदोबस्त कार्यालय में योगदान दिया जाएगा। विशेष सर्वेक्षण लिपिक एवं अमीनों को राज्य मुख्यालय स्तर पर योगदान पश्चात् प्रशिक्षण हेतु संबंधित जिलों में पदस्थापित करने की कार्रवाई की जाएगी एवं इन कर्मियों द्वारा जिला में योगदान पश्चात् इनके प्रशिक्षण की कार्रवाई जिला स्तर पर होगी। सभी चयनित पदाधिकारी एवं कर्मी का आवश्यक प्रमाण पत्र एवं कागजात की हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी संबंधित जिलों को उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी। जिला स्तर पर भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के स्तर से भेजे गए कागजातों से सत्यापन पश्चात् इन नियोजित पदाधिकारियों/कर्मियों का योगदान उन जिलों में लिया जाएगा। इस प्रक्रिया में संबंधित जिलें के अपर समाहर्त्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त एवं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) द्वारा ससमय सभी कार्य पूर्व से पूर्ण कर रखा जाएगा ताकि बड़ी संख्या में प्रशिक्षण एवं उसके उपरांत सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने वाले इन पदाधिकारियों/कर्मियों के योगदान, प्रशिक्षण एवं तत्पश्चात अग्रेतर कार्रवाई में किसी प्रकार व्यवधान न हो और सारी प्रक्रिया नियम सम्मत् तरीके से संपन्न हो सके।

(घ) नियोजित पदाधिकारी/कर्मी का आई0डी0 (Unique ID) एवं पहचान पत्र — नवनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों का यूनिक आई0डी0 (Unique ID) राज्य मुख्यालय स्तर से कम्प्यूटर जनित होगा। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन, संविदा अमीन एवं लिपिक को कम्प्यूटर जनित पहचान पत्र निर्गत किया जाएगा।

4. <u>प्रशिक्षणः</u>— (i) संविदा पर नियोजित उक्त पदाधिकारियों/कर्मियों को विस्तृत प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। प्रशिक्षण देने हेतु मास्टर ट्रेनरों का चयन करने की कार्रवाई कर ली गई है, जिन्हें आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया जाएगा। जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर के रूप में जिलों के अपर समाहर्त्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जिलों के सूचना विज्ञान पदाधिकारी (एन0आई0सी0), बंदोबस्त कार्यालय के सहायक बंदोबस्त/चकबंदी पदाधिकारियों एवं कानूनगो तथा सर्वे के अनुभवी अंचलाधिकारियों एवं सभी 20 जिलों के आई0टी0 मैनेजर को प्रशिक्षित किया जाना है, जिसमें से 14 जिलों के सहायक बंदोबस्त/चकबंदी पदाधिकारियों, कानूनगो एवं अंचलाधिकारियों को प्रशिक्षण देने की कार्रवाई कर ली गई है। पुनः आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देने की कार्रवाई की जा रही है।

राज्य मुख्यालय स्तर पर विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों एवं कानूनगो को प्रशिक्षण दिए जाने की योजना है। अन्य पदाधिकारियों/कर्मियों यथा– विशेष सर्वेक्षण अमीनों/अमीनों एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक को जिला मुख्यालय स्तर पर समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी के नियंत्रणाधीन प्रशिक्षण दिया जाएगा। **जिला स्तर पर प्रशिक्षण के संपूर्ण प्रभार में अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त होंगे।**

(ii) प्रशिक्षण सामग्री:– सभी प्रशिक्षणार्थियों को निम्न सामग्री प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध कराया जाएगा– 1. बैग 2. प्रशिक्षण मैन्युअल 3. तकनीकी मार्गदर्शिका 4. एक पेन 5. एक नोट पैड।

सभी प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के दौरान अपना लैपटॉप और स्मार्ट फोन नियोजन विज्ञापन के शर्त्तों के अनुरूप साथ लायेंगे।

प्रशिक्षण सामग्रियों में प्रशिक्षण मैन्युअल एवं तकनीकी मार्गदर्शिका सभी जिला को भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के स्तर से उपलब्ध करा दिया जाएगा। शेष सामग्रियों की आपूर्ति जिला स्तर से उन्हें आवंटित राशि से उपलब्ध कराया जाएगा।

(iii) जिला स्तरीय प्रशिक्षण (विशेष सर्वेक्षण अमीन/अमीन):–

(क) संविदा पर नियोजित विशेष सर्वेक्षण अमीनों (सिविल अभियंत्रण डिप्लोमाधारी) एवं अमीनों (अमानत प्रमाण–पत्र धारी) को जिला स्तर पर जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर एवं आवश्यकतानुसार राज्य मुख्यालय से प्रतिनियुक्त मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(ख) इन अमीनों को एक माह का प्रशिक्षण (स्थलीय/व्यवहारिक प्रशिक्षण सहित) दिया जाएगा, जिसमें बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम एवं नियमावली, बिहार काश्तकारी अधिनियम, बिहार भूमि सुधार अधिनियम, भू–हदबन्दी अधिनियम, हवाई फोटोग्राफी, किस्तवार, मानचित्र निर्माण, ऑर्थो फोटोग्राफ, ई0टी0एस0/डी0जी0पी0एस0, भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर, सर्वेक्षण संबंधी प्रपत्रों को भरने की विधि आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(ग) जिला स्तर पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिये जाने के दौरान शिविर एक–एक राजस्व ग्राम में 4–5 शिविर के लिए आवश्यक पदाधिकारियों/कर्मियों को मिलाकर अलग–अलग गाँवों में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। व्यावहारिक प्रशिक्षण के क्रम में सर्वेक्षण के लिए उपयोगी कार्यालयों यथा अंचल कार्यालय, अभिलेखागार इत्यादि का भ्रमण कार्यक्रम भी शामिल होगा। व्यावहारिक प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनरों के अतिरिक्त अनुभवी अमीनों तथा हवाई सर्वेक्षण एजेन्सी के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा।

(घ) जिला सूचना विज्ञान केन्द्र के पदाधिकारियों द्वारा भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर एवं अन्य कम्प्यूटर जनित प्रतिवेदनों को भेजे जाने के संबंध में आवश्यक जानकारी तथा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(ङ) व्यवहारिक एवं स्थलीय प्रशिक्षण के दौरान इन्हें आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री यथा– E.T.S Guidelines, विशेष सर्वेक्षण अमीन को क्षेत्र में कार्य करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। ई0 टी0 एस0 एवं डी0 जी0 पी0 एस0–आवश्यकता अनुसार एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(च) व्यवहारिक एवं स्थलीय प्रशिक्षण जिला स्तर पर अमीनों के साथ विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो एवं कार्यपालक सहायक को दिया जाएगा। व्यवहारिक एवं स्थलीय प्रशिक्षण हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के द्वारा नामित विशेषज्ञों द्वारा भी दिया जाएगा।

(iv) जिला स्तर पर चलाये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूप–रेखा :– जिला मुख्यालय स्तर पर विशेष सर्वेक्षण अमीनों/अमीनों को प्रशिक्षण दिए जाने की योजना है। इस हेतु आपके जिले में अमीनों को पदस्थापित करते हुए प्रशिक्षण हॉल आदि के संदर्भ में निम्न प्रकार से निर्णय लिया गया है:–

क्र0 सं0	जिला का नाम	कुल अंचलों की संख्या	कुल शिविरों की संख्या	प्रशिक्षु अमीनों की संख्या	प्रशिक्षण केन्द्र पर हॉल की संख्या (प्रति हॉल अधिकतम 100 प्रशिक्षणार्थी)
1	2	3	4	7	8
1	अररिया	9	10	200	2
2	अरवल	5	6	120	2
3	कटिहार	16	17	340	4
4	किशनगंज	7	8	160	2
5	खगड़िया	7	9	180	2
6	जमुई	10	20	400	4
7	जहानाबाद	7	8	160	2
8	नालंदा	20	22	440	5
9	प0 चम्पारण	18	20	400	4
10	पूर्णियाँ	14	23	460	5
11	बांका	11	20	400	4
12	बेगूसराय	18	23	460	5
13	मधेपुरा	13	14	280	3
14	मुंगेर	9	11	220	3
15	लखीसराय	7	9	180	2
16	शिवहर	5	6	120	2
17	शेखपुरा	6	7	140	2
18	सहरसा	10	11	220	3
19	सीतामढ़ी	17	19	380	4
20	सुपौल	11	12	240	3
	कुल योग	**220**	**275**	**5500**	**63**

प्रशिक्षणार्थियों के आवासन की व्यवस्था स्वंय उनके द्वारा की जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान दिन में प्रशिक्षणार्थियों को भोजन, चाय एवं पेयजल की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी, इस संबंध आवंटन देने की कार्रवाई की जा रही है।

(iii) विशेष सर्वेक्षण लिपिकों का प्रशिक्षण:– अंतिम रूप से चयनित विशेष सर्वेक्षण लिपिकों को जिलावार पदस्थापित करने के पश्चात् ये लिपिक संबंधित जिलें में योगदान करेंगे। इन लिपिकों के प्रशिक्षण हेतु इन्हें संबंधित अंचल जिसके शिविर में इन्हें कार्य करना है उक्त अंचल में कार्यालय एवं वित्तीय प्रबंधन का प्रशिक्षण संबंधित अंचलाधिकारी के देख–रेख में अंचल कार्यालय के प्रधान सहायक, नाजीर आदि के द्वारा दिया जाएगा। इन्हें प्रशिक्षण के दौरान रोकड़ पंजी संधारण एवं संचिका/अभिलेख लेखन का प्रशिक्षण वृहद रूप से दिया जाना है।

संबंधित जिले के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) द्वारा इन लिपिकों को सर्वेक्षण से संबंधित अभिलेखों के लेखन हेतु एवं सर्वेक्षण प्रक्रिया के संबंध में विशेष रूप से प्रशिक्षण दिलाना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित जिलें के समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी इस संबंध में यथोचित कार्रवाई करेंगे।

5. विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी/कानूनगो/अमीन/संविदा अमीन को उपलब्ध कराए जाने वाले सामग्रीः–

(क) प्रशिक्षण के दौरान इन पदाधिकारियों/कर्मियों को उपकरण आदि का समतुल्य राशि जिला स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि उनके द्वारा क्रय किए गए अभिश्रव के समायोजन पश्चात उन्हें भुगतान होगा। उपलब्ध कराए जाने वाले सामग्री एवं उसका दर निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया हैः–

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी/कानूनगो को दी जाने वाली सामग्री :–

क्र0सं0	सामग्री का नाम	मूल्य (अनुमानित)
1	मापने का टेप	350
2	गुनिया	20
3	प्लौटिंग स्केल	40
4	स्केल 30 से0मी0	15
5	कैलकुलेटर	225

अमीन को दिये जाने वाले साम्रगी एवं मूल्य (अनुमानित)

क्र0सं0	साम्रगी का नाम	मूल्य (अनुमानित)
1	मापने का टेप	350
2	गुनिया	20
3	प्लौटिंग स्केल	40
4	डिवाइडर ब्रास	70
5	तख्ती तिपाई	3600
6	स्केल 30 से0मी0	15
7	सूजा	40
8	कैलकुलेटर	225
9	मैप कंटेनर/कवर	200

(ख) प्रति शिविर उपस्कर :– प्रति शिविर उपस्करों के क्रय हेतु प्रत्येक जिला को राशि उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त शिविर का कार्य समाप्ति के पश्चात उक्त शिविर के प्रभारी विशेष सर्वेक्षण पदाधिकारी जब दूसरे शिविर में कार्य हेतु अपने दल के साथ जाऐंगे तो नए प्रारंभ होने शिविर में इन उपस्करों के साथ जाऐंगे। प्रति शिविर सामग्रियों की सूची एवं अनुमानित दर निम्न प्रकार के हैः–

1. 4 लकडी का टेबल– 4 X 3,000= 12,000/–
2. 4 लकडी का कुर्सी– 4 X 1,500= 6,000/–
3. 30 प्लास्टिक कुर्सी– 30 X 1,000= 30,000/–
4. 5 बक्सा– 5 X 2,000= 10,000/–
5. 1 तख्ती तिपाई– 1 X 3,850= 3,850/–
6. 3 कैलकुलेटर– 3 X 225= 675/–
7. 1 चैन (जरीब)– 1 X 2,000 = 2,000/–
8. विविध सामग्री के लिए– 5,000 = 5,000/–

कुल– 69,525,00 रूपये (उनत्तर हजार पाँच सौ पच्चीस रूपये)

(ग) अमीनों को मानचित्र उपलब्ध कराना :– अमीनों को जिन मौजों के सर्वेक्षण कार्य के लिए वे प्राधिकृत होंगे, उन मौजों का कैडेस्ट्रल सर्वे मानचित्र/मान्य रिविजनल मानचित्र/मान्य चकबंदी मानचित्र उन्हें जिला स्तर से संबंधित शिविर में उनके योगदान के समय उपलब्ध करा दिया जाएगा। सभी अमीन उपलब्ध कराए गए मानचित्र एवं अन्य आवश्यक मानचित्र एक राजस्व मौजे का एक मैप कंटेनर/कवर में रखेंगे।

6. **विशेष सर्वेक्षण हेतु आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता एवं अंचल कार्यालय का सहयोग :–** विशेष सर्वेक्षण हेतु अंचलवार शिविरों में जिला स्तर से सरकारी भूमि की पंजी, सरकारी भूमि/भू–हदबंदी के भूमि के बंदोबस्ती की पंजी, वासगीत पर्चा की पंजी, सैरातों की पंजी आदि की छायाप्रति संबंधित शिविर प्रभारी को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। साथ ही संबंधित अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारियों के स्तर से विशेष सर्वेक्षण शिविर के कार्य में सतत् सहयोग प्रदान किया जाएगा।

अधिसूचित तकनीकी मार्गदर्शिका में सर्वेक्षण शिविर को अंचल कार्यालय एवं अंचलाधिकारी के स्तर से उपलब्ध कराए जाने वाले अभिलेख आदि एवं अन्य अपेक्षित सहयोग तथा शिविर से सतत् संपर्क के संदर्भ में सभी निदेश उल्लेखित कर दिए गए है।

7. **सरकारी भूमि के अनुरक्षण हेतु नोडल पदाधिकारी का चयन :–** भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक–716 दिनांक–08.05.2019 के द्वारा सरकारी/लोक भूमि की सूची तैयार करने एवं विशेष सर्वेक्षण शिविर के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। उक्त पत्र में यह भी उल्लेखित किया गया था कि संबंधित जिला पदाधिकारी अपने क्षेत्र अंतर्गत सभी सरकारी विभागों/उपक्रमों/बोर्डो के पदाधिकारियों को निदेशित करेंगे कि वे अपने स्तर से अपने क्षेत्राधिकार की सरकारी भूमि की सूची तैयार कर संबंधित विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। इस क्रम में निदेश है कि सभी जिला पदाधिकारी सरकारी भूमि के संरक्षण हेतु जिले में पदस्थापित सभी सरकारी विभागों/उपक्रमों/बोर्डो के पदाधिकारियों में से प्रत्येक विभाग हेतु अलग–अलग किसी पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में घोषित करेंगे, जो विशेष सर्वेक्षण शिविर के सतत संपर्क में रह कर सरकार का हित अक्षुण्ण रखेंगे। साथ ही वक्फ के भूमि के संरक्षण हेतु भी जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया जाना अपेक्षित है, इस संबंध में अलग से भी निदेश निर्गत किए जा रहे है।

8. **अनुपलब्ध नक्शा (Missing Map) को उपलब्ध कराया जाना :–** भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–797 दिनांक–23.05.2019 के द्वारा सभी संबंधित जिलों को सूचित किया गया है कि नक्शों के डिजिटाईजेशन हेतु कुछ मौजों के नक्शे अनुपलब्ध है और उक्त अनुपलब्ध नक्शों की सूची पत्र के साथ संलग्न कर अनुरोध किया गया है कि जिलों के मानचित्र–भंडार, अंचलों के मानचित्र–भंडार से अथवा स्थानीय तौर पर खोज पश्चात संलग्न सूची में वर्णित मौजों के कुल चादरों की संख्या की सूचना के साथ सूची में वर्णित चादर संख्या के अतिरिक्त यदि अन्य चादर भी हों तो वैसे विधिमान्य मानचित्रों को प्राप्त कर अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। इस आलोक में निदेश है कि अनुपलब्ध नक्शा उपलब्ध कराने हेतु यथोचित कार्रवाई की जाय। बंदोबस्त पदाधिकारी अपने स्तर से इसकी विशेष समीक्षा करेंगे।

09. **अनुपलब्ध खतियान की स्थिति के संबंध में :–** कतिपय जिलों के अंचल कार्यालयों में कुछ मौजों के खतियान अनुपलब्ध है, परंतु उक्त मौजे का खतियान जिला अभिलेखागार में उपलब्ध है। इसी प्रकार जिला अभिलेखागार में कुछ मौजों के खतियान उपलब्ध नहीं है परंतु अंचलों में उक्त मौजें का खतियान उपलब्ध है। अतः जिला के समाहर्त्ता को निदेश दिया जाता है कि वे अविलंब अपने क्षेत्र अंतर्गत अंचलों एवं जिला अभिलेखागार में उक्त जिलें के सभी मौजों के खतियान की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा कर ले तथा किस मौजे का खतियान या अभिलेखागार या अंचल में उपलब्ध है कि सूची तैयार कर ले। साथ ही निदेश है कि जिन मौजों का खतियान अंचल एवं अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं उसकी सूची अविलंब निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए ताकि खतियान के अनुपलब्धता की स्थिति में सर्वेक्षण कार्य के संदर्भ में नीतिगत निर्णय लिया जा सके। बंदोबस्त पदाधिकारी अपने स्तर से इसकी विशेष समीक्षा करेंगे।

10. विशेष सर्वेक्षण शिविरों का गठनः– जिलों में विशेष सर्वेक्षण हेतु नियोजित पदाधिकारियों एवं कर्मियों का योगदान उक्त जिलें में प्रारंभ किए जाने वाले सर्वेक्षण शिविरों में कार्यरत होनेवाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों के अनुरूप होगा, जिसकी कार्य–योजना इस प्रकार है:–

(क) प्रथम चरण में चयनित जिलों में संभावित शिविरों की संख्या एवं उसमें पदाधिकारियों एवं कर्मियों की संख्या निम्न प्रकार संभावित है:–

क्र0 सं0	जिला का नाम	कुल अंचलों की संख्या	कुल शिविरों की संख्या	कुल सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की संख्या	कुल कानूनगो की संख्या	अमीन	विशेष सर्वेक्षण लिपिक	कार्यपालक सहायक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अररिया	9	10	10	20	200	20	10
2	अरवल	5	6	6	12	120	12	6
3	कटिहार	16	17	17	34	340	34	17
4	किशनगंज	7	8	8	16	160	16	8
5	खगड़िया	7	9	9	18	180	18	9
6	जमुई	10	20	20	40	400	40	20
7	जहानाबाद	7	8	8	16	160	16	8
8	नालंदा	20	22	22	44	440	44	22
9	प0 चम्पारण	18	20	20	40	400	40	20
10	पूर्णियाँ	14	23	23	46	460	46	23
11	बांका	11	20	20	40	400	40	20
12	बेगूसराय	18	23	23	46	460	46	23
13	मधेपुरा	13	14	14	28	280	28	14
14	मुंगेर	9	11	11	22	220	22	11
15	लखीसराय	7	9	9	18	180	18	9
16	शिवहर	5	6	6	12	120	12	6
17	शेखपुरा	6	7	7	14	140	14	7
18	सहरसा	10	11	11	22	220	22	11
19	सीतामढ़ी	17	19	19	38	380	38	19
20	सुपौल	11	12	12	24	240	24	12
कुल योग		**220**	**275**	**275**	**550**	**5500**	**550**	**275**

(ख) **कार्यपालक सहायकः–** प्रत्येक शिविर में एक कार्यपालक सहायक होगा, जिसकी प्रतिनियुक्ति समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा जिला स्तर पर उपलब्ध कार्यपालक सहायकों के पैनल से करेंगे। इन कार्यपालक सहायकों की प्रतिनियुक्ति शिविर प्रारंभ होने के पश्चात् ही होगी।

11. सर्वेक्षण की चरणबद्ध प्रक्रिया का फ्लोचार्ट :–

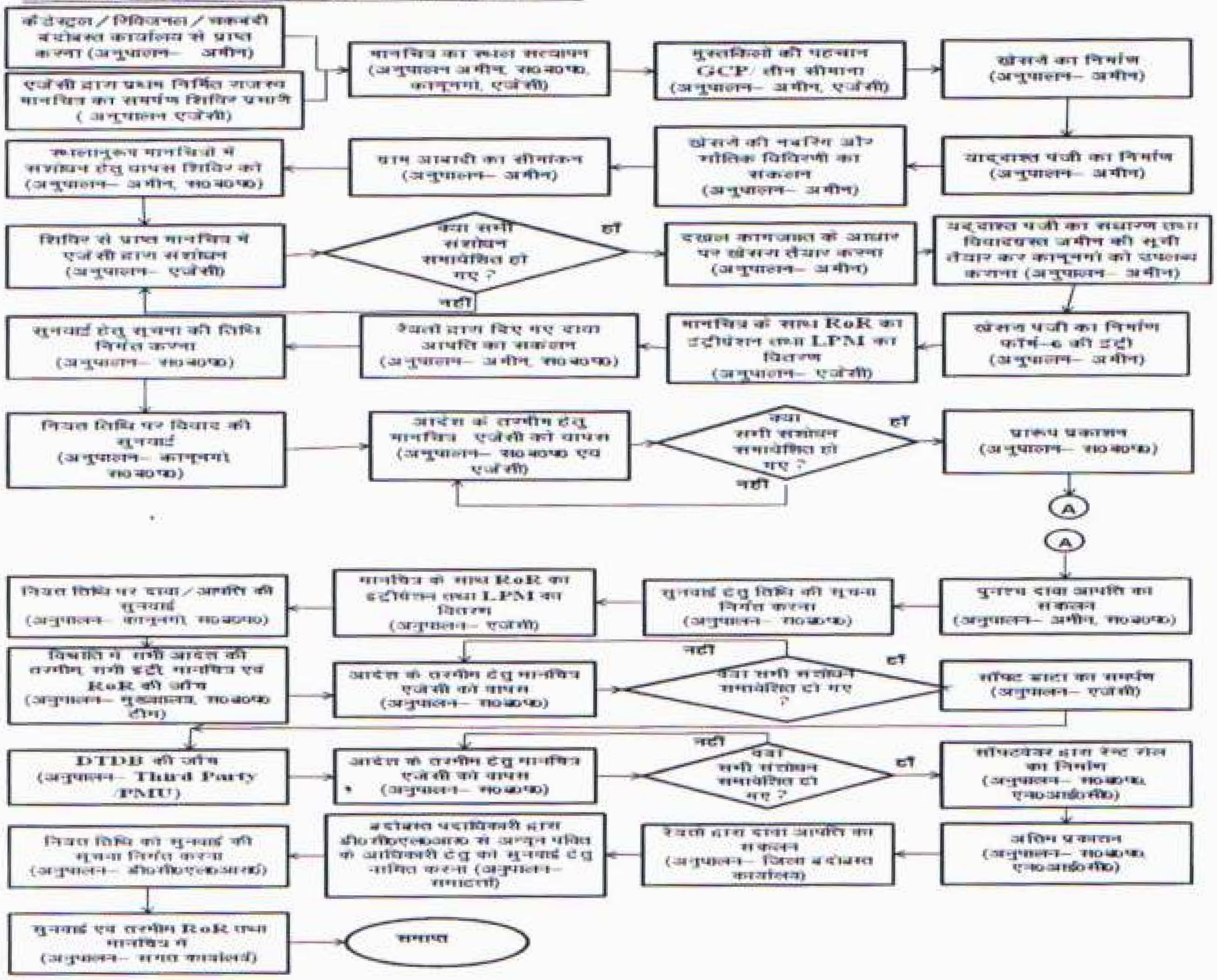

12. पदाधिकारी एवं कर्मियों के कुछ मुख्य दायित्त्व :– बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम, 2011 (अद्यतन संशोधित, 2017), बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 (अद्यतन संशोधित, 2019) एवं तकनीकी मार्गदर्शिका में उल्लेखित अधिकार एवं कर्त्तव्यों के आलोक में पदाधिकारियों एवं कर्मियों के कुछ मुख्य दायित्त्व निम्न प्रकार हैः–

(क) समाहर्त्ता–सह– बंदोबस्त पदाधिकारी का अधिकार एवं कर्त्तव्यः–

(i) नियम–4 अंतर्गत प्रपत्र–1 में उदघोषणा जारी करना।

(ii) धारा–5 की उपधारा–2 अनुसार रैयतों से प्राप्त स्वघोषणा (प्रपत्र–2) जिला बंदोबस्त कार्यालय में प्राप्त होने पर संबंधित शिविर के विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को भेजना।

(iii) धारा–6 की उपधारा–1 अनुसार किस्तवार कार्यक्रम में पंचायत राज संस्थाओं तथा जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

(iv) किस्तवार के दौरान नियमावली के नियम–7(3) अंतर्गत एक प्रतिशत भू–खण्डों की जाँच / सत्यापन करना।

(v) ग्राम–सीमा के उत्पन्न त्रुटियों का निराकरण कराना।

(vi) खानापुरी दलों का गठन का कार्य करना।

(vii) भू–सर्वेक्षण अंतर्गत भौतिक प्रगति की समीक्षा करना।

(viii) अधिकार–अभिलेख की प्रारूप तैयारी की समीक्षा करना।

(ix) विश्रांति के दौरान कार्यों का पर्यवेक्षण करना।

(x) अधिकार–अभिलेख का अंतिम प्रकाशन करना।

(xi) बंदोबस्त लगान–तालिका की जाँच करना एवं इसके संदर्भ में सुनवाई करना।

(xii) अंतिम अधिकार–अभिलेख के विरूद्ध प्राप्त आपत्ति की सुनवाई हेतु नियम–15(2) के तहत अनुशंसा करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता से अन्यून पदाधिकारी को प्राधिकृत कराना।

(ख) चार्ज ऑफिसर (प्रभारी पदाधिकारी) के मुख्य दायित्त्व एवं कर्त्तव्यः–

(i) धारा– 20(5) अंतर्गत बंदोबस्त लगान–तालिका की संपुष्टि तथा अधिकार–अभिलेख में समावेश करना।

(ii) नियमावली के नियम–7(3) अंतर्गत दो प्रतिशत भू–खण्डों/खेसरों की जाँच करना।

(iii) शिविर के गठन हेतु कार्यबल के आधार पर एवं प्राप्त मानचित्र के आलोक में बंदोबस्त पदाधिकारी से आदेश प्राप्त कर अमीन, कानूनगो एवं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कै बीच कार्यावंटन करना।

(iv) हवाई सर्वेक्षण एजेंसी से प्राप्त मानचित्र का स्थल सत्यापन करवाना।

(v) किस्तवार कार्य को क्रमबद्ध तरीके से सुनिश्चित कराना एवं समस्याओं का समाधान करवाना।

(vi) जन प्रतिनिधियों एवं ग्रामीण सहभागिता हेतु ग्राम–सभा करवाना।

(vii) बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा खानापुरी दल का गठन करवाना।

(viii) वंशावली का अनुमोदन ग्राम–सभा से करवाना।

(ix) खतियानी विवरणी प्रपत्र–5 की तैयारी का पर्यवेक्षण करना।

(x) खानापुरी से पूर्व सरकारी भूमि को मानचित्र में चिन्हित करवाना तथा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर से सरकारी भूमि के संदर्भ में सरकार के हित की रक्षा करवाना।

(xi) खानापुरी कार्यों का निरीक्षण एवं समीक्षा तथा वस्तुस्थिति से बंदोबस्त पदाधिकारी एवं निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप को अवगत करवाना।

(xii) खानापुरी पर्चा/एल0पी0एम0 का वितरण सुनिश्चित कराना एवं उससे संबंधित समस्याओं का निष्पादन सुनिश्चित करवाना।

(xiii) जिला अभिलेखागार एवं विभिन्न अंचलों का बंदोबस्त कार्यालय से समन्वय करवाना, सरकारी भूमि की सूची सहित आवश्यक दस्तावेज खानापुरी दल को उपलब्ध करवाना।

(xiv) हवाई सर्वेक्षण एजेंसी एवं अमीनों के कार्यों की गुणवत्ता की जाँच कर बंदोबस्त पदाधिकारी को अवगत करवाना।

(xv) जिला सर्वेक्षण कार्यालय एवं शिविरों के लिए आवश्यक सुविधाओं और आधारभूत संरचना संबंधी व्यवस्था तथा इस हेतु बंदोबस्त पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करना।

(xvi) साप्ताहिक/पाक्षिक स्तर पर समीक्षात्मक बैठक कर प्रगति प्रतिवेदन बंदोबस्त पदाधिकारी एवं निदेशालय को भेजना साथ ही प्राप्त निदेशों से संबंधितों को अवगत कराना।

(xvii) सर्वेक्षण कार्य के क्रम में किसी कर्मी द्वारा कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता, शिथिलता आदि के मामले में बंदोबस्त पदाधिकारी एवं निदेशालय को कार्रवाई हेतु प्रस्ताव देना।

(xviii) विश्रांति के दौरान कार्यों का पर्यवेक्षण एवं प्रगति प्रतिवेदन से बंदोबस्त पदाधिकारी एवं निदेशालय को संसूचित करना।

(xix) अधिकार–अभिलेख के अंतिम प्रकाशन पूर्व विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना।

(xx) निदेशालय द्वारा आयोजित मासिक प्रगति में समीक्षात्मक बैठक में भाग लेना।

(ग) सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय):–

(i) अधीनस्थ सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी/कानूनगो का निरीक्षण

(ii) शिविर कार्यालय का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण तथा अधीनस्थ पदाधिकारी/कर्मचारियों के साथ समन्वय रखना।

(iii) कानूनगो तथा अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों के बीच कार्य विभाजन, कार्यों का पर्यवेक्षण एवं आवश्यकतानुसार प्रशासनिक कार्रवाई के लिए बंदोबस्त पदाधिकारी/चार्ज ऑफिसर को प्रतिवेदित करना।

(iv) निकासी व्ययन पदाधिकारी के रूप में कार्य करना।

(v) बिहार सर्वेक्षण कार्यालय गुलजारबाग से समन्वय स्थापित कर प्रपत्र, मानचित्र आदि प्राप्त करना।

(vi) सर्वेक्षण पश्चात अभिलेख एवं अन्य के सामग्रियों को रिकॉर्ड रूम में विधिवत् संधारित करना।

(vii) जिलें के अंचल एवं अन्य सरकारी कार्यालयों से उनके द्वारा धारित भूमि की सत्यापित विवरणी उपलब्ध करना।

(viii) निदेशालय/बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा दिए गए दायित्त्वों का निर्वहन करना।

(घ) विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (शिविर प्रभारी):–

(i) स्वघोषणा की जाँच कराना एवं संधारित पंजी प्रपत्र– 3 में प्रविष्टि कराना।

(ii) अभिलेखों/दस्तावेजों की अनुपलब्धता एवं विवाद होने पर पृथक पंजी–4 में अमीन की सहायता से प्रविष्टि कराना।

(iii) सरकारी भूमि की विवरणी प्राप्त कर सत्यापन कराना।

(iv) वंशावली की सत्यापन कराना।

(v) याद्दाश्त पंजी का संधारण एवं इसके प्रविष्टि से संबंधित आवश्यक साक्ष्यों को विवेचित कर निपटारा करना।

(vi) किस्तवार के दौरान हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के द्वारा दिए गए भू–मानचित्र तथा Camperative Area Statement के आधार पर भू–खण्डों का सत्यापन एवं ग्राम सीमांकन कराना।

(vii) खानापुरी प्रारंभ होने के पूर्व प्रपत्र–5 में खतियानी विवरणी तैयार कराना।

(viii) खानापुरी के दौरान कार्यों का क्रमवार सम्पादन कराना।

(ix) खानापुरी पर्चा/एल०पी०एम० को रैयतों के बीच वितरित कराना तथा विहित प्रपत्र में संधारित पंजी में उसकी प्रविष्टि कराना।

(x) खानापुरी अधिकार–अभिलेख प्रारूप प्रकाशित करना।

(xi) प्रारूप अधिकार–अभिलेख की प्रविष्टियों के विरूद्ध दावा/आक्षेप की सुनवाई कराना एवं युक्तियुक्त आदेश पारित करना।

(xii) विश्रांति में अधिकार–अभिलेख की जाँच आदि विहित रीति से संपन्न किया जाना।

(xiii) बंदोबस्त लगान–तालिका की संपुष्टि तथा अधिकार–अभिलेख में समावेश का अनुमोदन एवं स्वीकृति समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त करना।

(xiv) बंदोबस्त पदाधिकारी के हस्ताक्षर पश्चात प्राप्त अधिकार–अभिलेख एवं मानचित्र आम जनता के निरीक्षण अवधि में रखे जाने की कार्रवाई करना।

(xv) अंतिम अधिकार–अभिलेख का प्रकाशन कराना।

(xvi) अन्य प्रशासनिक कार्यः–

1. कार्य–योजना के अनुसार कार्य सम्पादित करना।
2. मानचित्र एवं विहित प्रपत्रों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करवाना।
3. गार्ड फाईल में आदेशों की प्रति को संकलित कराना।
4. आगत–निर्गत एवं वितरण से सम्बन्धित संचिका एवं रजिस्टर का संधारण करवाना।
5. सभी सरकारी विभागों की सरकारी भूमियों की सूची प्राप्त कर रक्षित करना।
6. अंचल अधिकारी कार्यालय से भू–राजस्व सम्बन्धी विवरणी, पंजियाँ आदि प्राप्त करना।

(ङ) विशेष सर्वेक्षण कानूनगो :–

(i) अमीन की सहायता से स्वघोषणा की जाँच/सत्यापन।

(ii) अमीन के माध्यम से वंशावली का सत्यापन।

(iii) याद्दाश्त पंजी का संधारण अमीनों द्वारा सुनिश्चित कराया जाना।

(iv) मानचित्र का सत्यापन करना तथा पर्यवेक्षण करना।

(v) किस्तवार कार्य की जाँच करना।

(vi) खानापुरी के दौरान खतियानी विवरणी, खेसरा पंजी अमीन द्वारा सही–सही संधारित कराया जाना एवं इसकी जाँच।

(vii) खानापुरी कार्य पूर्ण होने के पश्चात मानचित्र एवं खानापुरी पर्चा/एल0पी0एम0 के प्रविष्टियों के विरूद्ध प्राप्त दावा/आपत्ति की सुनवाई सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कर अधिकार–अभिलेख का प्रारूप प्रकाशन कराना।

(viii) सरकारी भूमि/विभिन्न विभागों आदि से संबंधित भूमि का मामला प्रथम दृष्टया दिखाई पड़ने पर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष विधानतः आवश्यक कार्रवाई हेतु उपस्थापित करना।

(ix) Rent Roll निर्माण अमीन के माध्यम से करा कर सत्यापन करना तथा खतियान के सुसंगत स्तम्भों में प्रविष्टि कराने की कार्रवाई करना।

(च) विशेष सर्वेक्षण अमीन/अमीनः–

(i) स्वघोषणा प्रपत्र–2 का वितरण एवं प्राप्त स्वघोषणा का सत्यापन।

(ii) अधिकार–अभिलेख की खतियानी विवरणी प्रपत्र–5 में तैयार करना।

(iii) हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए नक्शे का सत्यापन विगत सर्वेक्षणों के नक्शे एवं स्थल के आधार पर करना।

(iv) छीट एराजी भूमि के संबंध में कार्रवाई।

(v) ग्राम–सीमा पर मकान पाये जाने पर हवाई एजेंसी से प्राप्त मानचित्र एवं स्थल के अनुसार दोनों ग्रामों के मानचित्र में अलग–अलग सुधार करना।

(vi) खानापुरी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व रैयतों से वंशावली प्राप्त करना एवं भूमि के समर्थन में आवश्यक कागजात प्राप्त करना। इसका सत्यापन करना एवं इन कागजातों को रक्षी संचिका में शिविर कार्यालय में रक्षित रखना।

(vii) प्राप्त वंशावली को ग्राम–सभा से अनुमोदित कराना।

(viii) याद्दाश्त पंजी का संधारण।

(ix) खेसरा पंजी प्रपत्र–6 में संधारित करना।

(x) प्रपत्र–7 में तैयार खानापुरी पर्चा/एल0पी0एम0 को रैयतों के बीच वितरण में सहयोग।

(xi) एल0पी0एम0 वितरण पश्चात प्राप्त आपत्तियों की जाँच कर प्रतिवेदन कानूनगो को समर्पित करना।

(xii) खानापुरी अधिकार–अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन पश्चात प्राप्त आपत्तियों की जाँच कर प्रतिवेदन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को समर्पित करना।

(xiii) विश्रांति के दौरान मानचित्र एवं अधिकार–अभिलेख का जाँच करना।

(xiv) विश्रांति में जाँच सफाई आदि विहित रीति से करना।

(xv) ग्राम–सीमा के विवाद पर एजेंसी के प्रतिनिधि के साथ स्थल पर जाकर दोनों ग्रामों का पुनः सत्यापन, समस्या का निदान एवं की गई कार्रवाईयों से कानूनगो/सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को अवगत कराना।

(xvi) लगान निर्धारण सूची का निर्माण एवं अधिकार–अभिलेख में प्रविष्टि करना।

(छ) लिपिक एवं कार्यपालक सहायकः– शिविर कार्यालय में लिपिक कार्य का निष्पादन करने हेतु प्रत्येक शिविर में दो लिपिक रहेंगे। एक कार्यपालक सहायक प्रत्येक शिविर में पदस्थापन की कार्रवाई जिला स्तर पर उपलब्ध पैनल से होगी। लिपिकों का मुख्य दायित्त्व विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का पेशकार, शिविर में कागजातों/अभिलेखों का संधारण एवं रख–रखाव, रोकड़ पंजी का संधारण एवं उपस्करों आदि के रख–रखाव सहित संपूर्ण कार्यालय के रख–रखाव की होगी। कार्यपालक सहायक जनित कार्यों के प्रभार में रहेंगे।

(ज) अंचलाधिकारी का दायित्त्व :–

(i) ग्राम सभा की बैठक में कर्मचारी को जमाबंदी/खतियान के साथ सम्मिलित होने का निदेश देना।

(ii) उद्घोषित राजस्व ग्रामों के संबंध में सूचना अंचल कार्यालय के सूचनापट्ट पर प्रकाशित करना एवं प्रचार–प्रसार करना।

(iii) जमाबंदी की डिजिटाईज्ड प्रति शिविर के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।

(iv) सरकारी भूमि की सूची शिविर के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराना एवं सरकार का हित अक्षुण्ण रखने हेतु अभिलेखों के साथ एवं सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं इससे उच्चतर न्यायालय में पक्ष रखना।

(v) सभी प्रकार के बंदोबस्त भूमि की सूची एवं विविध वाद की छायाप्रति उपलब्ध कराना।

(vi) खेसरा पंजी/चालू खतियान की प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।

(vii) दाखिल–खारिज पंजी की छायाप्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।

(viii) प्रत्येक शिविर प्रभारी को स्वयं एवं राजस्व कर्मचारियों के माध्यम से सहयोग प्रदान करना।

(झ) अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी का शिविरों में उपस्थिति :– अंचलाधिकारी सप्ताह में एक अनिवार्य रूप से अपने क्षेत्रान्तर्गत शिविरों का भ्रमण करेंगे और संबंधित शिविर के विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के साथ बैठक कर अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे। इसी प्रकार संबंधित अंचल के सभी राजस्व कर्मचारी सप्ताह में दो बार शिविर के प्रभारी विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के साथ शिविर में बैठक कर आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

13. सर्वेक्षण प्रक्रिया का प्रचार–प्रसार :–

(क) प्रथम चरण में चयनित 20 जिला मुख्यालय एवं शिविर मुख्यालयों में सर्वेक्षण कार्यक्रम को बैनरों/पोस्टरों द्वारा प्रचारित किया जाएगा। प्रचार सामग्री का निर्धारण भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के साथ समन्वय स्थापित कर किया जाएगा।

(ख) सर्वेक्षण से संबंधित मुख्य तिथियों को विभिन्न प्रचार माध्यम से प्रचारित किया जाएगा।

(ग) समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी की अधिघोषणा के पश्चात संबंधित अंचल में सर्वेक्षण कार्यों में रैयतों की सहभागिता के लिए प्रचार–प्रसार किया जाएगा।

(घ) स्वघोषणा एवं वंशावली समर्पित कर सर्वेक्षण सफल बनाने हेतु पंचायत एवं ग्राम–सभा स्तर पर भी जन प्रतिनिधियों के सहयोग से रैयतों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ङ) स्थानीय स्तर पर टी0वी0 चैनलों, सिनेमा हॉल, सरकारी भवन के दीवारों पर सर्वेक्षण संबंधी सूचनाएँ प्रसारित की जाएंगी।

14. सर्वेक्षण संबंधी प्रपत्रों की छपाई :–

(क) प्रपत्रों की छपाई हेतु वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस, गुलजारबाग, पटना को छपाई संबंधित आदेश दिया गया है।
(ख) प्रपत्रों की छपाई अगस्त– 2019 से प्रारंभ कर दी गई है। आवश्यकतानुसार इसके वितरण की कार्रवाई की जा रही है।
(ग). प्रपत्रों का संधारण जिला मुख्यालय में समाहर्त्ता–सह–जिला बंदोबस्त पदाधिकारी/ अपर समाहर्त्ता –सह– प्रभारी पदाधिकारी के प्रभार में होगा।
(घ) सभी प्रपत्र निदेशालय के वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेंगे ताकि तात्कालिक आवश्यकता होने पर शिविर मुख्यालय में प्रिंट किया जा सके।
(ङ) प्रपत्र–2, प्रपत्र– 3(1) का वितरण के साथ–साथ राजस्व विभागीय एवं भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के वेबसाईट पर उपलब्धता रहेगी।

(च) सभी प्रकार के प्रपत्रों के हस्तलिखित एवं छायाप्रति भी मान्य होगी।

(छ) निदेशालय स्तर पर प्रपत्रों की छपाई एवं वितरण संबंधी कार्यों के संपूर्ण प्रभार में उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना रहेंगे।

15. सर्वेक्षण संबंधी कार्य का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण :–

(क) विभाग में उपलब्ध पदाधिकारियों को जिलों के स्तर का नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है। ये पदाधिकारी सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को जिला का भ्रमण कर सर्वेक्षण कार्यों से संबंधित मामलों की समीक्षा करेंगे एवं आवश्यकतानुसार जिला स्तरीय पदाधिकारियों को सहयोग एवं अपेक्षित निदेश भी देंगे। साथ ही जिला भ्रमण से संबंधित प्रतिवेदन भी राज्य मुख्यालय में समर्पित करेंगे।

(ख) जिला स्तरीय अनुश्रवण :– जिला स्तर पर सर्वेक्षण के दौरान अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण सतत् होना अपेक्षित है ताकि सर्वेक्षण कार्य सुचारू रूप से चलता रहे और आने वाले व्यवधानों के सम्यक समाधान हेतु कार्रवाई होती रहे। इस हेतु निम्न प्रकार से समीक्षा हेतु पदाधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है:–

(i) समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा पाक्षिक समीक्षा ।
(ii) अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त द्वारा साप्ताहिक समीक्षा।
(iii) अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अंचल के वरीय प्रभारी पदाधिकारी द्वारा साप्ताहिक औचक निरीक्षण के रूप में समीक्षा करेंगे।
(iv) सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0) द्वारा दैनिक संध्या को किए गए कार्यों की समीक्षा व सॉफ्टवेयर अपडेशन की समीक्षा करेंगे।

(ग) सर्वेक्षण कार्य से संबंधित दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक प्रतिवेदन प्राप्त करने एवं उसकी प्रगति की समीक्षा हेतु MIS तैयार किया गया है। पर्यवेक्षण एवं समीक्षा MIS के अधीन ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें क्षेत्रीय स्तर पर दैनिक रूप से ऑनलाईन सॉफ्टवेयर/मोबाईल एपलिकेशन द्वारा प्रगति प्रतिवेदन समर्पित होगा।

16. पदाधिकारियों एवं कर्मियों की स्थापना :–

(क) सभी नियोजित पदाधिकारियों/कर्मियों का वेतन भुगतान जिला बंदोबस्त कार्यालय के स्तर से होगा।
(ख) सभी नियोजित पदाधिकारियों/कर्मियों का प्रथम मूल्यांकन प्रशिक्षण के पश्चात् एवं द्वितीय मूल्यांकन 6 माह पर किया जाएगा एवं मूल्यांकन के आधार पर सेवा–विस्तार अथवा सेवा मुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

17. भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर :–भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर N.I.C, पटना द्वारा विकसित एवं संचालित है। सॉफ्टवेयर ऑनलाईन उपलब्ध रहेगा। सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार है :–

(i) प्रपत्र–5 अर्थात् तेरीज (पुराने खतियान का सार) एवं प्रपत्र– 6 अर्थात् खेसरा–पंजी (नए सर्वे के अनुसार) की डाटा इंट्री के लिए इसी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा।
(ii) प्रपत्र संख्या– 5 एवं 6 के अतिरिक्त 10 एवं 19 की डाटा इंट्री होगी। जबकि प्रपत्र संख्या– 6 आधारित प्रपत्र– 7, 12, 18, 20 एवं 21 सॉफ्टवेयर के माध्यम स्वतः निर्मित होंगे। प्रपत्र संख्या– 1, 2, 3, 3(1), 3 (2), 8, 9, 11, 13, 16, 17, 22 एवं 23 को स्कैन करके रखा जाएगा।
(iii) मात्र उन्हीं डाटा का अपडेशन करना होगा जो आपत्ति की सुनवाई के दौरान निर्णय से परिवर्तित होंगे।
(iv) अमीन द्वारा किस्तवार, खानापुरी एवं प्रारूप प्रकाशन के बाद सभी राजस्व मानचित्रों को संशोधन के साथ एजेंसी द्वारा भू–नक्शा सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाएगा।
(v) भू–नक्शा एवं भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर दोनों ही इंटरलिंक्ड रहेंगे तथा सभी संशोधन इन्हीं दोनों में एक साथ किए जा सकेंगे (Spatial & Textual data integration)
(vi) सॉफ्टवेयर की प्रविष्टि हेतु यूजर मैन्युअल निदेशालय स्तर से उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आधार पर जिलों में इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

18. भू–नक्शा सॉफ्टवेयर :–

(क) प्रत्येक राजस्व ग्राम का एक यूनिक ID तथा LGD (Local Government Directory) कोड के साथ समेकन।
(ख) प्रत्येक खेसरा को एक यूनिक ID दिया जायेगा।
(ग) भू–उपयोग, धारण के प्रकार, सरकारी विभाग, नवैयत (स्वामित्व कैसे प्राप्त किया गया) के लिए पृथक कोड की व्यवस्था की गई है।
(घ) मास्टर डाटा कंटेट के आधार पर विभिन्न थिमैटिक मानचित्रों के निर्माण की सुविधा यथा– भू–उपयोग, धारण के प्रकार, जल निकाय, वन क्षेत्र आच्छादन, LPM इत्यादि।
(ड़) इस सॉफ्टवेयर में अपडेशन की कार्रवाई सर्वेक्षण के दौरान लिए गए निर्णयों के आधार पर हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।

उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों के आलोक में निदेश है कि सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जिसके अंतर्गत राजस्व अभिलेखों का अद्यतीकरण आधुनिक तकनीकों के आधार पर किया जा रहा है। इससे सफल बनाने हेतु मिशन मोड किया जाना आवश्यक है, उल्लेखनीय है कि राजस्व अभिलेखों के अद्यतीकरण से भू-विवाद के मामलों में कमी आयेगी और आधुनिक तकनीक आधारित राजस्व अभिलेख संधारण, जो कि कम्प्यूटर जनित होगा, से रैयतों को अपने भूमि का लगान जमा करने, भूमि के हस्तांतरण, भूमि के नामांतरण एवं अन्य जानकारी प्राप्त करने आदि में सहुलियत होगी।

अतः विशेष भू-सर्वेक्षण के इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सभी आवश्यक उपाय ससमय अपनाये जायें, यह आवश्यक है।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 9/2/20
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17 वि0 सर्वेक्षण (नोडल पदा0) – 101/2019...408...... **पटना, दिनांक** :–28-02-2020
प्रतिलिपिः– सभी विभागों के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17 वि0 सर्वेक्षण (नोडल पदा0) – 101/2019...408...... **पटना, दिनांक** :–28-02-2020
प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17 वि0 सर्वेक्षण (नोडल पदा0) – 101/2019...408...... **पटना, दिनांक** :–28-02-2020
प्रतिलिपिः– डा0 श्यामल किशोर पाठक, भा0प्र0से0, निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय/श्री राधे श्याम साह, भा0प्र0से0, विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ श्री नवल किशोर, संयुक्त निदेशक, चकबंदी निदेशालय/श्री वीरेन्द्र कुमार पासवान, संयुक्त सचिव/श्री कंचन कपूर, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ श्री मुकुल कुमार, उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/श्रीमती सहिदा खातुन, उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग/श्री मनोज कुमार झा, सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप/ श्री अनिल कुमार सिंह, अनुदेशक, चकबंदी निदेशालय/श्रीमती सिम्मी प्रसाद, अनुदेशक, चकबंदी निदेशालय/ श्री सुबोध कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17 वि0 सर्वेक्षण (नोडल पदा0) – 101/2019...408...... **पटना, दिनांक** :–28-02-2020
प्रतिलिपिः– सभी संबंधित अपर समाहर्त्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17 वि0 सर्वेक्षण (नोडल पदा0) – 101/2019 408 पटना, दिनांक :– 28-02-2020

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17 वि0 सर्वेक्षण (नोडल पदा0) – 101/2019 408 पटना, दिनांक :– 28-02-2020

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17 वि0 सर्वेक्षण (नोडल पदा0) – 101/2019 408 पटना, दिनांक :– 28-02-2020

प्रतिलिपि :– सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को निदेशालय वेबसाईट के सकुर्लर खंड में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 17–तक0 को0– 106 / 2011 Part-2......992........

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक :- 5/3/2020

विषय :– वक्फ अधिनियम 1995 (संशोधित अधिनियम 2013) के तहत वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण करने के संबंध में।

प्रसंग :– अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक– 2879 दिनांक– 05.12.2019।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर कहना है कि वक्फ अधिनियम 1995 (संशोधित अधिनियम 2013) के तहत राज्य शिया एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड के सम्पत्तियों का सर्वेक्षण किया जाना है। इस क्रम में प्रासंगिक पत्र द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 तथा नियमावली, 2012 अंतर्गत हो रहे भू–सर्वेक्षण के दौरान वक्फ भूमि के संरक्षण एवं सर्वेक्षण हेतु सभी समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं को निदेश देने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के आलोक में कहना है कि सरकारी भूमि के संरक्षण हेतु पूर्व में निर्गत निदेश अनुसार संबंधित विभाग के जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध किया गया है। इसी क्रम में अपेक्षित होगा कि वक्फ भूमि के संरक्षण हेतु भी नोडल पदाधिकारी जिला स्तर नियुक्त किये जायें।

अतः अनुरोध है कि प्रासंगिक संलग्न पत्र के आलोक में नियमसम्मत् कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,

पत्रांक–अ०सं०क०–10–13/2007............/
बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव–सह–वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

दिनांक–..............................

विषयः– वक्फ अधिनियम 1995 (संशोधित) अधिनियम 2013 के तहत वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण करने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–782 दिनांक–09.04.2014 एवं पत्रांक–860 दिनांक–06.04.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वक्फ अधिनियम 1995 (संशोधित अधिनियम–2013) के तहत राज्य के शिया एवं सुन्नी वक्फ की सम्पत्तियों का सर्वे किया जाना है। वक्फ भूमि संरक्षण हेतु सर्वे में प्रगति लाने की दिशा में निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्य किया जा सकता है :–

1. वर्तमान में बिहार सरकार के द्वारा नये सिरे से जो सर्वे कार्य कराया जा रहा है, उसी के तहत वक्फ संपत्तियों का ब्योरा, खाता, खेसरा एवं रकबा के साथ बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा जिला समाहर्ता/बंदोबस्त पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को उपलब्ध कराया जायेगा ताकि वर्तमान सर्वे में संबधित भूमि को वक्फ भूमि के नाम से खतियान में दर्ज करा लिया जाये।

2. जिला समाहर्ता/जिला बंदोबस्त पदाधिकारी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निदेशित किया जाय की वक्फ बोर्ड द्वारा उपलब्ध करायी गयी निबंधित वक्फ भूमि की सूची एवं इससे इतर वक्फ की सम्पत्ति अगर जानकारी में आती है तो इसे वक्फ के सम्पत्ति के रूप में खतियान में दर्ज किया जाय।

3. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली–2012 के अन्तर्गत तैयार की गयी तकनीकी मार्गदर्शिका में वक्फ या धार्मिक न्यास पर्षद की भूमि के सर्वेक्षण के संबंध में निदेश नहीं दिया गया है। अतः वक्फ भूमि के सर्वेक्षण के संबंध में सभी समाहर्त्ता एवं बंदोबस्त पदाधिकारी को विशेष निदेश दिया जा सकता है।

4. नये सर्वे के दौरान उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्रवाई हेतु समाहर्ता एवं राजस्व पदाधिकारियों को संबंधित जिला औकाफ कमिटी द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा।

अनुरोध है कि उक्त के आलोक में वक्फ भूमि के सर्वे हेतु अपने स्तर से सभी समाहर्ता/बंदोबस्त पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता को निदेश देने की कृपा की जाय ताकि वक्फ भूमि का सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न कराया जा सके।

विश्वासभाजन
ह०/–
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–.............................
पटना, दिनांक–......................

प्रतिलिपिः– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से निबंधित वक्फ स्टेट की भूमि का विवरणी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना, संबधित जिला के समाहर्त्ता एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी जिला औकाफ कमिटी को निदेश दे कि सर्वे के कार्य में आवश्यक सहयोग करेंगे।

ह०/–
अपर मुख्य सचिव

10 DEC 2019

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक– 2879 पटना, दिनांक– 05/12/2019

प्रतिलिपिः– निदेशक भू–अभिलेख एवं सर्वेक्षण निदेशालय (Driector Land record & survey) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
5.12.19

Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 17–आवंटन(योजना –0101)–126 / 2020.....6976....

प्रेषक,

जय सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक,
भू–अभिलेख एव परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी,
मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, सुपौल, किशनगंज, नालंदा,
जमुई, बांका, शिवहर, अरवल, जहानाबाद, सीतामढ़ी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया),
खगड़िया, सहरसा, मधेपूरा, पूर्णियाँ, अररिया, कटिहार, पटना, भोजपुर (आरा),
पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), वैशाली, भागलपुर, सारण, सिवान, गया, दरभंगा एवं मुजफ्फपुर।
प्राचार्य,
राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया।
सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक : 16-04-2020

विषय :– मुख्य शीर्ष – 2029 – भू–राजस्व –उप मुख्य शीर्ष – 00 – लघु शीर्ष – 102 – सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य – उप शीर्ष – 0101 – सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में निधि का आवंटन।

प्रसंग :– CFMS Allotment Order No. ..529......... Date ...16.04.2020....

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वत्तीय वर्ष 2020–21 के प्रथम चार माह हेतु आपके नियत्रणाधीन कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों (संविदा कर्मियों सहित) को वेतन एवं संविदा सेवाएँ मद में 9,48,70,000/– (नौ करोड़ अड़तालीस लाख सत्तर हजार) रूपये मात्र का आवंटन निर्गत किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 314 दिनांक 27.02.2019 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

3 अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उप शीर्ष / इकाई कोड / माँग संख्या – 40 एवं विपत्र कोड **40 – 2029001020101** अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।

5. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक नियमित रूप से निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गए विहित प्रपत्र में भेजना सुनिश्चित किया जाए।

6. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. इसकी सूचना महालेखाकार(ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।

10. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

11. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

अनुलग्नक :– 'क' एवं CFMS Allotment Order No. 529 Date 16.04.2020

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना –0101)–126/2020 6976 **पटना, दिनांक** 16-04-2020

प्रतिलिपि :– (अनुलग्नक सहित) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना –0101)–126/2020 6976 **पटना, दिनांक** 16-04-2020

प्रतिलिपि :– (अनुलग्नक सहित) सभी संबंधित प्रभारी पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना –0101)–126/2020 6976 **पटना, दिनांक** 16-04-2020

प्रतिलिपि :– (अनुलग्नक सहित) संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना –0101)–126/2020 6976 **पटना, दिनांक** 16-04-2020

प्रतिलिपि :– (अनुलग्नक सहित) सुश्री सुरभि सिंह, डाटा एनालिस्ट, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

अनुलग्नक 'क'

भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना।

मुख्य शीर्ष – 2029 – भू-राजस्व – उपमुख्य शीर्ष – 00 – लघु शीर्ष – 102 – सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य – उपशीर्ष – 0101 – सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में निधि का आवंटन –

क्र० सं०	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	13 01 कार्यालय व्यय	13 03 दूरभाष	13 04 विद्युत प्रभार	13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	14 01 किराया महसूल एवं कर	20 03 प्रशिक्षण व्यय	28 02 संविदा सेवाएँ	52 01 मशीनें उपस्कर	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मुंगेर	250000	2000	—	300000	—	30000	—	—	**582000**
2	शेखपुरा	250000	2000	—	300000	—	30000	—	—	**582000**
3	लखीसराय	250000	2000	—	300000	—	30000	—	—	**582000**
4	बेगूसराय	250000	2000	—	300000	—	30000	—	—	**582000**
5	सुपौल	250000	2000	—	300000	—	30000	—	—	**582000**
6	किशनगंज	250000	2000	—	300000	—	30000	—	—	**582000**
7	नालंदा	250000	2000	—	300000	—	30000	—	—	**582000**
8	जमुई	250000	2000	—	300000	—	30000	—	—	**582000**
9	बांका	250000	2000	—	300000	—	30000	—	—	**582000**
10	शिवहर	250000	2000	—	300000	—	30000	—	—	**582000**
11	अरवल	250000	2000	—	300000	—	30000	—	—	**582000**
12	जहानाबाद	250000	2000	—	300000	—	30000	—	—	**582000**
13	सीतामढ़ी	250000	2000	—	300000	—	30000	—	—	**582000**
14	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	250000	2000	—	300000	—	30000	—	—	**582000**
15	खगड़िया	250000	2000	—	300000	—	30000	—	—	**582000**
16	सहरसा	250000	2000	—	300000	—	30000	—	—	**582000**
17	मधेपुरा	250000	2000	—	300000	—	30000	—	—	**582000**
18	पूर्णियाँ	250000	2000	—	300000	—	30000	—	—	**582000**
19	अररिया	250000	2000	—	300000	—	30000	—	—	**582000**
20	कटिहार	250000	2000	—	300000	—	30000	—	—	**582000**
21	पटना	50000	—	—	—	660000	—	—	—	**710000**
22	भोजपुर (आरा)	5000	—	—	—	—	—	—	—	**5000**
23	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	5000	—	—	—	—	—	—	—	**5000**
24	वैशाली	5000	—	—	—	—	—	—	—	**5000**
25	भागलपुर	5000	—	—	—	—	—	—	—	**5000**
26	सारण	5000	—	—	—	—	—	—	—	**5000**
27	सिवान	5000	—	—	—	—	—	—	—	**5000**
28	गया	5000	—	—	—	—	—	—	—	**5000**
29	दरभंगा	5000	—	100000	—	—	—	—	—	**105000**
30	मुजफ्फरपुर	5000	—	—	—	—	—	—	—	**5000**
31	राजस्व एवं प्रशिक्षण संस्थान बोधगया	5000	—	—	—	—	—	—	—	**5000**
32	सहायक निदेशक भू-अभिलेख एवं परिमाप	500000	10000	700000	500000		60000	80000000	600000	**82370000**
	कुल योग :-	**5600000**	**50000**	**800000**	**6500000**	**660000**	**660000**	**80000000**	**600000**	**94870000**

(नौ करोड़ अड़तालीस लाख सत्तर हजार रूपये)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :–17 नि0 विशेष सर्वेक्षण (प्रशिक्षण कोषांग) – 107/2019 ..10009

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

1. **M/s IIC Technology,**
   Hydrabad.
2. **M/s IL&FS Environmmental Infrastructure Service Ltd.**
   New Delhi.
3. **GIS Consortium Ltd.**
   New Delhi

पटना, दिनांक : 20-06-2020

विषय :– विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के लिए नवनियुक्त किए जाने वाले विशेष सर्वेक्षण अमीन के जिलों में पदस्थापन के पश्चात् कार्य प्रारंभ किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के लिए नवनियुक्त होने वाले विशेष सर्वेक्षण अमीन को Covid-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के आलोक में योगदान पूर्व उन्मुखीकारण कार्यक्रम अंतर्गत भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा दिनांक–20.05.2019 से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो दिनांक–26.06.2020 को पूर्ण हो जाएगा। वर्त्तमान में निदेशालय द्वारा बनाई गई कार्य योजना के अनुसार प्रतिदिन 300 विशेष सर्वेक्षण अमीनों द्वारा निदेशालय में योगदान दिया जाएगा। योगदान के पश्चात् उसी दिन विशेष सर्वेक्षण अमीनों की पदस्थापना प्रथम चरण के चयनित 20 जिलों में की जाएगी। 20 जिलों में उपलब्ध कार्यबल के आधार पर अंचलों एवं आरंभ किये जाने वाले शिविरों के गठन का प्रस्ताव निदेशालय स्तर पर तैयार किया गया है। शिविरों की संख्या के अनुरूप आवश्यक अमीन का आकलन भी तैयार किया गया है जो इस पत्र के साथ संलग्न है। पदस्थापना के पश्चात् **दिनांक–04.07.2020** से उनके संबंधित जिलों में जिला बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रथम चरण के लिए चयनित शिविरों से संबद्ध ग्रामों में प्रारंभिक स्तर का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। प्रारंभिक स्तर पर किये जाने वाले कार्य यथा– त्रिसीमानों की पहचान, ग्राम सीमा का सत्यापन इत्यादि में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को ई0टी0एस0, डी0जी0पी0एस0 मशीन एवं ऑपरेटरों के साथ भाग लेना है।

जिलों में विशेष सर्वेक्षण अमीन के योगदान किये जाने के पश्चात् अंचलवार आवंटित अमीनों के अनुसार ई0टी0एस0 एवं ऑपरेटर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। नवनियुक्त कर्मियों को विशेष सर्वेक्षण के प्रारंभिक कार्यो को आरंभ करने में सहयोग करने के लिए पूर्व से विभिन्न जिलों में पदस्थापित कार्यरत संविदा अमीनों को सभी 20 जिलों में निदेशालय स्तर से संबद्ध किया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त सभी 20 जिलों के लगभग 500 ग्रामों में कार्य प्रारंभ करने के लिए शिविरवार कार्य योजना संसाधन एवं मानव कर्मी के साथ तैयार कर एक सप्ताह के अंदर में निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

20/6/20
(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17 नि0 विशेष सर्वेक्षण (प्रशिक्षण कोषांग) – 107 / 2019..10009 **पटना, दिनांक** 20-06-2020

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17 नि0 विशेष सर्वेक्षण (प्रशिक्षण कोषांग) – 107 / 2019 10009 **पटना, दिनांक** 20-06-2020

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी / सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17 नि0 विशेष सर्वेक्षण (प्रशिक्षण कोषांग) – 107 / 2019..10009 **पटना, दिनांक**20-06-2020

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :-17 तक0 को0 (प्रशिक्षण) - 249/2019..10038

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता-सह-बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल,
शिवहर,किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ,
सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पं0 चंपारण,
बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर, एवं नालंदा।

पटना, दिनांक : 24/6/2020

विषय :- विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रस्तावित अंचल, शिविर एवं पदस्थापित होने वाले विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो एवं अमीन के संबंध में निदेशालय स्तर से तैयार किये गए योजना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के लिए नवनियुक्त होने वाले विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक को Covid-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के आलोक में योगदान पूर्व उन्मुखीकारण कार्यक्रम अंतर्गत भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा दिनांक- 15.04.2020 से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाना प्रारंभ किया गया। विशेष सर्वेक्षण लिपिक को छोड़कर शेष तीनों पदों के आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक-26.06.2020 तक पूर्ण हो जाएगा एवं लिपिक का प्रशिक्षण दिनांक-30.06.2020 तक पूर्ण होगा। ऑनलाइन प्रशिक्षण के उपरांत सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में योगदान दिया जाएगा। योगदान के समय सभी कर्मियों को प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी एवं योगदान की तिथि को ही जिलों में पदस्थापित कर दिया जाएगा। अपेक्षा की जाती है कि जिलों में पदस्थापन के पश्चात् यथाशीघ्र सभी कर्मियों को शिविर आवंटित कर दिया जाए।

विशेष सर्वेक्षण कार्य के लिए नियुक्त होने वाले कर्मियों की वृहत संख्या को देखते हुए इनके योगदान एवं पदस्थापन के लिए भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय स्तर पर Online Personnel Management Software तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से सभी विशेष सर्वेक्षण से संबंधित नवनियुक्त कर्मियों का निदेशालय से जिलों में पदस्थापन एवं जिला बंदोबस्त कार्यालयों से संबंधित शिविरों/ग्रामों में प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उक्त के संदर्भ में यदि किसी तरह की सूचना या जानकारी की आवश्यकता हो तो निदेशालय के आई0टी0 सेल प्रभारी सुश्री सुरभी सिंह, मोबाईल नं0- 9430983741 पर संपर्क किया जा सकता है।

इन सभी कार्यो के उपरांत जिला स्तर पर विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक को प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। अतः भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक-408 दिनांक- 28.02.2020 एवं पत्रांक-915 दिनांक-11.06.2019 द्वारा प्रशिक्षण संबंधी दिए गए निदेशों को विलोपित समझा जाए।

कृ0पृ0उ0

उपर्युक्त कर्मियों को प्रशिक्षण उपरांत निदेशालय स्तर पर योगदान कराये जाने एवं पदस्थापन संबंधी योजना निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	पद का नाम	निदेशालय में योगदान देने की तिथि	जिलों में योगदान करने की तिथि	अभियुक्ति
1.	विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी	27.06.2020	06.07.2020	29.06.2020 से 03.07.2020 तक पटना में व्यावहारिक प्रशिक्षण
2.	विशेष सर्वेक्षण कानूनगो	06.07.2020 एवं 07.07.2020	13.07.2020	08.07.2020 से 11.07.2020 तक पटना में व्यावहारिक प्रशिक्षण
3.	विशेष सर्वेक्षण अमीन	03.07.2020 एवं 04.07.2020 तथा 08.07.2020 से 27.08.2020 तक रविवार को छोड़कर प्रत्येक दिन 300 अमीनों द्वारा निदेशालय में योगदान दिया जाएगा।	निदेशालय में योगदान देने की तिथि के अगले दिन	कर्मियों को योगदान के दिन ही जिलों में पदस्थापित कर दिया जाएगा।

निदेशालय द्वारा प्रथम चरण के लिए चयनित 20 जिलों में उपलब्ध कार्यबल के आधार पर विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने के लिए 208 आवश्यक शिविरों का आकलन कर योजना तैयार किया गया है। उपलब्ध कर्मियों के आधार पर अलग–अलग जिलों में कार्य प्रारंभ करने के लिए अंचलों, उनमें गठित होने वाले शिविरों एवं उसके लिए आवश्यक विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो एवं अमीन की संख्या के संबंध में योजना तैयार किया गया है जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

नवनियुक्त कर्मियों द्वारा जिलों में योगदान दिये जाने के पश्चात् प्रारंभिक स्तर पर किये जाने वाले कार्यो के संबंध में मार्गदर्शन के लिए वर्त्तमान समय में विभिन्न जिलों में कार्यरत संविदा अमीनों का सहयोग लिया जाएगा, और इन पूर्व से कार्यरत संविदा अमीनों द्वारा नवनियुक्त कर्मियों को भू–सर्वेक्षण से संबंधित आवश्यक मार्गदर्शन देना सूनिश्चित किया जाएगा। इस संदर्भ में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में वर्त्तमान समय में विभिन्न जिलों में कार्यरत संविदा अमीनों को सभी 20 जिलों में समानुपातिक रूप से पदस्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। कार्य प्रारंभ करने के संबंध में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा सहयोग प्रदान करने के लिए सभी एजेंसियों को पत्रांक–10009 दिनांक–20.06.2020 प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि आपको संसूचित है।

अतः अनुरोध है कि आपके जिलें में पदस्थापित किये जाने वाले नवनियुक्त कर्मियों एवं कार्य प्रारंभ किये जाने वाले अंचलों के संबंध में आवश्यक शिविर का गठन कर विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने के लिए सभी आवश्यक तैयारी ससमय पूर्ण कर ली जाए एवं पत्र के साथ संलग्न योजना के अनुसार गठित किये जाने वाले शिविर के संबंध में किसी तरह का परिवर्त्तन आवश्यक हो तो इस संबंध में निर्णय लेते हुए निदेशालय को तत्काल सूचित करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:/Drive - D/Year 2020/Birendra Sir/Director/249-2019 Detail 23-06-2020.doc

ज्ञापांक :– 17 तक0 को0 (प्रशिक्षण) – 249 / 2019..10038 **पटना, दिनांक** 24/6/2020

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित जिलों के अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी / सभी संबंधित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0) को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17 तक0 को0 (प्रशिक्षण) – 249 / 2019..10038 **पटना, दिनांक** 24/6/2020

प्रतिलिपि :– सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल, को भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17 तक0 को0 (प्रशिक्षण) – 249 / 2019..10038 **पटना, दिनांक** 24/6/2020

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

24/6/20

D:\Drive-D\Year 2020\Birendra Sir\Director\249-2019 Dated 23-06-2020.doc

विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अंतर्गत विभिन्न जिलों में कार्य प्रारंभ करने हेतु अंचलों के चयन एवं शिविरों के गठन संबंधी प्रस्ताव।

क्र0 सं0	जिला का नाम	कुल अंचलों की सं0	कुल अचंलों की सं0 जहाँ कार्य प्रारंभ किया जाएगा	विशेष सर्वेक्षण के लिए आवश्यक जिलों में गठन किये जाने वाले प्रस्तावित शिविरों की कुल सं0	प्रथम चरण में कार्य प्रारंभ किये जाने वाले शिविरों की सं0	गठन किये जाने वाले शिविर के अनुसार अनुमानित विशेष सर्वेक्षण स0ब0प0	गठन किये जाने वाले शिविर के अनुसार अनुमानित विशेष सर्वेक्षण कानूनगो की सं0	गठन किये जाने वाले शिविर के अनुसार अनुमानित विशेष सर्वेक्षण अमीनों की सं0 एवं 10 प्रतिशत अतिरिक्त	अचंल का नाम जहाँ कार्य प्रारंभ किया जाएगा	अचंल से संबद्ध शिविर की कुल सं0
1	बेगूसराय	18	10	46	19	25	50	380+40=420	बेगूसराय सदर	3
									बीरपुर	2
									चेरिया बरियारपुर	2
									दंडारी	1
									खोदाबन्दपुर	1
									गढ़पुरा	2
									मंसूरचक	2
									मटिहानी	2
									साहेबपुर कमाल	2
									शम्हो कुअरा	2
2	खगड़िया	7	4	13	7	10	20	140+15=155	अलौली	2
									बेलदाउर	1
									चौथम	1
									गोगरी	3
3	लखीसराय	7	5	19	16	18	36	320+35=355	सूर्यगढ़ा	6
									चानन	3
									हलसी	3
									लखीसराय	3
									रामगढ़ चौक	1

विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अंतर्गत विभिन्न जिलों में कार्य प्रारंभ करने हेतु अंचलों के चयन एवं शिविरों के गठन संबंधी प्रस्ताव।

क्र0 सं0	जिला का नाम	कुल अंचलों की सं0	कुल अचंलों की सं0 जहाँ कार्य प्रारंभ किया जाएगा	विशेष सर्वेक्षण के लिए आवश्यक जिलों में गठन किये जाने वाले प्रस्तावित शिविरों की कुल सं0	प्रथम चरण में कार्य प्रारंभ किये जाने वाले शिविरों की सं0	गठन किये जाने वाले शिविर के अनुसार अनुमानित विशेष सर्वेक्षण स0ब0प0	गठन किये जाने वाले शिविर के अनुसार अनुमानित विशेष सर्वेक्षण कानूनगो की सं0	गठन किये जाने वाले शिविर के अनुसार अनुंमानित विशेष सर्वेक्षण अमीनों की सं0 एवं 10 प्रतिशत अतिरिक्त	अचंल का नाम जहाँ कार्य प्रारंभ किया जाएगा	अचंल से संबद्ध शिविर की कुल सं0
4	जहानाबाद	7	4	22	10	12	24	200+20=220	घोसी	2
									मोदनगंज	2
									रतनी फरीदपुर	4
									हुलास गंज	2
5	अरवल	5	5	13	13	15	30	260+25=285	सोनभद्र बंशी	2
									कुर्था	3
									करपी	3
									कलेर	2
									अरवल	3
6	शिवहर	5	3	8	3	4	8	60+10=70	पीपराही	1
									डुमरी	1
									पुरनहिया	1
7	किशनगंज	7	4	28	17	20	40	340+35=375	किशनगंज	3
									बहादुरगंज	4
									कोचाधामन	5
									ठाकुरगंज	5
8	अररिया	9	2	24 (अनुमानित)	6	8	16	120+15=135	भरगावाँ	3
									रानीगंज	3
9	कटिहार	16	3	28 (अनुमानित)	7	9	18	140+15=155	कुरसैला	1
									कोढ़ा	3
									फलका	3

विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अंतर्गत विभिन्न जिलों में कार्य प्रारंभ करने हेतु अंचलों के चयन एवं शिविरों के गठन संबंधी प्रस्ताव।

क्र० सं०	जिला का नाम	कुल अंचलों की सं०	कुल अंचलों की सं० जहाँ कार्य प्रारंभ किया जाएगा	विशेष सर्वेक्षण के लिए आवश्यक जिलों में गठन किये जाने वाले प्रस्तावित शिविरों की कुल सं०	प्रथम चरण में कार्य प्रारंभ किये जाने वाले शिविरों की सं०	गठन किये जाने वाले शिविर के अनुसार अनुमानित विशेष सर्वेक्षण स०ब०प०	गठन किये जाने वाले शिविर के अनुसार अनुमानित विशेष सर्वेक्षण कानूनगो की सं०	गठन किये जाने वाले शिविर के अनुसार अनुमानित विशेष सर्वेक्षण अमीनों की सं० एवं 10 प्रतिशत अतिरिक्त	अंचल का नाम जहाँ कार्य प्रारंभ किया जाएगा	अंचल से संबद्ध शिविर की कुल सं०
10	पूर्णियाँ	14	2	28 (अनुमानित)	4	6	12	80+10=90	श्रीनगर	2
									बनमंखी	2
11	सीतामढ़ी	17	4	33	9	11	22	180+20=200	बथनाहा	3
									रीगा	2
									सोनवर्षा	2
									बाजपट्टी	2
12	सुपौल	11	5	25	12	15	30	240+25=265	छातापुर	3
									पिपरा	2
									प्रतापगंज	1
									त्रिवेणीगंज	3
									सुपौल	3
13	सहरसा	10	3	20 (अनुमानित)	5	7	14	100+10=110	सोनवर्षा	2
									सौरबाजार	2
									पत्थरघाट	1
14	मधेपुरा	13	4	26 (अनुमानित)	6	9	18	120+15=135	गम्हरिया	1
									शंकरपुर	1
									सिंहेश्वर स्थान	1
									कुमार खंड	3

विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अंतर्गत विभिन्न जिलों में कार्य प्रारंभ करने हेतु अंचलों के चयन एवं शिविरों के गठन संबंधी प्रस्ताव।

क्र0 सं0	जिला का नाम	कुल अंचलों की सं0	कुल अचंलों की सं0 जहाँ कार्य प्रारंभ किया जाएगा	विशेष सर्वेक्षण के लिए आवश्यक जिलों में गठन किये जाने वाले प्रस्तावित शिविरों की कुल सं0	प्रथम चरण में कार्य प्रारंभ किये जाने वाले शिविरों की सं0	गठन किये जाने वाले शिविर के अनुसार अनुमानित विशेष सर्वेक्षण स0ब0प0	गठन किये जाने वाले शिविर के अनुसार अनुमानित विशेष सर्वेक्षण कानूनगो की सं0	गठन किये जाने वाले शिविर के अनुसार अनुमानित विशेष सर्वेक्षण अमीनों की सं0 एवं 10 प्रतिशत अतिरिक्त	अचंल का नाम जहाँ कार्य प्रारंभ किया जाएगा	अचंल से संबद्ध शिविर की कुल सं0
15	प0 चंपारण	18	4	55	11	13	26	220+25=245	चनपटिया	3
									मंझोलिया	3
									नौतन	2
									लौरिया	3
16	बांका	11	5	46	12	15	30	240+25=265	चानन	3
									कटोरिया	1
									फल्लीडुमर	2
									बाराहाट	3
									बेलहर	3
17	जमुई	10	3	20	6	8	16	120+15=135	बरहट	1
									खैरा	3
									लक्ष्मीपुर	2
18	शेखपुरा	6	6	15	15	8	36	300+30=330	अरियरी	3
									बरबिघा	3
									चेवरा	2
									घाटकुम्बा	2
									शेखपुरा	4
									शेखोपुर सराय	1

विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अंतर्गत विभिन्न जिलों में कार्य प्रारंभ करने हेतु अंचलों के चयन एवं शिविरों के गठन संबंधी प्रस्ताव।

क्र0 सं0	जिला का नाम	कुल अंचलों की सं0	कुल अचंलों की सं0 जहाँ कार्य प्रारंभ किया जाएगा	विशेष सर्वेक्षण के लिए आवश्यक जिलों में गठन किये जाने वाले प्रस्तावित शिविरों की कुल सं0	प्रथम चरण में कार्य प्रारंभ किये जाने वाले शिविरों की सं0	गठन किये जाने वाले शिविर के अनुसार अनुमानित विशेष सर्वेक्षण स0ब0प0	गठन किये जाने वाले शिविर के अनुसार अनुमानित विशेष सर्वेक्षण कानूनगो की सं0	गठन किये जाने वाले शिविर के अनुसार अनुमानित विशेष सर्वेक्षण अमीनों की सं0 एवं 10 प्रतिशत अतिरिक्त	अचंल का नाम जहाँ कार्य प्रारंभ किया जाएगा	अचंल से संबद्ध शिविर की कुल सं0
19	मुंगेर	9	5	29	13	15	30	260+30=290	असरगंज	3
									टेटियाबम्बर	2
									तारापुर	3
									बरियारपुर	2
									संग्रामपुर	3
20	नालंदा	20	9	43	17	20	40	340+35=375	अस्थावाँ	2
									बेन	1
									बिन्द	2
									चण्डी	3
									हरनौत	3
									सिलाव	2
									परवलपुर	1
									सरमेरा	2
									थरथरी	1
कुल		**220**	**91**	**541**	**208**	**258**	**516**	**4160+450=4610**		

Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :–17 नि0 विशेष सर्वेक्षण (प्रशिक्षण कोषांग) – 107 / 2019 ..10080..

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

1. **M/s IIC Technology,**
   Hydrabad.
2. **M/s IL&FS Envirommental Infrastructure Service Ltd.**
   New Delhi.
3. **GIS Consortium Ltd.**
   New Delhi

पटना, दिनांक :29-06-2020

विषय :– विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के लिए चयन किये गए प्रथम चरण के 20 जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य प्रारंभ करने के संबंध में।

प्रसंग :– निदेशालय का पत्रांक–10009 दिनांक–20.06.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य प्रथम चरण के 20 जिलों में प्रारंभ करने के लिए निदेशालय द्वारा अंचलों का चयन, शिविर का गठन एवं जिलों में पदस्थापित किये जाने वाले विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन के संबंध में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा कार्य योजना तैयार कर पत्रांक–10009 दिनांक–20.06.2020 द्वारा आपको उपलब्ध करायी गई है। इस संबंध में आपके द्वारा की गई जाने वाली कार्रवाई के संबंध में प्रतिवेदन अप्राप्त है। इस पत्र के पूर्व समय–समय पर निदेशालय द्वारा विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने एव जिलावार / ग्रामवार आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता के लिए निदेशालय द्वारा आपको निरंतर निदेश दिये गए हैं। इसके आलोक में अपेक्षा की जाती है कि आपके द्वारा सभी जिलों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने के लिए सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई होगी। इसके आलोक में अनुरोध है कि निम्नांकित बिन्दुओं पर यथाशीघ्र प्रतिवेदन तैयार कर निदेशालय को समर्पित किया जाय :–

1. सभी 20 जिलों में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के कार्यालय की स्थापना एवं कर्मियों की पदस्थापना संबंधी विवरणी।
2. निदेशालय के पत्रांक–10009 दिनांक–20.06.2020 के आलोक में प्रारंभिक स्तर का कार्य प्रारंभ करने के पश्चात् विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम नियमावली के आलोक में किये जाने वाले कार्यो के लिए प्रत्येक कार्यरत विशेष सर्वेक्षण अमीन को ई0टी0एस0 मशीन एवं ऑपरेटर उपलब्ध कराये जाने संबंधी कार्य योजना।
3. विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने वाले जिलों में अबतक समर्पित किये गए मानचित्रों (संशोधित मानचित्र सहित) की समेकित अद्यतन प्रतिवेदन।
4. निदेशालय द्वारा विशेष सर्वेक्षण अमीन को सभी संबंधित जिलों में दिनांक–03.07.2020 से 27.07.2020 तक पदस्थापित किया जाएगा। जिलों के जिन अंचलों में कार्य प्रारंभ किया जाना है। इस संबंध में जिला स्तर पर अवगत हो लें एवं तत्पश्चात् संबंधित ग्रामों के मानचित्र को शिविर में उपलब्ध कराये जाने की कार्य योजना।
5. जिलों में आवश्यक मानचित्रों की आपूर्ति के लिए आवश्यकतानुसार प्लॉटर की स्थापना किये जाने संबंधी प्रस्ताव।

6. वर्त्तमान समय में विशेष सर्वेक्षण कार्यरत अंचल क्रमशः बेगूसराय सदर अंचल, घाटकुसुम्भा एवं पिपरा अंचल में अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा क्रमशः दिनांक–11.02.2020, 22.01.2020 एवं 04.02.2020 को दिये गए निदेश के अनुपालन में कार्य प्रारंभ करने के लिए आवश्यक मानचित्रों में दी जाने वाली आवश्यक विवरणी, मोन्यूमेंटेशन के संबंध में की जाने वाले कार्रवाई, मोन्यूमेंटेशन के प्रश्चात् डी0जी0पी0एस0 रिडिंग एवं उनके संधारण इत्यादि के संबंध में दिये गए निदेश (सभी जिलों के लिए लागू) का अनुपालन के संदर्भ में कृत कार्रवाई प्रतिवेदन।

उपर्युक्त सभी बिन्दुओं की समीक्षा अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दिनांक–08.07.2020 को की जानी है। अतः इस संबंध में दिनांक–08.07.2020 के पूर्व प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन के साथ बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 27/6/20
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17 नि0 विशेष सर्वेक्षण (प्रशिक्षण कोषांग) – 107/2019..10080 **पटना, दिनांक** 29-06-2020

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी, अररिया, अरवल, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, जमुई, जहानाबाद, नालंदा, पं0 चम्पारण, पूर्णियाँ, बांका, बेगूसराय, मधेपुरा, मुंगेर, लखीसराय, शिवहर, शेखपुरा, सहरसा, सीतामढ़ी एवं सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17 नि0 विशेष सर्वेक्षण (प्रशिक्षण कोषांग) – 107/2019..10080 **पटना, दिनांक** 29-06-2020

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित जिलों के अपर सहामहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी/सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17 नि0 विशेष सर्वेक्षण (प्रशिक्षण कोषांग) – 107/2019..10080 **पटना, दिनांक** 29-06-2020

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 27/6/20
भू–अभिलेख एवं परिमाप

Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :–17 तक0 को0 – 312/2018........10233

प्रेषक,

विवेक कुमार सिंह, भा0प्र0से0
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल,
शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ,
सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पं0 चंपारण,
बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर, एवं नालंदा।

पटना, दिनांक : 9/7/2020

विषय :– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य के समीक्षा के संबंध में।

प्रसंग :– निदेशालय का पत्रांक–408 दिनांक–28.02.2020, पत्रांक– 10038 दिनांक–24.06.2020 एवं पत्रांक–10145 दिनांक–04.07.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगिक पत्रों का स्मरण किया जाय। आप अवगत है कि बिहार राज्य में भू–सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य सरकार के प्राथमिकता में है। विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य को करने के लिए संविदा आधारित पदाधिकारियों/कर्मियों के नियोजन एवं प्रशिक्षण का कार्य संपन्न करने के पश्चात् उन्हें आपके जिलों में शिविरों के समरूप पदस्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है, जो जुलाई, 2020 के अंत तक संपन्न कर ली जाएगी।

प्रसंगिक पत्रों के अलावा निदेशालय स्तर से विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य के संदर्भ में पूर्व में भी विभिन्न निदेश निर्गत किये गए है। साथ ही सर्वेक्षण कार्य के संदर्भ में मार्गदर्शिका भाग–1 आपको उपलब्ध कराया गया है।

विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन अपने साथ लैपटॉप एवं स्मार्ट फोन (इंटरनेट सुविधा सहित) सर्वे कार्य में रखेंगे। साथ ही सभी प्रकार की डाटा इन्ट्री संबंधित कर्मी द्वारा भी की जाएगी। इसके लिए इन सभी कर्मियों को लॉग इन पासवड निदेशालय स्तर से उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य रूप से सर्वेक्षण कार्य में चार प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है :–

1. कार्मिक मैनेजमेंट सॉफ्वेयर – डाटा इंट्री जिला स्तर से की जानी है।
2. भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर – डाटा इंट्री सभी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो व अमीन के स्तर से।
3. भू–नक्शा सॉफ्टवेयर – डाटा इंट्री हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के स्तर से की जानी है।
4. GCN सॉफ्टवेयर – डाटा इंट्री हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के स्तर से।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अधिनियम एवं नियमावली अंतर्गत चरणवद्ध तरीके से ससमय संपन्न हो इसके लिए आवश्यक है कि इस कार्य के लिए जिला बंदोबस्त कार्यालय सहित शिविरों में हो रहे कार्यो तथा आवश्यकताओं की पूर्ति की समीक्षा प्रारंभ से की जाए और निरंतर अंतराल पर होती रहे।

D:\Drive - D\Year 2020\Manoj Jha Sir\Principal Sec\317-2018 Dated 08.07.2020.doc

उल्लेखनीय है कि अगस्त माह में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में Video Conferencing माध्यम से आपके जिले में हो रहे भू–सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की समीक्षा किया जाना प्रस्तावित है। इस आलोक में यह अपेक्षित है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के विभिन्न आयामों की समीक्षा सहित निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चरणवद्ध तरीके से अविलंब एवं ससमय समीक्षा की जाए:–

प्रथम समीक्षा (तिथि 13 जुलाई, 2020 तक) :–

1. जिला बंदोबस्त कार्यालय के लिए भवन (चार कमरे एवं एक बड़ा हॉल सहित)।
2. जिला बंदोबस्त कार्यालय में बुनयादी सुविधाएँ यथा – बिजली, पानी, शौचालय, इंटरनेट आदि की उपलब्धता।
3. जिला बंदोबस्त कार्यालय में पदस्थापित नियमित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, लिपिक, परिचारी, अमीन, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं संविदा अमीन के संख्या की समीक्षा सहित उन्हें कार्य आवंटन।
4. जिला बंदोबस्त कार्यालय में आवश्यक उपस्कर, आलमीरा कुर्सी, टेबुल, रैक, ग्लास टेबुल, तख्ती, तिपाई, टेप, स्कैल, गुनटर चेन, कम्प्यूटर इत्यादि की उपलब्धता।
5. शिविर कार्यालय के लिए भवन की उपलब्धता एवं आवागमन की दृष्टिकोण से सड़क मार्ग से सुविधाजनक रूप से जुड़ा होना। अंचलवार शिविरों की संख्या व सम्बद्ध मौजों की सूची आपको पूर्व में ही उपलब्ध करा दी गयी है।
6. हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के कार्यालय की जिला मुख्यालय में स्थापना।
7. हवाई एजेंसी द्वारा अपने जिला कार्यालय में लैब की स्थापना तथा उपकरणों यथा – ई0टी0एस0, डी0जी0पी0एस0 की प्रर्याप्त संख्या में व्यवस्था एवं जिला स्तरीय प्रतिनिधि के अतिरिक्त अन्य कर्मियों यथा ई0टी0एस0 ऑपरेटरों की व्यवस्था किया जाना।
8. हवाई एजेंसी द्वारा प्राईमरी एवं सेकेन्ड्री कन्ट्रोल प्वाइन्ट बनाया जाना तथा इन प्वाइन्टों के स्थान की समीक्षा तथा इसके सुरक्षा की व्यवस्था।
9. जिला अंतर्गत शिविरवार राजस्व ग्रामों के कैडस्ट्रल/रिविजनल/चकबंदी मानचित्र का बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग से आपूर्ति की स्थिति।
10. जिला में मानचित्र उपलब्धता के लिए लगाये गए प्लॉटर की स्थिति।
11. जिले के सभी राजस्व ग्रामों के संपुष्ट खतियानों की उपलब्धता की स्थिति।
12. जिले के असर्वेक्षित ग्रामों के संदर्भ में समीक्षा।
13. जिला बंदोबस्त कार्यालय में जिले के राजस्व ग्रामों के अनुपलब्ध मानचित्र एवं खतियान के संबंध में पूर्व में निर्गत निदेशों के आलोक में की गयी कार्रवाई, इसकी उपलब्धता या वैकल्पिक व्यवस्था की समीक्षा।
14. जिला स्तर के सभी विभागों के सरकारी भूमि की सूची तैयार करने हेतु उक्त विभाग के नोडल पदाधिकारियों के साथ की गई बैठक की समीक्षा एवं विभिन्न विभागों द्वारा अपनी भूमि के संबंध में तैयारी।
15. जिला बंदोबस्त कार्यालय को बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग से उपलब्ध कराये जाने वाले प्रपत्र की स्थिति (गुलजारबाग से आवश्यकतानुसार प्रपत्र जिला स्तर से कर्मी/पदाधिकारी प्रतिनियुक्त कर प्राप्त किया जाना है)।

क्र0सं0	प्रपत्र का नाम	विषय
1.	प्रपत्र –2	रैयत द्वारा स्वामित्व/धारित भूमि का स्वघोषणा प्रपत्र
2.	प्रपत्र–3	स्वघोषणा के विरूद्ध निर्गत किये जाने वाले सत्यापन का प्रमाण पत्र की पंजी
3.	प्रपत्र – 1(i)	वंशावली प्रपत्र
4.	प्रपत्र – 3(ii)	यादाश्त प्रपत्र
5.	प्रपत्र – 4	गैर सत्यापित/विवादग्रस्त भूमि की पंजी
6.	प्रपत्र – 5	खतियानी विवरणी की पंजी
7.	प्रपत्र – 6	खेसरा पंजी की पंजी
8.	प्रपत्र – 8	दावा/आक्षेप का प्रपत्र
9.	प्रपत्र – 9	दावा/आक्षेपों की पावती प्रपत्र
10.	प्रपत्र – 10	दावा/आक्षपों की पंजी
11.	प्रपत्र – 11	सूचना का प्रपत्र
12.	प्रपत्र – 14	दावा/आक्षेप दायर करने का प्रपत्र
13.	प्रपत्र – 15	प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर किए दावों/आक्षेपों की पंजी
14.	प्रपत्र – 16	दावा/आक्षेपों की पावती प्रपत्र
15.	प्रपत्र – 17	सूचना का प्रपत्र
16	अमीन डायरी	अमीन डायरी

16. निदेशालय द्वारा नवनियोजित कर्मियों के जिला स्तर पर पदस्थापन पश्चात् शिविरवार प्रतिनियुक्ति से संबंधित Online Personnel Management Software को उपयोग में लाने हेतु कार्यपालक सहायक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को नामित करते हुए प्रतिनियुक्ति की वृहत् तैयारी किया जाना।

द्वितीय समीक्षा (तिथि 05 अगस्त, 2020 तक) :–

1. नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक के आपके जिले में पदस्थापन पश्चात उसके संख्या के आधार पर पूर्व में दिये गए निदेश के अनुरूप शिविरों के गठन एवं कर्मियों के प्रतिनियुक्ति की समीक्षा।
2. शिविर कार्यालय में बुनियादी सुविधा यथा – बिजली, पानी, शौचालय आदि की उपलब्धता।
3. शिविर कार्यालय में उपस्कर, आलमीरा कुर्सी, टेबुल रैक, ग्लास, टेबुल, तखति,-तिपाई, टेप, स्कैल, गन्टर चेन इत्यादि की उपलब्धता।
4. विशेष सर्वेक्षण अमीनों को आवश्यक सामग्री यथा तख्ती, तिपाई, टेप, स्कैल, कैलकुलेटर इत्यादि उपलब्ध कराने की स्थिति।
5. जिले में पदस्थापित किये जाने वाले विशेष सर्वेक्षण अमीनों का हवाई एजेंसी के द्वारा आपूरित ई0टी0एस0 एवं डी0जी0पी0एस0 उपकरण एवं ऑपरेटरों के साथ संबद्ध कर क्षेत्र में कार्य करने संबंधी उन्मुखीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में पूर्व में निदेश दिया गया है। इस कार्य को कर लिये जाने के संबंध में समीक्षा।
6. नियमावली के नियम 4 (1) अंतर्गत प्रपत्र–1 में राजस्व ग्राम का उद्धोषणा किया जाना।
7. नियमावली के नियम 8 अंतर्गत खानापुरी दल का गठन किया जाना।
8. विभिन्न अंचल कार्यालयों द्वारा विशेष सर्वेक्षण शिविरों को उपलब्ध कराए गए सरकारी भूमि की विवरणी, जमाबंदी पंजी की विवरणी, निष्पादित दाखिल–खारिज वादों एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों को उपलब्ध कराए जाने की स्थिति।

9. अंचल कार्यालयों द्वारा बन्दोबस्त की गई भूमि की विवरणी शिविर कार्यालयों को उपलब्ध कराए जाने की समीक्षा।

10. शिविरों में हो रहे कार्यो की निरंतर समीक्षा हेतु जिला एवं अनुमंडल स्तर से पदाधिकारियों को नामित किया जाना।

तृतीय समीक्षा (तिथि 14 अगस्त, 2020 तक) :–

1. जिला एवं अचंल स्तर पर सर्वेक्षण कार्यो की प्रचार–प्रसार।
2. राजस्व ग्राम के स्तर पर ग्राम सभा का आयोजन।
3. नियमावली के नियम 9 (1) अंतर्गत गत अधिकार अभिलेख से प्रपत्र–5 खतियानी विवरणी तैयार किया जाना।
4. नियमावली के नियम 6 (1) अंतर्गत स्वघोषणा प्रपत्र–2 एवं वंशावली प्रपत्र 3 (1) का संग्रह किया जाना।
5. हवाई एजेंसी सर्वेक्षण द्वारा ग्राम त्रीसीमाना निर्धारण/मोन्यूमेंटेशन/ग्राम सीमा सत्यापन किया जाना· तत्पश्चापत् सर्वे मानचित्र के आपूर्ति की समीक्षा।
6. जिला एवं अनुमंडल स्तर के शिविर भ्रमण कर कार्य की समीक्षा हेतु जिला स्तर से प्राधिकृत पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक।

उपरोक्त उल्लेखित बिन्दुओं के अतिरिक्त बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम एवं नियमावली के अधीन पूर्व में निर्गत मार्गदर्शिका एवं पत्र आदि के आलोक में निर्धारित तिथियों के अंदर वृहत समीक्षा की जाए एवं समीक्षा पश्चात् कृत कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

विश्वासभाजन

9/7/20

(विवेक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 17 तक0 को0 – 312/2018..10233 **पटना, दिनांक** 9/7/2020

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 17 तक0 को0 – 312/2018..10233 **पटना, दिनांक** 9/7/2020

प्रतिलिपि :– प्रमंडलीय आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, कोशी प्रमंडल, पूर्णियॉ प्रमंडल, मुंगेर, भागलपुर प्रमंडल, गया प्रमंडल, पटना प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :– 17 तक0 को0 – 312/2018..10233 **पटना, दिनांक** 9/7/2020

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

D:\Drive - D\Year 2020\Manoj Jha Sir\Principal Sec\312-2018 Dated 08.07.2020.doc

Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 17-विशेष सर्वेक्षण (Creative Writing) - 308 / 2019.10459

प्रेषक,

जय सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता-सह-बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल,
शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ,
सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पं० चंपारण,
बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर, एवं नालंदा।

पटना, दिनांक : 14-08-2020

विषय :– होर्डिंग, बैनर और पोस्टर के जरिए बिहार विशेष सर्वेक्षण का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के संबंध में।

संदर्भ :– विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की समीक्षा से संबंधित विभागीय पत्र संख्या-10233 दिनांक- 09.07.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव के पत्र द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करने और नियमित समीक्षा शुरू करने के निदेश दिए गए थे। इसके अंतर्गत जिला एवं अंचल स्तर पर बिहार विशेष सर्वेक्षण के प्रचार-प्रसार का कार्य भी शामिल था। भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा तीन विषयों :-

(1) किस्तवार एवं खानापुरी की प्रक्रिया (2) बिहार विशेष सर्वेक्षण में रैयतों की जिम्मेवारी एवं (3) प्रपत्र-2 एवं प्रपत्र-3 (i) भरने की सामान्य जानकारी पर प्रचार सामग्री तैयार कराई गई है। यह प्रचार सामग्री पोस्टर, बैनर एवं होर्डिंग के रूप में है। प्रचार सामग्री जिसकी सॉफ्ट कॉपी इस मेल के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है, को रंगीन प्रिंट कराकर सूचना एवं जन संपर्क विभाग के सरकारी कार्यालयों में लगे फ्रेम में लगाया जाना है।

होर्डिंग हेतु तैयार प्रचार सामग्री को फ्लैक्स पर रंगीन प्रिंट कराया जाना है। इसका साईज 8X12 एवं 10X20 फीट है। पोस्टर सामग्री A5, A4 एवं A3 साईज के पेपर पर छपनी है और यह दीवाल पर चिपकाने एवं लोगों के बीच बांटने के लिए है। इसी तरह बैठकों एवं सभाओं लगाए जाने वाले बैनरों के लिए भी इस सामग्री का इस्तेमाल किया जाना है। Portrait आकार की सामग्री पोस्टर हेतु है, जबकि Landscape में होर्डिंग एवं बैनर की सामग्री दी जा रही है।

जिला एवं अंचल कार्यालयों के अतिरिक्त यह प्रचार सामग्री सर्वेक्षण हेतु स्थापित विशेष शिविरों में भी लगायी और वितरित की जानी है। पंचायत सरकार भवन में चल रहे शिविरों में जहां पहले से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के फ्रेम लगे हुए नहीं है, वहां जिला प्रशासन द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जरिए इस तरह के फ्रेम लगाए भी जाने हैं। पत्रांक-378 दिनांक-25.02.2020 एवं पत्रांक-1654 दिनांक-24.03.2020 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय, सुपौल एवं शेखपुरा की यह प्रचार सामग्री पूर्व में भेजी जा चुकी है।

कृ०पृ०उ०

पत्र के साथ उक्त वर्णित विषय सामग्री की डिजाईन की सॉफ्ट कॉपी प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण के बारे में जन–जागरूकता बढ़ाने एवं इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करने के लिए अपने स्तर से भी विशेष प्रयास करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक

D:\Drive - D\Year 2020\Rajesh Sir\Director\05-08-2020.doc

Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 17–आवंटन(योजना –0101)–126 / 2020/10508

प्रेषक,

जय सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पश्चिम चम्पारण, बाँका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालन्दा।

पटना, दिनांक : 20.08.2020

विषय :– मुख्य शीर्ष – 2029 – भू–राजस्व –उप मुख्य शीर्ष – 00 – लघु शीर्ष – 102 – सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य – उप शीर्ष – 0101 – सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल –2,90,35,500 / – (दो करोड़ नब्बे लाख पैतीस हजार पाँच सौ रूपये मात्र) का आवंटन।

प्रसंग :– निदेशालय पत्र संख्या 10038 दिनांक 24.06.2020 एवं 408 दिनांक 28.02.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र संख्या 10038 दिनांक 24.06.2020 के साथ संलग्न विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अन्तर्गत विभिन्न जिलों में कार्य प्रारंभ करने हेतु अंचलों के चयन एवं शिविरों के गठन संबंधी प्रस्तावित 20 जिलों में 208 शिविरों के गठन संबंधी पत्र निर्गत किया गया है।

2. निदेशालय पत्र संख्या 408 दिनांक 28.02.2020 की कंडिका –5 (क) में अंकित विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी / कानूनगों को दी जाने वाले सामग्री का अनुमानित मुल्य प्रति कर्मी 650 / –की दर से कुल 3,47,100 / – (तीन लाख सैतालीस एक सौ रूपये मात्र) का आवंटन निम्नानुसार आवंटित की जाती है:–

क्र० सं०	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	शिविर की संख्या	प्रति शिविर विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी की संख्या	प्रति शिविर वशेष सर्वेक्षण कानूनगों की संख्या	कुल संख्या (4+5)	प्रति कर्मी 650 / – की दर से आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	बेगूसराय	19	20	38	58	37700
2	खगड़िया	7	8	10	18	11700
3	लखीसराय	16	16	22	38	24700
4	जहानाबाद	10	11	14	25	16250

E:\Year 2020 Om\Arya sir\CFMS Allotment district wise Distubanon\File no 126 -2020 to Allotment 01 01 1301 Other Sallary 18.08.2020.doc

क्र0 सं0	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	शिविर की संख्या	प्रति शिविर विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी की संख्या	प्रति शिविर वशेष सर्वेक्षण कानूनगों की संख्या	कुल संख्या (4+5)	प्रति कर्मी 650/– की दर से आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7
5	अरवल	13	13	20	33	21450
6	शिवहर	3	4	6	10	6500
7	किशनगंज	17	17	24	41	26650
8	अररिया	6	6	7	13	8450
9	कटिहार	7	7	9	16	10400
10	पूर्णिया	4	4	6	10	6500
11	सीतामढ़ी	9	10	12	22	14300
12	सुपौल	12	12	24	36	23400
13	सहरसा	5	4	8	12	7800
14	मधेपुरा	6	6	8	14	9100
15	पश्चिम चम्पारण	11	12	14	26	16900
16	बाँका	12	12	17	29	18850
17	जमुई	6	6	8	14	9100
18	शेखपुरा	15	16	30	46	29900
19	मुंगेर	13	13	18	31	20150
20	नालन्दा	17	18	24	42	27300
	कुल योग :–	**208**	**215**	**319**	**534**	**347100**

(तीन लाख सैतालीस हजार एक सौ रूपये मात्र)

3. निदेशालय पत्र संख्या 408 दिनांक 28.02.2020 की कंडिका –5 (क) में अंकित विशेष सर्वेक्षण अमीन को दी जाने वाले सामग्री का अनुमानित मुल्य प्रति कर्मी 4560/–की दर से कुल 1,42,27,200/– (एक करोड़ बेयालीस लाख सताईस हजार दो सौ रूपये मात्र) का आवंटन निम्नानुसार आवंटित की जाती है:–

क्र0 सं0	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	शिविर की संख्या	प्रति शिविर अमीन की संख्या (प्रति शिविर 20 अमीन का 75 प्रतिशत)	प्रति अमीन 4560/– की दर से आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	बेगूसराय	19	285	1299600
2	खगड़िया	7	105	478800
3	लखीसराय	16	240	1094400
4	जहानाबाद	10	150	684000
5	अरवल	13	195	889200
6	शिवहर	3	45	205200
7	किशनगंज	17	255	1162800

E:\Year 2020 Om\Arya sir\CFMS Allotment district wise Distribution\File no 126-2020 to Allotment 01 01 1301 Other Sallary 18.08.2020.doc

क्र0 सं0	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	शिविर की संख्या	प्रति शिविर अमीन की संख्या (प्रति शिविर 20 अमीन का 75 प्रतिशत)	प्रति अमीन 4560/– की दर से आवंटित राशि
1	2	3	4	5
8	अररिया	6	90	410400
9	कटिहार	7	105	478800
10	पूर्णिया	4	60	273600
11	सीतामढी	9	135	615600
12	सुपौल	12	180	820800
13	सहरसा	5	75	342000
14	मधेपुरा	6	90	410400
15	पश्चिम चम्पारण	11	165	752400
16	बाँका	12	180	820800
17	जमुई	6	90	410400
18	शेखपुरा	15	225	1026000
19	मुंगेर	13	195	889200
20	नालन्दा	17	255	1162800
	कुल योग :–	**208**	**3120**	**14227200**
	(एक करोड़ बेयालीस लाख सताईस हजार दो सौ रूपये मात्र)			

4. निदेशालय पत्र संख्या 408 दिनांक 28.02.2020 की कंडिका –5 (ख) में अंकित प्रति शिविर उपस्कर हेतु को दी जाने वाले सामग्री का अनुमानित मुल्य प्रति शिविर 69,525/–की दर से कुल 1,44,61,200/– (एक करोड़ चौवालीस लाख एकसठ हजार दो सौ रूपये मात्र) का आवंटन निम्नानुसार आवंटित की जाती है :–

क्र0 सं0	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	शिविर की संख्या	प्रति शिविर 69,525/– की दर से राशि	13 01 कार्यालय व्यय में आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	बेगूसराय	19	1320975.00	1320975.00
2	खगड़िया	7	486675.00	486675.00
3	लखीसराय	16	1112400.00	1112400.00
4	जहानाबाद	10	695250.00	695250.00
5	अरवल	13	903825.00	903825.00
6	शिवहर	3	208575.00	208575.00
7	किशनगंज	17	1181925.00	1181925.00
8	अररिया	6	417150.00	417150.00
9	कटिहार	7	486675.00	486675.00
10	पूर्णिया	4	278100.00	278100.00
11	सीतामढी	9	625725.00	625725.00
12	सुपौल	12	834300.00	834300.00
13	सहरसा	5	347625.00	347625.00
14	मधेपुरा	6	417150.00	417150.00

क्र0 सं0	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	शिविर की संख्या	प्रति शिविर 69,525/— की दर से राशि	13 01 कार्यालय व्यय में आवंटित राशि
1	2	3	4	5
15	पश्चिम चम्पारण	11	764775.00	764775.00
16	बाँका	12	834300.00	834300.00
17	जमुई	6	417150.00	417150.00
18	शेखपुरा	15	1042875.00	1042875.00
19	मुंगेर	13	903825.00	903825.00
20	नालन्दा	17	1181925.00	1181925.00
	कुल योग :—	**208**	**14461200.00**	**14461200.00**
	(एक करोड़ चौवालीस लाख एकसठ हजार दो सौ रूपये मात्र)			

5. उपरोक्त आवंटित राशि विपत्र कोड— 40—2029001020101 के ईकाई कोड— 13 01 कार्यालय व्यय मद से की जाएगी।

6. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक — 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 314 दिनांक 27.02.2019 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

7 अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या — 40 एवं विपत्र कोड **40 — 2029001020101** अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।

9. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक नियमित रूप से निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गए विहित प्रपत्र में भेजना सुनिश्चित किया जाए।

10. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय—समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।

11. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

12. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

13. इसकी सूचना महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।

14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

15. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

अनुलग्नक :– निदेशालय पत्र संख्या 10038 दिनांक 24.06.2020 एवं 408 दिनांक 28.02.2020 (निदेशालय बेबसाईट www.dlrs.bihar.gov.in) पर उपलब्ध है।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना –0101)–126 / 2020..10508.... **पटना, दिनांक** 20.8.2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना –0101)–126 / 2020..10508.... **पटना, दिनांक** 20.8.2020

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित प्रभारी पदाधिकारी / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना –0101)–126 / 2020..10508.... **पटना, दिनांक** 20.08.2020

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना –0101)–126 / 2020..10508.... **पटना, दिनांक** 20.8.2020

प्रतिलिपि :– सुश्री सुरभि सिंह, डाटा एनालिस्ट, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस पत्र के साथ निदेशालय पत्र संख्या 10038 दिनांक 24.06.2020 एवं 408 दिनांक 28.02.2020 भी बेवसाईट पर अपलोड कर दें।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

E:\Year 2020 Om\Arya sir\CFMS Allotment district wise Distubation\File no 126 -2020 to Allotment 01 01 1301 Other Sallary 18.08.2020.doc

संख्या :– 17– स्था0 (अराजपत्रित पदो का आवंटन) – 337/2015/1051/पटना, दिनांक :–

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0,
निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक 20.08.2020

विषय :– **भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के नियंत्रणाधीन सभी 38 बन्दोबस्त कार्यालयों एवं 02 प्रशिक्षण संस्थानों यथा राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया/शास्त्रीनगर में विभिन्न पदों को पुर्नआवंटित करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आदेश संख्या–1885, दिनांक–16.10.2015 के द्वारा भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों के लिए चिन्हित नियमित स्थापना के कुल–364 पदों (निम्नवर्गीय लिपिक–244, उच्चवर्गीय लिपिक–80, प्रधान लिपिक–31 एवं कार्यालय अधीक्षक–09) एवं नियमित स्थापना के कार्यालय परिचारी के 493 पदों को निम्न प्रकार भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के नियंत्रणाधीन सभी 38 बन्दोबस्त कार्यालयों एवं 02 प्रशिक्षण संस्थानों यथा राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया/शास्त्रीनगर के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से पुर्नआवंटित किया जाना आवश्यक है।

तदनुसार जिलों में स्थित बन्दोबस्त कार्यालयों तथा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उक्त जिलों में अंचलों की संख्या एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रासंगिक पत्रों में निहित निदेश के आलोक में पदों का पुर्नआवंटन निम्नवत किया जाता है :–

क्र0 सं0	जिला का नाम	अंचलो की संख्या	कार्यालय परिचारी	निम्नवर्गीय लिपिक	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रधान लिपिक	अधीक्षक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नालन्दा	20	19	9	3	1	–
2	**सारण**	**20**	**19**	**9**	**3**	**1**	**1**
3	**भागलपुर**	**16**	**15**	**7**	**2**	**1**	**1**
4	**मुंगेर**	**9**	**08**	**5**	**2**	**1**	**1**
5	शेखपुरा	6	05	3	1	–	–
6	बेगूसराय	18	17	8	2	1	–
7	लखीसराय	7	06	3	1	–	–
8	खगड़िया	7	06	3	1	–	–
9	जमुई	10	07	4	1	1	–
10	सिवान	19	18	8	3	1	–
11	**पूर्णियाँ**	**14**	**13**	**6**	**2**	**1**	**1**
12	कटिहार	16	15	7	2	1	–
13	मोतिहारी	27	20	12	4	1	–

E:\2020\Chandan\Sec-3\letter\04.01.2020.doc 71

14	गोपालगंज	14	13	6	2	1	—
15	किशनगंज	7	06	3	1	—	—
16	अररिया	9	08	4	1	1	—
17	**पटना**	**23**	**23**	**11**	**4**	**1**	**1**
18	भोजपुर	14	13	6	2	1	—
19	बक्सर	11	12	5	2	1	—
20	**सहरसा**	**10**	**09**	**4**	**1**	**1**	**1**
21	मधेपुरा	13	12	5	2	1	—
22	सुपौल	11	10	5	2	1	—
23	बेतिया	18	17	7	2	1	—
24	**मुजफ्फरपुर**	**16**	**15**	**7**	**2**	**1**	**1**
25	वैशाली	16	12	7	2	1	—
26	रोहतास	19	15	9	3	1	—
27	कैमूर	11	10	5	2	1	—
28	अरवल	5	04	2	1	1	—
29	औरंगाबाद	11	10	5	1	—	—
30	**गया**	**24**	**19**	**11**	**4**	**1**	**1**
31	जहानाबाद	7	06	3	1	—	—
32	नवादा	14	13	6	2	1	—
33	बांका	11	10	5	1	1	—
34	**दरभंगा**	**18**	**17**	**7**	**2**	**1**	**1**
35	मधुबनी	21	16	9	3	1	—
36	समस्तीपुर	20	15	9	3	1	—
37	सीतामढ़ी	13	12	5	2	1	—
38	शिवहर	9	08	4	1	—	—
39	राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोध गया	—	10	5	2	—	—
40	राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर	—	10	5	2	—	—
	कुल योग :—	**534**	**493**	**244**	**80**	**31**	**9**

2. पदों के पुर्नआवंटन के पश्चात् स्वीकृत पदो/कर्णांकित पदों के विरूद्ध पदाधिकारियों/कर्मियों के वेतन का भुगतान राज्यादेश संख्या–314, दिनांक–27.02.2019 की कंडिक–7 में अंकित बजट मुख्य शीर्ष– 2029– भू–राजस्व– उपमुख्य शीर्ष– 00– लघुशीर्ष– 102– सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य– उपशीर्ष– 0101 – सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य का पुनरीक्षण, मांग संख्या–40 विपत्र कोड संख्या– 40 2029001020101 राज्य–योजना स्कीम कोड–5536 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा।

3. प्रमण्डल मुख्यालय के जिलों में अवस्थित 09 बन्दोबस्त कार्यालय में अधीक्षक का पद होगा शेष कार्यालयों में प्रधान लिपिक का पद रहेगा।

4. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5. यह आदेश दिनांक–01.07.2020 की तिथि से प्रभावी होगा।

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

E:\2020\Chandan\Sec-3\letter\04.01.2020.doc 72

ज्ञापांक :— 17— स्था0 (अराजपत्रित पदो का आवंटन) — 337 / 2015/1052 पटना, **दिनांक** :— 20.8.2020

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, वित्त विभाग / अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :— 17— स्था0 (अराजपत्रित पदो का आवंटन) — 337 / 2015/1051 पटना, **दिनांक** :—

प्रतिलिपि :— सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त / समाहर्त्ता—सह—बन्दोबस्त पदाधिकारी / प्राचार्य, राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया / सभी कोषागार / उप कोषागार, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :— 17— स्था0 (अराजपत्रित पदो का आवंटन) — 337 / 2015/1052 पटना, **दिनांक** :— 20.8.2020

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप
19/8/20

Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 03/भू0अ0नि0 (2) राज्य यो0(EPF)–07/2020..10771......

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज,
अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा,
पश्चिम चम्पारण, बाँका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालन्दा।

पटना, दिनांक : 10-09-2020

विषय :– नवनियोजित संविदा कर्मियों के EPF खाता खुलवाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न संविदा पदों यथा विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक का पदस्थापन आपके जिलों में किया गया है।

विभिन्न जिलों में नवपदस्थापित संविदा कर्मियों का EPF खाता खुलवाया जाना आवश्यक है। यह कार्य संबंधित जिलों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। इस पत्र के साथ EPF खुलवानें से संबंधित "REQUIRED INFORMATION/ DOCUMENTS FOR REGISTRATION UNDER EPF & MP ACT' 1952" की प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। EPF खाता खुलवाने हेतु आप अपने स्तर से भी संबंधित जिलों के EPF कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि नवनियोजित संविदा कर्मियों के EPF खाता खुलवाते हुए इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।

कृपया इसे आवश्यक समझा जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 10/9/20
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0 (2) राज्य यो0(EPF)–07/2020..10771...... **पटना, दिनांक** 10-09-2020

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित प्रभारी पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय)/सुश्री सुरभि सिंह, डाटा एनालिस्ट, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 10/9/20
भू–अभिलेख एवं परिमाप

E:\Year 2020 Om\Arya sir\Director\File no 7-2020 09 09 2020.doc

REQUIRED INFORMATION/ DOCUMENTS FOR REGISTATION UNDER EPF & MP ACT' 1952

1	DDO NAME	
2	FATHER'S NAME	
3	DATE OF BIRTH	
4	COPY OF PAN OF DDO	
5	COPY OF TAN/ PAN OF ESTABLISHMENT	
6	EMAIL ID OF ESTABLISHMENT/DDO	
7	MOBILE NO.	
8	COPY OF BANK DETAILS OF ESTABLISHMENT	
9	DATE OF REQUEST FOR E.P.F REGISTRATION	
10	TOTAL NUMBER OF EMPLOYEES AS ON DATE OF REQUEST OF EPF REGISTRATION (ON DAILY WAGE/ MONTHLY WAGE CONTRACTUAL/ PIECE RATE BASIS) ALONGWITH THEIR DATE OF JOINING & WAGES	
11	NATURE OF ACTIVITIES OF THE ESTABLISHMENT	
12	NAME OF ESTABLISHMENT	

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

स0सं0:– 17 नि0 स्था0 – 3/2/2018 – 10776

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी,
अरवल।

पटना, दिनांक :– 10-09-2020

विषय :– शिविर गठन में संशोधन के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक– 14–I/बन्दो दिनांक– 31.08.2020, निदेशालय का पत्रांक– 10694 दिनांक– 02.09.2020

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों के क्रम में कहना है कि निदेशालय का पत्रांक– 10694 दिनांक– 02.09.2020 द्वारा संसूचित किया गया है कि नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो एवं विशेष सर्वेक्षण अमीनों के निदेशालय में योगदान किये जाने के पश्चात् दिनांक– 17.08.2020 के पूर्व निदेशालय में योगदान करने वाले सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की शिविर एवं ग्राम सम्बद्धता का कार्य निदेशालय स्तर से पूर्ण कर दिया गया है।

साथ ही उक्त पत्र द्वारा यह भी निदेशित किया गया था कि दिनांक– 17.08.2020 से जिन विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा निदेशालय में योगदान पश्चात् जिलों में पदस्थापित किया गया है, उनके शिविर एवं ग्राम की सम्बद्धता का कार्य जिला स्तर से किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में सभी जिलों के Login को क्रियाशील कर दिया गया है और आवश्यक Password भी उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही कर्मिक प्रबंधन सॉफ्टवेयर के उपयोग हेतु यूजर मैन्युअल भी पूर्व में जिलों को उपलब्ध कराया गया है।

अतः आपके प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि निदेशालय स्तर से 17.08.2020 के पूर्व योगदान किये सर्वेक्षण कर्मियों को, जो शिविर गांव का आवंटन किया गया है, उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 10/9/20
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: – 17 नि0 स्था0 3/2/2018 – 10776 पटना, दिनांक :– 10-09-2020

प्रतिलिपिः– सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अरवल, प0 चम्पारण, बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, 10/9/20
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: – 17 नि0 स्था0 3/2/2018 – 10776 पटना, दिनांक :– 10-09-2020

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, 10/9/20
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2020\Assistant Director sir\director\file no 10.09.2020 2 doc

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

स0सं0:– 17 नक्शा कोषांग 3/2/2018 - 10777

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त
खगड़िया, लखीसराय, जमुई, शिवहर एवं नालंदा।

पटना, दिनांक :– 10-09-2020

विषय :– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त का दायित्त्व निर्वहन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निदेशालय स्तर से आपके जिलों में चल रहे सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य की समीक्षा हेतु प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारियों द्वारा संसूचित किया गया है कि आपके द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के निमित प्रभारी पदाधिकारी (चार्ज ऑफिसर), बन्दोबस्त के दायित्त्व का निर्वहन नहीं किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के कार्यों के पर्यवेक्षण एवं दायित्त्व निर्वहन हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से जिलों के अपर समाहर्त्ता (राजस्व) को जिम्मेदार माना गया है, क्योंकि भूमि सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य एक वरीय पदाधिकारी के स्तर से ही पर्यवेक्षण योग्य कार्य है।

निदेश है कि सरकार के इस बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के महत्त्वपूर्ण कार्य के सफल संचालन हेतु पत्र प्राप्ति के साथ ही प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त के दायित्त्व का निवर्हन करने का कष्ट किया जाए और निदेशालय स्तर से निर्गत पत्रों के आलोक में प्रतिवेदन ससमय भेजने का कष्ट किया जाए।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 10/9/20
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: – 17 नक्शा कोषांग 3/2/2018 - 10777 पटना, दिनांक :– 10-09-2020

प्रतिलिपि:– समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया, लखीसराय, जमुई, शिवहर एवं नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, 10/9/20
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: – 17 नक्शा कोषांग 3/2/2018 - 10777 पटना, दिनांक :– 10-09-2020

प्रतिलिपि:– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, 10/9/20
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2020\Assistant Director sir\director\file no. 10.09.2020.doc

Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 03/भू0अ0नि0 (3) विविध–21/2020 10849

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पश्चिम चम्पारण, बाँका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालन्दा।

पटना, दिनांक : 17-09-2020

विषय :– नवनियोजित संविदा कर्मियों के स्थानीय आवास का सत्यापन एवं विडियो मिटिंग में उपस्थिति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न संविदा पदों यथा विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगों, विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक का पदस्थापन आपके जिलों में किया गया है।

उपर्युक्त नवनियोजित संविदा कर्मियों को जिलों के विभिन्न अंचलों में स्थापित शिविरो में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त किया गया है। उक्त पदस्थापित/प्रतिनियुक्त कर्मियों के स्थानीय आवासीय पता संबंधित कर्मियों से प्राप्त किया जाना है। उक्त प्राप्त स्थानीय पता का सत्यापन बन्दोबस्त कार्यालय द्वारा किया जाएगा। आवासीय पता के सत्यापन के पश्चात ही उक्त कर्मी के पारिश्रमिकी/मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

2. सभी नवनियोजित एवं नवपदस्थापित संविदा कर्मियों में से कुछ चयनित/नामित कर्मियों का प्रतिदिन पूर्वाह्न एवं अपराह्न में Zoom App की सहायता से विडियों कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किये जा रहे कार्य की समीक्षा मुख्यालय/जिला/अंचल स्तर से की जाएगी। उक्त समीक्षा में संबंधित कर्मियो का अपने कार्य स्थल पर रहना अनिवार्य है। समीक्षा के दौरान अनुपस्थित पाये गए कर्मियों को अनुपस्थित मानते हुए उक्त दिन का पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त दोनो कंडिकाओं का अनुपालन करते हुए इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को भी समय–समय पर उपलब्ध करायी जाए।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 17/9/20
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0 (3) विविध–21/2020 10849 **पटना, दिनांक** 17-09-2020

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित संविदा कर्मियो/प्रभारी पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0 (3) विविध–21/2020 10849 **पटना, दिनांक** 17-09-2020

प्रतिलिपि :– सुश्री सुरभि सिंह, डाटा एनालिस्ट, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0 (3) विविध–21/2020 10849 **पटना, दिनांक** 17-09-2020

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
17/9

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

स0सं0:- 17-तक0 को0-312/2018......10888....

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, नालंदा, शेखपुरा,
मुंगेर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, कटिहार,
पूर्णियां एवं अररिया।

पटना, दिनांक :- 22-09-2020

विषय :- विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया अन्तर्गत जिन ग्रामों में पूर्व में कार्य किया गया है, वहाँ कार्य के प्रक्रम अनुसार अग्रेतर कार्य करने के संबंध में।

प्रसंग :- निदेशालय का पत्रांक-477 दिनांक- 20.03.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि:-

1. प्रासंगिक पत्र द्वारा संसूचित किया गया था कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा अधिसूचना संख्या- 165(8)/रा0, पटना-15 दिनांक- 15.03.2019 द्वारा तकनीकी मार्गदर्शिका अधिसूचित की गई है। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि आपके जिले में अब तक किए गए विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा तकनीकी मार्गदर्शिका के आधार पर कर ली जाए एवं इस बात की संपुष्टि कर ली जाए कि अब तक किया गया विशेष सर्वेक्षण के किसी प्रक्रम में भिन्नता की स्थिति पाई जाती है तो उसकी समीक्षा कर उसमें यथा आवश्यक सुधार की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए एवं पश्चात् की सभी कार्रवाईयों भी तकनीकी मार्गदर्शिका के प्रावधानों के आलोक में ही की जाए।

बंदोबस्त पदाधिकारी का विशेषकर दायित्त्व होगा कि अंतिम प्रकाशन से पूर्व भलीभांति संपुष्ट हो लेंगे की विशेष सर्वेक्षण अंतर्गत की गयी अब तक की सभी कार्रवाईयाँ तकनीकी मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुकूल है।

अद्यतन कृत कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है।

2. आपके जिलों में हुए भू-सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य की समीक्षा जिलास्तर, प्रमंडलीय स्तर एवं राज्य स्तर पर किये जाने के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि तकनीकी मार्गदर्शिका के अभाव में पूर्व में किए गए सर्वेक्षण कार्य में कतिपय कमियां रह गई है। साथ ही राजस्व ग्रामों में किस्तवार के दौरान त्रि-सीमाना एवं यूनिक बॉउन्ड्री का निर्धारण विधिवत् किये बिना मानचित्र निर्माण एवं आगे के प्रक्रम के किए गए कार्य किये गए है।

इस आलोक में यह आवश्यक है कि अलग-अलग ग्रामों में पूर्व में किए गए कार्यों की स्थिति के अनुसार प्रक्रमवार कार्य करने के लिए परिस्थितियों एवं उसके अनुरूप प्रक्रमवार कार्य करने के लिए निम्नांकित आवश्यक उपाय अपनाये जाय ताकि त्रुटिरहित भू-सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य हो:-

क. **वैसे राजस्व ग्राम जहाँ खानापुरी चल रही है पर एल0पी0एम0 वितरित नहीं हुआ है:-**

i. ग्राम सीमा सत्यापन पश्चात् एजेंसी से प्राप्त मानचित्र में संशोधन एवं परिवर्तित खेसरों को चिह्नित करना।
ii. याद्दाश्त पंजी का संधारण करना।
iii. खेसरा पंजी का संधारण।
iv. तत्पश्चात् अग्रेतर कार्रवाई करना।

ख. वैसे राजस्व ग्राम जहाँ प्रपत्र-7 एवं एल0पी0एम0 वितरित हो गया लेकिन प्रारूप प्रकाशन नहीं हुआ है:-

i. ग्राम सीमा सत्यापन पश्चात् एजेंसी से प्राप्त मानचित्र में संशोधन एवं परिवर्तित खेसरा का चिह्नित करना और याद्दाश्त पारित करना।
ii. चिह्नित खेसरों का खानापुरी पर्चा एवं एल0पी0एम0 तैयार कर सम्बन्धित रैयतों का वितरित करना।
iii. एल0पी0एम0 वितरण के पश्चात् अधिनियम/नियमावली द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत सुनवाई करना।
iv. तत्पश्चात नियमावली के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई।

ग. वैसे राजस्व ग्राम जहाँ प्रारूप प्रकाशन हो चुका है:–

i. राजस्व ग्राम में त्रि–सीमाना का नियत कर मोन्यूमेंटेशन किया जाना और ग्राम सीमा सत्यापन करना।
ii. ग्राम सीमा सत्यापित मानचित्र में संशोधन एवं परिवर्तित खेसरों का चिह्नित करना।
iii. चिह्नित खेसरों का खानापुरी पर्चा एवं एल0पी0एम0 तैयार कर शिविर प्रभारी से आदेश लेकर सम्बन्धित रैयतों में आवश्यकतानुसार वितरित करना।
iv. सुनवाई पश्चात् खेसरा पंजी (प्रपत्र– 6) में इन्द्राज कर संशोधित प्रारूप प्रकाशन करना।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 21/9/20
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: – 17–तक0 को0–312 / 2018......10888...... **पटना, दिनांक :–** 22-09-2020

प्रतिलिपि:– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जिलों के लिए प्रतिनियुक्त सभी नोडल पदाधिकारी / भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के स्तर से जिलों के लिए प्रतिनियुक्त सभी नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: – 17–तक0 को0–312 / 2018......10888...... **पटना, दिनांक :–** 22-09-2020

प्रतिलिपि:– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक ज्ञापांक: – 17–तक0 को0–312 / 2018......10888...... **पटना, दिनांक :–** 22-09-2020

प्रतिलिपि:– सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0, डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप के निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप 21/9/20

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
स0सं0:– 17–तक0 को0–312/2018..10889

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल,
शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ,
सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण,
बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा।

पटना, दिनांक :– 22-09-2020

विषय :– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्रों को Land Survey Management System Software (भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर) में संधारित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 यथा संशोधित, 2019 द्वारा निर्धारित विशेष सर्वेक्षण के प्रपत्रों को निदेशालय द्वारा तैयार किए गए Land Survey Management System Software में संधारित किया जाना अपेक्षित है।

वर्त्तमान में आपके जिले में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ हो चुका है अतः आवश्यक है कि विशेष सर्वेक्षण से सम्बन्धित प्रारंभिक प्रपत्रों यथा प्रपत्र 1 एवं 2 को सॉफ्टवेयर में संधारित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाए एवं कार्य प्रगति के अनुसार अन्य प्रपत्रों को भी संधारित किया जाए। प्रपत्रों को सॉफ्टवेयर में संधारित करने के लिए विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का User ID उनका Employee ID होगा जबकि पासवर्ड 123 होगा जो प्रथम बार Login के पश्चात् OTP के माध्यम से परिवर्तित होगा। OTP को सॉफ्टवेयर द्वारा कर्मियों के उन्हीं मोबाईल नं0 पर भेजा जाएगा, जो उनके द्वारा नियोजन के समय संधारित किया गया था। इस सॉफ्टवेयर का Operational User Manual (भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर) निदेशालय के वेबसाईट के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। सॉफ्टवेयर में प्रपत्रों की इंट्री करने का दायित्व पूर्व से निर्धारित है जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि Land Survey Management System Software (भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर) में प्रपत्रों के संधारण का कार्य यथाशीघ्र आरम्भ कराया जाए ताकि कार्य के प्रगति प्रतिवेदन को ऑनलाईन माध्यम से अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जा सके।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 21/9/20
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: – 17–तक0 को0–312/2018........10889........ **पटना, दिनांक** :–22-09-2020

प्रतिलिपि:– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 21/9/20
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2020\Birendra Kumar ASO\director\file no312 2018 21 09 2020.doc

ज्ञापांकः – 17–तक0 को0–312 / 2018........10889........ पटना, दिनांक :–22-09-2020

प्रतिलिपिः– सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0, डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप के निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sameer-2020\Birendra Kumar ASO\director\file no312 2018 21.09.2020.doc

Land Survey Management System

Prapatr	Scan/ Entry	Login by Whom
Prapatr - 1	Scan	Amin
Prapatr - 2	Scan	Amin
Prapatr - 3, 3(1), 3(2)	Scan	Amin
Prapatr - 4	Entry	Amin
Prapatr - 5	Entry	Amin
Prapatr - 6	Entry	Amin
Prapatr - 7	Auto Generated	ASO
Prapatr - 8, 9	Scan	Kanoongo
Prapatr - 10	Entry	Kanoongo
Prapatr - 11	Scan	Kanoongo
Prapatr - 12	Auto Generated	ASO
Prapatr - 13	Scan	ASO
Prapatr - 14	Scan	ASO
Prapatr - 15	Entry	ASO
Prapatr - 16,17	Scan	ASO
Prapatr - 18	Auto Generated	ASO
Prapatr - 18(क)	Entry	ASO(HQ)
Prapatr - 19	Auto Generated	ASO
Prapatr - 20	Auto Generated	ASO(HQ)
Prapatr - 21	Scan	Decide Later, As per Directive
Prapatr - 22	Scan	

311

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या :– 17–तक0 को0–312/2018....10933

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल,
शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ,
सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पं0 चंपारण,
बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर, एवं नालंदा।

पटना, दिनांक :–28-09-2020

विषय :– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय स्तर से निर्गत कुछ महत्त्वपूर्ण पत्रों के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से आपके जिलों के लिए प्राधिकृत वरीय नोडल पदाधिकारी तथा भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के स्तर से प्राधिकृत नोडल पदाधिकारी द्वारा आपके जिलों के भ्रमण के दौरान सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0) सहित अन्य पदाधिकारियों द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर पृच्छाएँ की जाती है और अन्य जानकारियों के संबंध में उल्लेखित किया जाता है। इस आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा निर्गत निम्न महत्त्वपूर्ण विषयों से संबंधित पत्र निम्न प्रकार है :–

क्र0	पत्रांक	दिनांक	विषय
1.	6976	16.04.2020	मुख्य शीर्ष– 2029– भू–राजस्व– उप मुख्य शीर्ष – 00 – लघु शीर्ष–102– सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य – उप शीर्ष – 0101– सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में निधि का आवंटन (अकास्मिक मद और भाड़े की गाडी का भुगतान मद)– प्रति जिला क्रमशः 2,50,000.00/– रू0 और 3,00,000.00/– रू0।
2.	10508	20.08.2020	मुख्य शीर्ष–2029–भू–राजस्व–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष – 102– सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य–उप शीर्ष–0101 – सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल–2,90,35,500/– (दो करोड़ नब्बे लाख पैतीस हजार पाँच सौ रूपये मात्र) का आवंटन– प्रत्येक विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं कानूनगो को 650/– रूपये की दर से सामग्री तथा प्रत्येक विशेष सर्वेक्षण अमीन को 4560/– रूपये की दर से सामग्री हेतु। साथ ही प्रति शिविर उपस्कर हेतु 69,525.00/– रूपये।
3.	10692	02.09.2020	जिला बन्दोबस्त कार्यालयों में पदस्थापित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त संविदा अमीन के कार्यों के संबंध में।
4.	10459	14.08.2020	होर्डिंग, बैनर और पोस्टर के जरिए बिहार विशेष सर्वेक्षण का व्यापक प्रचार–प्रसार करने के संबंध में।
5.	10889	22.09.2020	बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्रों को Land Survey Management System Software (भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर) में संधारित करने के संबंध में।
6.	10888	22.09.2020	विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया अन्तर्गत जिन ग्रामों में पूर्व में कार्य किया गया है, वहाँ कार्य के प्रक्रम अनुसार अग्रेतर कार्य करने के संबंध में।

D:\Kanaey-2020 Assistant Director ... File No -312-2018 25 09 2020.doc

7.	10038	24.06.2020	विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रस्तावित अंचल, शिविर एवं पदस्थापित होने वाले विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो एवं अमीन के संबंध में निदेशालय स्तर से तैयार किये गए योजना के संबंध में।
8.	408	28.02.2020	विशेष सर्वेक्षण के संदर्भ में विस्तृत कार्य–योजना एवं समेकित निदेश।
9.	1315	05.08.2019	सरकारी/लोक भूमि की सूची तैयार करने एवं विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को विशेष सर्वेक्षण शिविर में उपलब्ध करने के संबंध में।
10.	828	30.05.2019	सर्वेक्षण संबंधित कागजातों को संरक्षित करने के संबंध में।
11.	477	20.03.2019	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या– 165 (8)/रा0, पटना–15 दिनांक– 15.03.2019 द्वारा तकनीकी मार्गदर्शिका अधिसूचित किए जाने के पश्चात् विशेष सर्वेक्षण अंतर्गत अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा तकनीकी मार्गदर्शिका के आलोक में करने एवं उसके पश्चात् की सभी कार्रवाई भी मार्गदर्शिका के आलोक में ही करने के संबंध में।
12.	10233	09.07.2020	बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य के समीक्षा के संबंध में – बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम एवं नियमावली के अधीन पूर्व में निर्गत मार्गदर्शिका एवं पत्र आदि के आलोक में समीक्षा हेतु।
13.	9029 से 9033 तक	10.06.2020	क्रमशः अरवल, लखीसराय, किशनगंज, जहानाबाद एवं बेगूसराय जिले के विशेष सर्वेक्षण के लिए प्रस्तावित शिविरों एवं सम्बद्ध मौजों में सुधार आदि का प्रतिवेदन 14 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने के संबंध में।
14.	9040 से 9046 तक	11.06.2020	क्रमशः मुंगेर, नालंदा, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल एवं पश्चिम चम्पारण जिले के विशेष सर्वेक्षण के लिए प्रस्तावित शिविरों एवं सम्बद्ध मौजों में सुधार आदि का प्रतिवेदन 14 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने के संबंध में।
15.	9092 से 9094 तक	18.06.2020	क्रमशः बांका, खगड़िया एवं जमुई जिले के विशेष सर्वेक्षण के लिए प्रस्तावित शिविरों एवं सम्बद्ध मौजों में सुधार आदि का प्रतिवेदन 14 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने के संबंध में।
16.	10034 से 10036 तक	24.06.2020	क्रमशः कटिहार, अररिया एवं मधेपुरा जिले के विशेष सर्वेक्षण के लिए प्रस्तावित शिविरों एवं सम्बद्ध मौजों में सुधार आदि का प्रतिवेदन 14 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने के संबंध में।
17.	10086 एवं 10087	30.06.2020	क्रमशः पूर्णियाँ एवं सहरसा जिले के विशेष सर्वेक्षण के लिए प्रस्तावित शिविरों एवं सम्बद्ध मौजों में सुधार आदि का प्रतिवेदन 14 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने के संबंध में।

इसके अतिरिक्त वर्ष–2020 में निर्गत होने वाले सभी पत्रों को एवं पूर्व में निर्गत महत्त्वपूर्ण पत्रों को भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशलाय के वेबसाईट http://dlrs.bihar.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है।

अनुरोध है कि उक्त पत्रों के संदर्भ में जिला बन्दोबस्त कार्यालय के स्तर से अपेक्षित कार्रवाई करवाने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 3/9/20

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 17–तक0 को0–312/2018........10933........पटना, दिनांक :–28-09-2020

प्रतिलिपिः– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जिलों के लिए प्राधिकृत वरीय नोडल पदाधिकारी/ निदेशालय स्तर से जिलों के लिए प्राधिकृत नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–तक0 को0–312/2018........10933........पटना, दिनांक :–28-09-2020

प्रतिलिपिः– सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप
28/9/20

(309)

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या :– 17–तक0 को0–312 / 2018 10932

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, कटिहार, पूर्णियाँ एवं अररिया।

पटना, दिनांक :– 28-09-2020

विषय :– आपके जिलों में विगत् वर्षों में हुए विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य से संबंधित कागजातों को उस समय के कार्यरत अमीनों से प्राप्त करने एवं संरक्षित रखने के संबंध में।

प्रसंगः– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का पत्रांक– 828 दिनांक– 30.05.2019 एवं पत्रांक– 408 दिनांक– 28.02.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का कृपया स्मरण किया जाय। आप अवगत है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या– 1574 दिनांक– 01.10.2012, 188 दिनांक– 03.09.2015 तथा 1973 दिनांक– 03.11.16 के आलोक में आपके जिलों में विशेष भू–सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य किया गया है। निदेशालय के पत्रांक– 477 दिनांक– 20.03.2019 द्वारा संसूचित किया गया था कि अब तक किये गये कार्यों की जाँच एवं समीक्षा तकनीकी मार्गदर्शिका के आलोक में कर ली जाय ताकि तकनीकी एवं वैधानिक रूप से भू–सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य हो। साथ ही निदेशालय के पत्रांक– 828 दिनांक– 30.05.2019 एवं पत्रांक– 408 दिनांक– 28.02.2020 के द्वारा पूर्व में किये गये विशेष सर्वेक्षण संबंधी कागजातों को संरक्षित कर समीक्षा कर लेने का अनुरोध किया गया था।

उक्त के क्रम में आशा है कि आपके जिले में उल्लेखित अधिसूचनाओं के आलोक में विगत् वर्षों में हुए विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों से संबंधित कागजातों को संबंधित मौजे के उजरतभोगी अमीनों / संविदा अमीनों से प्राप्त कर संरक्षित कर लिया गया होगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में आपके जिलों में विशेष सर्वेक्षण अमीनों द्वारा विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस परिस्थिति में जिन मौजों में पूर्व में विशेष सर्वेक्षण का कार्य किया गया है, उससे संबंधित कागजातों की आवश्यकता होगी, अतः यह आवश्यक है कि उन कागजातों को पूर्व के उजरतभोगी अमीनों / संविदा अमीनों से प्राप्त कर संरक्षित कर लिया गया हो। यदि पूर्व के कार्यों से संबंधित कोई कागजात पूर्व के उजरतभोगी अमीनों / संविदा अमीनों के पास रह जाता है तो कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

अतः अनुरोध है कि यदि विशेष सर्वेक्षण कार्यों से संबंधित पूर्व में किए गए कार्यों से संबंधित किसी भी तरह का कागजात उजरतभोगी अमीनों / संविदा अमीनों के पास शेष रह गया हो उसे अविलंब बन्दोबस्त कार्यालय में प्राप्त कर लिया जाय। साथ ही जिला बन्दोबस्त कार्यालय से इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्राप्त कर लिया जाय कि सभी उजरतभोगी अमीनों / संविदा अमीनों से जिन मौजों के लिए उनके द्वारा विशेष सर्वेक्षण कार्य किया गया है, से संबंधित सभी कागजात प्राप्त कर ली गई है। यदि किसी उजरतभोगी अमीन अथवा संविदा अमीन द्वारा कागजात उपलब्ध नहीं कराया जाता है या अपूर्ण कागजात उपलब्ध कराया जाता है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाय और आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 28/9/20
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

D:\Sameer-2020\Birendra Kumar ASO\director\File No -312-2018 23.09.2020.doc

ज्ञापांक :– 17–तक0 को0–312/2018......10932......पटना, दिनांक :–28-09-2020

प्रतिलिपिः– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जिलों के लिए प्राधिकृत वरीय नोडल पदाधिकारी/ निदेशालय के स्तर से जिलों के लिए प्राधिकृत नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–तक0 को0–312/2018......10932...... पटना, दिनांक :–28-09-2020

प्रतिलिपिः– सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0, डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप के निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–तक0 को0–312/2018......10932...... पटना, दिनांक :–28-09-2020

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

28/9/20

D:\Sanjeev-2020\Birendra Kumar ASO\director\File No.-312-2018 23.09.2020.doc

Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 17–विशेष सर्वेक्षण (Creative Writing) - 308 / 2019..10935

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल,
शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ,
सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पं0 चंपारण,
बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर, एवं नालंदा।

पटना, दिनांक : 28-09-2020

विषय :– होर्डिंग, बैनर और पोस्टर के जरिए बिहार विशेष सर्वेक्षण का व्यापक प्रचार–प्रसार करने के संबंध में।

प्रसंग :– निदेशालय का पत्रांक– 17–विशेष सर्वेक्षण (Creative Writing) - 308/2019 10459 दिनांक– 14.08.2020

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक पत्र का स्मरण किया जाय। उक्त पत्र में उल्लेखित किया गया था कि भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा तीन विषयों (1) किस्तवार एवं खानापुरी की प्रक्रिया (2) बिहार विशेष सर्वेक्षण में रैयतों की जिम्मेवारी एवं (3) प्रपत्र–2 एवं प्रपत्र–3 (i) भरने की सामान्य जानकारी पर प्रचार सामग्री तैयार कराई गई है। यह प्रचार सामग्री पोस्टर, बैनर एवं होर्डिंग के रूप में है। साथ ही प्रचार सामग्री की सॉफ्ट कॉपी प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए संसूचित किया गया था कि प्रचार सामग्री को रंगीन प्रिंट कराकर सूचना एवं जन संपर्क विभाग के सरकारी कार्यालयों में लगे फ्रेम में लगाया जाना है।

उक्त प्रासंगिक पत्र में यह भी संसूचित किया गया था कि होर्डिंग हेतु तैयार प्रचार सामग्री को फ्लैक्स पर रंगीन प्रिंट कराया जाना है। इसका साईज 8X12 एवं 10X20 फीट है। पोस्टर सामग्री A5, A4 एवं A3 साईज के पेपर पर छपनी है और यह दीवाल पर चिपकाने एवं लोगों के बीच बांटने के लिए है। इसी तरह बैठकों एवं सभाओं में लगाए जाने वाले बैनरों के लिए भी इस सामग्री का इस्तेमाल किया जाना है। Portrait आकार की सामग्री पोस्टर हेतु है, जबकि Landscape में होर्डिंग एवं बैनर की सामग्री दी जा रही है। जिला एवं अंचल कार्यालयों के अतिरिक्त यह प्रचार सामग्री सर्वेक्षण हेतु स्थापित विशेष शिविरों में भी लगायी और वितरित की जानी है। पंचायत सरकार भवन में चल रहे शिविरों में जहां पहले से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के फ्रेम लगे हुए नहीं है, वहां जिला प्रशासन द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जरिए इस तरह के फ्रेम लगाए भी जाने हैं।

उल्लेखनीय है कि निदेशालय के पत्रांक–378 दिनांक–25.02.2020 एवं पत्रांक–1654 दिनांक–24.03.2020 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय, सुपौल एवं शेखपुरा को यह प्रचार सामग्री पूर्व में भेजी जा चुकी है।

कृ0पृ0उ0

D:\Sanjeev-2020\Assistant Director sir\PS Letter\file no.- 308_2019_24.09.2020.doc

इस संदर्भ में उल्लेखित करना है कि निदेशालय स्तर से जिलों के लिए प्राधिकृत नोडल पदाधिकारियों द्वारा जिला भ्रमण पश्चात् सुचित किया गया है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार की कार्रवाई में जिला बन्दोबस्त कार्यालय द्वारा समुचित कार्रवाई नहीं की जा रही है।

पुनः अनुरोध है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के बारे में जन–जागरूकता बढ़ाने एवं इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करने के लिए अपने स्तर से भी विशेष प्रयास करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–विशेष सर्वेक्षण (Creative Writing) - 308 / 2019 10935 **पटना, दिनांक :–** 28-09-2020

प्रतिलिपि :– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जिलों के लिए प्रतिनियुक्त सभी नोडल पदाधिकारी / निदेशालय के स्तर से जिलों के लिए प्रतिनियुक्त सभी नोडल पदाधिकारी / भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में पदस्थापित जिलों के नोडल पदाधिकारी–सह–सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–विशेष सर्वेक्षण (Creative Writing) - 308 / 2019 10935 **पटना, दिनांक :–** 28-09-2020

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–विशेष सर्वेक्षण (Creative Writing) - 308 / 2019 10935 **पटना, दिनांक :–** 28-09-2020

प्रतिलिपि :–सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2020\Assistant Director sir\PS Letter\file no - 308_2019_24.09.2020.doc

(354)

Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या – 17–विशेष सर्वेक्षण–भ्रमण– 134 / 2017.....1016.......

प्रेषक,

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल,
शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ,
सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प० चम्पारण,
बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा।

पटना, दिनांक :–13-10-2020

विषय :– विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के दौरान हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों का दायित्त्व सुनिश्चित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके जिलों में प्रथम चरण में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य प्रारंभ है। इस कार्य के दौरान हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों का दायित्त्व अत्यंत महत्त्वपूर्ण है और इस हेतु एकरारनामा भी किया गया है। जिलावार निम्न रूप हवाई सर्वेक्षण एजेंसी निर्धारित है:–

क्र0	हवाई सर्वेक्षण एजेंसी का नाम	हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के साथ सम्बद्ध जिला
01.	IL&FS Agency	मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा
02.	IIC Agency	शिवहर, सीतामढी, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बेगुसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, पूर्णिया
03.	GISC Agency	सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, बांका, पश्चिम चंपारण, जमुई

हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के निम्न महत्वपूर्ण दायित्व है:–

1. **प्रत्येक आवंटित जिला में कार्यालय खोला जाना एवं तकनीकी कर्मियों को कार्यालय में बहाल करना:–** जिला बन्दोबस्त कार्यालय द्वारा संबंधित हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को स्थान उपलब्ध कराया जाएगा ताकि हवाई सर्वेक्षण एजेंसी अपने उपस्करों यथा ई0टी0एस0, डी0जी0पी0एस0, प्लॉटर, कम्प्यूटर, तथा समर्पित किए जाने वाले मानचित्रों को सुरक्षित रख सके और जिलों में पदस्थापित हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के कॉडिनेटर, ऑपरेटर बैठकर कार्य कर सके।
2. **सर्वेक्षण पूर्व संदर्भ बिन्दुओं (जी0सी0पी0) का नेटवर्क जिला बन्दोबस्त कार्यालय में समर्पित किया जाना:–** हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा फ्लाईंग के पूर्व मोन्यूमेंटेशन के साथ संदर्भ बिन्दुओं के रूप में एक नेटवर्क का निर्माण किया जाना है। संबंधित संदर्भ बिन्दु यथा प्राथमिक संदर्भ बिन्दु (PCP - Primary Control Points), द्वितियक संदर्भ बिन्दु (SCP - Secondary Control Points) एवं तृतीयक संदर्भ बिन्दु (TCP - Tertiary Control Points) का नेटवर्क जिला बंदोबस्त कार्यालय एवं निदेशालय को समर्पित किया जाना है। प्रत्येक जिला में अनिवार्यतः एक PCP (Primary Control Points) तथा अमूमन 16 कि0मी0 के ग्रिड पर SCP (Secondary Control Points) तथा आवश्यकतानुरूप TCP (Tertiary Control Points) मिलेंगे। विदित हो कि अब हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को मानचित्र के स्थल सत्यापन पश्चात् प्रत्येक त्रिसीमाने को बिन्दुवत स्थल पर चिह्नित कर मोन्यूमेंट करना है तथा डी0जी0पी0एस0 मशीन द्वारा 45 मिनट का ऑबजर्वेशन किया जाना है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक राजस्व ग्राम में दो स्थाई बिन्दुओं के रूप में (TCP - Tertiary Control Points) चिह्नित किया जाना है। प्रत्येक त्रिसीमाना के संगत टाई लाईन के साथ ACP (Auxiliary Control Points) को भी चिह्नित किया जाना है।

3. **राजस्व ग्राम मानचित्र को संदर्भ बिन्दुओं के कॉर्डिनेट मान के साथ समर्पित किया जानाः–** मोन्यूमेंट किए गए त्रिसीमानों के डी0जी0पी0एस0 ऑब्जर्वेशन के बाद यदि पूर्व के कॉर्डिनेट मान से अंतर आता है तो डी0जी0पी0एस0 ऑब्जर्वेशन वाले मान को शुद्ध माना जाएगा तथा इसी के संगत जी0सी0पी0 नेटवर्क में सुधार किया जाएगा। त्रिसीमाना के कॉडिनेट मान को भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा तैयार किए गए GCN सॉफ्टवेयर में डाटा संधारित करना।
4. **राजस्व ग्राम मानचित्र पर त्रि–सीमाना बिन्दुओं को कॉर्डिनेट मान के साथ प्रदर्शित करना :–**
5. **सर्वेक्षण (किस्तवार) प्रारंभ के पूर्व समर्पित मानचित्र का स्थल सत्यापन किया जानाः–**
6. **सत्यापन में त्रुटि पाये जाने के बाद सुधार हेतु पोस्ट प्वाईटिंग के रूप में डी0जी0पी0एस0 प्रेक्षण किया जानाः–** कंडिका–2 के सदृय कार्रवाई।
7. **खेसरों का तुलनात्मक प्रतिवेदन समर्पित किया जानाः–**राजस्व ग्राम सीमा सत्यापन के पश्चात् जब राजस्व ग्राम का फैलाव सुनिश्चित हो जाता है तब गत सर्वे के खेसरों की तुलना विशेष सर्वेक्षण के खेसरों के साथ विहित प्रपत्र में अनिवार्यतः शिविर कार्यालय में उपलब्ध कराना है।
8. **प्रत्येक दिन के कार्य हेतु दैनंदिनी संधारित किया जानाः–** प्रत्येक दिन के कार्य हेतु दैनंदिनी संधारित कर जिला बंदोबस्त कार्यालय को दें।
9. **प्रत्येक राजस्व ग्राम हेतु एक ई0टी0एस0 ऑपरेटर एवं दो सपोर्ट स्टॉफ उपलब्ध कराया जानाः–**
10. **एजेंसी द्वारा एल0पी0एम0 तैयार करना एवं रैयतों में वितरित करनाः–**हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा एल0पी0एम0 (Land Parcel Map) निर्माण का कार्य एन0आई0सी0 द्वारा विकसित "भू–नक्शा सॉफ्टवेयर" पर ऑनलाईन किया जाना है तथा प्रत्येक भू–धारी रैयतों को प्रत्येक खेसरे के विरूद्ध एक एल0पी0एम0 समर्पित किया जाएगा, जिसके विरूद्ध रैयत आपत्ति देने के लिए स्वतंत्र होगें। वितरण के क्रम में प्रपत्र–7 एवं एल0पी0एम0 उपलब्ध कराये जाने का तामिला भी अनिवार्य होगा।
11. **सुनवाई के दौरान सहयोग करना एवं आपत्तियों की पंजी संधारित करनाः–**
12. **सॉफ्ट डाटा वेस (डी0टी0डी0वी0) में विभिन्न चरणों के आपत्तियों की फ्लैगिंग करनाः–** प्रपत्र–8 एवं प्रपत्र–14 में समस्त आपत्तियों को चरणवार खेसरों के विरूद्ध डी0टी0डी0बी0 (Digital Topographic Data Base) में चिह्नित किया जाना है।
13. **रैयतों को सुनवाई की तिथि की सूचना उपलब्ध कराना।**
14. **रैयतों को सुनवाई के आदेश के अनुरूप मानचित्र में सुधार करना।**
15. **प्रत्येक राजस्व ग्राम के सॉफ्ट डेटा की लेयरवार भौतिक एवं तार्किक शुद्धता की जाँच करना :–** राजस्व ग्राम के अंतर्गत डिजिटाईज्ड किये गए समस्त सॉफ्ट डेटा भौतिक रूप से आर्थो फोटोग्राफ पर अपनी जगह दिखने चाहिए। अगर कोई विचलन है तो उसे राजस्व अधिकारियों के आदेश की संगति में होना चाहिए।

    डिजिटाईज्ड सभी फीचर के मध्य तार्किक असंगति नहीं होनी चाहिए।
16. **हवाई फ्लाईंग से अंतिम प्रकाशन तक प्रत्येक चरण में डाटा की गुणवत्ता की जांच करना।**
17. **प्रत्येक चरण में उत्पादित सॉफ्ट डेटा का सुरक्षित बैकअप संधारित करना।**
18. **उत्पादित किए गए अंतिम सॉफ्ट डेटा की टोपोलौजिकल शुद्धता एवं फॉर्मेट की इंटर ऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करना।**
19. **कृत कार्यों का प्रतिवेदन एम0आई0एस0 में अपडेट करना।**

382

हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के स्तर से उक्त कार्यो के अतिरिक्त अन्य दायित्व भी एकरारनामा के अनुसार है। एकरारनामा के प्रति भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के वेबसाईट www.dlrs.bihar.gov.in भी दी गई है वहाँ से आवश्यकतानुसार प्राप्त की जा सकती है।

अनुरोध है कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के स्तर से उक्त दायित्व का अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाए एवं निरंतर हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के स्तर से किए जाने वाले कार्यो की समीक्षा भी की जाए।

विश्वासभाजन

13/10/20

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक – 17–विशेष सर्वेक्षण–भ्रमण– 134 / 2017...11016... **पटना दिनांक** :– 13-10-2020

प्रतिलिपि :– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से जिलों के लिए प्राधिकृत वरीय नोडल पदाधिकरियों / निदेशालय के स्तर से जिला के लिए पदाधिकृत नोडल पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–विशेष सर्वेक्षण–भ्रमण– 134 / 2017...11016.........**पटना, दिनांक**:– 13-10-2020

प्रतिलिपि :–सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय / श्री विजय साम्रजय, सहायक, बी0पी0एम0यू0, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि तीनों हवाई एजेंसियों के साथ किए गए एकरारनामा को भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाए।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक – 17–विशेष सर्वेक्षण–भ्रमण– 134 / 2017.....11016... **पटना दिनांक** :– 13-10-2020

प्रतिलिपि :– सभी जिलों से संबंधित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–विशेष सर्वेक्षण–भ्रमण– 134 / 2017...11016.........**पटना, दिनांक**:– 13-10-2020

प्रतिलिपि :–सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक – 17–विशेष सर्वेक्षण–भ्रमण– 134 / 2017...11016... **पटना दिनांक** :– 13-10-2020

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

13/10/20

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)–249/2019 ....11056.....

प्रेषक,

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
राजस्व पर्षद,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :20-10-2020

विषय :– बेतिया राज की भू–सम्पदा सहित राजस्व पर्षद के संरक्षणाधीन अन्य भू–सम्पदाओं का बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान अधिकार अभिलेख निर्माण के समय संरक्षण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 के अधिन बिहार के 20 जिलों यथा बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पं0 चंपारण, बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर, एवं नालंदा के 91 अंचलों में कार्यरत 208 शिविरों के माध्यम से भू–सर्वेक्षण का कार्य प्रथम चरण में प्रारंभ किया गया है।

पश्चिम चंपारण जिले के विशेष सर्वेक्षण के कार्यो की समीक्षा के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि पश्चिम चंपारण सहित बिहार के अन्य स्थानों पर बेतिया राज की भू–संपदा है, जिसके संरक्षक वर्त्तमान में राजस्व पर्षद, बिहार, पटना हैं।

उल्लेखनीय है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य के दौरान अधिकार अभिलेखों को तैयार किया जाएगा और इस दौरान सरकारी भूमि सहित सरकार के संरक्षणाधीन भू–संपदाओं के भी अधिकार अभिलेख का निर्माण होगा। इस दौरान बेतिया राज के भू–सम्पदाओं सहित राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के संरक्षणाधीन अन्य भू–सम्पदाओं के भी अधिकार अभिलेख बनेंगे।

अतः अनुरोध है कि संबंधित जिलों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाए कि वे भू–सर्वेक्षण के दौरान जिला बंदोबस्त कार्यालय एवं संबंधित विशेष सर्वेक्षण शिविर के सतत संपर्क में रह कर सरकार का हित अक्षुण्ण रखने का कष्ट करेंगे।

विश्वासभाजन

20/10/20

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना

कृ0पृ0उ0

D:\Drive - D\Year 2020\Manoj Jha Sir\Director\20-10-2020.doc

ज्ञापांक :– 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)–249 / 2019..11056 पटना, दिनांक..20-10-2020

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पं0 चंपारण, बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर, एवं नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/x/20

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)–249 / 2019 ..11056 पटना, दिनांक :–20-10-2020

प्रतिलिपि :– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जिलों के लिए प्राधिकृत सभी वरीय नोडल पदाधिकारी / निदेशालय के स्तर से जिलों के लिए प्राधिकृत सभी नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/x/20

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)–249 / 2019..11056 पटना, दिनांक :–20-10-2020

प्रतिलिपि :–सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

20/x/20

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)–249 / 2019 11056 पटना, दिनांक :–20-10-2020

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

20/x/20

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Drive - D\Year 2020\Manoj Jha Sir\Director\20-10-2020.doc

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)– 249/2019........11032

प्रेषक,

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

वरीय पुलिस अधीक्षक
पुलिस अधीक्षक,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल,
शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ,
सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण,
बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा।

पटना, दिनांक :– 20-10-2020

विषय :– विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के लिए चयनित अंचलों में तथा विशेष सर्वेक्षण कार्य में संलग्न कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में आपके जिले में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारम्भ किया गया है। प्रथम चरण में विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ करने के लिए निदेशालय स्तर से आपके जिलों के जिन अंचलों का चयन किया गया है, उसकी सूची पत्र के साथ संलग्न है। विशेष सर्वेक्षण कार्य के लिए प्रत्येक अंचल अधिकतम तीन विशेष सर्वेक्षण शिविर का गठन किया गया है और प्रत्येक शिविर में एक विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, दो विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, दो लिपिक तथा 20 से 25 विशेष सर्वेक्षण अमीनों को पदस्थापना की गई है, जिसमे महिला पदाधिकारी एवं कर्मी भी शामिल है।

वर्त्तमान समय में वरीय पदाधिकारियों द्वारा जिलों के कार्यो की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अनेक शिविर में पदस्थापित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को ग्राम स्तर के असामाजिक तत्वों की धमकी मिल रही है एवं शिविरों के मुख्यालय सुदूर क्षेत्रों में निर्मित पंचायत सरकार भवन अथवा अन्य सरकारी भवनों में स्थित होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से असुरक्षित हैं। सरकारी भवनों के अनुपलब्धता की स्थिति में कुछ शिविर कार्यालय किराये के मकान में भी अवस्थित हैं।

अतः अनुरोध है कि विशेष सर्वेक्षण शिविर के कार्यालयों को एवं उनमें कार्यरत कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्थानीय थानाध्यक्षों को अपने स्तर से निदेश देने की कृपा की जाए ताकि भूमि सर्वेक्षण जैसे अतिमहत्त्वपूर्ण कार्य को बिना किसी बाधा के सम्पन्न किया जा सके।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन

19/10/20

(निदेशक)
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2020\Birendra Kumar ASO\ACS Letter\file no. -249_2019_19-10-2020.doc

ज्ञापांकः – 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)– 249/2019 11032 पटना, दिनांक :– 20-10-2020

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/10/20

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)– 249/2019 11032 पटना, दिनांक :– 20-10-2020

प्रतिलिपि :– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जिलों के लिए प्राधिकृत सभी वरीय नोडल पदाधिकारी/निदेशालय के स्तर से जिलों के लिए प्राधिकृत सभी नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/10/20

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)– 249/2019 11032 पटना, दिनांक :– 20-10-2020

प्रतिलिपिः– सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0, डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप के निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं सूचनार्थ प्रेषित।

19/10/20

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)– 249/2019 11032 पटना, दिनांक :– 20-10-2020

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

19/10/20

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 03/भू0अ0नि0 (2) राज्य यो0(EPF)–07/2020..1106/........

प्रेषक,

अखिलेश कुमार झा, बि0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पश्चिम चम्पारण, बाँका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालन्दा।

पटना, दिनांक : 21-10-2020

विषय :– नवनियोजित संविदा कर्मियों के EPF खाता खुलवाने के संबंध में।
प्रसंग :– निदेशालय पत्र संख्या– 10771 दिनांक 10.09.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा आपके जिलों में पदस्थापित नवनियोजित संविदा कर्मियों के EPF खाता खुलवाते हुए इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

उक्त से संबंधित सूचना निदेशालय को अभी तक अप्राप्त है। उल्लेखनीय है कि नवनियोजित संविदा कर्मियों के पदस्थापन के पश्चात पारिश्रमिकी भुगतान हेतु आपके जिलों को निदेशालय से आवंटन निर्गत किया जाना है। पारिश्रमिकी भुगतान के पूर्व सभी कर्मियों का EPF खाता खुलवाना आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि निम्न सूची में आपके जिले में पदस्थापित नवनियोजित संविदा कर्मियों की सूचना उपलब्ध करायी जाय।

क्र0सं0	नव पदस्थापित संविदा कर्मी का नाम	पदनाम	EPF खाता संख्या
1	2	3	4

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

20/10/20

(अखिलेश कुमार झा)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0 (2) राज्य यो0(EPF)–07/2020..1106/........ पटना, दिनांक 21-10-2020

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित प्रभारी पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय)/सुश्री सुरभि सिंह, डाटा एनालिस्ट, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/10/20

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

E:\Year 2020\Om\Arya sir\Director\File no 7-2020 16.10.2020.doc

Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 03/भू0अ0नि0 (2) राज्य यो0(EPF)–07/2020...1106/........

प्रेषक,

अखिलेश कुमार झा, बि0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पश्चिम चम्पारण, बाँका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालन्दा।

पटना, दिनांक : 21-10-2020

विषय :– नवनियोजित संविदा कर्मियों के EPF खाता खुलवाने के संबंध में।
प्रसंग :– निदेशालय पत्र संख्या– 10771 दिनांक 10.09.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा आपके जिलों में पदस्थापित नवनियोजित संविदा कर्मियों के EPF खाता खुलवाते हुए इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

उक्त से संबंधित सूचना निदेशालय को अभी तक अप्राप्त है। उल्लेखनीय है कि नवनियोजित संविदा कर्मियों के पदस्थापन के पश्चात पारिश्रमिकी भुगतान हेतु आपके जिलों को निदेशालय से आवंटन निर्गत किया जाना है। पारिश्रमिकी भुगतान के पूर्व सभी कर्मियों का EPF खाता खुलवाना आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि निम्न सूची में आपके जिले में पदस्थापित नवनियोजित संविदा कर्मियों की सूचना उपलब्ध करायी जाय।

क्र0सं0	नव पदस्थापित संविदा कर्मी का नाम	पदनाम	EPF खाता संख्या
1	2	3	4

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 20/10/20

(अखिलेश कुमार झा)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0 (2) राज्य यो0(EPF)–07/2020...1106/........ **पटना, दिनांक** 21-10-2020

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित प्रभारी पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय)/सुश्री सुरभि सिंह, डाटा एनालिस्ट, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 20/10/20

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

E:\Year 2020 Om\Arya sir\Director\File no 7-2020 16.10.2020.doc

REQUIRED INFORMATION/ DOCUMENTS FOR REGISTRATION UNDER EPF & MP ACT' 1952

1	DDO NAME	
2	FATHER'S NAME	
3	DATE OF BIRTH	
4	COPY OF PAN OF DDO	
5	COPY OF TAN/ PAN OF ESTABLISHMENT	
6	EMAIL ID OF ESTABLISHMENT/DDO	
7	MOBILE NO.	
8	COPY OF BANK DETAILS OF ESTABLISHMENT	
9	DATE OF REQUEST FOR E.P.F REGISTRATION	
10	TOTAL NUMBER OF EMPLOYEES AS ON DATE OF REQUEST OF EPF REGISTRATION (ON DAILY WAGE/ MONTHLY WAGE CONTRACTUAL/ PIECE RATE BASIS) ALONGWITH THEIR DATE OF JOINING & WAGES	
11	NATURE OF ACTIVITIES OF THE ESTABLISHMENT	
12	NAME OF ESTABLISHMENT	

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या :- 17-सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)-95/2019 11089

प्रेषक,

विवेक कुमार सिंह, भा0प्र0से0
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता-सह-बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद,अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा।

पटना, दिनांक :- 27-10-2020

विषय :- सरकारी/लोक भूमि की सूची तैयार करने एवं जिला बंदोबस्त कार्यालय/संबंधित शिविर के विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- निदेशालय का पत्र संख्या- 17-सरकारी भूमि अनुरक्षण कोषांग- 95/2019- 716 दिनांक- 08.05.2019, पत्र संख्या-17- सरकारी भूमि अनुरक्षण कोषांग- 95/2019 1315 दिनांक 05.08.2019 एवं पत्र संख्या-17- वि0 सर्वेक्षण (नोडल पदा0)- 101/2019 408 दिनांक 28.02.2020 का कंडिका-7

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों द्वारा दिये गये निदेशों का कृपया स्मरण किया जाय। इस क्रम में संसूचित किया गया है कि जिला के बन्दोबस्त कार्यालयों को अंचलाधिकारी एवं अन्य केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों/उपक्रमों/बोर्डो द्वारा सरकारी/लोक भूमि की सूची उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। राजस्व विभाग के विभिन्न पत्रों द्वारा सरकारी/लोक भूमि के संरक्षण एवं अतिक्रमण मुक्त करने हेतु निदेश दिये गये है। साथ ही सरकारी भूमि की विवरणी जिला, अनुमंडल, अंचल एवं हल्कावार पंजी में संधारित रखने के संबंध में भी पूर्व में निदेश निर्गत किये गये हैं।

आपके जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ है। इस आलोक में सरकारी/लोक भूमि के संरक्षण हेतु यह आवश्यक है कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण शिविर को उक्त भूमि की विवरणी उपलब्ध रहे ताकि खानापुरी एवं प्रारूप प्रकाशन के समय से ही सरकारी भूमि की पहचान सुनिश्चित रह सके।

उक्त के आलोक में पुनः अनुरोध है कि -

(1) अंचलाधिकारियों को निदेशित किया जाय कि सरकारी/लोक भूमि की विवरणी विहित प्रपत्र में अविलंब तैयार कर ले। विहित प्रपत्र का प्रारूप पत्र के निम्न भाग में दिया जा रहा है।

(2) सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित किया जाय कि वे उक्त प्रपत्र में तैयार सरकारी/लोक भूमि की विवरणी संबंधित विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध करायें।

(3) अपने क्षेत्र अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों/उपक्रमों/बोर्डो के पदाधिकारियों को निदेशित किया जाय कि वे अपने स्तर से अपने क्षेत्राधिकार की सरकारी भूमि की विवरणी तैयार कर जिला बन्दोबस्त कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली के नियम-3(1) एवं नियम-4(1) के अनुसार केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों सहित भूमि के भू-स्वामियों/हित रखने वालों को अधिसूचना एवं अधिघोषणा अंतर्गत संसूचित किया जाना आवश्यक है।

(4) सभी अंचलाधिकारियों/केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों/उपक्रमों/बोर्डो के नोडल पदाधिकारियों से इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्राप्त कर लिया जाय कि उनके द्वारा सभी सरकारी/लोक भूमि की विवरणी उपलब्ध करा दी गई है और इसके अतिरिक्त कोई सरकारी भूमि/लोक भूमि उनके अधिकार क्षेत्र अंतर्गत नहीं है।

(5) सरकारी भूमि के संरक्षण एवं अनुरक्षण के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक- 247 दिनांक- 20.03.2020 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना भी सुनिश्चित किया जाय।

कृ0पृ0उ0

D:\Sanjeev-2020\Assistant Director sir\PS Letter\File No -95 2019 12.10.2020.doc

(6) विहित प्रपत्र निम्न प्रकार है:—

प्रपत्र

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 एवं नियमावली, 2012 अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान/स्थानीय निकाय की भूमि की विवरणी।

जिला का नाम:—
विभागीय कार्यालय/संस्थान का नाम :—

क्र० सं०	अंचल का नाम	राजस्व ग्राम का नाम (जहाँ भूमि अवस्थित है)	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा	भूमि पर दावा का आधार (दान/भू–अर्जन/अंतरण/अन्य)	अभ्युक्ति

नोट:— प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विवरणी में अंकित सरकारी/लोक भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य भूमि हमारे क्षेत्रांतर्गत/विभाग अंतर्गत नहीं है।

हस्ताक्षर
अंचलाधिकारी/संबंधित विभाग के नोडल पदाधिकारी

(7) साथ ही निदेश है कि प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को निम्न प्रपत्र में जिन सरकारी विभागों/उपक्रमों/बोर्डो से भूमि की विवरणी प्राप्त हो जाये, उसके प्राप्त होने अथवा अप्राप्त होने का प्रतिवेदन निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप को उनके ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे:—

सरकारी भूमि की विवरणी प्राप्त करने के संबंध में अनुश्रवण हेतु प्रपत्र।

जिला का नाम / विभाग/उपक्रम/ बोर्ड का नाम		
	प्राप्त	अप्राप्त

(8) जिला पदाधिकारी जिले में पदस्थापित केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों/उपक्रमों/बोर्डो के पदाधिकारियों में से प्रत्येक विभाग हेतु अलग–अलग किसी पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में घोषित करेंगे, जो जिला बन्दोबस्त कार्यालय/संबंधित विशेष सर्वेक्षण शिविर के सतत् संपर्क में रह कर सरकार का हित अक्षुण्ण रखेंगे।

विश्वासभाजन
(विवेक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :— 17—सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)—95/2019..1089 **पटना, दिनांक** :—27-10-2020

प्रतिलिपि:— सभी प्रमंडलीय आयुक्त (सारण प्रमंडल को छोड़कर) को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :— 17—सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)—95/2019..1089 **पटना, दिनांक** :—27-10-2020

प्रतिलिपि :— राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जिलों के लिए प्राधिकृत सभी वरीय नोडल पदाधिकारी/निदेशालय के स्तर से जिलों के लिए प्राधिकृत सभी नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

D:\Sameer-2020\Assistant Director sir\PS Letter\File No.-95 2019 12.10.2020.doc

ज्ञापांक :– 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95 / 2019 11089 **पटना, दिनांक** :– 27-10-2020

प्रतिलिपि :–सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

D:\Sanjeev-2020\Assistant Director sir\PS Letter\File No.-95 2019 12.10.2020.doc

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :–17–वि0सर्वे –240/2019 ...1120...

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री संजय कुमार,
तकनीकी निदेशक,
एन0आई0सी0, पटना।

पटना, दिनांक : 13.11.2020

विषय :– भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में खेसरा की यूनिक आई0डी0 का विकल्प प्रावधानित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–28.05.2020 को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में खेसरों की यूनिक आई0डी0 निर्धारणार्थ बैठक आहूत की गई थी। सर्वसम्मति से 14 डिजिट के खेसरा कोड को निर्धारित किया था।

1. पहला से छठा अंक (1st to 6th digit) – भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजस्व ग्राम का LGD (Local Governance Directory) कोड को अभिव्यक्त करेगा।
2. सातवां से ग्यारहवां अंक (7th to 11th digit) – संबंधित राजस्व ग्राम के खेसरा संख्या को प्रदर्शित करेगा (Khesra No. of any particular land parcel in the related village)।
3. बारहवां अंक (12th digit) धारण के प्रकार (Holding Type) को अभिव्यक्त करेगा।
4. तेरहवां से चौदहवां अंक (13th to 14 th digit) – भू–उपयोग एवं आच्छादन (Land Use/Land Cover) को अभिव्यक्त करेगा।

विदित हो कि विशेष भू–सर्वेक्षण की प्रक्रिया प्रगति में है और डाटा संकलन का समस्त कार्य सॉफ्ट कॉपी के रूप में एन0आई0सी0 द्वारा विकसित "भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर" की मदद से किया जा रहा है। अतएव खेसरों की यूनिक आई0डी0 के तेरहवें–चौदहवें अंक के लिए अनुमोदित सूची को प्रपत्र–6 के इन्ट्री प्रारूप में ड्रॉपडाउन विकल्प के रूप में "भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर" में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है, ताकि प्रत्येक खेसरे के विरूद्ध इन दो अंकों के चयन की सुविधा सर्वेक्षण कर्मियों को उपलब्ध हो सके।

इस आलोक में अविलंब आवश्यक कार्रवाई करते हुए निदेशालय को अवगत कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
13/11/20

ज्ञापांक :– 17–वि0सर्वे0–240/2019 ...1120... **पटना, दिनांक** 13.11.2020

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप/प्रभारी, तकनीकी कोषांग, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/जी0आई0एस0 सलाहकार, बी0पी0एम0यू0, बिहार, पटना/प्रभारी आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
13/11

14 digit Land Parcel Unique ID

Village Code	Khesra No. Code	Holding type	LandUse / Land Cover
☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐☐	☐	☐☐

1st to 6th digit - LGD (Local Governance Directory) Code

7th to 11th digit- Khesra No. of any particular land parcel in the related village

12th digit- Holding type Code

13th to 14th digit- Land Use / LandCover Code

Three digit for Holding type and Land Use/Land Cover Code

12th digit

1 अनाबाद सर्वसाधारण (आम)
2 अनाबाद बिहार सरकार (खास)
3 कैसरे हिंद (भारत सरकार)
4 कैसरे हिंद (राज्य सरकार)
5 खासमहल
6 बंदोबस्त की गई अहस्तांतरणीय भूमि
7 रैयती (सरकारी विभागों की भूमि)
8 रैयती (रैयती)

14 digit Land Parcel Unique ID

13th & 14th digit

01	फसला सिंचित	कृषि
02	फसला असिंचित	
03	बागवानी	
04	नकदी	
05	बांसवाड़ी	
06		
07		
08		
09		
10	बलुआही	परती
11	उसर / बंजर	
12	पथरीला	
13	पहाड़ी	
14	दलदल	
15	खरहर / खरहुल / चारागाह	
16	गड्ढा	
17		
18		
19		
20	कच्चा मकान सह मिश्रित उपयोग	आवासीय
21	पक्का मकान सह मिश्रित उपयोग	
22	पक्का मकानमय सहन	
23	कच्चा मकानमय सहन	
24	पक्का मकान	
25	कच्चा मकान	
26	झोपड़ी / करकट	
27		
28		
29		

14 digit Land Parcel Unique ID

30	ईंट भट्ठा	व्यावसायिक (वाणिज्यिक / औद्योगिक)
31	गोदाम	
32	खरीदारी केन्द्र	
33	ग्रामीण बाजार / हाट	
34	होटल	
35	पेट्रोल पंप	
36	कोल्ड स्टोरेज	
37	ऑफिस / कार्यालय	
38	सिनेमा / थियेटर	
39	उद्योग / कारखाना	
40	श्मशान	सामुदायिक उपयोग
41	कब्रिस्तान	
42	किसी भी तरह का पूजा स्थल	
43	शिक्षण संबंधी संस्थान	
44	खेल मैदान	
45	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी	
46	सामुदायिक भवन	
47	रिक्रियेशन सेंटर / पार्क	
48	खदान / खान	
49	पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व संबंधी	
50	नदी	जल निकाय
51	मुख्य नहर	
52	वितरक नहर	
53	झील	
54	चौर	
55	मोइन	
56	तालाब–पोखर	
57	आहर–पईन	
58	डैम / रिजर्वायर	
59		
60	राष्ट्रीय राजमार्ग	परिवहन (सड़क)
61	राज्य राजमार्ग	
62	जिला सड़क	
63	ग्रामीण सड़क	
64	नगरीय सड़क	
65	प्रोजेक्ट सड़क	
66	कच्ची सड़क	
67	बस स्टैण्ड	
68		
69		

14 digit Land Parcel Unique ID

70	रेलवे लाईन	परिवहन (रेल / वायुयान)
71	रेलवे स्टेशन	
72	रेलवे जमीन	
73	हवाई अड्डा	
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		भविष्य उपयोग हेतु रिक्त
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 13 विशे०का०(प्रशि०)–24/2019–11269

प्रेषक,

जय सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल,
शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ,
सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पं० चंपारण,
बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा।

पटना, दिनांक : 24-11-2020

विषय :– बिहार विशेष सर्वेक्षण अंतर्गत जिलों में चिन्हित सर्वेक्षण शिविर कार्यालय के निगरानी एवं सुरक्षा हेतु चौकीदारों को प्राधिकृत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषये के संबंध में कहना है कि आपके जिलों के अंचलों में बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्य के लिए पंचायत सरकार भवन अथवा अन्य सरकारी भवन को शिविर कार्यालय के रूप में चिन्हित किया गया है। उक्त शिविर कार्यालयों में सर्वेक्षण से संबंधित कार्यो के संपादन हेतु उपस्कर के साथ–साथ रैयतों से प्राप्त होने वाले कागजात तथा विभिन्न महत्वपूर्ण पंजी आदि संधारित कर रखे जा रहे है। इस आलोक में यह आवश्यक है कि इन शिविर कार्यालयों की निगरानी सतत हो।

अतः अनुरोध है कि अपने जिले के इन सर्वे शिविर कार्यालयों के सुरक्षा एवं निगरानी हेतु थाना स्तर से चौकीदारों को प्राधिकृत करने हेतु यथोचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 24/11/20
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 11269 **पटना, दिनांक** 24-11-2020

प्रतिलिपि :– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जिलों के लिए प्राधिकृत सभी वरीय नोडल पदाधिकारी/निदेशालय स्तर से जिलों के लिए प्राधिकृत सभी नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 24/11/20
भू–अभिलेख एवं परिमाप

कृ०पृ०उ०

D:\Drive - D\Year 2020\Manni Bs Sir\Director\01-20-2020.doc

सं०- 17/न०को० (प्रशिक्षण) — 249/2019

ज्ञापांक :– 11269 पटना, दिनांक 24-11-2020

प्रतिलिपि :– सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0), बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पं0 चंपारण, बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

सं०- 17/न०को० (प्रशिक्षण) — 249/2019

ज्ञापांक :– 11269 पटना, दिनांक 24-11-2020

प्रतिलिपि :– सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

सं०- 17/न०को० (प्रशिक्षण) — 249/2019

ज्ञापांक :– 11269 पटना, दिनांक 24-11-2020

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Drive - D\Year 2020\Manoj Jha Sir\Director\01-09-2020.doc

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0 संख्या : 17 वि0(सर्वेक्षण) विविध मार्गदर्शन–133 / 2015...1355

प्रेषक,

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी,
एन0आई0सी0, पटना।

पटना, दिनांक : 01-12-2020

विषय :– भू–नक्शा सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी आडिटिंग सर्टिफाइड इमपैनल्ड (Empanelled) एजेंसी से करवाने के संबंध में।

प्रसंग :– वरीय वैज्ञानिक डी0एस0 वेंकटेंश LRIS नई दिल्ली द्वारा आपको भेजे गए मेल के आलोक में आपका दिनांक– 16.03.2020 का मेल।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा विकसित किए गए "भू–नक्शा सॉफ्टवेयर" का उपयोग बिहार सर्वेक्षण कार्य में L.P.M निर्माण हेतु किया जाना है। इसी सॉफ्टवेयर का परवर्त्ती उपयोग म्यूटेशन के रूप में लोक सेवाओं में भी किया जाना है। इस सॉफ्टवेयर को S.D.C में होस्ट कराने के पूर्व सिक्योरिटी आडिट कराने की आवश्यकता है जो कि आपके मेल से विदित है। अतएव एन0आई0सी0 के सर्टिफाइड इमपैनल्ड एजेंसी से इस सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी ऑडिट कराने की कृपा की जाए ताकि इसे शीघ्रातिशीघ्र सर्वेक्षण कार्य में सहयोग करने हेतु S.D.C में होस्ट कर कार्यशील बनाया जा सके।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 1/11/20
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Drive - D:\Year 2020\Chandan Sir\Director\09-11-2020.doc

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या : 17– MIS Entry (DILRMP)- 220/2018 ...11378

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांक :– 03-12-2020

विषय :– MIS Portal पर प्रतिवेदन अद्यतन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि केन्द्र प्रायोजित योजना NLRMP/DILRMP के अन्तर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम से संबंधित भौतिक उपलब्धी का प्रतिवेदन भारत सरकार द्वारा DILRMP के लिए निर्मित MIS Portal पर अद्यतन/अपलोड करने हेतु निम्न सूचना/प्रतिवेदन की आवश्यकता है :–

क्र0 सं0	जिला का नाम	अंचल का नाम	ग्रामीण क्षेत्र Sq.Km.	शहरी क्षेत्र Sq.Km.	वन क्षेत्र Sq.Km.	विगत सर्वे का वर्ष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

अतः अनुरोध है कि उक्त से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में तीन दिनों के अंदर निदेशालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि MIS Portal पर डाटा अद्यतन/अपलोड करने की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करायी जा सके।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 3/11/20
निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17– MIS Entry (DILRMP)- 220/2018...11378 **पटना, दिनांक** :03-12-2020
प्रतिलिपि : सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप
कृ0पृ0उ0

D:\Satish-2020\Samarajya Jee\Director\220-2018-27-11-2020.doc

ज्ञापांक : 17– MIS Entry (DILRMP)- 220/2018..11378.. **पटना, दिनांक** : 03-12-2020

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17– MIS Entry (DILRMP)- 220/2018..11378 **पटना, दिनांक** : 03-12-2020

प्रतिलिपि : प्रभारी आई0टी0 कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र की प्रति निदेशालय के बेवसाईट पर प्रकाशित कराने की कार्रवाई की जाय।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Satish-2020\Samarajya Jee\Director\220-2018-27-11-2020.doc

पत्रांक–01 / भू0अ0नि0(1)मु0स्था0(प्रति0)–05 / 2020 – 11409

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0,
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक– 07-12-2020

विषय :– अंचल अधिकारी के समकक्षीय पद–सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (बिहार राजस्व सेवा के प्रथम प्रोन्नति स्तर) पद का राज्य के बन्दोबस्त कार्यालयों हेतु पद कर्णांकित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना सं0–73(3)/रा0, दिनांक–27.02.2019 द्वारा बिहार राजस्व सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019 अधिसूचित एवं प्रभावी है। नियमावली के अनुसूची–1 में बिहार राजस्व सेवा के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का विवरण अंकित है। उक्त के अनुसार बिहार राजस्व सेवा के प्रथम प्रोन्नति स्तर–अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के स्वीकृत पदों की संख्या निम्नवत है :–

अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड (प्रथम प्रोन्नति स्तर) :–

क्र0	पदनाम	पदों की संख्या
1	अंचल अधिकारी	534
2	कार्यपालक दण्डाधिकारी	147
3	सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी / चकबंदी पदाधिकारी	120
	कुल पद –	**801**

2. इन 801 सृजित पदों में से सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी / चकबंदी पदाधिकारी के लिए 120 पद चिन्हित है।

3. उल्लेखनीय है कि सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं चकबंदी पदाधिकारी फ्लोटिंग पद है अर्थात् बन्दोबस्त कार्यालयों एवं चकबंदी कार्यालयों में अवश्यकतानुसार इन 120 स्वीकृत पदों के विरूद्ध पदस्थापन किया जा सकता है। वर्त्तमान में राज्य में कुल 39 चकबंदी अंचल में चकबंदी का कार्य संचालित है। प्रत्येक अंचल में एक चकबंदी पदाधिकारी का पदस्थापन किया जाता है। इस प्रकार इन 39 चकबंदी अंचल में अधिकतम कुल–39 चकबंदी पदाधिकारी का पदस्थापन किया जाता है, ऐसी स्थिति में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी / चकबंदी पदाधिकारी के कुल स्वीकृत 120 पदों में से 81 पदों के संदर्भ में बन्दोबस्त कार्यालयों में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी का पद कर्णांकित करने की आवश्यकता है।

D:\2020\Chandan\Sec-3\letter\04.01.2020.doc 98

4. उपर्युक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के लिए उपलब्ध 81 पदों का परिशिष्ट–01 में वर्णित विवरणी के अनुसार जिलावार कर्णांकित करने का निर्णय लिया जाता है।

5. वेतन एवं अन्य भत्ते मद् में होने वाले व्यय का वहन मुख्यशीर्ष–2029–भू–राजस्व, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–102–सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य, उपशीर्ष–0101–सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण, मांग संख्या–40, विपत्र कोड–402029001020101 से विकलनीय होगा।

6. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

7. पूर्व में निर्गत एतद् संबंधी सभी पत्र/परिपत्र निरस्त समझा जाएगा।

<u>अनु0–परिशिष्ट–01</u>

विश्वासभाजन,

(जय सिंह) 7/12/20
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप।

ज्ञापांक:–01/भू0अ0नि0(1)मु0स्था0(प्रति0)–05/2020 – 11409 , पटना–15, दिनांक– 07-12-2020

प्रतिलिपि:– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ निदेशक, चकबंदी, बिहार, पटना/निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना/सभी जिला के कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जय सिंह),
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप।

ज्ञापांक:–01/भू0अ0नि0(1)मु0स्था0(प्रति0)–05/2020 –11409 , पटना–15, दिनांक–07-12-2020

प्रतिलिपि:–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(जय सिंह),
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप।

ज्ञापांक:–01/भू0अ0नि0(1)मु0स्था0(प्रति0)–05/2020 –11409 , पटना–15, दिनांक– 07-12-2020

प्रतिलिपि:–आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(जय सिंह), 7/12/20
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप।

D:\2020\Chandan\Sec-3\letter\04.01.2020.doc 99

परिशिष्ट–1

क्र0	जिला का नाम	भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के आदेश पत्रांक–416, दिनांक–13.03. 2019 द्वारा पूर्व से कर्णांकित पद (नियमित)	नव कर्णांकित पद (नियमित)
1	2	3	4
1	भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय	06	08
2	लखीसराय	03	03
3	बेगूसराय	06	04
4	खगड़िया	02	02
5	अररिया	01	02
6	पूर्णियां	01	03
7	किशनगंज	01	02
8	कटिहार	01	02
9	सहरसा	03	03
10	सुपौल	03	03
11	मधेपुरा	03	03
12	पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)	01	03
13	जमुई	01	02
14	नवादा	01	01
15	बांका	01	02
16	नालन्दा	02	03
17	शेखपुरा	01	02
18	भागलपुर	01	01
19	सारण	01	01
20	बक्सर	01	01
21	अरवल	01	02
22	औरंगाबाद	01	01
23	कैमूर (भभुआ)	01	01
24	गया	01	01
25	गोपालगंज	01	01
26	जहानाबाद	01	02
27	दरभंगा	01	01
28	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	01	01
29	मुंगेर	01	03
30	मुजफ्फरपुर	01	01
31	रोहतास (सासाराम)	01	01
32	वैशाली	01	03
33	समस्तीपुर	01	01
34	सीतामढ़ी	01	02
35	पटना	02	03
36	भोजपुर	01	02
37	मधुबनी	01	01
38	सिवान	01	01
39	शिवहर	01	02
	कुल–	60	81

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना

D:\2020\Chandan\Sec-3\letter\04.01.2020.doc 100

12/चक0–विविध–06/2019 ......788........../चक0

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(चकबंदी निदेशालय)

प्रेषक,

विवेक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 10.12.2020

विषय :– **बिहार जोतों का समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम, 1956 से आच्छादित ग्रामों में बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम, 2011 के तहत कार्यों के सम्पादन में दिशा–निर्देश के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि चकबंदी योजना बिहार जोतों का समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम, 1956 के तहत विभिन्न प्रक्रियाओं के समाप्ति उपरांत राज्य के रैयतों को वर्तमान में निम्न समस्या उत्पन्न हो गयी है :–

(i) चकबंदी अधिनियम के अधीन अनाधिसूचित कुछ मौजों में चकबंदी खतियान के अनुसार रसीद कट रही है एवं दखल कब्जा भी है, लेकिन कतिपय कारणों से चक मानचित्र रैयतों को उपलब्ध हो पाया है।

(ii) कुछ मौजों में अनाधिसूचित होने के बाद भी आर0एस0 खतियान के अनुरूप ही दखलकार है एवं तदनुरूप रसीद भी कट रही है।

(iii) कई जिलों में अधिकांश मौजों में चकबंदी खतियान के अनुरूप दखल कब्जा है एवं रसीद कट रही है। जबकि कई मौजों में कुछ रैयतों का दखल कब्जा आर0एस0 खतियान पर आधारित है तथा तदनुरूप रसीद भी कट रही है।

(iv) चकबंदी अधिनियम की धारा 26(क) के तहत अनाधिसूचित हो जाने के पश्चात् भी कई मौजों में रैयत वास्तविक दखलकार नहीं है।

(v) चकबंदी एवं सर्वे खतियान के आधार पर दखल कब्जा को लेकर विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो रही है।

उपर्युक्त परिस्थिति में चकबंदी अधिनियम की धारा 26(क) के अन्तर्गत अनाधिसूचित ग्रामों में किये गये चकबंदी कार्यों को निष्प्रभावी तथा अमान्य घोषित करने पर भी समस्या का समाधान संभव नहीं है, क्योंकि चकबंदी योजना के अनुसार सभी रैयत दखल में नहीं हैं या फिर सभी रैयत आर0एस0 सर्वे खतियान के अनुसार दखल में हैं। इस प्रकार चकबंदी कार्यक्रम को किसी भी ग्राम में अमान्य अथवा निष्प्रभावी घोषित करने पर काफी संख्या में रैयतों के लिए वैधानिक कठिनाईयाँ उत्पन्न हो सकती है।

वर्तमान में बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत आच्छादित जिलों के रैयतों को कोई वैधानिक कठिनाईयाँ उत्पन्न न हो, के हित को देखते हुए चकबंदी

कृ0पृ0उ0 ....

अधिनियम में वर्तमान प्रावधान के तहत इस बिन्दु पर विधि विभाग से परामर्श प्राप्त की गई है। प्राप्त परामर्श का सार इस प्रकार है :–

The present file has been produced for opinion regarding stand aken by the department for removing the dificulties after issuance of notification under section 26(A) of the Consolidation Act, 1956 the difficulties which the department is facing are at page no. 2 & 3 (I to vi).

Persue the file and notings as well as views of the department regarding handling the difficulties. Provisions of special survey and settlement Act, 2011 is also examine.

Since the Government has already passed special survey and settlement Act, 2011 and under this Act Govt. is empowered to issue notification under section 3 for currying out survey in the state. Further section 20 of the Act is made as overriding effect over other laws.

Further state Govt. isproposed to initiate consolidation proceeding after completion of special survey.

Under section 6 of the special survey and settlement Act, 2011 land holders and /owner have to submit declaration of land owned/hold by them in Form&2, thereafter as per section 9 Khanapuri work will be done. And further under section 11 records of right will be published.

Since Khanapuri party has given power to examine all the claims/objection regarding declaration made by the raiyat. Accordingly irrespective of consolidation proceeding is over or not, whether possession is on the basis of chak khatiyan or R.S. Khatiyan, rent collected by the Govt. as per R.S. or chak khatiyan, Raiyat is made to declare their holding/possession. And as per special survey Act. 2011, Khanapuri party shall take into account continuous possession and after scruitinizing the objection/claim, records of right can be prepare. I am of the considered view that the stand taken by the department i.e. Khanapuri work is to be done as per their continuous possession is correct.

अतः अनुरोध है कि यथावर्णित तथ्यों के आधार पर विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम, 2011 के तहत कार्य करने हेतु खानापुरी दल को निदेश दिया जाय।

विश्वासभाजन

(विवेक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: **अधिसूचना** ::

पटना–15, दिनांक– 10/12/2020

संख्या–14/विविध (नीति)–910/2020– 11718 /सा0प्र0–राज्य के सभी जिलों में अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी के पद पर पदस्थापित पदाधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा–2 (xxix) के अधीन सम्बन्धित जिला के लिए प्रभारी पदाधिकारी (चार्ज ऑफिसर), बन्दोबस्त के पद का प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/- 10/12/2020

(विमलेश कुमार झा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–14/विविध (नीति)–910/2020– 11718 /सा0प्र0, पटना–15, दिनांक– 10/12/2020

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/विकास आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार/प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 10/12/2020

सरकार के अपर सचिव।

Fax/Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 17– बिहार विशेष सर्वेक्षण (मानचित्र आपूर्ति) – 136/2019 11659

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांक :–22-12-2020

विषय :– राज्य के सभी अंचलो में जमीन के मापी हेतु सभी राजस्व मौजो का दो–दो प्रति राजस्व मानचित्र संधारित रखने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि अंचल कार्यालयों में भूमि विवाद सुलझाने एवं भूमि की पैमाईश हेतु आम रैयतों एवं भू–धारियों द्वारा अंचलाधिकारी से अनुरोध किया जाता है, किन्तु मानचित्र की अनुपलब्धता के कारण जमीनों का मापी संबंधी कार्य ससमय सम्पन्न नहीं हो पाता है, साथ ही यह भी संज्ञान में आया है कि अंचलाधिकारीयों द्वारा रैयत को ही मानचित्र उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया जाता है। यदि किसी तरह रैयतों द्वारा मानचित्र की व्यवस्था की जाती है तो उसमें भिन्नता पाई जाती है। ऐसी स्थिति में भूमि विवाद सुलझने के बजाए उलझ जाता है और मापी में विलंब भी होता है।

अतः विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी अंचलों में उस अंचल के अर्न्तगत आने वाले सभी राजस्व ग्रामों का सम्पुष्ट खतियान आधारित मानचित्र की दो–दो प्रति संधारित रखा जाए। एक प्रति मानचित्र को लेमिनेशन कराकर अभिलेख के रूप में संधारित किया जाए तथा दूसरे मानचित्र को मापन संबंधी कार्य में प्रयुक्त किया जाए। किसी भी परिस्थिति में मापी हेतु आवेदनकर्त्ता को नक्शा उपलब्ध कराने हेतु निदेश नहीं दिया जाएगा।

विश्वासभाजन

22/12/20

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक– 17– बिहार विशेष सर्वेक्षण (मानचित्र आपूर्ति) – 136/2019 1659 **पटना, दिनांक :**–22-12-2020

प्रतिलिपि :– उप–निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग पटना–7 को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक– 17– बिहार विशेष सर्वेक्षण (मानचित्र आपूर्ति) – 136/2019 1659 **पटना, दिनांक :**–22-12-2020

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक– 17– बिहार विशेष सर्वेक्षण (मानचित्र आपूर्ति)136 / 2019- 11659 पटना, दिनांकः–22-12-2020

प्रतिलिपि :– सभी अंचलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :-17 सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग) - 95/2019...69.....

प्रेषक,

विवेक कुमार सिंह, भा0प्र0से0
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक : 08-01-2021

विषय :- विभिन्न विभागों के अधीनस्थ सरकारी/लोक भूमि की सूची तैयार करने एवं जिला बंदोबस्त कार्यालय को सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य के बीस जिलों यथा -बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पं0 चंपारण, बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर, एवं नालंदा में प्रथम चरण में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। निदेशालय स्तर से सरकारी भूमि के संरक्षण के उद्देश्य से पत्रांक-408 दिनांक-28.02.2020 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया था कि जिले में अवस्थित प्रत्येक विभाग को उनके स्वामित्व वाली भूमि की विवरणी तैयार कराकर प्राप्त कर लिया जाय एवं प्रत्येक जिला स्तरीय विभागीय कार्यालय के लिए एक नोडल पदाधिकारी प्राधिकृत कर लिया जाय। कुछ जिलों द्वारा इस संदर्भ में कार्रवाई भी की गई है।

उक्त सर्वेक्षण के क्रम में आपके विभाग द्वारा धारित/स्वामित्व की भूमि के संरक्षण हेतु संबंधित जिले के बन्दोबस्त कार्यालय को सरकारी/लोक भूमि की विवरणी भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा तैयार किये गये विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में पत्रांक- 291 दिनांक- 22.02. 2019 द्वारा भी आपसे अनुरोध किया गया था। साथ ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा अर्द्धसरकारी पत्र के माध्यम से भी आपसे अनुरोध किया गया है।

इस हेतु यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक जिला स्तरीय विभागीय कार्यालय के नोडल पदाधिकारी, जिला बन्दोबस्त कार्यालय एवं संबंधित विशेष सर्वेक्षण शिविर के सतत् संपर्क में रहें ताकि आपके विभाग एवं सरकार का हित अक्षुण्ण रखा जा सके। सरकारी भूमि के संरक्षण के संबंध में भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक- 11089 दिनांक- 27.10.2020 द्वारा सभी जिला के समाहर्त्ता को विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए निदेशित किया गया है।

अनुरोध है कि अपने विभाग अंतर्गत उक्त जिलों के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं उपक्रमों को निदेशित किया जाय कि वे अपने अधीनस्थ भूमि की विवरणी संबंधित जिला बन्दोबस्त कार्यालय को अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण के प्रक्रम में संबंधित विशेष सर्वेक्षण शिविर में अपना पक्ष भी रखेंगे ताकि आपके विभाग एवं सरकार का हित अक्षुण्ण रहे।

विश्वासभाजन

(विवेक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

D:\Drive - D\Year 2020\Manoj Jha Sir\Principal Secy 7-12-2020.doc

ज्ञापांक :– 17 सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग) – 95 / 2019...69..... **पटना, दिनांकः**–08-01-2021

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

8.1.21

अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

D:\Drive - D\Year 2020\Manoj Jha Sir\Principal Sec\17.12.2020.doc

आवश्यक
e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या : 17–राजस्व अभिलेख (संरक्षण)– 27 / 2017 ....93........

प्रेषक,

जय सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांक :–13-01-2021

विषय :– अंचल स्तरीय आधुनिक अभिलेखागार–सह–डाटा सेंटर के संचालन प्रक्रिया के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य के 534 अंचलों में डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार की स्थापना किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में राज्य के 436 अंचलों में आधुनिक अभिलेखागार भवन तैयार कर लिया गया है। जिसके अनुसार सभी जिलों के 163 अंचलों को चिन्हित करते हुए, उसमें आधुनिक उपकरण/उपस्कर इत्यादि का आपूर्ति/अधिष्ठापन कर डाटा सेंटर विकसित करने हेतु राशि भी जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त इन डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार में डाटा इंट्री ऑपरेटरों के नियोजन हेतु कार्रवाई की जा रही है।

इन अंचल स्तरीय डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार में अभिलेखों के संरक्षण के साथ–साथ अभिलेखों की प्रतिलिपि निर्गत करने की कार्रवाई की जायेगी। इस संदर्भ में अंचल अभिलेखागार एवं डाटा सेंटर के उद्देश्यों के आधार पर मानक संचालन प्रक्रिया विभाग स्तर से तैयार किया गया है, जिस पर माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

उक्त के आलोक में अंचल स्तरीय डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार के लिए निर्मित/अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। अनुरोध है कि अंचल स्तरीय डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार के लिए संलग्न मानक संचालन प्रक्रिया में वर्णित निदेशों के अनुरूप समुचित कार्रवाई कराना सुनिश्चित की जाए।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 21.1.21
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Satish-2021\Samaraya Jee\Director\27-2017- 04.01.2021.doc

ज्ञापांक : 17–राजस्व अभिलेख (संरक्षण)– 27/2017...93... पटना, दिनांक : 13-01-2021

e-Mail

प्रतिलिपि : सभी अंचलाधिकारी, बिहार को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक – 17–राजस्व अभिलेख (संरक्षण)– 27/2017...93... पटना, दिनांक : 13-01-2021

e-Mail

प्रतिलिपि : सभी अपर समाहर्त्ता/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक – 17–राजस्व अभिलेख (संरक्षण)– 27/2017...93... पटना, दिनांक : 13-01-2021

e-Mail

प्रतिलिपि : विभागीय आई0टी0 कोषांग/प्रभारी आई0टी0 कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं विभागीय/निदेशालय के बेवसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक – 17–राजस्व अभिलेख (संरक्षण)– 27/2017...93... पटना, दिनांक : 13-01-2021

e-Mail

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक – 17–राजस्व अभिलेख (संरक्षण)– 27/2017...93... पटना, दिनांक : 13-01-202

e-Mail

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप 13/1/21

D:\Satish-2021\Samarajya Jee\Director\27-2017- 04.01.2021.doc

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अंचलस्तरीय डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार के लिए
संचालन प्रक्रिया

बिहार राज्य के 534 अंचलों में आधुनिक अभिलेखागार भवन बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें से 436 अंचलों में आधुनिक अभिलेखागार भवन तैयार कर ली गई है। उक्त आधुनिक अभिलेखागार भवन में डाटा सेंटर भी विकसित करने हेतु 163 अंचलों को चिन्हित करते हुए, उसमें आधुनिक उपकरण आदि अधिष्ठापन के लिए राशि जिलों को उपलब्ध कराई गई है। इन आधुनिक अभिलेखागार–सह–डाटा सेंटर में विभिन्न प्रकार के अभिलेखों को संरक्षित रखने के साथ–साथ इसकी प्रतिलिपि भी उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर पर अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठकों में इन आधुनिक अभिलेखागार–सह–डाटा सेंटर से अभिलेखों के प्रतिलिपि प्राप्त करने की मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का निदेश दिया गया है।

इन आधुनिक अभिलेखागारों में अंचल स्तर पर सृजित होने वाले अभिलेखों आदि को बिहार रिकॉर्ड मैन्युअल, 1960 तथा अन्य विधिमान्य प्रक्रिया के अनुसार संरक्षित रखा जाएगा। साथ ही इन अभिलेखों का डिजिटल अथवा स्कैन की गई प्रति डाटा के रूप में विधिमान्य प्रक्रिया के अंतर्गत सॉफ्ट कॉपी के रूप में संरक्षित रखा जाएगा। आवश्यकतानुसार वर्षवार संधारित सॉफ्ट कॉपी को हार्ड डिस्क में भी रखा जा सकता है।

<u>अंचल आधुनिक अभिलेखागार एवं डाटा सेंटर का उद्देश्यः–</u>

1. अंचल के महत्त्वपूर्ण वादों से संबंधित अभिलेख एवं संचिकाओं का संरक्षण।
2. इन वादों एवं संचिकाओं को क्रमवार तरीके से अभिलेखागार में रखा जाएगा, साथ ही इनकी सॉफ्ट कॉपी को कम्प्यूटर के डाटा में संधारित रखा जाएगा।
3. डाटा सेंटर से सूचनाओं को तुरंत प्राप्त किया जा सकेगा।
4. विभिन्न प्रकार के वैधिक मामलों में तुरंत सूचना एवं कागजात प्राप्त की जा सकेगी।
5. जन सामान्य को समयबद्ध सेवा उपलब्ध हो सकेगी।
6. अभिलेखों के अनुक्रमणिका का विधिवत् तैयार रखा जाएगा।
7. अभिलेखों एवं सूचनाओं को डिजिटल फॉर्मेट में एवं भौतिक रूप से रखने की सुव्यवस्था होगी।
8. किसी भी अधिनियम के अंतर्गत निष्पादित वादों का स्कैनिंग कर अभिलेखागार में संरक्षित रखे जाने से पूर्व उक्त अभिलेख संबिंधित कार्यवाहक लिपिक, प्रधान लिपिक तथा अंचलाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित होगा ताकि अभिलेख के साथ भविष्य में छेड़–छाड़ की संभावना ना हो।

आधुनिक अभिलेखागार–सह–डाटा सेंटर भवन एवं उसमें अभिलेखों को रखा जाना :-

उक्त भवन के प्रथम तल पर अभिलेखों को सुसज्जित तरीके से एवं वर्षवार भवन के हॉल में रैकों में रखा जाएगा। प्रथम तल पर ही एक कमरा भंडारपाल का कक्ष होगा, जिसमें कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर, आलमारी आदि रहेगी।

अभिलेखों को व्यवस्थित सुरक्षित एवं भविष्य में रखने के लिए उन्हें डिजिटाईज्ड एवं स्कैन भी किया जाना है। डिजिटाईजेशन एवं स्कैनिंग की कार्रवाई इस प्रकार सॉफ्ट कॉपी बनाई जाए कि भविष्य में सॉफ्टवेयर के माध्यम डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर के द्वारा उन्हें ट्रैक और संचालित किया जा सके।

अभिलेखों को रैक एवं आलमारी में सावधानी से रखना और निकालना है और इस हेतु कौन सा अभिलेख रैक के किस स्थान पर है और किस आलमारी में रखा है, उसका एक इन्डैक्स पंजी भी तैयार किया जाएगा। सभी अभिलेख पंजी आदि स्कैन और डिजिटाईजेशन के बाद टेग लगा रखा जाएंगे, जिसमें अभिलेख का संक्षिप्त विवरण हो और इन्डैक्स संख्या भी दर्ज हो।

आधुनिक अभिलेखागार–सह–डाटा सेंटर में रखे जाने वाले अभिलेख आदि:–

इन अभिलेखागारों में जिस प्रकार के अभिलेख/कागजात रखे जायेंगे तथा जिनकी डिजिटाईज्ड अथवा स्कैन प्रति सॉफ्ट कॉपी के रूप में रखी जाएगी में से निम्न अभिलेख/कागजात हो सकते हैं:–

क्र0	अभिलेख का प्रकार
1.	कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान
2.	रिविजनल सर्वे खतियान
3.	चकबन्दी खतियान
4.	राजस्व ग्राम मानचित्र
5.	जमाबंदी पंजी (डिजिटाईज्ड)
6.	नामांतरण पंजी
7.	नामांतरण अभिलेख
8.	नामांतरण शुद्धि पत्र की मौजावार रक्षी पंजी
9.	भूमि बंदोबस्ती पंजी
10.	गैरमजरूआ आम/खास/कैसरे हिन्द भूमि पंजी
11.	भू–हदबंदी भूमि बंदोबस्ती पंजी
12.	भू–हदबंदी अभिलेख (finally adjudicated)
13.	भूमि क्रय पंजी
14.	वासगीत पर्चा अभिलेख पंजी
15.	वासगीत पर्चा अभिलेख

क्र0	अभिलेख का प्रकार
16.	राज्य सरकार द्वारा निर्गत हुए पत्रों/परिपत्रों/संकल्प/अधिसूचना की रक्षी संचिका
17.	B.T Act की धारा 48 D पंजी एवं अभिलेख
18.	गृह स्थल बंदोबस्ती पंजी एवं अभिलेख
19.	भूमि मापी पंजी एवं अभिलेख
20.	भू-सम्पदा पंजी
21.	सैरात पंजी
22.	भूमि अतिक्रमण वाद पंजी एवं अभिलेख
23.	भू-दान, भूमि लगान निर्धारण एवं बन्दोबस्ती पंजी तथा अभिलेख
24.	महादलित भूमि क्रय एवं बन्दोबस्त पंजी एवं अभिलेख
25.	सैरात बन्दोबस्ती पंजी एवं अभिलेख
26.	B.T Act की धारा 52 A के वाद का पंजी एवं अभिलेख
27.	गैरमजरूआ आम खास (मालिक)/कैसरे हिन्द/धार्मिक न्यास/वक्फ बोर्ड/कब्रिस्तान/श्मशान आदि के भूमि से संबंधित पंजी
28.	सरकारी भूमि हस्तान्तरण पंजी

इसके अतिरिक्त समय-समय पर जिला के समाहर्त्ता एवं राज्य सरकार के स्तर से निर्गत निदेशों के आलोक में अभिलेख आदि का संरक्षण इन अंचलस्तरीय डाटा सेंटर-सह-आधुनिक अभिलेखागार में होगा।

<u>आधुनिक अभिलेखागार-सह-डाटा सेंटर में उपलब्ध उपस्कर आदि का विवरण:-</u>

क्र0	समाग्री का नाम	समाग्री की विशिष्टता	संख्या
1.	Computer	Inter Core i5 8400 Processor or Higher, 4 GB DDR-4 expandable upto 32 GB, Integrated Graphic controller, 1 TB or Higher SATA 3 Gbps HDD 7200 RPM, Integrated dual layer, DVD Writer, 19.5" or Higher wide TFT Colour Monitor, Keyboard and Optical Mouse with Pad, Gigabit Ethernet Port & 4xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Preloaded windows 10 (with Antivirus) complete system with 3 years on site warranty support.	4
2.	Software	Antivirus (License validity with updation and up gradation facility) and other softwares as required.	4
3.	Multifunction Printer	Multifunction Inkjet Printer, Hi- Speed USB, Internal memory 32 MB SDRAM or Higher, Media type A4/A5/B5/C5/C6/Post card, 1200 dpi or Higher resolution scanner with minimum scan size 21.6x35.6cm, 25ppm or better print speed, Input- 150 sheets or more, Automatic Duplexer USB Interface cable & Driver software.	4
4.	Scanner (ADF)	Minimum Scan speed 50 ipm with 600 dpi scanning, scanning speed 100 PPM or Higher, capacity 200 sheet, Window 10/ 7/ XP OS Support with necessary device drivers to be provided on CD Media, Supported file formats as OCR, BMP, JPEG, GIF, PNG, PDF etc, Ultrasonic multi feed detection, Media site upto 864mm, Interface cable & Driver software.	1
5.	Over head Scanner	Memory type DDR3 SDRAM, Minimum 1 USB 2.0 port, Interface cable & Driver software.	1
6.	Bar Code Scanner with	Fuzzy scan 2.0 Imaging Technology, High Performance Linear Imaging optical system, Resolution 3mil Barcode, working distance about 15 inches or more, USB Interface connectivity, Window 10/ 7/ XP OS Support with	1

क्र0	समाग्री का नाम	समाग्री की विशिष्टता	संख्या
	Printer	necessary device drivers to be provided on CD Media.	
7.	Rust Proof Heavy Duty Steel Rack	*Specification of the said item will be decided by the District Collector as per local arrangements and requirements.*	4
8.	Compactor	Load bearing capacity 70-80 kg, 5 compartments with 4 adjustable shelves.	5
9.	Table	*Specification of the said item will be decided by the District Collector as per local arrangements and requirements.*	4
10.	Computer Table	Computer table of size 42"x24"x30" (L x W x H) made of 18mm exterior grade, 1 side laminated pre-laminated board have beading with minimum 0.8mm PVC. The computer table shall have provision for main unit (CPU), Monitor, Drawer and Telescopic PVC Keyboard. The weight bearing capacity of the top should be minimum 35 kg. The Computer Tables should have manufactured with ISO - 9001:2008 and ISO-14001:2004 Certification.	4
11.	Computer Chair	Computer Chair with Polypropylene arm, PU seat and back, manual mechanism for seat and back adjustment. The Computer Chair should have manufactured with ISO - 9001:2008 and ISO-14001:2004 Certification.	4
12.	Chair	Chair with Polypropylene arm, PU seat and back, manual mechanism for seat and back adjustment. PVC beading on seat back with good quality fabric cushion of approved colour. The Chair should have manufactured with ISO - 9001:2008 and ISO-14001:2004 Certification.	8
13.	Almirah	*Specification of the said item will be decided by the District Collector as per local arrangements and requirements.*	6
14.	External HDD	Minimum 1 TB	4
15.	Networking	Unbalanced switch with 8K MAC address table, LAN Connection for Internet access (Port switch, Cat 6 networking cable, IO Box, Patch Panel) with 10 Node	
16.	Air Condition	1.5 Ton Split with installation	1
17.	UPS	Minimum 2 KVA UPS with batteries	1
18.	CCTV	Installation	
19.	Fire Fighting	Equipments for Fire Fighting	
20.	Electrical	For Computer and other Necessary works	
21.	Waiting Chair	3 Sitter joint steel arm chair	4

<u>आधुनिक अभिलेखागार–सह–डाटा सेंटर के पदाधिकारी एवं कर्मी :–</u>

अंचल अभिलेखागार–सह–डाटा सेंटर अंचलाधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करेगा। अंचल कार्यालय के प्रधान सहायक के अतिरिक्त अंचल कार्यालय का एक नियमित सहायक को भी अभिलेखागार–सह–डाटा सेंटर के कार्यों के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

अभिलेखागार–सह–डाटा सेंटर के लिए अधिकृत सहायक डाटा सेंटर –सह– अभिलेखागार में संरक्षित रखे जाने वाले अभिलेखों एवं डाटा के विधिवत् रख–रखाव के जिम्मेवार होंगे। अभिलेखागार में जो अभिलेख प्राप्त होंगे उन्हें सुव्यवस्थित रखने के लिए तथा इसके डाटा को संधारित करने के लिए ये सहायक की जिम्मेवार होंगे।

अंचलाधिकारी तथा प्रधान सहायक यह सुनिश्चित हो लेंगे कि अभिलेखागार में सभी अभिलेख सही प्रकार से संरक्षित हो रहे है तथा सभी पंजियों को विधिवत् संधारित किया जा रहा है।

अभिलेखागार–सह–डाटा सेंटर में चार डाटा इंट्री ऑपरेटर कार्यरत रहेंगे, जिनमें से एक कॉउंटर पर कार्य करेंगे। दो डाटा इंट्री ऑपरेटर अभिलेखागार –सह–डाटा सेंटर से निर्गत होनेवाले प्रतिलिपियों से संबंधित कार्य करेंगे। शेष एक डाटा इंट्री ऑपरेटर नियमित रूप से अभिलेखागार में प्राप्त होनेवाले अभिलेखों के डिजिटाईजेशन एवं स्कैनिंग के कार्य को करते हुए डाटा को इलक्ट्रॉनिक रूप से संधारित रखने का कार्य करेंगे। अंचलाधिकारी आवश्यकतानुसार एक से अधिक डाटा इंट्री ऑपरेटर को इस कार्य में संबंद्ध कर सकते है। डाटा को इलक्ट्रॉनिक रूप से संधारित रखने वाले डाटा इंट्री ऑपरेटर का यह भी दायित्त्व होगा कि भौतिक रूप से प्राप्त अभिलेख भी संरक्षित/सुरक्षित तरीके से रखे जाए।

अंचलाधिकारी द्वारा इन चार डाटा इंट्री ऑपरेटरों को डाटा इंट्री एवं कॉउंटर पर कार्य के लिए अधिकृत करने के संबंध में समय–समय पर दायित्त्व परिवर्तन करते रहेंगे, जिससे कि एक ही डाटा इंट्री ऑपरेटर अत्यधिक दिनों तक एक ही कार्य न करे और अभिलेखागार के कार्य पद्धति से, अभिलेखों से एवं अभिलेखों के रख–रखाव से अवगत रहे।

आधुनिक अभिलेखागार–सह–डाटा सेंटर में अभिलेखों को भेजा जाना :–

अंचल कार्यालय में सृजित होनेवाले विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत वादों, पंजियों एवं संचिकाओं को जैसे ही उन वादों, पंजियों एवं संचिकाओं में कार्य संपन्न हो जाए, उसे अभिलेखागार में भेज दिया जाना है। अभिलेखागार–सह–डाटा सेंटर के कर्मियों द्वारा विधिमान्य तरीके से इन अभिलेखों को सूचीबद्ध किया जाएगा एवं इसको भौतिक रूप से रखने वाले जगह पर इसे संरक्षित रखा जाएगा। साथ ही उक्त अभिलेखों को डिजिटाईजेशन या स्कैनिंग के पश्चात् नियमानुसार कम्प्यूटर में भी संधारण किया जाएगा।

अभिलेख की कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक गत् माह का अभिलेख का प्रेषण अगले माह के प्रथम सप्ताह तक अभिलेखागार–सह–डाटा सेंटर में किया जाना अपेक्षित होगा।

आंशिक रूप से कार्य संपन्न अभिलेखों की प्रतिलिपि निर्गत किया जाना :–

अंचल कार्यालय से उन अभिलेखों के प्रतिलिपि की मांग की जा सकती है, जिसमें अभी कार्य संपन्न नहीं हुआ होगा। इन मामलों में पूर्व में हुए आदेशों अथवा संचिका के पत्राचार एवं टिप्पणी भाग के प्रतिलिपि की मांग की जा सकती है। इन स्थितियों में उक्त के स्कैन की कार्रवाई विधिवत् की जाएगी और बिहार अभिलेख हस्तक, 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिलिपि भी निर्गत किया जाएगा।

अभिलेखों का आकार एवं लिए जाने वाली राशि :–

अभिलेखों के पृष्ठों के आकार के आधार पर प्रति पृष्ठ निम्न प्रकार से तत्काल दर निर्धारित की जाती है:–

क्र0सं0	अभिलेख का आकार	अभिलेख की संभावित प्रकृति	प्रति पृष्ठ ली जानेवाली राशि
01	A0	मानचित्र एवं अन्य	150 रूपये
02	A1	प्रतिवेदन एवं अन्य	50 रूपये
03	A2	प्रतिवेदन एवं अन्य	30 रूपये
04	A3	प्रतिवेदन एवं अन्य	20 रूपये
05	A4	प्रतिवेदन एवं अन्य	10 रूपये
06	प्रति आवेदन (चिरकूट)	–	10 रूपये (स्टांप शुल्क स्टांप के रूप में)

उपरोक्त निर्धारित दर में समय–समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। साथ ही उपरोक्त वर्णित दर भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 एवं The Court Fees (Bihar Amendment) Act, 2007 से प्रभावित होगा।

अंचल आधुनिक अभिलेखागार–सह–डाटा सेंटर से प्रतिलिपि प्राप्ति हेतु मानक प्रक्रिया :–

प्रतिलिपि प्राप्ति हेतु बिहार अभिलेख हस्तक, 1960, भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899, राजस्व पर्षद, बिहार एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के द्वारा प्रावधानित नियमों का पालन किया जाना अपेक्षित होगा। मानक प्रक्रिया निम्न प्रकार से अपनाई जाएगी :–

1. प्रतिलिपि प्राप्ति हेतु कॉउंटर की व्यवस्था– प्रत्येक अभिलेखागार में प्रतिलिपि निर्गत करने हेतु कम–से–कम एक कॉउंटर होगा। प्रत्येक कॉउंटर पर उक्त अभिलेखागार–सह–डाटा सेंटर में संधारित एवं संरक्षित अभिलेखों के प्रतिलिपि प्राप्त करने की कार्रवाई होगी।

2. आवेदन का स्वरूप – आवेदन बिहार अभिलेख हस्तक, 1960 के नियम 277 के फॉर्म 28 एवं Board's Misc. Form no. 124 / Sch.xi- Form no. 57 में दिया जाएगा।

3. मानचित्र के लिए आवेदन का प्रारूप – मानचित्र के लिए आवेदन का प्रारूप निम्न प्रकार से होगा:–

मानचित्र हेतु आवेदन प्रपत्र

(अंचलस्तरीय अभिलेखागार–सह–डाटा सेंटर के लिए)

जिला का नाम:– *अंचल का नाम:–*

क्र0	*नया सर्वे (RS) / पुराना सर्वे (RS) / चकबन्दी सर्वे / अन्य सर्वे*	*राजस्व मौजा (ग्राम / थाना का नाम)*	*थाना संख्या*	*चादर संख्या*
1				
2				
3				

आपका विश्वासभाजन
हस्ताक्षर ....
नाम ....
ग्राम .... पोस्ट ....
मोबाईल संख्या ....

....

(कार्यालय उपयोग हेतु)

आवेदक का नाम :– ....
मानचित्र आवेदन का क्रमांक :– .... *दिनांक :* ....

प्राधिकृत कर्मी का हस्ताक्षर

4. मानचित्र हेतु राशि की प्राप्ति की विधि– चिरकूट/आवेदन पर 10 रूपये का स्टांप शुल्क होगा। मानचित्र का निर्धारित दर नाजीर रसीद द्वारा अंचल कार्यालय में जमा किया जाएगा। रसीद की मूल प्रति के साथ चिरकूट/आवेदन उपलब्ध कराये जाने पर अभिलेखागार के स्तर से मानचित्र आवेदक को उपलब्ध कराया जाएगा। मूल नाजीर रसीद में दर्शाये गए राशि को विहित पंजी में (फॉर्म संख्या– 16) भी दर्शाया जाएगा।

5. किन प्रयोजनों के लिए आवेदन प्राप्त किये जायेंगे (बिहार अभिलेख हस्तक का नियम 273 के अधीन)–

(क) अंचल कार्यालय में विभिन्न राजस्व अधिनियम के अंतर्गत निष्पादित वादों/अभिलेखों/आवेदन पत्रों से संबंधित कागजात एवं दस्तावेजों के लिए आवेदन दिए जा सकेंगे।

(ख) ऐसे आवेदनों को मंजूर करते समय बिहार अभिलेख हस्तक के नियम 332, 333, 334 तथा प्रतियों के आपूर्ति के संबंध में लागू किन्हीं अन्य नियमों या विधि उपबंधों को ध्यान में रखना होगा।

6. पृथक आवेदन कब दिए जाएं (बिहार अभिलेख हस्तक का नियम 274)– एकलवाद या विषय से सम्बन्धित कागज–पत्रों की प्रतियों या अपेक्षित जानकारी के लिए एक ही आवेदन की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, यदि एक अभिलेख में चार अलग–अलग कागज–पत्रों की प्रतियां अपेक्षित हों, तो केवल एक ही आवेदन देना आवश्यक होगा। जब विभिन्न विषयों या वादों से सम्बन्धित कागज–पत्रों की प्रतियां या उनसे सम्बद्ध जानकारी आवश्यक हो तब उतने आवेदन आवश्यक होंगे जितने विषय या वादों से वे सम्बन्धित हो।

7. आवेदन देने की अवधि– प्रत्येक कार्य दिवस को कार्यालय अवधि के अपराह्न 03:00 बजे तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और यथासंभव उसी दिन आवेदक को प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी।

8. आवेदन को पंजीकृत किया जाना– कॉउंटर के कर्मी द्वारा आवेदन को प्राप्त करते ही निम्न प्रकार से संधारित पंजी में पंजीकृत किया जाएगा:–

कॉउंटर के पंजी का प्रारूप

क्र0	आवेदक का नाम, पता एवं मोबाईल नं0	आवेदन में मांगे गये कागजात/मानचित्र का संक्षिप्त विवरण	आवेदन के साथ शुल्क (स्टांप एवं फोलियो के रूप)

कॉउंटर के डाटा इंट्री ऑपरेटर द्वारा आवेदन पंजीकरण पश्चात् आवेदन को डाटा इंट्री ऑपरेटर संख्या– 3 जो अभिलेख को निकालने हेतु अधिकृत है, को भेजेंगे। मानचित्र हेतु आवेदन दिए जाने पर आवेदन को डाटा इंट्री ऑपरेटर संख्या– 2 को भेजा जाएगा। भेजने से पूर्व आवेदन पत्र पर पंजी का क्रमांक एवं तिथि दोनों अंकित रहेंगे।

9. डाटा इंट्री ऑपरेटर संख्या–2 एवं 3 का कर्त्तव्य– ये ऑपरेटर बिहार अभिलेख हस्तक के नियम 276 एवं 280 के आलोक में विहित फॉर्म संख्या– 16 में संधारित पंजी में आवेदन के विवरण को अंकित करेंगे। उक्त पंजी के सभी कॉलम में तथ्यों को अंकित् करने के साथ–साथ स्टांप एवं फोलियो की राशि का विवरण दर्ज रहेगा। स्टांप शुल्क की गणना पश्चात् यदि सही प्रकार से शुल्क दिया गया है तो अभिलेख का डिजिटाईज्ड/स्कैन प्रति कम्प्यूटर से प्राप्त कर उस पर अपना हस्ताक्षर अंकित कर प्रधान लिपिक को आवेदन/चिरकूट एवं प्रतिलिपि के साथ भेजेंगे। प्रधान लिपिक चिरकूट एवं प्रतिलिपि की गणना कर स्टांप शुल्क का मिलान कर लेंगे। तत्पश्चात् संतुष्ट होने पर दस्तावेज/मानचित्र पर हस्ताक्षर एवं कार्यालय का मोहर अंकित कर कॉउंटर पर डाटा इंट्री ऑपरेटर संख्या– 1 को वितरण हेतु भेज देंगे।

यदि चिरकूट/आवेदन के साथ मान्य शुल्क उपलब्ध नहीं हो तो डाटा इंट्री ऑपरेटर संख्या– 2 एवं 3 इसे कॉउंटर के डाटा इंट्री ऑपरेटर संख्या–1 को अतिरिक्त स्टांप शुल्क आदि चिरकूट/आवेदन पर दर्शाते हुए वापस करेंगे।

कॉउंटर के डाटा इंट्री ऑपरेटर द्वारा आवेदक के मोबाईल नं0 पर एस0एम0एस0 द्वारा अतिरिक्त राशि जमा करने का सूचना देंगे। बाद में यदि अतिरिक्त राशि (बिहार अभिलेख हस्तक का नियम 293) ली जाती है तो उक्त का भी अंकन फॉर्म संख्या–16 में संधारित पंजी में डाटा इंट्री ऑपरेटर संख्या– 2 एवं 3 द्वारा पूर्ण राशि के साथ पुनः प्राप्त चिरकूट/आवेदन के आधार पर दर्ज करेंगे। पुनः यह चिरकूट/आवेदन वांछित अभिलेख की प्रतिलिपि के साथ विधिवत् प्रधान सहायक को भेजा जाएगा और तदनुसार वितरण की कार्रवाई की जाएगी।

10. <u>आवेदन की पावती निर्गत किया जाना</u>– संबंधित कॉउंटर के डाटा इंट्री ऑपरेटर द्वारा आवेदन प्राप्ति के साथ ही विहित आवेदन प्रपत्र के कॉउंटर फाईल को विहित रूप से हस्ताक्षरित कर पावती आवेदक को उपलब्ध करायेंगे। पावती में आवेदन संख्या/टोकन संख्या एवं तिथि अंकित करेंगे।

11. <u>अतिरिक्त राशि जमा करने हेतु नोटिस</u>– आवेदन के साथ निर्गत किए जाने वाले अभिलेख के लिए निर्धारित राशि नहीं दिए जाने पर आवेदक को अतिरिक्त राशि जमा करने का नोटिस दिया जाएगा।

12. <u>आवेदक से अतिरिक्त राशि की प्राप्ति</u>– आवेदक से अतिरिक्त राशि की प्राप्ति बिहार अभिलेख हस्तक के नियमों, भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के तहत फोलियो एवं स्टांप के रूप में स्वीकार किया जाएगा। (बिहार अभिलेख हस्तक का नियम 293)

13. <u>आवेदक को प्रतिलिपि उपलब्ध कराना</u>– अभिलेखागार में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आवेदक को आवेदन के दिन ही यथासंभव प्रतिलिपि उपलब्ध करा दिया जाना है, परंतु किसी भी हालत में तीन दिवस से अधिक विलंब नहीं होना चाहिए, जो अभिलेख अभिलेखागार में जमा नहीं पाए है, उन मामलों में अधिकतम एक सप्ताह से अधिक विलंब नहीं होना चाहिए।

14. <u>आवेदक को प्रतिलिपि प्राप्त कराने की विधि</u>– आवेदक को प्रतिलिपि उपलब्ध कराते समय उसके आवेदन की पारपृष्ठ पर आवेदक का पूर्ण नाम का हस्ताक्षर तिथि सहित प्राप्त किया जाएगा (बिहार अभिलेख हस्तक का नियम 295)।

<u>अभिलेखागार–सह–डाटा सेंटर में शिकायत पंजी का संधारण:–</u>

अभिलेखागार–सह–डाटा सेंटर में एक शिकायत पंजी संधारित की जाएगी, जिसमें प्राप्त होनेवाले जन शिकायत के आवेदनों को पंजीकृत किया जाएगा।

<u>अभिलेखागार–सह–डाटा सेंटर का रख–रखाव एवं पर्यवेक्षण:–</u>

अभिलेखागार एवं डाटा सेंटर में भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रखे जानेवाले अभिलेखों के संबंध में बिहार अभिलेख हस्तक के प्रावधानों में वर्णित तरीकों के अतिरिक्त आधुनिक तरीकों को भी अपनाया जाएगा। समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अंचलाधिकारी द्वारा समय–समय पर अभिलेखागार के रख–रखाव एवं कार्य पद्धति का पर्यवेक्षण करेंगे।

अंचलाधिकारी द्वारा प्रत्येक तीसरे कार्य दिवस को अभिलेखागार–सह–डाटा सेंटर के पंजियों एवं अभिलेखों का निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही अभिलेखागार–सह–डाटा सेंटर के कार्य के संबंध में यदि कोई जन शिकायत है तो इसके निदान भी तत्क्षण करेंगे।

आगंतुक पंजीः–

आधुनिक अभिलेखागार–सह–डाटा सेंटर का पर्यवेक्षण करने वाले पदाधिकारियों द्वारा उक्त आगंतुक पंजी में निरीक्षण के पश्चात् अपना पर्यवेक्षण टिप्पणी दर्ज किया जाएगा।

शिकायत पेटिकाः–

अभिलेखागार के कॉउंटर के बाहर एक शिकायत पेटिका भी रहेगी, जिसमें आवेदक किसी प्रकार की शिकायत का आवेदन रख सकेंगे। इस शिकायत पेटिका के प्रभारी अंचलाधिकारी स्वयं होंगे और प्रत्येक दिन शिकायत पेटिका में प्राप्त आवेदनों को सांयकाल 4:30 बजे निकाल कर उन आवेदनों पर नियमसम्मत् कार्रवाई करेंगे।

अभिलेखागार–सह–डाटा सेंटर में रख–रखाव एवं सैनेटाईजेशनः–

अभिलेखागार–सह –डाटा सेंटर में महत्त्वपूर्ण अभिलेखों को रखा जाएगा। अतः आवश्यक है कि अभिलेखों को नष्ट होने से बचाने के लिए समय–समय पर किटनाशकों एवं अन्य दवाओं का प्रावधान अंतर्गत छिड़काव करेंगे तथा सैनेटाईजेशन आदि का कार्य करायेंगे।

चुंकि कम्प्यूटर आधारित यह अभिलेखागार–सह–डाटा सेंटर होगा। अतः समय–समय पर विद्युत संबंधी दोषी की जांच भी अंचलाधिकारी कराते रहेंगे, जिससे किसी प्रकार की विद्युतीं दोष के कारण अभिलेखागार एवं इसमें रखे अभिलेख तथा डाटा को क्षति ना पहुँचे।

अभिलेखागार में अनावश्यक गंदगी तथा निरर्थक कागजात इधर–उधर बिखरे न हो, इसलिए अंचलाधिकारी निरंतर आधुनिक अभिलेखागार–सह–डाटा सेंटर की सफाई भी करायेंगे।

अभिलेखागार को अग्नि एवं विद्युत से क्षति नहीं हो, के अतिरिक्त Moisture और पानी से भी बचाकर रखे जाने की आवश्यकता होगी। अभिलेखागार को दुरूस्थ रखने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने की आवश्यक होगी।

अनावश्यक अभिलेखों का विनष्टीकरण :–

अंचलाधिकारी बिहार अभिलेख हस्तक, 1960 के प्रावधानों अंतर्गत वर्गीकृत अभिलेखों में से जिन अभिलेखों को संरक्षित रखे जाने का समय समाप्त हो गया हो उसे विधिवत् विनष्ट करने का कार्य भी समय–समय पर करेंगे।

डाटा सेंटर पर सूचनाओं का प्रदर्शनः–

अंचलाधिकारी अभिलेखागार–सह–डाटा सेंटर के कॉउंटर के आस–पास फ्लैक्सी अथवा दिवाल लेखन के द्वारा उपलब्ध अभिलेखों एवं डाटा का यथासंभव संक्षिप्त विवरण प्रदर्शित करेंगे। ताकि आवेदकों को उपलब्ध अभिलेखों की जानकारी मिल सके। साथ ही अभिलेख प्राप्त करने के लिए लगने वाली राशि तथा आवेदन के प्रारूप के संबंध में भी दिवाल लेखन एवं फ्लैक्सी के द्वारा सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेंगे।

अभिलेखागार–सह–डाटा सेंटर में कार्य का फ्लो चार्टः–

अंचल स्तर पर कार्यरत अभिलेखागार में कार्य संचालन का फ्लो चार्ट निम्न रूप से होगी :–

फ्लो चार्ट

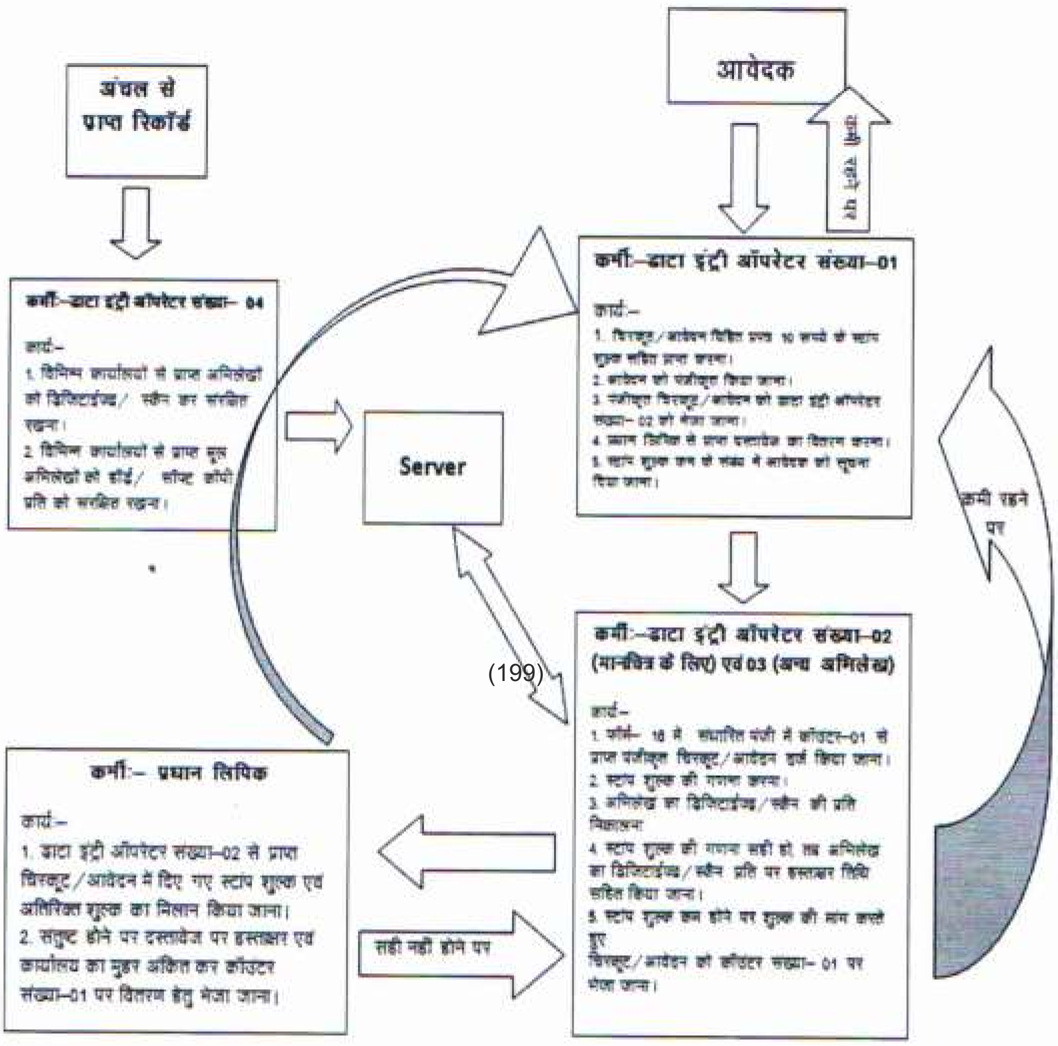

अभिलेखागार–सह–डाटा सेंटर में कम्प्यूटर आधारित भविष्य की योजनाः–

आधुनिक अभिलेखागार में जो भी अभिलेख प्राप्त होंगे उन्हें डिजिटाईज्ड/स्कैन करते हुए सर्वर पर संरक्षित किए जाने की योजना है। साथ ही भविष्य में ऑनलाईन आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने एवं ऑनलाईन ही अभिलेख आवेदकों को उपलब्ध कराए जाने की योजना है।

–:–

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 17–विशेष सर्वेक्षण–240/2019........149..........

प्रेषक,

जय सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल,
शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ,
सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प० चम्पारण,
बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा।
समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
बांका।

पटना, दिनांक :– 19-01-2021

विषय :– भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में खेसरों के विशिष्ट क्रमांक की प्रविष्टि करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विभागीय स्तर पर लिए गए निर्णय के आलोक में राज्य में विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत निर्मित होनेवाले प्रत्येक खेसरा का एक विशिष्ट क्रमांक निर्धारित किया जाना है। विशिष्ट क्रमांक निर्धारित करने के संबंध में अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में गठित कमिटी द्वारा दिनांक– 28.05.2020 को निर्णय लिया गया है (छायाप्रति संलग्न)। इस संबंध में निदेशालय के पत्रांक– 11200 दिनांक– 13.11.2020 द्वारा एन०आई०सी० को भी सूचित किया गया है (छायाप्रति संलग्न) सॉफ्टवेयर में खेसरों के विशिष्ट क्रमांक की प्रविष्टि के लिए निदेशालय के पत्रांक– 144 दिनांक– 19.01.2021 के साथ संलग्न यूजर मैन्युअल का अवलोकन किया जा सकता है।

खेसरों की विशिष्ट क्रमांक की प्रविष्टि संबंधी विवरणी संलग्न करते हुए अनुरोध है कि संलग्न सूची के अनुसार विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत निर्मित होनेवाले खेसरों के लिए निर्धारित 14 डिजिट खेसरा कोड में अंतिम दो अंकों की प्रविष्टि प्रपत्र–6 में विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 19/1/21
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण–240/2019........149.......... **पटना, दिनांक** :– 19-01-2021

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप 19/1/21

D:\Sanjeev-2021\Birendra kumar, ASO\Director\file no. -240_2019_19-01-2021_3.doc

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण–240 / 2019......149........ **पटना, दिनांक** :–19-01-2021

प्रतिलिपिः– सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0, डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप के निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण–240 / 2019......149........ **पटना, दिनांक** :–19-01-2021

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2021\Birendra kumar, ASO\Director\file no. -240_2019_19-01-2021_3.doc

Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 17–वि0 सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019.......238

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल,
शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ,
सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पं0 चंपारण,
जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा।
समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
बांका।

पटना, दिनांक : 25-01-2021

विषय :– विशेष सर्वेक्षण कार्यो की प्रगति के लिए शिविर एवं ग्राम स्तरीय निरीक्षण के संबध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में स्पष्ट करना है कि अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दिनांक–13.01.2021 को विशेष सर्वेक्षण की समीक्षात्मक बैठक में दिए गए निदेश के आलोक में बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा एक शिविर प्रति सप्ताह एवं विशेष सर्वेक्षण चल रहे दो मौजा प्रति सप्ताह का निरीक्षण किया जाना है।

उक्त निदेश के आलोक में राज्य एवं जिला स्तरीय कार्यो की समीक्षा के लिए निर्धारित बिन्दुओं के संदर्भ में आवश्यक है कि शिविर एवं ग्राम स्तरीय निरीक्षण के दौरान अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्नांकित बिन्दुओं की भी समीक्षा की जाए :–

शिविर स्तरीय समीक्षा के बिन्दु :–

1. शिविर कार्यालय में सूचना पट पर प्रपत्र–1 की उदघोषणा, कार्यरत विशेष सर्वेक्षण अमीनों के नाम एवं उनसे संबंद्ध ग्रामों का नाम शिविर कार्यालय भवन के बाहरी दिवार पर विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो एवं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का नाम एवं मोबाइल नं0 प्रदर्शित किया गया है या नहीं।
2. शिविर अंतर्गत जन–जागरूकता के लिए लगाए गए होर्डिंग बैनर की संख्या एवं रख–रखाव की स्थिति। शिविर अंतर्गत यदि माइकिंग का कार्य किया गया है तो शिविर में उसकी तिथि का संधारण किया गया है अथवा नहीं ?
3. शिविर में कार्यरत पदाधिकारी/कर्मियों की उपस्थिति संधारण की समीक्षा। ऑनलाइन उपस्थिति संधारण एवं उपस्थिति पंजी के अनुश्रवण की स्थिति।
4. शिविर अंतर्गत संधारित विभिन्न प्रकार की पंजीयों की समीक्षा।
5. शिविर अंतर्गत ग्राम सीमा सत्यापन पूर्ण ग्रामों की संख्या एवं मोन्यूमेंटेशन की स्थिति।
6. शिविर कार्यालय भवन एवं उपलब्ध आधारभूत संसाधनों, कुसी, टेबुल, आलमीरा इत्यादि की समीक्षा।
7. रैयतों से प्राप्त स्वघोषणा की पंजी, बंशावली की गार्ड फाइल की संधारण एवं सॉफ्टवेयर में संधारण की स्थिति।
8. प्रपत्र–3 एवं 4 के संधारण की समीक्षा।
9. ग्रामवार ग्राम अभिलेख के संधारण की स्थिति।

D:Drive - D:Year Annu2021\Birendra Sir\Director File No. 84-2019 Dated 21-01-2021.doc

10. शिविर में पदस्थापित विशेष सर्वेक्षण लिपिकों के कार्य की समीक्षा। अमीनों द्वारा भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में प्रपत्रों के स्कैनिंग एवं डाटा इन्ट्री करने के बाद लिपिकों द्वारा इन कागजातों को अमीन से प्राप्त करने एवं संधारित रखने की समीक्षा।
11. विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 यथा संशोधित 2019 के नियम 9 के आलोक में याददास्त पंजी एवं खेसरा पंजी का निरीक्षण।
12. खानापुरी पर्चा एवं एल0पी0एम0 निर्गत और वितरण की समीक्षा।
13. खानापुरी पर्चा वितरण पश्चात् ग्रामवार प्राप्त आपत्तियों का संधारण और उनके निष्पादन की स्थिति।
14. प्रपत्र–12 में प्रारूप प्रकाशन के पूर्व ग्रामवार विश्रान्ति के प्रथम चरण की समीक्षा।
15. शिविर में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले मानचित्र, कर्मी, संसाधन इत्यादि की उपलब्धता की स्थिति।
16. शिविर से संबंधित अंचल से शिविर को सरकारी भूमि का ब्यौरा, जमाबंदी पंजी इत्यादि को उपलब्ध कराए जाने की स्थिति।
17. विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और कानूनगो द्वारा विशेष सर्वेक्षण अमीन के डायरी का निरीक्षण किए जाने की समीक्षा।

ग्राम स्तरीय समीक्षा

1. ग्राम के जन प्रतिनिधियों और निवासीयों के मध्य विशेष सर्वेक्षण संबंधी जागरूकता की समीक्षा।
2. ग्राम की खेसरों पंजी का सत्यापन कानूनगो एवं विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर से किए जाने की स्थितिं
3. ग्राम में संभावित रैयतों एवं खेसरों की संख्या। कितने रैयतों द्वारा स्वघोषणा एवं बंशावली समर्पित की गई है। संबंधित ग्राम के रैयतों को स्वघोषणा एवं बंशावली समर्पित करने हेतु प्रोत्साहन किये जाने कार्रवाई की समीक्षा।
4. विगत सर्वेक्षण एवं विशेष सर्वेक्षण मानचित्र के अनुसार ग्राम के कुल रकवा की तुलनात्मक स्थिति।
5. ग्राम में अवस्थित सरकारी भवनों/भूमि की समीक्षा। क्या संबंधित विभागों/अंचल द्वारा भूमि का ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है ?
6. भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में प्रपत्र–5 एवं प्रपत्र–6 के संधारण की स्थिति।
7. ग्राम के त्रि–सीमाना पर लगायें गए पिलर का निरीक्षण। हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा त्रि–सीमानों पर स्थापित किए गए मोन्यूमेंटेशन (Tertiary Control Point) के डी0जी0पी0एस0 द्वारा लिए गए Coordinate का सत्यापन।
8. ग्राम अभिलेख के संधारण की समीक्षा।
9. याददास्त पंजी एवं खेसरा पंजी (प्रपत्र–6) की समीक्षा।
10. खानापुरी पर्चा एवं एल0पी0एम0 वितरण की समीक्षा।
11. खानापुरी पर्चा वितरण के पश्चात् आपत्तियों के प्राप्ति एवं उनका निष्पादन।
12. अमीन डायरी का निरीक्षण।

विश्वासभाजन

22.1.21

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Drive - D\Year_Amu-2021\Birendra Sir\Director File No. 84-2019 Dated 21-01-2021.doc

ज्ञापांक :– 17–वि0 सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019......238......पटना, दिनांकः–25-01-2021

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–वि0 सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019......238......पटना, दिनांकः–25-01-2021

प्रतिलिपि :–सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–वि0 सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019......238......पटना, दिनांकः–25-01-2021

प्रतिलिपि :–श्री शैलेन्द्र कुमार ओझा, प्रशाखा पदाधिकारी / प्रभारी तकनीकी कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Drive - D\Year Anu-2021\Birendra Sir\Director\File No. 84-2019 Dated 21-01-2021.doc

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

Mail

संख्या :- 17-विशेष सर्वेक्षण (Monumentation)-284/2019.....236.

प्रेषक,

जय सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल,
शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ,
सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प० चंपारण,
जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा।
समाहर्त्ता-सह-बंदोबस्त पदाधिकारी,
बांका।

पटना, दिनांक :

विषय :- विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत ग्राम के त्रि-सीमानों पर लगाए जाने वाले पिलर के निर्माण एवं अधिष्ठापन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रक्रिया अंतर्गत DILRMP के दिशा निर्देशों एवं विभागीय स्तर पर लिए गए नीतिगत निर्णय के आलोक में जिन ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य किया जाना है वहाँ के त्रि-सीमानों पर Tertiary Control Point के रूप में पिलर को लगाया जाना है। वर्त्तमान समय में विभागीय स्तर पर लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुसार उक्त पिलरों के निर्माण का कार्य जिलों के बंदोबस्त कार्यालय द्वारा किया जाना है। राजस्व ग्रामों के मानचित्रों एवं क्षेत्र में किए जा रहे त्रि-सीमानों के सत्यापन कार्य से स्पष्ट है कि इन त्रि-सीमानों की संख्या प्रत्येक ग्राम में औसतन 2 से 3 होगी। बड़े राजस्व ग्राम की स्थिति में यह संख्या बढ़ भी सकती है। अतः वर्त्तमान समय में विशेष सर्वेक्षण अंतर्गत शिविरों द्वारा जितने राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है उनके तीन गुना पिलरों की तत्काल आवश्यकता होगी। यह संख्या वास्तविक कार्य प्रारंभ होने के क्रम में परिवर्त्तित हो सकती है।

पिलरों की संरचना के संबंध में निदेशालय स्तर से पत्रांक-524 दिनांक-21.03.2018 द्वारा केन्द्रीय निरूपण संगठन पथ निर्माण विभाग को पिलरों की संरचना हेतु तकनीकी स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया, जिसके अनुपलन में प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर निदेशालय द्वारा हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को पिलर की संरचना के संबंध में पत्रांक-1721 दिनांक-17.11.2019 प्रेषित किया गया। पत्रांक-1762 दिनांक-22.11.2017 द्वारा त्रि-सीमानों के कोडिंग पैटर्न में एकरूपता रखने के संबंध में हवाई सर्वेक्षण एजेंसीयों को निदेश दिया गया था (जो संलग्न है)।

पिलरों के निर्माण पर होने वाले व्यय के संबंध में प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता केन्द्रीय निरूपण संगठन के पत्रांक-468 दिनांक-03.12.2020 तथा प्रयुक्त पिलर के दर निर्धारण के संबंध में (Carrige of Materials के साथ) मुख्य अभियन्ता (निरूपण) पत्रांक-646 (नि0) प्राप्त है जो संलग्न है। भवन निर्माण द्वारा इन पत्रों के माध्यम से प्रति पिलर पर होने वाले व्यय का प्राक्कलन मो0 870 रु (आठ सौ सत्तर अदद प्रति पिलर) रूपये निर्धारित किया गया है एवं Carriage of Material Per Pillar जिला के अनुसार निर्धारित है। इनके आधार पर जिला स्तर पर बंदोबस्त कार्यालयों द्वारा आवश्यकतानुसार पिलर का निर्माण कार्य किया जाएगा।

उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में सभी प्रासंगिक पत्रों को संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत लगाये जाने वाले पिलरों के निर्माण का कार्य जिला स्तर पर करवाने की कार्रवाई की जाए। पिलरों के निर्माण के लिए स्थानीय स्तर पर एजेंसी का चयन किया जा सकता है।

D:\Drive - D:\Year Anu-2021\Hitendra Sir\Director 14-01-2021.doc

पिलरों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने एवं भवन निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए प्राक्कलन के अनुसार मापी पुस्तिका तैयार करने एवं पिलर निर्माण की जॉच करने के लिए तकनीकी योग्यता प्राप्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी/कानूनगो की सहायता भी ली जा सकती है। पिलर निर्माण के लिए आवश्यक राशि का प्रावधान अलग से किया जा रहा है। अतः इसके लिए आवश्यकतानुसार आवंटन की मांग किए जाने पर राशि जिलों को उपलब्ध करायी जाएगी।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–विशेष सर्वेक्षण (Monumentation)–284/2019...236... **पटना, दिनांकः**–25-01-2021

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित जिलों के अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त/सभी संबंधित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0) को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–विशेष सर्वेक्षण (Monumentation)–284/2019...236... **पटना, दिनांकः**–25-01-2021

प्रतिलिपि :–सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–विशेष सर्वेक्षण (Monumentation)–284/2019...236... **पटना, दिनांकः**–25-01-2021

प्रतिलिपि :–संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय/जी0आई0एस0 सलाहकार, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–विशेष सर्वेक्षण (Monumentation)–284/2019...236... **पटना, दिनांकः**–25-01-2021

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Drive - D\Year_Anu-2021\Birendra Sir\Director 14-01-2021.doc

Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 01/भू0अ0नि0(1) मु0स्था0(भवन/वाहन)– 13/2020...307...

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0,
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
कटिहार/खगड़िया/जमुई/नालन्दा/पूर्णियाँ/पश्चिम चम्पारण (बेतिया),
बेगूसराय/मुंगेर/मधेपुरा/लखीसराय/शिवहर/सुपौल/सहरसा/सीतामढ़ी
शेखपुरा/जहानाबाद/अरवल/अररिया/किशनगंज

पटना, दिनांक :–02-02-2021

विषय :– नव पदस्थापित बन्दोबस्त पदाधिकारियों को आवास उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या–12345 दिनांक–22.12.2020 एवं अधिसूचना संख्या–12354 दिनांक–22.12.2020 द्वारा आपके जिला में बन्दोबस्त पदाधिकारी का पदस्थापन किया गया है। पदस्थापित बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उन्हे आयुक्त पूल, जिला पूल से अथवा किसी अन्य पूल से जिला में उपलब्ध सरकारी भवन आवास हेतु उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 2/2/21
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक– 01/भू0अ0नि0(1) मु0स्था0(भवन/वाहन)– 13/2020...307...पटना दिनांक :–02-02-2021
प्रतिलिपि :– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक– 01/भू0अ0नि0(1) मु0स्था0(भवन/वाहन)– 13/2020...307...पटना दिनांक :–02-02-2021
प्रतिलिपि :– संबंधित बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक– 01/भू0अ0नि0(1) मु0स्था0(भवन/वाहन)– 13/2020...307...पटना दिनांक :–02-02-2021
प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 2/2/21
भू–अभिलेख एवं परिमाप

Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 01/भू0अ0नि0(3) रा0 स्था0– 01/2021....312....

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0,
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री चन्द्रशेखर प्रसाद विद्यार्थी, भा0पु0से0
संयुक्त सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :–02-02-2021

विषय :– नव पदस्थापित बन्दोबस्त पदाधिकारियों को सुरक्षा हेतु अंगरक्षक उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– निदेशालय पत्रांक–198 दिनांक 21.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या– 12345 दिनांक–22.12.2020 एवं अधिसूचना संख्या–12354 दिनांक–22.12.2020 द्वारा विभिन्न जिलों में बन्दोबस्त पदाधिकारी का पदस्थापन किया गया है (सुविधा हेतु छायाप्रति संलग्न)। भू–सर्वेक्षण का कार्य, भूमि से सबधित है तथा भू–विवाद एवं अन्य कारणों से अत्यन्त संवेदनशील है। नव पदस्थापित पदाधिकारी द्वारा प्रायः क्षेत्र भ्रमण किया जाता है।

विदित हो कि पूर्व में यह कार्य समाहर्त्ता स्तर पर बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा किया जाता था, जिन्हे पर्याप्त सुरक्षा सरकार द्वारा उपलब्ध है।

अनुरोध है कि नव पदस्थापित जिलों में बन्दोबस्त पदाधिकारियों के लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अंगरक्षक उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई अपने स्तर से भी की जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 2/2/21
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक– 01/भू0अ0नि0(3) रा0 स्था0– 01/2021....312.... पटना दिनांक :–02-02-2021

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित समाहर्त्ता/संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक/संबंधित पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

E:\Year 2021 Om-Bablu Sir\Director\file no 01-2021 01 02 2021.doc

ज्ञापांक– 01/भू0अ0नि0(3) रा0 स्था0– 01/2021......312...... पटना दिनांक :–02-02-2021

प्रतिलिपि :– संबंधित बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक– 01/भू0अ0नि0(3) रा0 स्था0– 01/2021......312...... पटना दिनांक :–02-02-2021

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

E:\Year 2021 Om\Bablu Sir\Director\file no 01- 2021 01 02 2021 doc

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना 15 दिनांक 22 दिसम्बर, 2020

संख्या—1/सी0—1008/2020—सा0प्र0— 12345 /कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या—14015/04/2018-AIS(I)-B दिनांक 15.12.2020 द्वारा चयन सूची वर्ष 2016 एवं वर्ष 2017 की रिक्तियों के विरूद्ध राज्य असैनिक सेवा (बिहार प्रशासनिक सेवा) से प्रोन्नति द्वारा भा0प्र0से0 (बिहार संवर्ग) के संयुक्त सचिव स्तर में नवनियुक्त निम्नांकित पदाधिकारियों को अगले आदेश तक उनके नाम के सामने अंकित पदों पर पदस्थापित किया जाता है—

क्र.	पदाधिकारी का नाम/बि0प्र0से0 का कोटि क्रमांक	बि0प्र0से0 का वर्तमान पदस्थापन	भा0प्र0से0 में नियुक्ति के आलोक में नवपदस्थापन
1	श्री सतीश कुमार शर्मा कोटि क्र0—32/19	अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।	बंदोबस्त पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालन्दा।
2	श्री जीउत सिंह कोटि क्र0—39/19	अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।	बंदोबस्त पदाधिकारी, बेगुसराय।
3	श्री ऋषिदेव झा कोटि क्र0—42/19	अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना।	बंदोबस्त पदाधिकारी, पूर्णिया।
4	श्री ओम प्रकाश यादव कोटि क्र0—57/19	संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।	बंदोबस्त पदाधिकारी, सहरसा।
5	श्री सुरेश चौधरी कोटि क्र0—61/19	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत।	बंदोबस्त पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
22.12.2020
(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक: 1/सी0—1008/2020—सा0प्र0— 12345 /पटना—15, दिनांक: 22 दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपि— प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा—आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/प्रधान महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग (कम्प्यूटर सेल)/संबंधित विभाग/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/भू—संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—01, 06, 12 एवं 14/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. भा0प्र0से0(वेतन) नियमावली, 2016 के नियम—12(1) के तहत उपर्युक्त सभी पदाधिकारियों को आलोच्य पदस्थापन से संबंधित बंदोबस्त पदाधिकारी के पद को उनके पदस्थापनकाल तक के लिए भा0प्र0से0 के संयुक्त सचिव के समकक्ष घोषित किया जाता है।

3. ऊपर्युक्त पदस्थापन के फलस्वरुप संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी, बन्दोबस्त पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जायेंगे।

22.12.2020
सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना–15, दिनांक– 22 / 12 / 2020

संख्या–14 / पद0–203 / 2012– 12334 / सा0प्र0–बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष स्तर के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ–4 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :–

क्र0 स0	पदाधिकारी का नाम / को0क्र0 / गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं जिला
1	2	3	4
1	श्री जगदीश्वर मंडल, 116 / 19, मधुबनी	अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, पटना।	बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया
2	श्री राजीव शंकर, 188 / 19, गया	विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (संबद्ध–उद्योग विभाग एवं अन्य)	बन्दोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय
3	श्री उपेन्द्र प्रसाद, 119 / 19, औरंगाबाद	विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (संबद्ध–लघु जल संसाधन विभाग एवं अन्य)	बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद
4	श्री विनय कुमार पाण्डेय, 225 / 19, गोपालगंज	विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (संबद्ध–योजना एवं विकास विभाग)	बन्दोबस्त पदाधिकारी, अरवल
5	श्री अविनाश कुमार, 271 / 19, शेखपुरा	पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	बन्दोबस्त पदाधिकारी, शिवहर
6	श्री किशोर कुमार प्रसाद, 154 / 19, दरभंगा	पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज
7	श्री भानु प्रकाश, 253 / 19, गया	विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (संबद्ध–पथ निर्माण विभाग एवं अन्य)	बन्दोबस्त पदाधिकारी, अररिया
8	श्री ब्रज किशोर सदानन्द, 305 / 19, नवादा	पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	बन्दोबस्त पदाधिकारी, कटिहार
9	श्री तारानन्द महतो वियोगी, 166 / 19, सहरसा	उप सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना।	बन्दोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी
10	श्री सुनील कुमार, 306 / 19, रोहतास	पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	बन्दोबस्त पदाधिकारी, सुपौल
11	श्री चन्द्रशेखर झा, 215 / 19, बांका	पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	बन्दोबस्त पदाधिकारी, मधेपुरा
12	श्री ओम प्रकाश महतो, 151 / 19, समस्तीपुर	विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (संबद्ध–वाणिज्य कर विभाग एवं अन्य)	बन्दोबस्त पदाधिकारी, जमुई

13	श्री अभिजीत कुमार, 184 / 19, मुजफ्फरपुर	पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	बन्दोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा
14	डॉ0 अजय कुमार, 222 / 19, मधुबनी	विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (संबद्ध–श्रम संसाधन विभाग एवं अन्य)	बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुंगेर

2. उपर्युक्त पदस्थापन के फलस्वरूप सम्बन्धित जिलों के जिला पदाधिकारी, बन्दोबस्त पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विमलेश कुमार झा) 22/12/2020

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापाक–14 / पद–203 / 2012– 19354 / सा0प्र0, पटना–15, दिनांक– 29 / 12 / 2020

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) / महालेखाकार, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / उप–मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना / मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव / विकास आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार / प्रधान सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना / निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, पटना / सभी सम्बन्धित जिला पदाधिकारी / अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सम्बन्धित कोषागार / सम्बन्धित पदाधिकारी / प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 8, 27 एवं 14 (चारित्री कोषांग), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विमलेश कुमार झा) 22/12/2020

सरकार के अपर सचिव।

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या : 01–के0यो0 (सर्वे0 एजेन्सी–IL&FS)– 02/2021 ...1017

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

M/s IL&FS Envirommental Infrastructure Services Ltd.,
New Delhi.

पटना, दिनांक :–19-02-2021

विषय :– बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम अंतर्गत त्रि–सीमाना स्थापन के पश्चात् D.G.P.S ऑब्जर्वेशन के संबंध में।

प्रसंग :– निदेशालय का पत्रांक– 10610 दिनांक– 27.08.2020 एवं प्रत्युत्तर में आपके द्वारा प्रेषित मेल दिनांक– 31.08.2020, 3:37 बजे अपराह्न।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संदर्भ में कहना है कि आपके द्वारा प्रत्युत्तर पत्र में उल्लेखित किया गया है कि कंट्रोल प्वाइंट के रूप में त्रिसीमाना या मोन्यूमेंटेशन और D.G.P.S ऑब्जर्वेशन आपके/एजेंसी के साथ किए गए एकरारनामा (MoU) का हिस्सा नहीं है।

इस आलोक में आपके सुलभ प्रसंग के लिए आपके/एजेंसी के साथ किए गए एकरारनामा (MoU) की कंडिका–6 की उपकंडिका– C का बिन्दु "e" का संदर्भ करना चाहेंगे।

"Observation should be carried out with proper mission planning. Minimum observation time shoule be 45 min to 1 hour."

पुनः MoU की कंडिका– 6 की उपकंडिका "Monumentation of Tertiary Control Points (If required)" का संदर्भ करना चाहेंगे।

........................."Some additional control points, provided with the objective of further survey by TS, may be monumented."

पुनश्च MoU की कंडिका–6 में संदर्भित NLRMP Guideline के अध्याय "2B" की कंडिका– 4 की उप कंडिका (iv) और (ix) का संदर्भ करना चाहेंगे, जिसमें उल्लेखित है कि–

(iv) Additional Points- In addition tertiary control points may be provided on structures like Village boundary tri-junction or bi-junction, existing govt./non-govt. Buildings like gram panchayat offices, school buildings. Veterinary Hospitals, etc. as per the field survey requirements.

(ix) Schedule of Observation- Observation should be carried out with proper mission planning. Minimum observation time should be 45 minute to 1 hour.

P.T.O.

अतएव आपके द्वारा उल्लेखित दावा आधारहीन है तथा कार्य से बचने की प्रवृ‍ि को उजागर करती है, जो स्वेच्छाचारिता का घोतक है। एकरारनामा (MoU) में स्पष्ट है कि "कंट्रोल प्वाइंट" के D.G.P.S ऑब्जर्वेशन का दायित्त्व आपका/एजेंसी का है।

अतः आपको/एजेंसी को आवंटित सभी राजस्व ग्रामों के त्रिसीमाना स्थापन पश्चात D.G.P.S ऑब्जर्वेशन लेना एवं मुस्तकिल सहित उसका विवरण G.C.N सॉफ्टवेयर में संधारित करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 19/2/21
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01–के0यो0 (सर्वे0 एजेन्सी– IL&FS)–02/2021...1017... पटना, दिनांक :19-02-2021
प्रतिलिपि :– मे0 आई0आई0सी0 टेक्नोलॉजी, हैदराबाद एवं मे0 जी0आई0एस0 कंसोर्टियम, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01–के0यो0 (सर्वे0 एजेन्सी– IL&FS)–02/2021...1017... पटना, दिनांक :19-02-2021
प्रतिलिपि :– उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/विशेष सर्वेक्षण (तकनीकी) कोषांग के सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप
19/2/21

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

e-Mail

संख्या :– 17–तक0को0–106 / 2011 Part-II 1162

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री विनोद कुमार झा,
सदस्य, भू–दान भूमि वितरण आयोग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक : 06-03-2021

विषय :– विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के दौरान भू–दान से संबंधित जमीन की प्रविष्टि खानापुरी प्रक्रम में अदाता अथवा बिहार, भू–दान यज्ञ समिति के नाम किए जाने के संबंध में।

प्रसंग :– भू–दान भूमि वितरण जाँच आयोग का पत्रांक– 74 / 21–55 दिनांक– 21.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में स्पष्ट करना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया अन्तर्गत प्रथम चरण में राज्य के 20 जिलों के बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, नालंदा, जमुई, शेखपुरा, बांका, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णियाँ, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पश्चिम चम्पारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुंगेर, जहानाबाद एवं अरवल में विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है। इस कार्य के दौरान भू–दान से संबंधित भूमि की प्रविष्टि भी खानापुरी प्रक्रम के दौरान किया जाना है। खानापुरी प्रक्रम में बिहार भू–दान यज्ञ समिति को दान में प्राप्त भूमि में से जितनी भूमि का वितरण किया गया है, का खाता अदाता के नाम से और वैसी संपुष्ट की गई भूमि जिसका वितरण अभी तक नहीं किया गया है, का खाता बिहार भू–दान यज्ञ समिति के नाम से खोला जाना है। इस सम्बन्ध में आवश्यक है कि जिला भू–दान यज्ञ समिति द्वारा संपुष्ट भूमि एवं वितरित भूमि का विस्तृत ब्यौरा जिला बन्दोबस्त कार्यालय / विशेष सर्वेक्षण शिविरों को उपलब्ध कराया जाए।

अतः अनुरोध है कि विशेष सर्वेक्षण के लिए चयनित जिलों में भू–दान से संबंधित भूमि का विस्तृत ब्यौरा जिला बन्दोबस्त कार्यालय / विशेष सर्वेक्षण शिविरों को उपलब्ध कराने के लिए जिला भू–दान यज्ञ कार्यालय को निदेशित करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

6/3/21
(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–तक0को0–106 / 2011 Part-II 1162 **पटना, दिनांक** :– 06-03-2021

प्रतिलिपि :– संबंधित जिलों के समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/3/21
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sameer\-2021\Birendra kumar ASO\Director\file no. 106 2011 02-03-2021.doc

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या – 17–विशेष सर्वेक्षण– 366/2019.......1179

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद,
अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ,
सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पं0 चंपारण,
जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा।
समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बांका।

पटना, दिनांक :–08-03-2021

विषय :– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य हेतु गठित शिविर के सामग्रियों की यूजर मैनुअल के अनुसार CAMP INVENTORY MONITORING SYSTEM (CIMS) में प्रविष्टि करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य हेतु गठित शिविर के खतियान पंजियों, गार्ड फाईलों एवं अन्य सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए निदेशालय द्वारा तैयार किए CAMP INVENTORY MONITORING SYSTEM (CIMS) में प्रविष्टि किया जाना अपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि CAMP INVENTORY MONITORING SYSTEM (CIMS) में शिविर के पंजी, गार्ड फाईल एवं अन्य सामग्रियों की प्रविष्टि माह के प्रथम सप्ताह में ऑनलाईन के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाए ताकि अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को प्रतिवेदन से अवगत कराया जा सके। यह प्रविष्टि प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अद्यतन की जाएगी। वर्त्तमान में इसे तत्काल प्रारंभ किया जाना है अतः अनुरोध है कि सभी शिविर प्रभारियों के माध्यम से दिनांक–12.03.2021 तक सभी प्रविष्टियों का भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन

8/3/21

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

D:\Sanjeev-2021\Prakash Mohan_udc\Director\file no - 366_2019_08.03.2021.doc

Login पश्चात् CIMS मे एंट्री के निम्नलिखित चरण हैं:

Camp Inventory Management System मे SS ASO (शिविर प्रभारी) द्वारा रिपोर्ट मे एंट्री Month Wise करना अनिवार्य है| पूरे रिपोर्ट को 4 भागों मे विभक्त किया गया है:

Part I : शिविर से संबंधित आधारभूत सूचनाएं

Part II : शिविर मे संधारित किए जाने वाले महत्वपूर्ण पंजी

Part III : शिविर मे संधारित किए जाने वाले महत्वपूर्ण गार्ड फ़ाइल

Part IV : शिविर मे संधारित किए जाने वाले महत्वपूर्ण संचिका

Part I मे मुख्यतः संख्या की प्रविष्टि करनी है| सभी जानकारियों को भरना अनिवार्य है| यदि कोई जानकारी नहीं है तो कृपया उस फील्ड मे "0" की एंट्री करें|

PART I : शिविर से संबंधित आधारभूत सूचनायें

1. शिविर में कुल मौजों की संख्या : ______ सर्वेक्षित : ______ असर्वेक्षित : ______

2. अमीन की संख्या : ______ कानूनगो की संख्या : ______ लिपिक की संख्या : ______

3. सर्वेक्षित मौजों में से कितने मौजों का खतियान उपलब्ध हैं : ______

मौजों की संख्या जहाँ खतियान अनुपलब्ध है : ______

4. शिविर में उपलब्ध कराए गए ई0टी0एस0 की संख्या : ______

5. सर्वेक्षित मौजों की संख्या जिनका नक्शा सभी चादरों के साथ उपलब्ध है: ______

सर्वेक्षित मौजों की संख्या जिनका नक्शा सभी चादरों के साथ उपलब्ध नहीं है : ______

सर्वेक्षित मौजों की संख्या जिनका नक्शा उपलब्ध नहीं है: : ______

असर्वेक्षित मौजों की संख्या जिनका टोपो नक्शा उपलब्ध है: ______

असर्वेक्षित मौजों की संख्या जिनका टोपो नक्शा उपलब्ध नहीं है: ______

6. भवन की उपलब्धता :

कुल कमरे : ______ हॉल : ______ 2. भवन की स्थिति : संतोषजनक

7. भवन में :

बिजली : ☐ पानी : ☐ शौचालय : ☐

8. शिविर में उपस्कर की स्थिति:

अलमारी :	______	तख्ती तिपाई :	______
कुर्सी :	______	टेबुल :	______
रैक :	______	प्रिंटर :	______
गुन्टर चैन :	______	टेप :	______
प्लोटिंग स्केल :	______	कैलकुलेटर :	______
बक्सा :	______	ग्लास टेबुल :	______

9. अमीनदार उपलब्ध कराए गए सामग्रियों की संख्या:

टेप :	______	प्लोटिंग स्केल :	______
गुनिया :	______	डिवाइडर :	______
कैलकुलेटर :	______	ग्लास :	______
तख्ती तिपाई :	______	स्केल 30 सेमी :	______
सूजा :	______	मैप कंटेनर :	______

Part II, Part III एवं Part IV मे "हाँ" या "नहीं" मे उपलब्धता की जानकारी देनी है। यदि उपलब्ध है तो प्रत्येक मे उस पंजी / गार्ड फ़ाइल / संचिका मे कब अंतिम प्रविष्टि की गई है उसकी तिथि अंकित करना आवश्यक है|

PART II : शिविर में संधारित किए जाने वाले महत्वपूर्ण पंजी

(A) शिविर के कुल सर्वेक्षित एवं असर्वेक्षित मौजों के विवरणी की पंजी : हाँ नहीं — अंतिम प्रविष्टि की तिथि:

(B) शिविर में सर्वेक्षित मौजों के खतियान उपलब्धता एवं खतियान अनुपलब्धता के विवरणी की पंजी: हाँ नहीं — अंतिम प्रविष्टि की तिथि:

(C) सर्वेक्षित मौजों के मानचित्रों की उपलब्धता की पंजी : हाँ नहीं — अंतिम प्रविष्टि की तिथि:

(D) ग्राम - सभा की कार्यवाही पंजी : हाँ नहीं — अंतिम प्रविष्टि की तिथि:

(E) वर्षवार उपस्थिति पंजी : हाँ नहीं — अंतिम प्रविष्टि की तिथि:

(F) संचालन (Movement) पंजी : हाँ नहीं — अंतिम प्रविष्टि की तिथि:

(G) का.ज. लिस्ट पंजी : हाँ नहीं — अंतिम प्रविष्टि की तिथि:

(H) उपलब्ध कराए गए SS नक्शा पंजी एवं क्रमवार प्रत्येक प्रखण्डवार का SS नक्शा पंजी : हाँ नहीं — अंतिम प्रविष्टि की तिथि:

(I) जिन मौजों में त्रि-सीमाना का मोनुमेंटेशन किया गया है,उसके कोऑर्डिनेट विवरण के साथ पंजी : हाँ नहीं — अंतिम प्रविष्टि की तिथि:

(J) प्रखण्डवार एवं मौजावार अभिलेख पंजी : हाँ नहीं — अंतिम प्रविष्टि की तिथि:

(K) दावा/आपत्ति की पंजी (दोनों प्रक्रम का अलग - अलग): हाँ नहीं — अंतिम प्रविष्टि की तिथि:

(L) पत्र आगत एवं निर्गत पंजी: हाँ नहीं — अंतिम प्रविष्टि की तिथि:

(M) अमीनों द्वारा शिविर में जमा किए गए व्यवहृत अमीन डायरी की पंजी : हाँ नहीं — अंतिम प्रविष्टि की तिथि:

(N) शिविर में हुये बैठकों की कार्यवाही पंजी : हाँ नहीं — अंतिम प्रविष्टि की तिथि:

(O) भंडार पंजी : हाँ नहीं — अंतिम प्रविष्टि की तिथि:

PART III : शिविर में संधारित किए जाने वाले महत्वपूर्ण गार्ड फ़ाइल

(A) मौज़ावार वंशावली गार्ड फ़ाइल : हाँ नहीं — अंतिम प्रविष्टि की तिथि:

(B) मौज़ावार स्वघोषणा गार्ड फ़ाइल : हाँ नहीं — अंतिम प्रविष्टि की तिथि:

(C) मौज़ावार एवं विभागवार सरकारी भूमि का विहित प्रपत्र में प्राप्त विवरणी का गार्ड फ़ाइल : हाँ नहीं — अंतिम प्रविष्टि की तिथि:

(D) अंचल कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए मौज़ावार बंदोबस्त भूमि का गार्ड फ़ाइल : हाँ नहीं — अंतिम प्रविष्टि की तिथि:

(E) शिविर के मौजों का उद्घोषणा का गार्ड फ़ाइल : हाँ नहीं — अंतिम प्रविष्टि की तिथि:

(F) शिविर के खानापुरी दल गठन के आदेशों का गार्ड फ़ाइल : हाँ नहीं — अंतिम प्रविष्टि की तिथि:

(G) भू - अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय स्तर से निर्गत महत्वपूर्ण निदेशों का गार्ड फ़ाइल : हाँ नहीं — अंतिम प्रविष्टि की तिथि:

PART IV : शिविर में संधारित किए जाने वाले महत्वपूर्ण संचिका

(A) ज़िला बंदोबस्त कार्यालय से हुये पत्राचार से संबंधित संचिका : हाँ नहीं — अंतिम प्रविष्टि की तिथि:

(B) शिविर के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के स्थापना से संबंधित संचिका : हाँ नहीं — अंतिम प्रविष्टि की तिथि:

(C) अमीनों द्वारा शिविर में जमा किए गए व्यवहृत अमीन डायरी : हाँ नहीं — अंतिम प्रविष्टि की तिथि:

(D) अंचल कार्यालयों से हुये पत्राचार की संचिका : हाँ नहीं — अंतिम प्रविष्टि की तिथि:

(E) शिविर स्तर पर हुये बैठकों की कार्यवाही की संचिका : हाँ नहीं — अंतिम प्रविष्टि की तिथि:

(F) दावा/आपत्ति की मौज़ावार काउंटर फ़ाइल (प्रपत्र - 9 एवं 16 का अलग अलग) : हाँ नहीं — अंतिम प्रविष्टि की तिथि:

Save   Please Enter Your OTP Displayed there...   Finalize and Submit

Website designed and developed by   Bihar.

Govt. of Bihar
Revenue & Land Reforms Department,
(Directorate of Land Records & Survey)
File no. : 17–विशेष सर्वेक्षण– 240 / 2019..........1180..

From ,

Jai Singh, I.A.S
Director,
Land Records & Survey,
Bihar, Patna.

To,

Sri Hukum Singh Meena, I.A.S
Additional Secretary,
Department of Land Resources,
Ministry of Rural development,
Government of India,
New Delhi.

Patna, Dated - 08/03/2021

Sub. - Regarding ULPIN Vs 14 digit Unique Parcel ID during Special Land Survey in Bihar.

Sir,

As directed in relation to the above mentioned subject, would like to mention that the concept of 14 digit unique parcel ID being followed in the Special Survey operation of Bihar is based on three things.

- Identifying geolocation through LGD & parcel no. in related revenue village map.
- Identifying the holding type of that parcel.
- Identifying the LU/LC (Land Use/Land Cover) of any particular parcel.

Basically 14 digit Unique Parcel ID is based on local attribute information of any particular Parcel/Khesra concerned.

Whereas the concept of "ULPIN" has been developed as the revenue parcel's unique ID. This ID is dependent upon the algorithm of identifying any parcel's geo-location derived from the co-ordinates of the nodes of the particular polygon. In Short ULPIN is the "geo-locational ID" through which it's location on the earth surface can be visualized on any mapping platform. Only prerequisite for ULPIN is that polygons in the revenue map should be geo-referenced. In the case of Bihar all the Special Survey map being produced are geo-referenced. The algorithm of ULPIN can be run parallely on "Bhu Naksha Software" while generating LPM (Land Parcel Map) for each Parcel/Khesra. It can be opened and visualized on Google, Bing or any other mapping platform.

Conclusively the concept of "ULPIN" promoted by GoI is not in contradiction with 14 digit unique parcel ID in Bihar. This facility can be tagged with LPM for making it more value added and meaningful for visualization after due consultation with NIC, Patna and NIC, Delhi.

So we request GoI to direct NIC for essential deliberation in this regard so that it can be a model to be replicated by other states as well.

Thanking You

Your's faithfully

8/3/21

(Jai Singh)
Director
Land Records & Survey

D:\Satyam_2021\Chandan Kumar GIS Advisor R.R.M.1\Directed file no. - 240 2019 08.03.2021.doc

e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 17–तक0 को0– 106/2011 part-2......1233

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद,
अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार,
पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा,
पं0 चंपारण, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा।
समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बांका।

पटना, दिनांक :16-03-2021

विषय :– वक्फ अधिनियम, 1995 (संशोधित अधिनियम, 2013) के तहत वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण करने के संबंध में।

प्रसंग :– निदेशालय का पत्रांक– 992 दिनांक– 05.03.2020 एवं अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक– 2879 दिनांक– 05.12.2019

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर कहना है कि वक्फ अधिनियम, 1995 (संशोधित अधिनियम, 2013) के तहत राज्य शिया एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड के सम्पत्तियों का सर्वेक्षण किया जाना है। इस क्रम में प्रासंगिक पत्र द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 तथा नियमावली, 2012 अंतर्गत हो रहे भू–सर्वेक्षण के दौरान वक्फ भूमि के संरक्षण एवं सर्वेक्षण हेतु सभी समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं को निदेश देने का अनुरोध किया गया है। इस पत्र के आलोक के निदेशालय के पत्रांक– 992 दिनांक– 25.03.2020 द्वारा नियमसम्मत् कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।

वक्फ बोर्ड के अतिरिक्त सभी जिलों में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद एवं अन्य पंजीकृत धार्मिक संस्थानों की भूमि है, जिसका संरक्षण एवं सर्वेक्षण आवश्यक है। ऐसे संस्थानों को भी सूचना देकर उनके भूमि के संरक्षण एवं सर्वेक्षण की कार्रवाई की जाए।

अतः अनुरोध है कि संलग्न पत्र के आलोक में विशेष सर्वेक्षण के प्रचालन में नियमानुकूल कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 16/3/21
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :- 17-तक0 को0- 106/2011 part-2.......1233....... पटना, दिनांकः-16-0...

प्रतिलिपि :- सभी सम्बन्धित जिलों के समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप
16/3/21

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या – 17– विशेष सर्वेक्षण–विविध–मार्गदर्शन–133/2015...1358

प्रेषक,

मुकुल कुमार,
सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री संजय कुमार,
तकनीकी निदेशक,
एन0आई0सी0, पटना।

पटना, दिनांक :–01-04-2021

विषय :– भू–नक्शा सॉफ्टवेयर से तैयार मानचित्रों में संकेत चिह्नों के प्रदर्शन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक–03.12.2020 को एन0आई0सी0, दिल्ली के साथ विडियो कॉफ्रेंसिंग के द्वारा विमर्श किया गया था तथा दिनांक–07.12.2020 को प्राप्त ई–मेल के द्वारा संकेत चिह्नों को भू–नक्शा सॉफ्टवेयर में तैयार L.P.M पर प्रदर्शित करने के लिए सभी संकेत चिह्नों को .svg फॉर्मेट में मांगा गया था। एन0आई0सी0, पटना द्वारा इस फॉर्मेट में संकेत चिह्नों को उपलब्ध कराने हेतु दो से तीन कार्यबल की मांग की गई थी। उपलब्ध संकेत चिह्नों को .svg फॉर्मेट में भू–नक्शा से संबंधित अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है।

विदित हो कि भू–नक्शा सॉफ्टवेयर द्वारा भविष्य में मानचित्रों को अद्यतन रखने की कार्रवाई की जानी है तथा Webservice के माध्यम से लोक सेवाओं को संचालित किया जाना है। इस संदर्भ में .svg फॉर्मेट में सभी संकेत चिह्नों को DVD के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। कृपया अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्राप्ति स्वीकार की जाए तथा निदेशालय को कृत कार्रवाई से अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर) 26/3/21
(मुकुल कुमार)
सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 17– विशेष सर्वेक्षण–विविध–मार्गदर्शन–133/2015...1358...पटना, दिनांक : 01-04-2021
प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 26/3/21
सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17– विशेष सर्वेक्षण–विविध–मार्गदर्शन–133/2015...1358...पटना, दिनांक : 01-04-2021
प्रतिलिपि :– जी0आई0एस0 सलाहकार, बी0पी0एम0यू0/प्रभारी, तकनीकी कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप/प्रभारी, आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 26/3/21
सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
स0सं0:– 17–वि0सर्वे0 साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन–142/2020.....1475

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/अरवल/
किशनगंज/अररिया/कटिहार/पूर्णिया/
सीतामढ़ी/सुपौल/सहरसा/मधेपुरा/
प0 चम्पारण/बांका/जमुई/शेखपुरा/मुंगेर/नालंदा।
समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी
शिवहर/बांका

पटना, दिनांक :– 16-04-2021

विषय :– LPM की प्रिंटिंग एवं वितरण पूर्व RoR एवं मानचित्र के रकवा की समानता के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त के संबंध में नियमित समीक्षात्मक बैठक से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अधिकार–अभिलेख में वर्णित खेसरों के रकवा एवं मानचित्र में प्रदर्शित उन्हीं संबंधित खेसरों के रकवा में भिन्नता पाई गई। यह एक गंभीर विषय है, जो प्रवर्त्तमान विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के मूल उद्देश्य के विपरीत है। तार्किक रूप से इन दोनों के रकवा में भिन्नता का कोई कारण नहीं बनता है। इसे अनिवार्य रूप से समान होना चाहिए।

अतएव इस आलोक में सभी संबंधित शिविर प्रभारियों एवं संबंधित अधिकारियों को निदेशित एवं अवगत कराने की कृपा की जाए कि किसी भी राजस्व ग्राम के अमीन द्वारा प्रपत्र–6 की इंट्री के समय आश्वस्त हो लिया जाए कि मानचित्र के खेसरों का रकवा तथा प्रपत्र–6 में इंद्राज किए गए संबंधित खेसरों का रकवा बिल्कुल समान है, तभी LPM की प्रिंटिंग एवं वितरण की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। ऐसा न करना न केवल एक प्रक्रियात्मक चूक होगी बल्कि इससे सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ेगा।

विश्वासभाजन

16/4/21
(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

D:\Sanjeev-2021\Chandan Kumar, GIS Advisor, B.P.M.U\Director\file no_ ---------------- _16.04.2021_1.doc

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 17–तक0 को0 (शेखपुरा) –217 / 2019 ......1493......

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल,
शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ,
सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण,
बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा।
समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
बांका।

पटना, दिनांक :–19-04-2021

विषय :– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 के अन्तर्गत प्रपत्र– 6 (खेसरा पंजी) में सूची के अनुसार प्रविष्टि करने के संबंध में पूर्व निर्गत संलग्न सूचियों में से नवैयत की सूची में आंशिक सुधार के संबंध में।

प्रसंग :– निदेशालय का पत्रांक– 145 दिनांक– 19.01.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि शेखपुरा एवं अन्य जिलों से अनाबाद बिहार सरकार एवं अनाबाद सर्वसाधारण के भूमि का नवैयत क्या हो, इस संबंध में पत्राचार पश्चात् नवैयत की सूची को संशोधित किया गया है। संशोधित सूची इस पत्र के साथ संलग्न है, जिसके क्रमांक– 12 में खतियानी (सरकारी) तथा क्रमांक–13 में भू–हदबंदी से अर्जित भूमि को जोड़ दिया गया है। इस संबंध में एन0आई0सी0 के तकनीकी पदाधिकारी को भी सॉफ्टवेयर में सुधार हेतु निदेशित किया जा रहा है। निदेश है कि तदनुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन

19/4/21

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–तक0 को0 (शेखपुरा) –217 / 2019......1493...... **पटना, दिनांक** :–19-04-2021

प्रतिलिपिः– श्री संजय कुमार, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि उपर्युक्त पत्र एवं सूची के आलोक में सॉफ्टवेयर में आवश्यक सुधार करने की कार्रवाई की जाय।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–तक0 को0 (शेखपुरा) –217 / 2019......1493...... **पटना, दिनांक** :–19-04-2021

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः — 17—तक0 को0 (शेखपुरा) —217 / 2019....1493.... **पटना, दिनांक :—**19-04-2021

प्रतिलिपिः— सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0, डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल, भू—अभिलेख एवं परिमाप के निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः — 17—तक0 को0 (शेखपुरा) —217 / 2019....1493.... **पटना, दिनांक :—**19-04-2021

प्रतिलिपिः— अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू—अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2021\Birendra kumar, ASO\Director\file no.-217_2019_19-04-2021.doc

स्वामित्व के आधार

(नवैयत)

(प्रपत्र–6 का अभ्युक्ति कालम में)

1. रैयती / खतियानी / मौरूसी
2. घोषित बटाईदार
3. बदलैन (विनिमय)
4. भूदान
5. डिक्री
6. भूमि अर्जन
7. वसीका / केवाला / वैलाकलामी / विक्रय पत्र / विक्रयनामा
8. बख्शीश / निबंधित दान पत्र
9. वसीयतनामा (प्राबेट समर्थित)
10. बंदोबस्ती
11. बासगीत पर्चा
12. खतियानी (सरकारी)
13. भू–हदबंदी से अर्जित भूमि

D:\Sanjeev-2020\Shailesh Srivastava ASO\final meeting on 28-09-2020_for khesra panji_\layer list_19.04.2021_navayt suchi.docx

e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
स0सं0:– 17–तक0 को0 (शेखपुरा) –217 / 2019......1494......

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
शेखपुरा।

पटना, दिनांक :– 19-04-2021

विषय :– प्रपत्र–06 की इंट्री सॉफ्टवेयर में करने के उपरान्त जेनरेट LPM में आने वाली त्रुटि निराकरण के सम्बन्ध में।

प्रसंग– आपका पत्रांक– 236, दिनांक– 25.03.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में आपके प्रासंगिक पत्र में उल्लेखित कंडिकाओं के संदर्भ में कहना है कि–

1. कंडिका–1 में उल्लेखित समस्या का निराकरण निदेशालय के प्रोग्रामर द्वारा कर दिया गया है एवं इस संबंध में आपके कार्यालय में भी दूरभाष द्वारा अवगत करा दिया गया है।
2. कंडिका–2 के संबंध में कहना है कि भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक– 145 दिनांक– 19.01.2021 के साथ संलग्न नवैयत की सूची में संशोधन पश्चात् क्रमांक– 12 में खतियानी (सरकारी) तथा क्रमांक–13 में भू–हदबंदी से अर्जित भूमि को जोडते हुए अलग से पत्र निर्गत किया जा रहा है। तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाय।
3. कंडिका–3 एवं 4 के संबंध में स्पष्ट करना है कि लिपिकीय भूलवश पूर्व में निर्गत पत्र के आलोक में भी कठिनाई को देखते हुए आपके कार्यालय द्वारा निदेशालय के प्रोग्रामर से संपर्क स्थापित किया गया। प्रोग्रामर द्वारा अपेक्षित संशोधन के संबंध में अवगत करा दिया गया। इस आलोक में खेसरा का रकवा सॉफ्टवेयर में इंट्री हेतु निम्न प्रकार से प्रक्रिया अपनाये जाने कठिनाईयाँ नहीं उत्पन्न होगी–

उदाहरण:–

A. अगर रकवा 1 एकड़ 25 डेसीमल है तो सॉफ्टवेयर में निम्न प्रकार से प्रविष्टि होगी।

एकड़	डेसीमल
1	25

B. अगर रकवा 1 एकड़ 05 डेसीमल है तो सॉफ्टवेयर में निम्न प्रकार से प्रविष्टि होगी।

एकड़	डेसीमल
1	05

C. अगर रकवा केवल 20 डेसीमल है तो सॉफ्टवेयर में निम्न प्रकार से प्रविष्टि होगी।

एकड़	डेसीमल
–	20

4. आपके पत्र में LPM संबंधी जाँच के संदर्भ में कहना है कि जूम पर हुए समीक्षात्मक बैठक में आपको सभी तथ्यों से अवगत कराया गया है। खेसरा रकवा इंद्राज में जो त्रुटियाँ की जा रही है, उसमें सुधार कर ली जाय। साथ ही निदेशालय से निर्गत पत्रांक– 1475, दिनांक– 16.04.2021 में दिए गए निदेश का अनुपालन इस संदर्भ में सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

19/4/21

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

D:\Sanjeev-2021\Birendra kumar ASO\Director\file no 217 19.04.2021.doc

ज्ञापांक :– 17–तक0 को0 (शेखपुरा) –217/2019..........1494.......... पटना,दिनांकः–19-04-2021

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पं0 चंपारण, बांका, जमुई, मुंगेर एवं नालंदा को सूचनार्थ एवं तदनुसार आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2021\Birendra kumar ASO\Director\file no 217 19.04.2021.doc

e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

स0सं0:– 17–तक0 को0–312/2018.....1524.........

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/अरवल/
किशनगंज/अररिया/कटिहार/पूर्णिया/सीतामढ़ी/
सुपौल/सहरसा/मधेपुरा/प0 चम्पारण/जमुई/
शेखपुरा/मुंगेर/नालंदा/शिवहर/बांका

पटना, दिनांक :–27-04-2021

विषय :– विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अन्तर्गत राजस्व ग्रामों के साथ सम्मिलित नगर–निकायों की विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया के सम्बन्ध में

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभिन्न जिलों से ऐसे राजस्व ग्राम जो आंशिक अथवा पूर्णतः नगर–निकाय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित है, उन राजस्व ग्रामों में विहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 के अंतर्गत सर्वेक्षण के संबंध में दिशा–निदेश की मांग की गयी है।

उक्त के आलोक में कहना है कि, ऐसे क्षेत्रों में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 यथा संशोधित, 2017 की धारा–3 के आलोक में कार्रवाई की जानी है। साथ ही किस्तवार प्रक्रिया अन्तर्गत मानचित्र निर्माण के लिए किये जाने वाले सीमांकन एवं खेसरों के निर्माण की प्रक्रिया के लिए विशेष सर्वेक्षण अधिनियम एवं नियमावली तथा राज्य स्तरीय अधिसूचना के आलोक में निम्नकिंत प्रक्रिया के तहत आवश्यक निर्णय लिया जा सकता है:–

1. वैसे राजस्व ग्राम जिनमें कैडेस्ट्रल या रिविजनल सर्वे का मानचित्र लागू है और वह ग्राम वर्त्तमान में नगर निकाय के रूप में अधिसूचित है तो उन मामलों में उक्त राजस्व ग्राम के त्रि–सीमाना का निर्धारण एवं ग्राम की सीमा निर्धारित कर बॉउन्ड्री के अंदर म्युनिसिपल आबादी लिखकर मानचित्र तैयार किया जा सकता है।

2. यदि किसी राजस्व ग्राम का अंश भाग नगर निकाय क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है तो वैसी स्थिति में उक्त राजस्व ग्राम के सम्पूर्ण भाग का त्रि–सीमाना एवं ग्राम–सीमा का निर्धारण किया जाएगा। राजस्व ग्राम का वह भाग जो नगरीय क्षेत्र घोषित नहीं है, उसमें विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 अंतर्गत सर्वेक्षण किया जाएगा तथा नगरीय घोषित क्षेत्र में Bihar & Orrisa Municipal Survey Act, 1920 अंतर्गत कार्रवाई किया जाएगा।

3. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा–3 (भागलपुर के संदर्भ में धारा–3 के साथ–साथ धारा–4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्थानीय शहरी निकायों (नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत) की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर बिहार के 38 जिलों के सभी अंचलों के सभी ग्रामों की वाह्य सीमाओं के भीतर अवस्थित केन्द्र तथा राज्य सरकार की भूमि सहित समस्त भूमि का सर्वेक्षण (अंतिम प्रकाशन स्तर तक) संचालित करने हेतु अधिसूचना संख्या–1574 दिनांक–01.10.2012, 188, दिनांक– 03.12.2015 एवं 1973 दिनांक– 30.11.2016 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

   जिन जिलों में मौजों के सर्वेक्षण की उद्घोषणा हो चुकी है और उनका संपूर्ण अथवा आंशिक क्षेत्र नगरीय क्षेत्र अंतर्गत उद्घोषित है वैसे मामलों में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम की धारा– 3 के आलोक में अधिसूचना अंतर्गत उद्घोषणा के संदर्भ में आवश्यक संशोधन करने की कार्रवाई की जा सकेगी।

4. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा विशेष सर्वेक्षण के लिए की गई अधिसूचना के आलोक में स्थानीय शहरी निकायों (नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत) के स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य करने के लिए उद्घोषणा का प्रकाशन बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 के नियम–4 उप नियम– 01 के अंतर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

D:\Sanjeev\2021\Birendra kumar ASO\Director\file no. 312 2018 27.04.2021.doc

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि अद्यतन संशोधित बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 एवं नियमावली, 2012 अंतर्गत यथोचित कार्रवाई कर कृत कार्रवाई से अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन

27/4/21

(जय सिंह)
निदेशक,
भू—अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

D:\Sanjeev-2021\Birendra kumar ASO\Director\file no. 312 2018 27.04.2021.doc

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या – 17–वि० सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019...1551

प्रेषक,

जय सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त,
सहरसा।

पटना, दिनांक :–29-04-202

विषय :– विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा जूम के माध्यम से होने के समय समीक्षा बैठक में भाग नहीं लेने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उपरोक्त वर्णित आपके जिले का जूम के माध्यम से समीक्षा दिनांक– 27.04.2021 को चल रहे सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा किया गया। परंतु समीक्षा के दौरान आप अनुपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि आपके जिले में विशेष सर्वेक्षण कार्य की प्रगति उपलब्ध संसाधनों एवं कर्मियों के अनुरूप नहीं है।

ज्ञात हो कि प्रथम चरण के 20 जिलों के अपर समाहर्त्ता बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम की धारा– 2(2)xxix के अंतर्गत प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त के रूप में अधिसूचित है, जिसमें से आप भी है। बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम, 2011 एवं नियमावली, 2012 के अंतर्गत प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त का निम्न दायित्त्व उल्लेखनीय है:–

1. नियमावली के नियम–7(3) अंतर्गत अमीन द्वारा तैयार किए गए मानचित्र के 2 प्रतिशत भू–खण्ड की जाँच।
2. नियमावली के नियम–8 अंतर्गत किस्तवार, खानापुरी एवं शिविर कार्यालय के गठन के लिए बन्दोबस्त पदाधिकारी से आदेश प्राप्त कर अमीन, कानूनगो एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के बीच कार्य आवंटन करना।
3. किस्तवार कार्य क्रियान्वयन एवं उत्पन्न समस्याओं का समाधान।
4. खानापुरी कार्य हेतु रैयतों / भू–स्वामित्वों से प्राप्त वंशावली का अनुमोदन ग्राम सभा से सुनिश्चित कराना।
5. खतियानी विवरणी प्रपत्र–5 तैयार किए जाने का पर्यवेक्षण।
6. खानापुरी प्रारंभ करने से पूर्व सरकारी भूमि को मानचित्र में चिन्हित करवाना।
7. खानापुरी कार्यों का निरीक्षण करना एवं इससे बन्दोबस्त पदाधिकारी तथा निदेशालय को अवगत कराया जाना।
8. नियमावली के नियम–9 अंतर्गत खानापुरी पर्चा का वितरण कराना और उत्पन्न समस्या का समयबद्ध निष्पादन करना।
9. नियम–9 के उप नियम–4 अंतर्गत खानापुरी दल द्वारा तैयार किए गए कुल खेसरों के 2 प्रतिशत का बेतरतीब ढंग से सत्यापन करना।
10. हवाई सर्वेक्षण एजेंसी एवं अमीनों के कार्यों की गुणवत्ता जाँच कर बन्दोबस्त पदाधिकारी को वस्तुस्थिति से अवगत कराना।

11. जिला सर्वेक्षण कार्यालय एवं शिविर कार्यालयों के बीच समन्वयन के स्थापित करना तथा साप्ताहिक / पाक्षिक बैठक कर प्रगति प्रतिवेदन से बंदोबस्त पदाधिकारी एवं निदेशालय को अवगत कराना।
12. सर्वेक्षण कार्य में लापरवाही कर रहे कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु बंदोबस्त पदाधिकारी एवं निदेशालय को प्रस्ताव भेजवाना।
13. सर्वेक्षण से संबंधित संचिकाओं का त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक / सुझाव निदेश देना।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त के अन्य दायित्त्व भी है। उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट हुआ जा सकता है कि आपके द्वारा विशेष सर्वेक्षण कार्य में अभिरूचित लिया जाना अपेक्षित है।

उक्त के आलोक में निदेश है कि विशेष सर्वेक्षण कार्य में अपेक्षित अभिरूचि लेकर अपने दायित्त्व निवर्हन लेकर किया जाय और राज्य मुख्यालय स्तर से निर्धारित विशेष सर्वेक्षण कार्यो की समीक्षा संबंधी बैठकों में भी प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का कष्ट किया जाय।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 29/4/21
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 17–वि० सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019........1551........**पटना, दिनांक** 29-04-2021
प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही) – 84 / 2019...1551.........**पटना, दिनांक** :–29-04-2021
प्रतिलिपि:– सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, 29/4/21
भू–अभिलेख एवं परिमाप

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या : 17–विशेष सर्वेक्षण–विविध मार्गदर्शन–133 / 2015....1544....

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांक :– 01-06-2021

विषय :– वर्ष–1956 से वर्ष–1967 तक फील्ड बुझारत द्वारा रैयतों के नाम जमाबंदी खोलने के कार्रवाई संबंधी अभिलेखों के उपलब्धता के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्त्तमान समय में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया के दौरान कतिपय जिलों के कुछ ग्रामों का विगत् सर्वेक्षण संबंधी अधिकार–अभिलेख (खतियान) एवं अन्य आवश्यक राजस्व अभिलेख अनुपलब्ध रहने के कारण भूमि का खाता निर्माण में कठिनाई हो रही है। विभागीय स्तर पर इस संदर्भ में विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष–1954 से वर्ष–1967 तक जमींदारी उन्मूलन पश्चात् बिहार भूमि सुधार अधिनियम अंतर्गत फील्ड बुझारत के द्वारा रैयतों के नाम जमाबंदी सृजित की गई है। उक्त फील्ड बुझारत से संबंधी राजस्व अभिलेख वर्त्तमान विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के दौरान रैयतों के नाम, प्रपत्र–5 तैयार करने एवं खाता खोलने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

उक्त के आलोक में यह आवश्यक है कि फील्ड बुझारत से संबंधित अभिलेख जिला बन्दोबस्त कार्यालयों को उपलब्ध हो ताकि अग्रेतर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

अतः अनुरोध है कि फील्ड बुझारत एवं इससे संबंधित अभिलेखों की जिला अभिलेखागार / अंचल में उपलब्धता की स्थिति एवं वर्त्तमान समय में उनकी उपयोगिता के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 1/6/21
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः .17–विशेष सर्वेक्षण–विविध मार्गदर्शन–133 / 2015....1544.... **पटना, दिनांक** :– 01-06-2021

प्रतिलिपिः– सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2021\Birendra kumar, ASO\Director\file no.133_2015 31.05.2021_1.doc

ज्ञापांकः 17—विशेष सर्वेक्षण—विविध मार्गदर्शन—133/2015...1544... पटना, दिनांक :–01-06-2021

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप
31/5/21

E-mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका संख्या : 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95 / 2019...1553

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांक :–03-06-2021

विषय :– सरकारी भूमि का सर्वे के दौरान रैयती खाता सृजित होने पर जाँचोपरांत यथोचित कार्रवाई के संबंध में।

प्रसंग :– बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की संपन्न अष्टम बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक– बि0वि0मि0–स्था0 (बैठक)–01 / 21 437 दिनांक– 13.05.2021

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक कार्यवाही में निदेशित किया गया है कि पूर्व सर्वे की सरकारी भूमि का यदि नया सर्वे में किसी व्यक्ति के नाम दर्ज हो गया हो तो ऐसे भूमि की जाँच पश्चात् यथोचित कार्रवाई की जाय। इस आलोक में कहना है कि:–

1. भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक–11089 दिनांक–27.10.2020 एवं इससे पूर्व के अन्य कई पत्रों द्वारा बिहार विशेष भू–सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम अंतर्गत प्रथम चरण के लिए सर्वेक्षण हेतु चयनित 20 जिलों यथा खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पश्चिम चम्पारण, बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा के समाहर्त्ताओं को सरकारी भूमि के संरक्षण के संबंध में अनुरोध किया गया है।

उक्त पत्र में उल्लेखित किया गया था कि सर्वेक्षण के दौरान सरकारी भूमि की सूची अंचलाधिकारी एवं जिले के अन्य विभागों के नोडल पदाधिकारियों के माध्यम से जिला बन्दोबस्त कार्यालय / संबंधित विशेष सर्वेक्षण शिविर के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय। साथ ही यह भी निदेशित किया गया था कि अंचलाधिकारी एवं अन्य विभागों के जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी, जिला बन्दोबस्त कार्यालय / विशेष सर्वेक्षण शिविर के सतत् संपर्क में रहकर सरकार का हित अक्षुण्ण रखेंगे।

2. बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम, 2011 अंतर्गत खेसरा पंजी निर्माण से लेकर अंतिम अधिकार–अभिलेख, प्रकाशन तथा इसके पश्चात् भी प्रत्येक प्रक्रम में यदि सरकारी भूमि का खाता व्यक्ति विशेष के नाम खुल जाय तो इन मामलों में अंचलाधिकारी एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारियों द्वारा अपील किये जाने का प्रावधान है।

3. सरकारी भूमि के संरक्षण एवं अनुरक्षण के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक– 247 दिनांक– 20.03.2020 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन भी अपेक्षित है।

D:\Sameer-2021\Manoj Jha Sir Assistant director\Direction File no -95 2019 Dated-02-06-2021.doc

4. जिन जिलों में रिविजनल सर्वे के दौरान गत् सर्वेक्षण के सरकारी भूमि का खाता किसी व्यक्ति के नाम दर्ज हो गया हो तो ऐसे मामले में बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 (यथा संशोधित) की धारा–109(क) के अंतर्गत कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा।

5. भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्र संख्या–17–तक0 को0 (जमाबंदी)–352/2015 1607 दिनांक–24.09.2019 द्वारा सरकारी भूमि की अवैध रूप से सृजित जमाबंदी का रद्द करने के संबंध में निदेश निर्गत किया गया था।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि सरकारी भूमि के संरक्षण के संदर्भ में यथोचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 2/6/21
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019 1553 **पटना, दिनांक** : 03-06-2021

प्रतिलिपि : बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पश्चिम चम्पारण, बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019 1553 **पटना, दिनांक** : 03-06-2021

प्रतिलिपिः– सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019 1553 **पटना, दिनांक** : 03-06-2021

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप 2/6/21

D:\Sanjeev-2021\Manoj Jha Sir Assistant director\Director\File no.-95 2019 Dated-02-06-2021.doc

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या :– 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95 / 2019...1573

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद,अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा।

पटना, दिनांक :–07-06-2021

विषय :– सरकारी / लोक भूमि की सूची की सॉफ्ट कॉपी विहित प्रपत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:– निदेशालय का पत्र संख्या–11089 दिनांक– 27.10.2020

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों के द्वारा सरकारी / लोक भूमि की सूची तैयार करने तथा जिला बन्दोबस्त कार्यालय / संबंधित शिविर क विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने संबंधी अनुरोध विशेष सर्वेक्षण हेतु चयनित प्रथम चरण के 20 जिलों के समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी से अनुरोध किया गया था। उक्त प्रासंगिक पत्र में निम्नांकित प्रपत्र में सरकारी / लोक भूमि की सूची तैयार करने का निदेश था। उक्त प्रपत्र में प्राप्त सूची की सॉफ्ट कॉपी की मांग उच्च स्तर से की जा रही है। प्रपत्र निम्न प्रकार है:–

प्रपत्र

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 एवं नियमावली, 2012 अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य के लिए केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / लोक प्रतिष्ठान / स्थानीय निकाय की भूमि की विवरणी।

जिला का नाम:–
विभागीय कार्यालय / संस्थान का नाम :–

क्र0 सं0	अंचल का नाम	राजस्व ग्राम का नाम (जहाँ भूमि अवस्थित है)	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा	भूमि पर दावा का आधार (दान / भू–अर्जन / अंतरण / अन्य)	अभ्युक्ति

नोट:– प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विवरणी में अंकित सरकारी / लोक भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य भूमि हमारे क्षेत्रांतर्गत / विभाग अंतर्गत नहीं है।

हस्ताक्षर
अंचलाधिकारी / संबंधित विभाग के नोडल पदाधिकारी

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित प्रपत्र में सरकारी / लोक भूमि के अद्यतन सूची की सॉफ्ट कॉपी प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sarcar–2021\Manoj Jha Sir Assistant director\Director\File No 95 2019 07.06.2021.doc

Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या :–17 त०को० – 312 / 2018 1678

प्रेषक,

जय सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
बांका, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद,
शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ,
सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प० चंपारण,
जमुई, मुंगेर एवं नालंदा।

पटना, दिनांक : 15-06-2021

विषय :– विशेष सर्वेक्षण के लिए चयनित अंचलों के अतिरिक्त जिले के अन्य अंचलो में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त शिविर गठन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में स्पष्ट कहना है कि भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के आदेश संख्या 1600 दिनांक–20.09.2019 द्वारा राज्य के बीस जिलों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है। इस आदेश के आलोक में नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक–11032 दिनांक–20.10.2020 द्वारा उक्त बीस जिलों के कुल 220 अंचलों में से 90 अंचलों में 207 शिविर गठन कर विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है। उक्त शिविरों में कार्य की वर्तमान प्रगति से स्पष्ट है कि ऋतु परिवर्तन के कारण सभी अंचलों विशेषकर बाढ़ग्रस्त अंचलो में अगले कुछ महीनों तक विशेष सर्वेक्षण के कार्य की निरन्तरता को बनाए रखना संभव नहीं हो पाएगा। उक्त परिस्थिति में ऐसे शिविरों में पदस्थापित कर्मियों के कार्य आवंटन एवं जिले में विशेष सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक है कि शेष अंचलों में कार्य सर्वेक्षण पूर्व गतिविधि के अंतर्गत की जाने वाली कारवाईयाँ यथा उद्घोषणा (प्रपत्र–1), प्रपत्र–2 एवं 3 (1) का संकलन और प्रपत्र–5 का लेखन इत्यादि कार्य का संपादित कर लिया जाए। साथ ही इन अंचलो में सरकारी भूमि से संबंधित विवरणी को विभिन्न विभागों से प्राप्त कर संग्रहित कर ली जाए।

उपर्युक्त के संदर्भ में जिला स्तर पर सभी अंचलों में शिविर गठित करते समय निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान रखते हुए शिविरों शिविरों के गठन किए जाने की आवश्यकता है –

1. प्रत्येक शिविर में 20–25 राजस्व ग्रामों को रखा जाए ग्रामों के आकार के आलोक में इस संख्या को घटाया / बढ़ाया भी जा सकता है।
2. शिविर का मुख्यालय इस शिविर से अच्छादित ग्रामों के आवागमन के अनुसार सुविधाजनक स्थान पर हो।
3. शिविर अंतर्गत ग्रामो की सीमा अनिवार्यतः भौगोलिक रूप से आपस में सबद्ध हो।
4. शिविर में सम्मिलित प्रत्येक राजस्व ग्राम का नाम एवं थाना नं० स्पष्ट हो।
5. शिविर के लिए चयनित समूहबद्ध ग्राम उससे संबंधित अंचल के अंतर्गत अवस्थित हो। दूरी या सुविधा के आधार किसी दूसरे अंचल में सम्मिलित किया जाना प्रशासनिक / सर्वेक्षण के दृष्टिकोण से गलत होगा।
6. शिविर गठन करते समय जिलों के लिए की गई राज्यस्तरीय अधिसूचना के आलोक में नगर निकायो के क्षेत्र एवं असर्वेक्षित भूमि / टोपोलैण्ड को छोड़कर केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उद्घोषणा कर उनमें विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया जाए।

7 ETS मशीन उपलब्ध होने की स्थिति में त्रि–सिमानो की पहचान एवं सत्यापन तथा ग्राम सत्यापन भी कर लिया जाए।

उक्त सुझावों के आलोक में शिविरों के गठन संबंधी प्रस्ताव तैयार करते समय यह भी आवश्यक है कि निदेशालय द्वारा तैयार किए गए R 2 R सॉफ्टवेयर में प्रस्तावित शिविरों और उनसे संबंधित ग्रामो की प्रविष्टि की जाए। ताकि बाद में इस सॉफ्टवेयर के द्वारा विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, अमीन एवं लिपिक को शिविर एवं ग्राम से सम्बद्ध किया जा सके। R 2 R सॉफ्टवेयर मे शिविर एवं ग्रामों की प्रविष्टि एव कर्मियों की सम्बद्धता संबंधी User Mannual इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि शिविर गठन के लिए उपर वर्णित सुझावों के आलोक में निम्न प्रपत्र मे जिला अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण के लिए पूर्व से चयनित अंचलों के अतिरिक्त अन्य अंचलो में दिनांक–25.06.2021 तक शिविर का गठन करते हुए निम्न प्रपत्र में एक्सेल सॉफ्ट कॉपी में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए :–

क्र0	जिला का नाम	शेष अंचल का नाम जहाँ विशेष सर्वेक्षण प्रवर्तन मे नही है।	प्रस्तावित शिविर का नाम	शिविर अंतर्गत ग्राम का विवरण		अभ्युक्ति
				राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व ग्राम का थाना संख्या	
1	2	3	4	5	6	7

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 15/6/21
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक – 17 तक0को0 – 312/2018 1678 पटना, दिनांक:– 15-06-2021

प्रतिलिपि – संबंधित जिलों अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/स0बं0पदा0 (मु0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 15/6/21
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक – 17 तक0को0 – 312/2018 1678 पटना, दिनांक:– 15-06-2021

प्रतिलिपि :–प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय/जिलों के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण शाखा, भू–अभिलेख एव परिमाप/जी0आई0एस0 सलाहकार, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 15/6/21
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17 तक0को0 – 312/2018 1678 पटना, दिनांक:– 15-06-2021

प्रतिलिपि :–सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
15/6/21

ज्ञापांक :– 17 तक0को0 – 312/2018 1678 पटना, दिनांक:– 15-06-2021

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
15/6/21

Directorate of
Land Records & Survey
Government of Bihar

User Manual

Shivir Creation & Updation

Please click on URL: http://dlrs.bihar.gov.in/

DLRS की विभागीय Website के पेज पर बने R2R Personnel Management सॉफ्टवेयर आइकान पर क्लिक करने के बाद Personnel Management का पेज आएगा। नए शिविर के R2R सॉफ्टवेयर में निर्माण/संरचना का कार्य एवं आदेशानुसार शिविर के मौजे में बदलाव का कार्य जिले के लॉगिन द्वारा ही किया जाना है।

जिला मुख्यालय द्वारा Software में लॉग इन करने के लिए क्रमवार निम्नलिखित चरण हैं:

1. कृप्या दी गई USER ID अंकित करें |
2. कृप्या आपके द्वारा Change की हुई Password को अंकित करें |
3. "Enter Code" में अंकित कोड को भरें।
4. "Log In" बटन पर क्लिक करें।

<u>नए शिविर के गठन एवं उसमे बदलाव करने की सुविधा:</u>

शिविर संरचना अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

a. Create Shivir
b. Remove Mauza
c. Add Mauza

a. Create Shivir:

जिले में नए शिविर की संरचना के लिए निम्नलिखित चरण हैं:

1. "Create Shivir" पर क्लिक करें|

क्लिक करने के बाद "Online Shivir Entry (District)" पेज का स्क्रीन आएगा|

2. "Select District" में आपका जिला स्वतः दिखेगा|

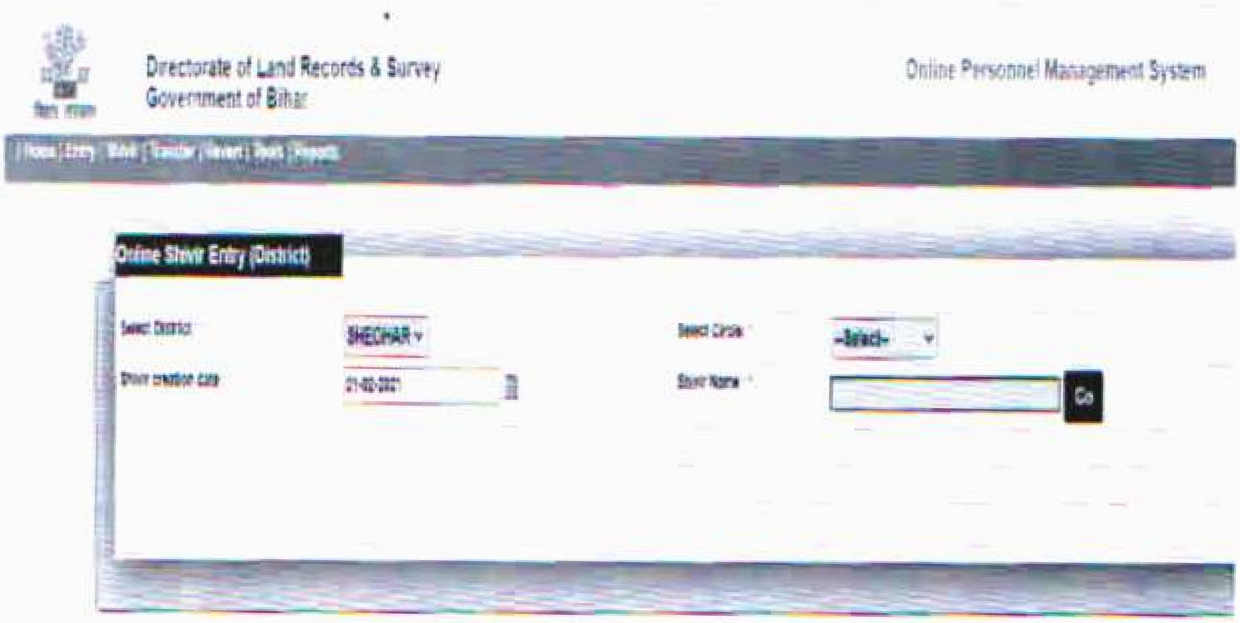

3. "Select Circle" में आपको जिस Circle के अंतर्गत शिविर का निर्माण करना है उसे सूची से चयनित करें|

4. "Shivir Creation Date" में आप जिस दिन शिविर निर्माण का कार्य कर रहे हैं उसे Calendar से चयनित करें|

5. "Shivir Name" - शिविर का नाम लिखने में बहुत सावधानी की आवश्यकता है|

शिविर का नाम हमेशा ही Circle के नाम से सुरुवात कर उसके बाद नंबर (01,02,03,..) जोड़ना आवश्यकता है ताकि बाकि शिविर के नाम में एकरूपता बनी रहे| शिविर के नाम में अपने अनुसार किसी भी बदलाव को नहीं किया जाना ही शिविरों के नाम की समरूपता के लिए उचित होता है| अत: उदाहरण के अनुरूप को ध्यान में रखते हुए की शिविरों का नाम लिखें|

(उदाहरण स्वरूप:

1. यदि आपको बांका जिले के Banka Circle में 3 शिविर का निर्माण करना है तो उन तीनों शिविरों का नाम क्रमश: Banka 01, Banka 02, Banka 03 ही होगा|

2. यदि आपको बेगुसराय के CHERIA BARIYARPUR Circle में 1 शिविर का निर्माण करना है तो उस 1 शिविर का नाम "CHERIA BARIYARPUR 01" ही होगा|)

6. "Go" पर क्लिक करें|

7. Go बटन पर क्लिक करने के पश्चात उस Circle के सभी मौजों का नाम लिस्ट के रूप में दिखेगा|

(जो मौज़ा किसी शिविर में जुड़ जाएगा वो नए शिविर बनाने के क्रम में लिस्ट में प्रदर्शित नहीं होगा|)|

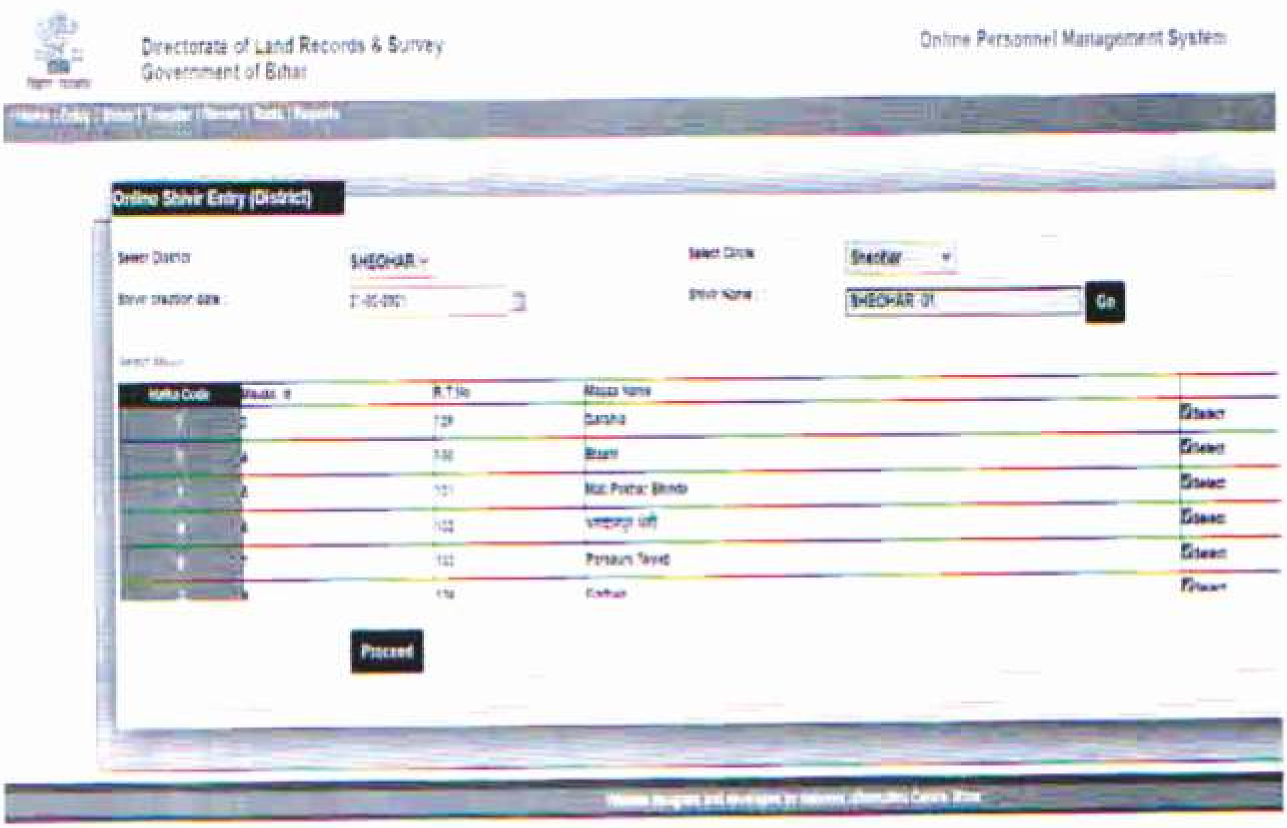

8. "Proceed" बटन पर क्लिक करने के पूर्व टिक मार्क किए हुए मौजों की जांच कर लें. यदि किसी कारण से गलत मौजे के सामने टिक मार्क हो गया है तो उसे चेकबॉक्स में हुए टिक मार्क को वापस क्लिक करके हटे दें|

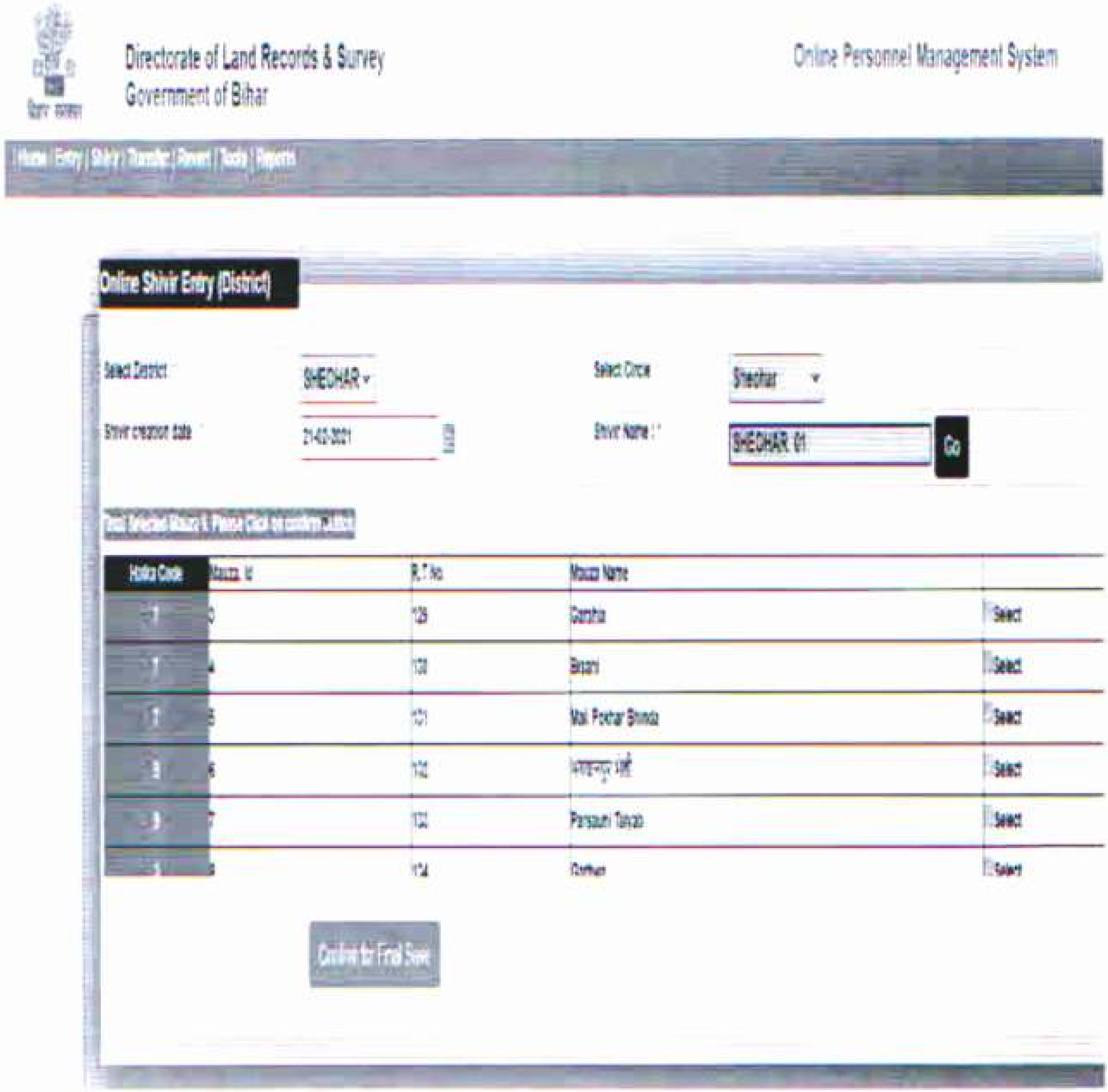

9. आपने सूची के अनुसार जीतने मौजों को चुना है उसकी कुल संख्या दिखेगी|

10. "Confirm for Final Save" बटन पर क्लिक करें|

11. बटन पर क्लिक करने के बाद आपके द्वारा बनाए गए शिविर में चयनित मौजे जुड़ जाएंगे|

b. Remove Mauza:

किसी ज़िले के शिविर से किसी जुड़े हुए मौजे को हटाने के लिए अनिवार्य है की उसमें पूर्व से कोई भी पदाधिकारी/कर्मी Software में जुड़े ना हो|

(यदि किसी कारण से शिविर में कोई ऐसा मौजा जुड़ गया है जिसे अन्य शिविर में होना चाहिए, तो उस मौजे को पहले "Remove Mauza" ऑप्शन में जाकर उस शिविर से हटाने के उपरांत ही अन्य दूसरे शिविर में जोड़ा जा सकता है|)

जिले में बने शिविर में किसी मौजे को हटाने के लिए निम्नलिखित चरण हैं:

1. Shivir Tab पर क्लिक करें|
2. "Remove Mauza" पर क्लिक करें|

क्लिक करने के बाद "Remove Mauza From Shivir" पेज का स्क्रीन आएगा|

3. "Select District" में आपका जिला स्वतः दिखेगा|
4. "Select Circle" में आपको जिस Circle के अंतर्गत शिविर से मौजा को हटाना है उसे चयनित करें|
5. "Shivir Name" - जिस शिविर से मौजा को हटाना है उस शिविर को सूची से चयनित करें|
6. "Go" पर क्लिक करें|
7. क्लिक करने के बाद उस शिविर में जीतने मौजे पूर्व में जोड़े गए है वह सूची सामने आ जाएगी|
8. उस सूची में जिस मौजे को हटाना है, उस मौजे के सामने बने Select को क्लिक करें ताकि Tick Mark हट जाए|

   (1 बार में 1 से अधिक मौजों को हटाना संभव है)
9. उसके उपरांत "Proceed" बटन पर क्लिक करें|
10. "Confirm for Final Save" बटन पर क्लिक करें|

11. बटन पर क्लिक करने के बाद आपके द्वारा बनाए गए शिविर में चयनित मौजे हट जाएगा|

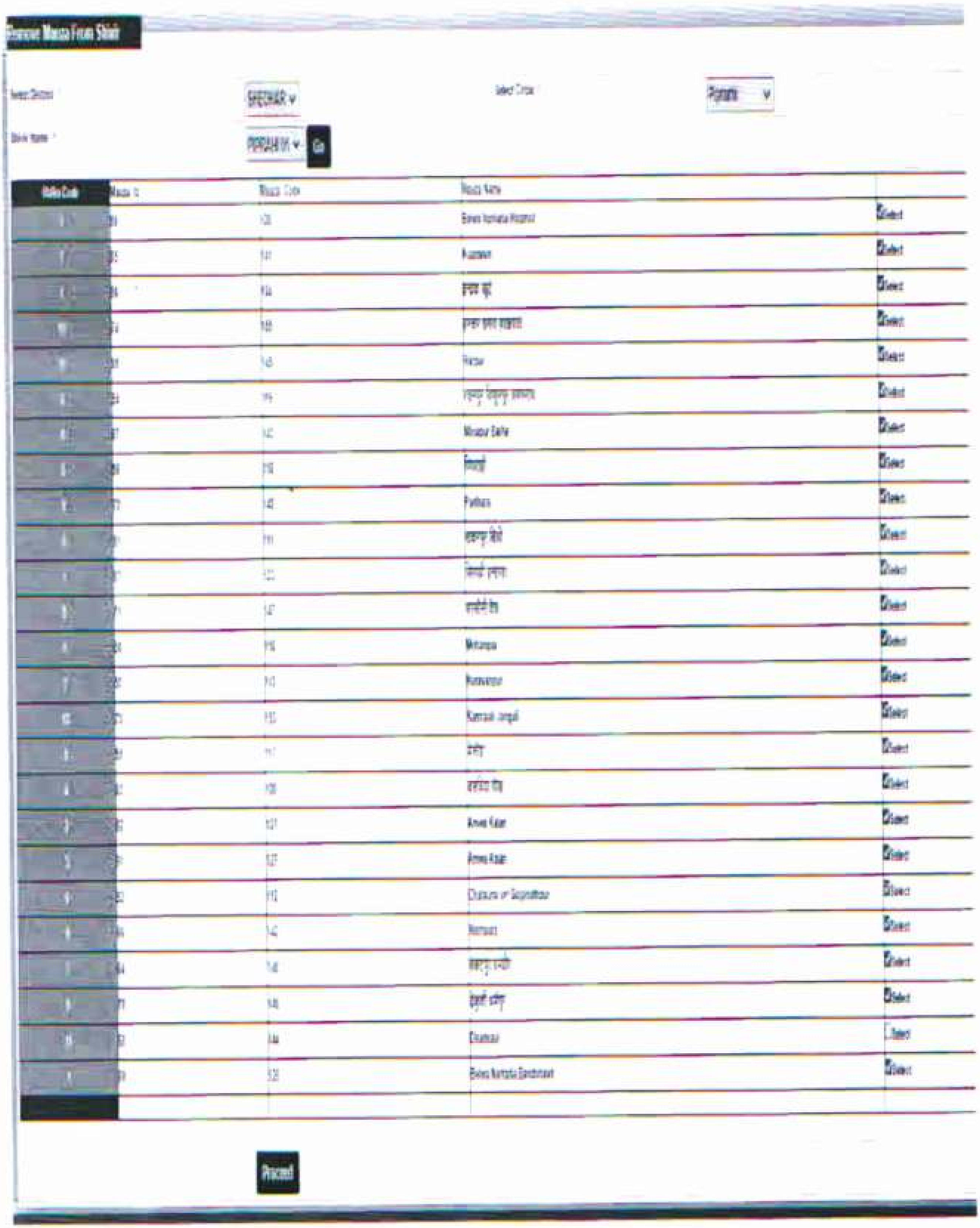

c. Add Mauza:

किसी जिले के शिविर में किसी मौजे को जोड़ने के लिए अनिवार्य है की वह मौजा किसी अन्य शिविर ना जुड़ा ना हो।

जिले में बने शिविर में किसी मौजे को जोड़ने के लिए निम्नलिखित चरण हैं:

1. Shivir Tab पर क्लिक करें।
2. "Add Mauza" पर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद "Add Mauza From Shivir" पेज का स्क्रीन आएगा।

3. "Select District" में आपका जिला स्वतः दिखेगा।
4. "Select Circle" में आपको जिस Circle के अंतर्गत शिविर से मौज़ा को जोड़ना है उसे चयनित करें।
5. "Shivir Name" - जिस शिविर में मौज़ा का नाम जोड़ना है उस शिविर को सूची से चयनित करें।
6. "Go" पर क्लिक करें।
7. क्लिक करने के बाद उस Circle में जीतने मौजे शेष है (जिनको किसी शिविर में जोड़ा नहीं गया है) वह सूची सामने आ जाएगी।
8. उस सूची मे जिस मौजे को जोड़ना है, उस मौजे के सामने बने Select को क्लिक करें ताकि Tick Mark आ जाए।

(1 बार में 1 से अधिक मौजों को जोड़ना संभव है)

9. उसके उपरांत "Proceed" बटन पर क्लिक करें।
10. "Confirm for Final Save" बटन पर क्लिक करें।
11. बटन पर क्लिक करने के बाद आपके द्वारा बनाए गए शिविर में चयनित मौजे जुड़ जाएगें।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 17–विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदाधिकारी)–101 / 2019...1692

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद,अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा।

पटना, दिनांक :–16-06-2021

विषय :– विगत् सर्वेक्षण का अधिकार–अभिलेख एवं मानचित्र अनुपलब्ध रहने की स्थिति में की जानेवाली कार्यवाही के संबध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि खगड़िया, जमुई एवं कतिपय अन्य जिलों से प्राप्त पत्र एवं हुए बैठकों में यह तथ्य प्रतिवेदित किया गया कि प्रपत्र–5 को तैयार करने में विगत् अधिकार–अभिलेखों के अनुपलब्धता के कारण कठिनाई उत्पन्न हो रही है। साथ ही कुछ मौजो के विगत् सर्वेक्षण का विभिन्न मौजा का मानचित्र उपलब्ध नहीं है।

इस अलोक में निदेशालय एवं विभागीय स्तर पर दिनांक–28.04.2021 एवं 09.06.2021 को बैठक किया गया एवं बैठक में मामले की समीक्षा पश्चात् कतिपय परामर्श प्राप्त हुए जिनके सहयोग से विगत् सर्वेक्षण के खतियानों एवं नक्शों को उपलब्ध किया जा सकता है। यदि ये उपलब्ध नहीं होते है तो जिन वैकल्पिक कागजातों की सहायता से ली जा सकती है, उसके संबंध भी परामर्श प्राप्त हुए। इन परामर्शों के आधार पर प्रपत्र–5 के निर्माण एवं नक्शों को उपलब्ध करने में सहायता मिल सकती है।

उक्त के आलोक में दिनांक–28.04.2021 एवं 09.06.2021 को हुए समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–17–विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदाधिकारी)–101 / 2019–1653 दिनांक–11.06.2021 की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि उक्त कार्यवाई वर्णित परामर्शों के आलोक में यथोचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 16/6/21
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

संख्या :– 17–विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदाधिकारी)–101 / 2019...1692 **पटना, दिनांक** 16-06-2021

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद,अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया,कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि बन्दोबस्त पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार वांछित कागजात / अभिलेख आदि विधिवत् उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाएगा।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

संख्या :- 17-विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदाधिकारी)-101 / 2019...1692...**पटना, दिनांक** 16-06-2021

प्रतिलिपिः- संबंधित जिलों के सभी निदेशालय स्तरीय नोडल पदाधिकारियों, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप

संख्या :- 17-विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदाधिकारी)-101 / 2019...1692...**पटना, दिनांक** 16-06-2021

प्रतिलिपिः- प्रशाखा पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: 17-विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदाधिकारी)-101 / 2019...1692...**पटना, दिनांक :-** 16-06-2021

प्रतिलिपिः- सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप

D:\Varsha\DIS\Manoj Bla Ka Amanat Awaz\Division\File No-101 2019 13-06-2021.doc

1653/11-06-2021

दिनांक– 28.04.2021 एवं दिनांक– 09.06.2021 को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की अध्यक्षता में अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र अनुपलब्ध रहने की स्थिति में प्रपत्र–5 का लेखन एवं विशेष सर्वेक्षण कार्य करने हेतु वैकल्पिक कागजातों से सहायता लेने के संबंध में जूम के माध्यम से हुई बैठक की कार्यवाही।

दिनांक– 28.04.2021 को हुए बैठक में श्री श्यामल किशोर पाठक, भा0प्र0से0, सेवा–निवृत, श्री विनय कुमार ठाकुर, बि0प्र0से0, उप सचिव, राजभवन, बिहार, पटना एवं श्री सुबोध कुमार सिंह, बि0प्र0से0 आप्त सचिव, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, पटना भाग लिए।

दिनांक–09.06.2021 की बैठक में श्री कंचन कपूर, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री चन्द्रशेखर विद्यार्थी, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री सुशील कुमार, निदेशक, भू–अर्जन, श्री मुकुल कुमार, उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री नवल किशोर, संयुक्त निदेशक, चकबन्दी, श्री अनिल कुमार सिंह, चकबन्दी अनुदेशक, चकबन्दी, एवं श्रीमती साईदा खातून, उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग ने बैठक में भाग लिए।

2. निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा बताया गया कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया अन्तर्गत विगत सर्वेक्षण पश्चात् अधिसूचित अधिकार–अभिलेख/मानचित्र के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में प्रथम चरण के 20 जिलों से यह सूचना दी जा रही है कि इन मामलों में प्रपत्र–5 किस प्रकार तैयार किया जाए, के संबंध मार्गदर्शन दिया जाए।

3. बैठक में उपस्थित सदस्यों से विमर्श पश्चात् यह स्पष्ट हुआ कि विगत सर्वेक्षण के अधिसूचित अधिकार–अभिलेख की अनुपलब्धता की मौजावार निम्न स्थिति हो सकती है:–

(क) अधिकार–अभिलेख अनुपलब्ध, परंतु नक्शा उपलब्ध।
(ख) अधिकार–अभिलेख उपलब्ध, परंतु नक्शा अनुपलब्ध।
(ग) अधिकार–अभिलेख एवं नक्शा दोनों अनुपलब्ध।

4. दिनांक–28.04.2021 एवं 09.06.2021 को हुई बैठक पश्चात् निम्न महत्त्वपूर्ण सुझाव विगत सर्वेक्षण के अधिकार–अभिलेखों एवं मानचित्र अनुपलब्ध होने की स्थिति में प्राप्त हुए:–

(i) सभी अनुपलब्ध अधिकार एवं मानचित्रों की ग्रामवार (चादरों की स्पष्ट संख्या के साथ) सूची जिला राजस्व कार्यालय एवं अंचलों से प्रमाण पत्र के साथ प्राप्त कर ली जाय।

(ii) जिन मौजों के अधिकार–अभिलेख अंचलों एवं जिला अभिलेखागार में अनुपलब्ध है, उन मामलों में यह जाँच कर ली जाय कि अनुपलब्धता के क्या कारण है एवं आवश्यकतानुसार संबंधित थाना में स्टेशन डायरी इंट्री/प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाय। यदि पूर्व में विगत सर्वेक्षण के खतियान खो जाने अथवा नष्ट होने की घटना हुई हो तो इसकी सूचना स्थानीय थाना की स्टेशन डायरी इंट्री ससमय की गई हो, इस आशय की छानबीन जिला कार्यालय, राजस्व शाखा की स्तर से कर ली जाय।

(iii) जिला अभिलेखागार एवं संबंधित अंचल कार्यालय में जिन मौजा का विगत सर्वेक्षण का खतियान अनुपलब्ध है, इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाना अपेक्षित होगा।

(iv) जिला नजारत/जिला का सामान्य शाखा/बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना से जिन मौजों के नक्शा के सभी चादर या कुछ चादर अनुपलब्ध हो तो उनसे भी इस आशय का प्रमाण–पत्र कर लिया जाना अपेक्षित होगा।

...\Zoom Meeting\Zoom Meeting 28.04.2021 and 09.06.201.docx

(v) अंचल कार्यालय में भी नक्शा रहते हैं, उनसे भी नक्शा अनुपलब्ध रहने की स्थिति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। संभव है कि इन सभी कार्यालयों से प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के दौरान वांछित नक्शा उपलब्ध हो सके।

(vi) यह भी संभव है कि अंचल अमीनों के पास भी अनुपलब्ध नक्शा की प्रति उपलब्ध हो जाएं। अतः उनसे भी नक्शा अनुपलब्ध होने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

(vii) विगत वर्षों में भू–अर्जन के मामलों में खतियान की प्रति बनाई गई है, अतः इन अभिलेखों से भी खतियान की प्रति विधिवत् प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सकती है, यदि उक्त मौजे का खतियान वर्त्तमान में अनुपलब्ध हो तो।

(viii) जिन राजस्व ग्रामों का खतियान/नक्शा अनुपलब्ध है वहाँ स्थानीय स्तर पर रैयतों/अन्य स्त्रोतों यथा सिंचाई विभाग के अधीन कार्यालय, वन विभाग के अधीन कार्यालय, पथ प्रमंडल विभाग आदि के पास पूर्व के खतियान का नकल एवं नक्शा उपलब्ध हो सकता है।

(ix) विगत खतियान/नक्शा उपलब्ध कराने के लिए लगातार तीन दिनों तक समाचार–पत्र एवं अन्य संचार माध्यमों द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर अनुपलब्ध खतियान/नक्शा उक्त स्त्रोतों से प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।

(x) इस संबंध में यह भी अपेक्षित होगा कि रैयतों एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले खतियान की प्रति/नकल का सत्यापन संबंधित जिले के अभिलेखागार से करा लिया जाय।

(xi) साथ ही रैयतों एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त होनेवाले नक्शों का सत्यापन बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना से कराया जाना अपेक्षित होगा।

(xii) सरकारी भूमि की जमाबंदी यदि विधिवत् दर्ज है तो ऐसे मामलों में खतियान अनुपलब्ध होने की स्थिति में जमाबंदी के आधार पर प्रपत्र–5 को तैयार किया जा सकता है, बशर्ते की उक्त जमाबंदी की सत्यापित सूची एवं विवाद रहित रहने का प्रमाण–पत्र अंचलाधिकारी द्वारा बन्दोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

(xiii) निम्न कागजातों के आधार पर भी प्रपत्र–5 तैयार किया जा सकता है बशर्ते उन कागजो की सत्यापित प्रति जिला के समाहर्त्ता के स्तर से निर्णय पश्चात् जिला अभिलेखागार/अंचल कार्यालय से बंदोबस्त कार्यालयों को उपलब्ध कराया जाए –

(क) प्रपत्र–5 में खेसरों की विवरणी के लिए पूर्व में हल्का स्तर पर तैयार की गई खेसरा पंजी के आधार पर तैयार की जा सकती है।

(ख) पूर्व में जमींदारों द्वारा सरकार को भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के आधार पर जमींदारी रिटर्न दाखिल किया गया था। यदि इन जमींदारी रिटर्न पर सभी विधिसम्मत् कार्रवाई संपन्न कर ली गई तो इनके आधार पर भी प्रपत्र–5 तैयार करने की कार्रवाई की जा सकती है, बशर्ते कि उक्त मौजा पुनरीक्षित सर्वे अधिसूचित न हो।

(ग) राज्य के पुराने अभिलेखागारों में पूर्व के समय के जमींदारों का एक 'तौजी बस्ता' हुआ करता था। इन तौजी बस्ता में संधारित दस्तावेजों की सहायता से प्रपत्र–5 को तैयार किया जा सकता है।

(घ) विगत सर्वेक्षणों के पश्चात अधिसूचित खतियान अनुपलब्ध होने की स्थिति में जिला अभिलेखागारों में उक्त सर्वेक्षण के दौरान तैयार खेसरा पंजी एवं प्रारूप खतियान जो प्रकाशित हुए होंगे आपत्ति प्राप्ति हेतु, के आधार पर भी प्रपत्र–5 विशेषकर सरकारी भूमि के मामले में, तैयार करने का निर्णय लिया जा सकता है।

(ङ) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–19(9)रा0, दिनांक– 03.01.2016 जो अस्तव्यस्त जमाबन्दी पंजी को पुनर्गठित करने के सम्बन्ध में है, को भी सन्दर्भित किया गया। उक्त पत्र में जिन 15 प्रकार के अभिलेखों/पंजीयों के आधार जमाबंदियों को पुर्नगठित करने की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है, उसका शतप्रतिशत अनुपालन अंचल स्तर पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

साथ ही इन के आधार पर भी प्रपत्र–5 के निर्माण का निर्णय लिया जा सकता है।

(च) जिन मामलों में विगत अधिसूचित खतियान अनुपलब्ध हो उन मौजों के रैयतों द्वारा प्रपत्र–2 में दी गई स्वघोषणा में दिए गए विवरण का रैयतवार स्थल सत्यापन किया जाना अपेक्षित होगा। साथ ही उपरोक्त (क) से (ङ) तक में वर्णित कागजातों के आधार पर सत्यापन किया जाना अपेक्षित होगा। तत्पश्चात ऐसे मामलों में जो प्रपत्र–5 तैयार होंगे, उनका ग्राम–सभा में अनुमोदन अपेक्षित होगा तथा ऐसे मामलों में दखल–कब्जा का कोई स्पष्ट मामला ना॰ हो, इस संबंध में अवगत होने के पश्चात् इनके आधार पर भी प्रपत्र–5 अंतिम रूप से तैयार किया जा सकता है एवं ऐसे सत्यापित ऑकड़ों का अनुमोदन ग्राम–सभा के माध्यम से किया जाए।

(xiv) चकबन्दी अभियान के तहत कई मौजों का सी0एस0/आर0एस0 खतियान एवं नक्शा चकबन्दी कार्यालयों द्वारा प्राप्त किया गया है और यह संभव है कि अनुपलब्ध खतियान एवं नक्शा इन कार्यालयों द्वारा वापस न किया गया हो। अतः ऐसे मामलों में जाँच कर अनुपलब्ध खतियान एवं नक्शा उपलब्ध कराया जा सकता है।

साथ ही चकबन्दी अभियान के तहत पूर्व खतियान के आधार पर प्रपत्र–17 का भाग–1 तैयार किया गया था, जिन मौजों का खतियान अनुपलब्ध है, उन मौजों का प्रपत्र–5 तैयार करने में प्रपत्र–17 के भाग–1 की मदद ली जा सकती है।

(xv) सिविल न्यायालय द्वारा कतिपय मामलों में मौजों का खतियान प्रदर्श हेतु मांग की जाती है और यह संभव है कि न्यायालय का मौजों का खतियान वापस न हुआ हो। ऐसे मामलों में अंचल कार्यालय, जिला विधि शाखा एवं जिला अभिलेखागार, सरकारी अधिवक्ता तथा लोक अभियोजक से संपर्क कर अनुपलब्ध खतियानों को न्यायालयों से विधिवत् प्राप्त कर सकते हैं।

5 बैठक के दौरान कुछ अन्य सुझाव भी प्राप्त हुए, जो विशेष सर्वेक्षण के कार्य में सहायक होंगे–

(i) जिन मौजों खतियान अनुपलब्ध हो, वहां यदि नक्शा उपलब्ध है तो उन नक्शों में सी... सरकारी भूमि के चिन्ह स्पष्ट रूप से अंकित होते है, उसके आधार पर भी सरकारी भूमि... मामले उन्हें पहचाने अथवा चिन्हित करने की कार्रवाई की जा सकती है।

(ii) जिन मौजो के खतियान अनुपलब्ध हो उक्त राजस्व ग्राम का अगर सी०एस०/आर०एस० नक्शा उपलब्ध है तो बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना से उक्त राजस्व ग्राम का सी०एस०/आर०एस० नक्शा के आधार पर खेसरावार रकबा प्राप्त किया जा सकता है, जिनका उपयोग प्रपत्र–5 के निर्माण में हो सकता है।

(iii) अंचलों में भी सरकारी भूमि/सैरातों/भू–हदबंदी से अर्जित भूमि की पंजी होती है। अंचल कार्यालय द्वारा भी इन पंजियों से सत्यापित सूची की मांग कर प्रपत्र–5 तैयार करने में मदद ली जा सकती है।

(iv) विभिन्न मौजों के खतियान अनुपलब्ध है परन्तु विगत कई वर्षों से राजस्व कर्मचारियों द्वारा सरकारी भूमि एवं सैरातों की पंजी हल्का कचहरी में संधारित रखा जाता है। उस स्तर से भी अंचलाधिकारी द्वारा सत्यापित सरकारी भूमि की विवरणी प्राप्त की जा सकती है। इन मामलों में हल्का कर्मचारियों के स्तर से अगर सरकारी भूमि की पंजी उनके हल्का कचहरी में नहीं है तो इस आशय का प्रमाण–पत्र विधिवत प्राप्त कर लिया जाय।

(v) कुछ जिलों यथा– दरभंगा प्रमंडल के जिले एवं अन्य जिलों में विगत सर्वेक्षण (आर०एस०) के खतियान एवं नक्शा अधिसूचित किए जाने के बावजूद अभी भी जमाबंदी सी०एस० खतियान के आधार पर है। ऐसे जिलों में यह आवश्यक होगा कि वहां विशेष सर्वेक्षण प्रारंभ होने से पूर्व जमाबंदी को नये अधिकार–अभिलेख के आधार पर अद्यतन/संशोधन कर लिया जाय।

(vi) सरकारी भूमि जो अर्जन, दान, बिक्री, हस्तांतरण से विभिन्न विभागों को प्राप्त हुआ है और उनकी जमाबंदी दर्ज नहीं है। ऐसे मामलों में अविलंब उक्त विभागों के स्तर से सक्रियता के साथ अंचल कार्यालय से जमाबंदी कायम कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अंत में धन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 17–विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदा०)–101/2019 1653 पटना, दिनांक :– 11-5-2021

प्रतिलिपि:– श्री श्यामल किशोर पाठक, भा०प्र०से० (सेवा–निवृत)/श्री कंचन कपूर, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/श्री चंद्रशेखर विद्यार्थी, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/श्री सुशील कुमार, निदेशक, भू–अर्जन/श्री मुकुल कुमार, उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/श्री नवल किशोर, संयुक्त निदेशक, चकबन्दी निदेशालय/श्री अनिल कुमार सिंह, चकबन्दी अनुदेशक, चकबन्दी निदेशालय /श्री विनय कुमार ठाकुर, बि०प्र०से० उप सचिव, राजभवन/श्री सुबोध कुमार सिंह, बि०प्र०से० आप्त सचिव, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग/श्रीमती साईदा खातून, उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 17-विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदा0)-101/2019 1653 पटना, दिनांक :- 11-06-2021

प्रतिलिपिः- सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 17-विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदा0)-101/2019 1653 पटना, दिनांक :- 11-06-2021

प्रतिलिपिः- अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या :-01 / भू0अ0नि0 (9) विविध (प्रतिवेदन)-05 / 2020 1695

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा।

पटना, दिनांक -16-06-2021

विषय :- विशेष सर्वेक्षण के दौरान अंचलाधिकारियों एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के स्तर से बन्दोबस्त कार्यालय एवं विशेष सर्वेक्षण शिविर कार्यालय के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अपेक्षित सहयोग प्रदान कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि श्री श्यामल किशोर पाठक, तत्कालीन विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा अंचलाधिकारियों एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के द्वारा अपेक्षित सहयोग के संबंध में प्रस्ताव दिया गया कि जिला स्तर से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को सर्वेक्षण कार्य में अपेक्षित सहयोग हेतु निदेश की आवश्यकता है। साथ ही कहना है कि जिलों के बन्दोबस्त कार्यालयों की समीक्षात्मक बैठक में भी यह तथ्य प्रकाश में आया कि विशेष सर्वेक्षण के दौरान क्षेत्र में कार्य कर रहे बन्दोबस्त कार्यालय एवं विशेष सर्वेक्षण शिविर के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान नही किया जा रहा है।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि अपने क्षेत्र अंतर्गत प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारियों को निदेशित किया जाय कि वे विशेष सर्वेक्षण से संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 15/6/21
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :- 01 / भू0अ0नि0 (9) विविध (प्रतिवेदन)-05 / 2020 1695 **पटना, दिनांक** 16-06-2021

प्रतिलिपि:- बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01 / भू0अ0नि0 (9) विविध (प्रतिवेदन)–05 / 2020..1695....पटना, **दिनांक** 16-06-2021

प्रतिलिपि– संबंधित जिलों के सभी निदेशालय स्तरीय नोडल पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01 / भू0अ0नि0 (9) विविध (प्रतिवेदन)–05 / 2020......1695 **पटना, दिनांक** 16-06-2021

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01 / भू0अ0नि0 (9) विविध (प्रतिवेदन)–05 / 2020..1695....**पटना, दिनांक** 16-06-2021

प्रतिलिपि:– सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

स0सं0:– 17–विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदा0)–101/2019....1777

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता,
बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/अरवल/
किशनगंज/अररिया/कटिहार/पूर्णियाँ/सीतामढ़ी/
सुपौल/सहरसा/मधेपुरा/प0 चम्पारण/जमुई/
शेखपुरा/मुंगेर/नालंदा/शिवहर/बांका

पटना, दिनांक :–23-06-2021

विषय :– खतियान एवं मानचित्र के अनुपलब्धता की स्थिति में किए जाने वाले उपाय के संबंध में।

प्रसंग – निदेशालय का पत्रांक–1692 दिनांक–16.06.2021

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि विशेष सर्वेक्षण के दौरान जिलों से राजस्व मौजों के गत् सर्वेक्षण के खतियान एवं मानचित्र अनुपलब्ध होने की स्थिति में मार्गदर्शन के माग के आलोक में विभागीय स्तर पर बैठक पश्चात् प्राप्त सुझावों को संकलित कर यथोचित कार्रवाई का अनुरोध किया गया था।

निदेशानुसार कहना है कि प्रासंगिक पत्र में उल्लेखित कार्य एवं उपाय के अनुपालन को निश्चित समय–सीमा के अंतर्गत संपन्न किया जाना है। इस क्रम में कार्य एवं उपाय को निर्धारित तिथि तक संपन्न करने हेतु समय–सीमा निर्धारण कर इस पत्र के साथ भेजा जा रहा है।

उक्त के आलोक में अनुरोध है निर्धारित समय–सीमा के अंदर कार्य संपन्न कर इस निमित्त तैयार MIS में ससमय इन्द्राज किया जाए।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझें।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन

23/6/21

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 17–विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदा0)–101/2019....1777.... **पटना, दिनांक** 23-06-2021

प्रतिलिपिः– संबंधित जिलों के सभी निदेशालय स्तरीय नोडल पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2021\Bipendra sarvey ANO\Directorate\File no 101 2019 23.06.2021 1.doc

ज्ञापांक :– 17–विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदा0)–101/2019 1777 पटना, दिनांक 23-06-2021

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदा0)–101/2019 1777 पटना, दिनांक 23-06-2021

प्रतिलिपिः– सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

23/6/21

D:\Sanjeev-2021\Birendra kumar ASO Dinesh\file no. 101 2019 23.06.2021 1.doc

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या – 17–तक0 को0–312/2018– Part-II.....2167.......

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/अरवल/
शिवहर/किशनगंज/अररिया/कटिहार/पूर्णियाँ/
सीतामढ़ी/सुपौल/सहरसा/मधेपुरा/प0 चम्पारण/
बांका/जमुई/शेखपुरा/मुंगेर एवं नालंदा।

पटना, दिनांक :–31-07-2021

विषय :– विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अन्तर्गत भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में प्रपत्र–6 की डाटा इंट्री की जाँच के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 (संशोधित, 2019) के नियम–9 के उप नियम–1 के तहत् खानापुरी प्रक्रिया के क्रम में खेसरा पंजी (प्रपत्र–6) तैयार किया जाता है। ततपश्चात् विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में संधारित खेसरा पंजी (प्रपत्र–6) के हॉर्ड प्रति से डाटा इंट्री किया जाता है। दिनांक–27.07.2021 को हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के साथ निदेशालय स्तर पर की गई समीक्षा में एजेंसियों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन से स्पष्ट हुआ है कि भू–नक्शा सॉफ्टवेयर अंतर्गत L.P.M तैयार करने में कतिपय समस्या आ रही है। राजस्व ग्राम के कुछ खेसरा का L.P.M निर्गत नहीं हो रहा है, इससे यह पता चलता है कि भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में किये जा रहे डाटा इंट्री में त्रुटि रहने के कारण L.P.M निर्गत होने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

अतः उक्त के आलोक में विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा खेसरा पंजी संधारित करने एवं डाटा इंट्री के समय निम्न तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है:–

(i) प्रपत्र–6 में रैयतों के खेसरावार रकबा की प्रविष्टि हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा खानापुरी अपडेटेड मानचित्र के आधार पर उपलब्ध कराए गए खेसरा एवं उसके रकबा के अनुसार होना चाहिए।
(ii) भूमि का वर्गीकरण Vs खेसरे का भू–उपयोग। (समान होना चाहिए)
(iii) धारण के प्रकार Vs नवैयत। (समान होना चाहिए)
(iv) खेसरे की भौतिक विवरणी Vs भूमि का वर्गीकरण। (समान होना चाहिए)
(v) संधारित खेसरा पंजी से सही–सही खेसरा संख्या एवं रकबा (उपरोक्त (i) के अनुरूप) का भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के प्रपत्र–6 में डाटा इंट्री किया जाना है।

D:\Sanjeev-2021\Shailesh Kumar Srivastava, ASO\Director\file no -312 2018 28.07.2021.doc

उपरोक्त (ii), (iii) एवं (iv) को विशेष तौर पर जाँच का मूल उद्देश्य Attribute डाटा के आपसी संबंध का सही संधारण हो। उदाहरण के तौर पर किसी खेसरा में भौतिकी विवरणी में "प्राथमिक विद्यालय" दर्ज है और उसके धारण का प्रकार में "बंदोबस्त की गई अहस्तांतरणीय" भूमि है तो यह एक बेमेल आँकड़ा होगा। ऐसी डाटा इंट्री होने पर L.P.M निर्गत नहीं हो सकता। अतः यह भी आवश्यक है कि प्रपत्र–6 में डाटा इंट्री पश्चात् शिविर प्रभारी एक बार सम्बन्धित हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित कर आँकड़ों का मिलान कर लें। साथ ही किसी तरह की तकनीकी समस्या के लिए निदेशालय के आई0टी0 प्रोग्रामर, श्री प्रिन्स कुमार, मोबाईल नं0–7765803619 एवं श्री कुणाल कुमार, मोबाईल नं0–9835860066 से अविलंब संपर्क कर समस्या को दूर कर लिया जाए।

अतः अनुरोध है कि भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के प्रपत्र–6 में किये गए डाटा इंट्री का विशेष सर्वेक्षण कानूनगो/विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा पूर्णतया संतुष्ट होने के बाद ही भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में प्रपत्र–6 के डाटा को निदेशालय के पत्रांक–2111 दिनांक–27.07.2021 के आलोक में Freeze करने की कार्रवाई की जाए। शिविर प्रभारी सुनिश्चित करेंगे कि जिस ग्राम का प्रपत्र–6 का डाटा भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में संधारित किया गया हैं उसे खानापुरी पश्चात् नक्शा "भू–नक्शा सॉफ्टवेयर" में अपलोड होने की पुष्टि के पश्चात् Freeze करेंगे।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17– तक0को0–312/2018 Part-II-2167 **पटना, दिनांक** 31-07-2021

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय), बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/किशनगंज/अररिया/शेखपुरा/अरवल/कटिहार/पूर्णियाँ/सीतामढ़ी/सुपौल/सहरसा/मधेपुरा/प0चम्पारण/जमुई/मुंगेर/नालंदा/शिवहर/बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17– तक0को0–312/2018 Part-II-2167 **पटना, दिनांक** 31-07-2021

प्रतिलिपि :– जिलों से संबंधित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित एवं हवाई सर्वेक्षण एजेंसी शिविर प्रभारी से सम्पर्क कर प्रपत्र–6 के डाटा को Freeze करने के उपरान्त L.P.M Generate कराना सुनिश्चित करेंगे।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17– तक0को0–312/2018 Part-II-2167 **पटना, दिनांक** 31-07-2021

प्रतिलिपि : एल0आई0एस0 सलाहकार, भू–अभिलेख एवं परिमाप को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2021\Shailesh Kumar Srivastava, ASO\Director\file no. -312 2018 28.07.2021.doc

ज्ञापांक : 17— तक0को0—312/2018 Part-II-......2167......**पटना, दिनांक**31-07-2021

प्रतिलिपिः प्रशाखा पदाधिकारी, भू—अभिलेख एवं परिमाप/संबंधित जिलों के निदेशालय स्तरीय नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण शाखा, भू—अभिलेख एवं परिमाप/श्री कन्हैया कुमार, जी0आई0एस0 लैब, भू—अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17— तक0को0—312/2018 Part-II-......2167......**पटना, दिनांक**31-07-2021

प्रतिलिपिः— श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू—अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2021\Shailesh Kumar Srivastava, ASO\Director\file no -312 2018 28.07.2021.doc

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

545

e-Mail

संख्या :– 17–तक0को0– 312/2018....1015......

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
बांका, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद,
अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ,
सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चंपारण,
जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा।

पटना, दिनांक : 19-02-2021

विषय :– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2021 यथा संशोधित 2019 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आलोक में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य ससमय सम्पादित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में स्पष्ट करना है कि आपके जिले में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम एवं नियमावली के आलोक में माह जुलाई–अगस्त, 2020 में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के नियोजन एवं प्रशिक्षण उपरांत विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। विशेष सर्वेक्षण कार्यों को संपादित करने के लिए आवश्यक सुविधाओं एवं संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निदेशालय स्तर से पत्रांक–408 दिनांक–28.02.2020 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देशों को निर्गत करने के साथ–साथ पत्रांक–10508 दिनांक–20.08.2020 एवं पत्रांक–6976 दिनांक–16.04.2020 द्वारा आवश्यक आवंटन भी आपके जिले को उपलब्ध कराया जा चुका है।

उर्पयुक्त के आलोक में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार संपूर्ण विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत निम्नांकित कार्यो को संपादित किया जाना है :–

1. विशेष सर्वेक्षण संबंधी राज्य स्तरीय अधिसूचना के पश्चात जिला स्तर पर प्रत्येक ग्राम की जिला स्तरीय उद्‌घोषणा का प्रकाशन।

2. रैयतों से प्रपत्र–2 में स्वघोषणा तथा प्रपत्र–3 (1) में वंशावली की प्राप्ति।

3. प्रपत्र–3 में स्वघोषणा का सत्यापन तथा प्रपत्र–4 में विवादित तथा गैर सत्यापित भूमि की पंजी तैयार करना।

4. प्रपत्र–5 में विगत अधिकार अभिलेख की खतियानी विवरणी तैयार करना।

5. किस्तवार प्रक्रिया अंतर्गत त्रि–सीमानों को नियत करना ग्राम सीमा सत्यापन खेसरों का निर्माण तथा खानापुरी के लिए मानचित्र का निर्माण।

6. खानापुरी का कार्य एवं प्रपत्र–6, खेसरा पंजी का निर्माण:

7. खानापुरी पर्चा एवं एल0पी0एम0 का निर्माण एवं वितरण।

8. खानापुरी पर्चा/एल0पी0एम0 के विरूद्ध प्राप्त दावों/आपत्तियों की सुनवाई एवं वादों का निष्पादन।

549

9. प्रारूप प्रकाशन के पूर्व विश्रांति के प्रथम चरण का कार्य।

10. प्रपत्र–12 में प्रारूप प्रकाशन एवं प्रकाशन पश्चात आपत्तियों की सुनवाई एवं निष्पादन

11. विश्रान्ति द्वितीय चरण का कार्य

12. रैयतवार लगान निर्धारण।

13. अंतिम अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का निर्माण।

उर्पयुक्त कार्यो के आलोक में वर्त्तमान समय में निदेशालय स्तर से किस्तवार तक के कार्यो की साप्ताहिक समीक्षा MIS के माध्यम से व नोडल पदाधिकारी के क्षेत्र भ्रमण से की जा रही है, जिसकी निर्धारित समय सीमा और कार्य प्रगति निम्नवत है :–

1. **जिला स्तरीय उद्घोषणा** – विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली के नियम–4(1) के आलोक में राज्य स्तरीय अधिसूचना के आलोक में जिला बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र–1 में जिला स्तरीय उदघोषणा की जानी है। विशेष सर्वेक्षण के प्रथम चरण के लिए चयनित कुल 5099 राजस्व ग्रामों में राज्य स्तरीय अधिसूचना पश्चात उर्पयुक्त के आलोक में अनुपालन में सभी राजस्व ग्रामों में बदोबस्त पदाधिकारी के स्तर से उदघोषणा का प्रकाशन ससमय किया जा चुका है।

2. **रैयतों से प्रपत्र–2 में स्वघोषणा तथा प्रपत्र–3 (1) में वंशावली की प्राप्तिः–** जिला स्तरीय उदघोषणा के पश्चात नियमावली के नियम–6 के उपनियम 1 एवं 2 के आलोक में रैयतो से स्वघोषणा की प्राप्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 कार्य दिवस तथा विशेष परिस्थिति में 15 अतिरिक्त कार्य दिवस में की जानी है। माह अगस्त, 2020 से प्रारंभ हुए विशेष सर्वेक्षण की माह फरवरी, 2021 के द्वितीय सप्ताह के जिला स्तरीय एम0आई0एस0 प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि कुल रैयतों के 15 प्रतिशत से स्वघोषणा प्राप्ति को पूर्णतः मानते हुए भी अभी तक मात्र सीतामढी में 71 प्रतिशत सहरसा में 89 प्रतिशत तथा अररिया में 98 प्रतिशत कार्य किया गया है। कार्यो की समीक्षा से यह भी स्पष्ट है कि अभी तक जिलों में स्वघोषणा प्राप्ति का कार्य किया जा रहा है। विशेष सर्वेक्षण कार्य के लिए बनाए गए भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में प्रपत्र–2 एवं 3(1) का संधारण किया जाना है, जबकि अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

3. **प्रपत्र–3 में स्वघोषणा का सत्यापन तथा प्रपत्र–4 में विवादित तथा गैर सत्यापित भूमि की पंजी तैयार करनाः–** बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली के नियम–6 (6) के आलोक में रैयतों से प्राप्त स्वघोषणा के सत्यापन की अधिकतम अवधि स्वघोषणा की प्राप्ति तिथि से 15 कार्य दिवस निर्धारित है। व्यावहारिक रूप से यह कार्य कार्यालय में किया जाने वाला कार्य है। इस कार्य को प्रपत्र–6 के निर्माण के साथ भी किया जा सकता है।

4. **प्रपत्र–5 में विगत अधिकार अभिलेख की खतियानी विवरणी तैयार करनाः–** विशेष सर्वेक्षण नियमावली के नियम 9(1) के तहत किसी भी राजस्व ग्राम में खानापुरी का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व विगत अधिकार अभिलेख की विवरणी तैयार की जानी है।

विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 एवं नियमावली, 2012 के अनुसार विशेष सर्वेक्षण के लिए निर्धारित संपूर्ण प्रक्रिया को लगभग एक वर्ष में पूरा कर लिया जाना है। इस आलोक में यह अपेक्षा की जाती है कि विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ होने के एक माह के भीतर खतियानी विवरणी लेखन एवं भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के प्रपत्र–5 में संधारण का कार्य को पूरा कर लिया जाए। वर्त्तमान अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार इस कार्य का अभी तक सहरसा में 38 प्रतिशत, मधेपुरा 39 प्रतिशत, अररिया एवं पश्चिमी चंपारण 48 प्रतिशत एवं सीतामढी में 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है। अभी तक मात्र 9 जिले ही ऐसे हैं जिनमें इस कार्य को 70 प्रतिशत से अधिक पूर्ण किया गया है।

(543)

5. **किस्तवार प्रक्रिया अंतर्गत त्रि–सीमानों को नियत करना ग्राम सीमा सत्यापन खेसरों का निर्माण तथा खानापुरी के लिए मानचित्र का निर्माण**:–बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली के नियम 7 के अनुपालन में आधुनिक तकनीक द्वारा की जाने वाली किस्तवार प्रक्रिया में नियम 7(5) के आलोक में मानचित्र सत्यापन का कार्य मानचित्र प्राप्ति की तिथि से 30 कार्य दिवसो से अनाधिक अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना है। किस्तवार की संपूर्ण प्रक्रिया में त्रि–सीमानों की पहचान एवं सत्यापन, ग्राम सीमा का सत्यापन एवं शतप्रतिशत खेसरों का सत्यापन पश्चात सभी आवश्यक संशोधनों के पश्चात खानापुरी के लिए मानचित्र का निर्माण किया जाना शामिल है।

वर्त्तमान समय में प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार किस्तवार प्रक्रिया अंतर्गत किए जाने वाले त्रि–सीमानों के सत्यापन कार्य में 7 जिलों जहानाबाद, शिवहर, अरवल, किशनगंज, अररिया, कटिहार का प्रतिवेदन शून्य है जबकि सभी 20 जिलों की समेकित प्रगति का प्रतिशत मात्र 26 प्रतिशत है। इसी प्रकार ग्राम सीमा सत्यापन की कार्रवाई की उपलब्धि मात्र 5 प्रतिशत है। इसमें मात्र चार जिलों बेगूसराय 18 प्रतिशत, शेखपुरा 17 प्रतिशत, सुपौल 16 प्रतिशत तथा मधेपुरा 11 प्रतिशत में उपलब्धि का प्रतिशत 10 से अधिक है। उर्पयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अगस्त माह से प्रारंभ हुए कार्य में एक माह के अंदर पूर्ण किए जाने वाले कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी है।

6. **खानापुरी का कार्य एवं प्रपत्र–6, खेसरा पंजी का निर्माण**:– किस्तवार की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत नियमावली के नियम 8 के तहत खानापुरी उनका गठन कर नियम 9 के उपनियम 1–11 के अनुपालन में खानापुरी का कार्य कर प्रपत्र–6 में खेसरा पंजी का निर्माण कर रैयतवार खानापुरी पर्चा (प्रपत्र–7) एवं LPM का निर्माण कर उसे रैयतों में वितरित किया जाना है और 15 दिनों में दावा आक्षेप प्राप्त कर 30 कार्य दिवसो में प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन किया जाना है। रैयतों से ससमय आपत्ति प्राप्त करने एवं ससमय निष्पादन के लिए आवश्यक है कि प्रपत्र 6 में खेसरा पंजी का निर्माण एवं भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में उसके संधारण का कार्य ससमय पूरा किया जाए।

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया के सम्बन्ध में आप अवगत है कि यह आधुनिक तकनीक आधारित प्रक्रिया है और इस पूरी प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रयोग किए जा रहे हैं। इनमें भू–सर्वेक्षण प्रक्रिया से सम्बन्धित भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर, भू–नक्शा सॉफ्टवेयर, GCN सॉफ्टवेयर, MIS सॉफ्टवेयर एवं भू–मानचित्र सॉफ्टवेयर हैं, जबकि कार्मिक प्रबंधन के लिए R2R कार्मिक प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, इन सॉफ्टवेयर को संचालित करने एवं इनमें विभिन्न ऑकडों को संधारित करने की प्रक्रिया से आप सबों को एवं सम्बन्धित कर्मियों तथा हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को अवगत कराया जा चुका है।

सम्पूर्ण विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रक्रम प्रपत्र–6 में खेसरा पंजी का निर्माण है। प्रपत्र–6 में की गई प्रविष्टियों के आधार पर प्रपत्र–12 में अधिकार–अभिलेख के प्रारूप एवं प्रपत्र–18 में नए अधिकार–अभिलेख का संधारण किया जाना है। प्रपत्र–6 में की गई प्रविष्टियों को भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में संधारित करने संबंधी User Mannual विभिन्न कॉलमों की जाने वाली के लिए पॉच प्रकार की सूचियाँ एवं प्रत्येक खेसरा के लिए 14 अंकों वाले विशिष्ट क्रमांक सम्बन्धी विवरणी सभी बन्दोबस्त कार्यालयों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। उपर्युक्त के आलोक में यह अपेक्षित है कि भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में प्रपत्र–6 का संधारण ससमय पूर्ण हो। वर्त्तमान में प्राप्त MIS प्रतिवेदन के अनुसार प्रपत्र–6 के भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में संधारण का प्रगति प्रतिवेदन लगभग शून्य है।

विशेष सर्वेक्षण कार्यों की वर्त्तमान स्थिति और कार्य में संलग्न बड़ी संख्या में पदबल को देखते हुए निदेशालय स्तर से निर्गत पत्रों एवं समीक्षात्मक बैठकों के माध्यम से आपसे निम्नांकित अपेक्षाएँ की गई है–

(542)

i. मासिक बैठकों के माध्यम से कार्यों की नियमित समीक्षा।

ii. प्रत्येक सप्ताह में कम–से–कम दो विशेष सर्वेक्षण चयनित ग्रामों का भ्रमण।

iii. प्रत्येक सप्ताह में कम–से–कम तक शिविर का निरीक्षण।

iv. सरकारी भूमि की विवरणी प्राप्त करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों प्रतिष्ठानों की जिला स्तरीय समीक्षा।

v. अंचल स्तर से विभिन्न प्रकार के कागजातों, अभिलेखों इत्यादि की शिविर में उपलब्धता सुनिश्चित करने संबंधी उपाय।

vi. जिले में कार्यरत हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के कार्य की समीक्षा।

vii. शिविर एवं जिला बन्दोबस्त कार्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना।

उर्पयुक्त समीक्षा से स्पष्ट है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है। उल्लेखनीय है कि विशेष सर्वेक्षण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विशेष सर्वेक्षण अमीन के 4950, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी 275, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो 550 तथा विशेष सर्वेक्षण लिपिक के 550 संविदा आधारित पद सृजित किए गए हैं और इस पदबल के नियोजन एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया के लिए पर्याप्त धनराशि भी आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त कर्मियों के वेतन आदि व्यय के लिए पर्याप्त राशि आवंटित की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सरकार की इस अति महत्वपूर्ण योजना में ससमय कार्य का पूर्ण न होना चिंताजनक है। अतः विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के कार्यों में गति लाने के सभी आवश्यक उपाय किए जाएँ ताकि ससमय लक्ष्य के अनुसार कार्य पूर्ण किया जा सके।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2021\Birendra kumar ASO\Director\19-07-2021.doc

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका संख्या : 17–प्रशिक्षण संस्थान भवन (आरक्षण)–309/2019 2661

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ
बिहार पटना।

पटना, दिनांक–06-09-2021

विषय :– राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना के छात्रावास के कमरों/प्रशिक्षण हॉल को सरकारी कार्य हेतु अन्य विभागों/सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षण का दर निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय अन्तर्गत निर्मित राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना के छात्रावास के कमरों/प्रशिक्षण हॉल को सरकारी कार्य हेतु अन्य विभागों/सरकारी उपक्रमों को आवंटित/आरक्षित किये जाने की स्थिति में कमरों/प्रशिक्षण हॉल का दर निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है :–

क्र0सं0	कक्ष/हॉल आरक्षण	आरक्षण की दर
1.	छात्रावास कमरा (Twin Single Bed in a Room)	**300.00 (तीन सौ) रूपये प्रति कमरा प्रतिदिन।** राजस्व एव भूमि सुधार विभाग के कर्मियों एवं पदाधिकारियों के सरकारी प्रयोजन हेतु आवासन पर
		700.00 (सात सौ) रूपये प्रति कमरा प्रतिदिन। अन्य विभागों एवं सरकारी उपक्रमों के कर्मियों एवं पदाधिकारियों के सरकारी प्रयोजन हेतु आवासन पर
2.	प्रशिक्षण कक्ष (उपकरणों से सुसज्जित)	**28000.00 (अठाइस हजार) रूपये प्रति हॉल प्रतिदिन।** सरकारी विभागों (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को छोड़कर) एवं सरकारी उपक्रमों के लिए सरकारी कार्य हेतु।
3.	प्रशासनिक भवन का सभा कक्ष (उपकरणों से सुसज्जित)	**13000 (तेरह हजार) रूपये प्रतिदिन।** सरकारी विभागों (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को छोड़ कर) एवं सरकारी उपक्रमों के लिए सरकारी कार्य हेतु।

2. राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना के कमरों/प्रशिक्षण हॉल इत्यादि का आरक्षण सिर्फ अन्य विभागों एवं सरकारी उपक्रमों को सरकारी कार्यो के लिए ही किया जाएगा।

कृ0पृ0उ0

3. राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना से आवासन/आरक्षण मद में प्राप्त होने वाली राशि को राज्य के समेकित निधि में मुख्य शीर्ष 0059–लोक निर्माण कार्य, उप मुख्य शीर्ष–01–कार्यालय भवन, लघुशीर्ष–011–किराया, उपशीर्ष–0001–किराया के अन्तर्गत विपत्र कोड R0059010110001 एवं विषय शीर्ष 0005–किराया शीर्ष में जमा किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 6/9/21
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–प्रशिक्षण संस्थान भवन (आरक्षण)–309/2019 2661 पटना, दिनांकः 06-09-2021

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार पटना को अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की एक हजार प्रति निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–प्रशिक्षण संस्थान भवन (आरक्षण)–309/2019 2661 पटना, दिनांकः 06-09-2021

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्त्ता (बिहार)/सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना–7/सभी अनुमण्डलाधिकारी, बिहार/सभी अंचलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–प्रशिक्षण संस्थान भवन (आरक्षण)–309/2019 2661 पटना, दिनांकः 06-09-2021

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–प्रशिक्षण संस्थान भवन (आरक्षण)–309/2019 2661 पटना, दिनांकः 06-09-2021

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी आई0टी कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय तथा निदेशालय के बेवसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप 1/9/21

E:\Year 2021 Om\Rakesh Sir\Director\file No 309-2019 01-09 2021.doc

e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
17–तक को0–312/2018–Part–II-.....2748.....

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बन्दोबस्त पदाधिकारी,
नालंदा।

पटना, दिनांक :– 11-09-2021

विषय :– ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना ज्ञापांक–432027 दिनांक–31.03.2021 के आलोक में जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक–3353 दिनांक–03.06.2021 के संबंध में।

प्रसंग :– जिला पदाधिकारी, नालंदा का पत्रांक–3353 दिनांक–03.06.2021

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना द्वारा नालंदा जिलान्तर्गत चंडी प्रखंड के सरथा ग्राम पंचायत को हरनौत प्रखंड में शामिल किया गया है। इसके आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा राजस्व संबंधी कार्यों के निष्पादनार्थ विभागीय स्तर से आदेश/निदेश निर्गत करने की अपेक्षा की गई है। उक्त के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध विभाग से किया गया है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त संलग्न पत्र एवं अधिसूचना के आलोक में विशेष सर्वेक्षण संबंधी अभिलेखों/आंकड़ों में यथावश्यक सुधार कर लिया जाए।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 9/21
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

D:\Sanjeev-2021\Birendra kumar, ASO\Director\file no_312_2018_08.09.2021.doc

नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ
(जिला गोपनीय शाखा)

(196)

संचिका संख्या ..../ पत्रांक 3353 /गो० दिनांक 03/06/2021

1 JUL 2021

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– नालन्दा जिलान्तर्गत चंडी प्रखंड के सरथा ग्राम पंचायत को हरनौत प्रखंड में शामिल करने की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना का अधिसूचना सं0–432027 दिनांक 03.03.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना का अधिसूचना सं0–432027 दिनांक 03.03.2021 द्वारा नालन्दा जिलान्तर्गत चंडी प्रखंड के सरथा ग्राम पंचायत को हरनौत प्रखंड में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। तदालोक में सरथा ग्राम पंचायत अन्तर्गत राजस्व/राजस्व न्यायालय/अंचल से संबंधित अन्य कार्यों के निष्पादनार्थ अंचल क्षेत्र निर्धारण के संबंध में विभागीय स्तर से आदेश/निर्देश अपेक्षित है।

अतः प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि तदनुसार आवश्यक आदेश/निर्देश निर्गत करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :– यथोपरि।

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा।

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

विषय:- नालन्दा जिलान्तर्गत चंडी प्रखंड के सरथा ग्राम पंचायत को हरनौत प्रखंड में शामिल करने की स्वीकृति ।

नालन्दा जिलान्तर्गत चंडी प्रखंड के सरथा ग्राम पंचायत को चंडी प्रखंड से अलग कर तत्कालिक प्रभाव से हरनौत प्रखंड में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. चंडी प्रखंड की शेष पंचायतें चंडी प्रखंड के अंतर्गत पूर्ववत् बनी रहेंगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

31/03/2021

(बालामुरुगन डी0)

सचिव

ज्ञापांक- 432027 / पटना, दिनांक- 31/03/2021

ग्रा0वि0-3/स्था.-6-03/13

प्रतिलिपि: ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित प्रेषित ।

2- अनुरोध है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर 500 प्रति भेजी जाए।

31/03/2021

सचिव

ज्ञापांक- 432027 / पटना, दिनांक- 31/03/2021

प्रतिलिपि- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/ जिला पदाधिकारी, नालन्दा / उप विकास आयुक्त, नालन्दा/ अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा (नालन्दा) / प्रखंड विकास पदाधिकारी, चंडी एवं हरनौत (नालन्दा)/ अंचलाधिकारी, चंडी एवं हरनौत (नालन्दा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि स्थानांतरित पंचायतों के संबंधित संचिकाओं/अभिलेखों को संबंधित प्रखंड में हस्तांतरण करना सुनिश्चित करेंगे ।

31/03/2021

सचिव

ज्ञापांक- 432027 / पटना, दिनांक- 31/03/2021

प्रतिलिपि- संयुक्त निदेशक, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, एन0डी0सी0सी0- II भवन, ए0विंग, प्रथम तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली- 110001/ निदेशक जनगणना, बिहार, कॉपरेटिव बिल्डिंग (बी0एन0 कॉलेज के सामने) पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

31/03/2021

सचिव

ज्ञापांक- 432027 / पटना, दिनांक- 31/03/2021

प्रतिलिपि- महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/ सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

31/03/2021
सचिव

ज्ञापांक- 432027 / पटना, दिनांक- 31/03/2021

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

31/03/2021
सचिव

ज्ञापांक- 432027 / पटना, दिनांक- 31/03/2021

प्रतिलिपि- मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ विभागीय सभी पदाधिकारी/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, पटना/ स्थानीय निदेशक, एन0आई0सी0, पटना/ श्री सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित ।

31/03/2021
सचिव

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
संख्या – 17–तक0को0(विश्रान्ति)–222/2019....2897

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय/सुपौल/शेखपुरा/बांका/खगड़िया/
लखीसराय/जहानाबाद/अरवल/शिवहर/
किशनगंज/अररिया/कटिहार/पूर्णियाँ/
सीतामढ़ी/सहरसा/मधेपुरा/प0 चम्पारण/
जमुइ/मुंगेर/नालंदा।

पटना, दिनांक :–01-10-2021

विषय :– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम एवं नियमावली अंतर्गत खानापुरी पर्चा के वितरण उपरान्त दावा/आपत्तियों और प्रारूप प्रकाशन के उपरांत प्राप्त दावा/आपत्तियों एवं उन पर पारित आदेशों के आलोक में किए गए संशोधनों की जाँच (विश्रांति) कार्य हेतु समेकित निदेश के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक से आप अवगत है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 यथा संशोधित, 2017 एवं नियमावली, 2012 यथा संशोधित, 2019 के नियम 9 अंतर्गत खानापुरी कार्य किया जाता है। खानापुरी पर्चा एवं LPM वितरण पश्चात् नियम 10 अंतर्गत प्राप्त दावों/आपत्तियों का निपटारा किया जाता है। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो/विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी अपने संबंधित राजस्व ग्राम के भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के प्रपत्र–10 में पारित आदेश की प्रति उक्त नियत तिथि को ही Upload करेंगे। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो/विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा रैयती/सरकारी दावों के संबंध में पारित आदेशों का सुधार विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा खेसरा पंजी (प्रपत्र–6), हार्ड प्रति में किया जाएगा, साथ ही भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में भी विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा अपने Login ID, Password से संशोधित किया जाएगा। विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा खानापुरी मानचित्र में भी पारित आदेश के अनुसार संशोधन किया जाएगा। इसके बाद हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा संशोधन के अनुसार मानचित्र तैयार किया जाएगा। तत्पश्चात बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 यथा संशोधित, 2019 के नियम 11 अंतर्गत खानापुरी कार्य पूर्ण होने के बाद मानचित्र सहित खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप की तैयारी नियमावली के नियम 11 उप नियम 1(क) के अंतर्गत विश्रांति के प्रथम चरण में किया जाता है। विश्रांति का कार्य **प्रथम चरण में आलेख तथा रकबा प्रशाखा** द्वारा शिविर स्तर पर किया जाएगा।

D:\Sanjeev-2021\Shailesh Kumar Srivastava, ASO\Director\file no. -222 2019 dated-30.09.2021.doc

प्रथम चरण की विश्रांति का कार्यः–

अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र के शिविरस्तरीय प्रारूप प्रकाशन के पूर्व विश्रांति का कार्य किया जाएगा। इस कार्य को **<u>बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा निर्गत निदेश</u>** के आलोक में प्रत्येक शिविर द्वारा प्रत्येक ग्रामवार किया जाएगा। उक्त कार्य के लिए शिविर स्तर पर एक आलेख एवं रकबा प्रशाखा का गठन शिविर प्रभारी–सह–विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के नेतृत्व में किया जाएगा। इस कार्य के लिए उसी शिविर में प्रतिनियुक्त विशेष सर्वेक्षण अमीनों को विश्रांति कार्य के लिए ग्राम आवंटित किया जाएगा। विश्रांति कार्य के लिए गठित की जाने वाली **<u>आलेख तथा रकबा प्रशाखा</u>** में ग्रामों में खेसरों की संख्या को ध्यान में रखकर निम्न प्रकार ग्रामवार कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा एवं इस संबंध बंदोबस्त पदाधिकारी आदेश निर्गत करेंगे।

(i) शिविर प्रभारी–सह–विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी
(ii) कानूनगो–1
(iii) अमीन–अधिकतम–3
(iv) लिपिक अथवा डाटा इंट्री ऑपरेटर–1

विश्रांति कार्य को संपन्न करने के क्रम में प्रारूप प्रकाशन के पूर्व आलेख एवं रकबा प्रशाखा द्वारा भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के GIS Co-Ordinator एवं हवाई सर्वेक्षण एजेंसी से समन्वय स्थापित कर त्रुटियों का निराकरण किया जाएगा।

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 के नियम 9 एवं 10 अंतर्गत खानापुरी कार्य एवं खानापुरी के दौरान दावों/आक्षेपों का निपटारा पूर्ण होने के बाद प्रपत्र–5 (खतियानी विवरणी), प्रपत्र–3(i) वंशावली, प्रपत्र–3(ii) (याददाश्त पंजी), प्रपत्र–6 (खेसरा पंजी) सुनवाई की सभी आलेख एवं मानचित्र विश्रांति प्रशाखा के प्रभारी को विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा हस्तगत कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त आलेख एवं रकबा तथा खेसरा प्रशाखा के प्रभारी को सॉफ्टवेयर Access भी दिया जाएगा। संबंधित राजस्व ग्राम का ग्राम अभिलेख भी आलेख एवं रकबा तथा खेसरा प्रशाखा को हस्तगत कराया जाएगा।

(I) मानचित्र से संबंधित महत्त्वपूर्ण कार्यः–

(1) राजस्व ग्राम का ग्राम–सीमा मोटी रेखा से होनी चाहिए। यदि ग्राम सीमा नदी या सड़क/आहर/पईन आदि है तब उसका Conventional Sign का प्रयोग होना चाहिए।
(2) यदि किसी ग्राम का मानचित्र एक से अधिक चादर (Sheet) से बना है तो सभी चादर के आपस में मिलान की स्थिति अर्थात् एक ही ग्राम के विभिन्न शीटों के सीमा के मध्य विसंगति की स्थिति तो नहीं है। कोई भी खेसरा दो शीटों में खंडित नहीं होना चाहिए।
(3) तैयार किए गए मानचित्र में राजस्व ग्राम का नाम, राजस्व थाना संख्या, अधिसूचित जिला का नाम एवं अंचल का नाम शुद्ध–शुद्ध अंकित किया गया है कि नहीं।
(4) मानचित्र में खेसरा संख्या क्रमवार दिया गया है या नहीं
(5) कोई खेसरा बिना खेसरा संख्या का न हो।
(6) कोई खेसरा संख्या दोबारा अंकित न हो।
(7) राजस्व ग्राम के चौहद्दी में अवस्थित राजस्व ग्राम का नाम एवं थाना संख्या, उस राजस्व ग्राम के मानचित्र से मिलान कर संतुष्ट हो लेना है।
(8) बस्ती अथवा आवासीय क्षेत्रों का मानचित्र अलग शीट पर तैयार किया जाएगा, जिसका स्केल 1:1000 रहेगा। साथ ही कृषि क्षेत्र का मानचित्र 1:4000 स्केल पर रहेगा।

(9) तीन सीमाना से तोखा लाईन (Tokha lines) एक जरीब (66 फीट) हटकर पाँच जरीब (5X 66 =330 फीट) पर रहेगा।

(10) मानचित्र में अंकित Conventional Sign का मिलान खेसरा पंजी (प्रपत्र 6) के कॉलम संख्या 10 से करना है।

(11) राजस्व ग्राम का नाम एवं थाना संख्या हिन्दी के साथ अंग्रेजी में मानचित्र पर दर्ज होना चाहिए। (Unique Code)

(12) प्रत्येक ग्राम में न्यूनतम एक या दो जी0सी0पी0 मानचित्र पर अंकित होना चाहिए।

(13) खेसरा का बटा नम्बर नहीं दिया जाएगा। यदि किसी खेसरा में नम्बर अंकित करना छूटा हो तो, मौजा के अन्तिम नम्बर के बाद का नम्बर दिया जाएगा।

(14) दो खेसरा के बीच 'f' निशान नहीं होना चाहिए।

(15) नक्शा पर N का चिह्न बना रहेगा।

(II) ग्राम के सीमा विवाद का निपटाराः– राजस्व ग्राम के विशिष्ट सीमा निर्धारण (Unique Boundary) की जाँच हेतु यह सुनिश्चित करना है कि किसी ग्राम की सीमा एक यूनिक रेखा द्वारा प्रदर्शित की गई है या नहीं। यदि दो ग्रामों के बीच सीमा रेखा के निर्धारण में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो ग्रामों के अमीन खानापुरी दल से मिलकर सीमा–विवाद का समाधान करेंगे। विशिष्ट प्रकार के सीमा विवाद अन्तर अंचल सीमा विवाद, अन्तर जिला सीमा विवाद या अर्न्तराज्यीय सीमा विवादों का निपटारा अनिवार्य रूप से बंदोबस्त पदाधिकारी के संज्ञान में लाकर किया जाएगा।

(III) खेसरा पंजी प्रपत्र 6 (नियम का उप नियम (1)) में रैयतों के नाम एवं उनके स्वामित्व वाले खेसरों की प्रविष्टि की जाँच किया जाना, विशेषकर रैयतों के धारित खेसरा के रकवा का कागजातों के आधार पर जाँच किया जाना।

(IV) प्रपत्र 8 में प्राप्त आपत्तियों/दावों का किए गए निपटारा के तरमीम की जाँचः– ग्राम में प्रपत्र 8 में आपत्ति/दावा पर कानूनगो द्वारा रैयती भूमि/स0ब0पदा0 द्वारा सरकारी भूमि पर दिये गये आदेश के अनुरूप सुधार किया गया है कि नहीं। साथ ही LPM के विरूद्ध दी गई आपत्ति के विरूद्ध दिए गए निर्णय के अनुसार मानचित्र में भी सुधार किया गया है कि नहीं। इसकी जाँच किया जाना आवश्यक है। जाँच में त्रुटि पाये जाने पर आलेख एवं रकबा प्रशाखा में प्रतिनियुक्त विशेष सर्वेक्षण कानूनगो द्वारा त्रुटि प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित अमीन को प्रशाखा में बुलाकर सॉफ्टवेयर एवं हार्ड कापी में संशोधन कराएंगे एवं सत्यापित भी करेंगे। साथ ही खानापुरी मानचित्र में पारित आदेश के अनुसार त्रुटि पाये जाने पर विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा खानापुरी मानचित्र में संशोधन किया जाएगा एवं प्रशाखा के कानूनगो द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

(V) **निर्मित प्रपत्र 6 (खेसरा पंजी) खेसरावार एवं मानचित्र के निर्मित खेसरा का रकवा तुलना (मुकाबला)**—मानचित्र में प्रदर्शित खेसरा का रकबा और प्रपत्र 6 में तैयार खेसरा पंजी में अंकित रकबा का मिलान किया जाएगा और असमानता की स्थिति में जाँच की जाएगी।

ग्राम के पुराने रकवा से नया रकवा ± 5 प्रतिशत तक अंतर अनुमान्य है। उक्त सीमा के अन्दर विशेष सर्वेक्षण मानचित्र का रकबा मान्य होगा। ग्राम सीमा विवाद की स्थिति में बंदोबस्त पदाधिकारी के संज्ञान के पश्चात् ही उनसे प्राप्त निदेश के आलोक में कार्रवाई करेंगे।

प्रथम चरण में विश्रान्ति के दौरान किये जाने वाला **कार्य को अधिकतम 15 कार्य दिवस** के भीतर किया जाएगा।

विश्रांति के पश्चात शिविर प्रभारी अपने हस्ताक्षर से खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रपत्र–12 में एवं मानचित्र विधिवत् प्रारूप प्रकाशन करेंगे।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम की धारा 8 एवं नियमावली के नियम 12 अंतर्गत खानापुरी अधिकार अभिलेख का प्रारूप प्रकाशन किया जाता है और अधिकार अभिलेख प्रारूप की प्रविष्टियों के विरूद्ध प्राप्त रैयती या सरकारी दावा/आपत्ति का नियम 13 अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा निपटारा किया जाता है। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी संबंधित राजस्व ग्राम के संबंध में भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के प्रपत्र–15 में पारित ,आदेश की प्रति उक्त तिथि को Upload किया जाना है। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा रैयती या सरकारी दावों के संबंध में पारित आदेशों का सुधार विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा खेसरा पंजी (प्रपत्र–6) हार्ड प्रति में किया जाएगा। साथ ही भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के प्रपत्र–6 में भी विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा अपने Login ID, Password से संशोधित किया जाएगा। साथ ही विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा प्रारूप प्रकाशित मानचित्र में भी पारित आदेश के अनुसार संशोधन किया जाएगा। इसके बाद हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा संशोधन के अनुसार मानचित्र तैयार किया जाएगा।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली के नियम 14 के उप नियम (1), (2), (3), (4) एवं (5) अंतर्गत विश्रांति के द्वितीय चरण में अंतिम प्रकाशन के पूर्व का कार्य **खेसरा प्रशाखा** द्वारा किया जाता है।

इस प्रशाखा का गठन बन्दोबस्त पदाधिकारी के आदेश पर जिला स्तर पर किया जाएगा। इस प्रशाखा का प्रभारी, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी होंगे। सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के नियंत्रणाधीन निम्न पदाधिकारी/ कर्मी कार्य करेंगे:–

(1) सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/वि0 सर्वे0 स0ब0प0–01
(2) विशेष सर्वेक्षण कानूनगो–01
(3) अमीन–03
(4) लिपिक–01

अवश्यकतानुसार कर्मी/पदाधिकारी की संख्या में परिवर्तन बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा।

D:\Sanjeev-2021\Shailesh Kumar Srivastava, ASO\Director\file no -222 2019 dated-30.09.2021.doc

द्वितीय चरण की विश्रांति का कार्यः—

(1) **प्रपत्र 14 में प्राप्त आपत्तियों/दावों का किए गए निपटारा के आलोक में किए गए संशोधन की जाँचः**— खानापुरी अधिकार—अभिलेख प्रारूप प्रकाशन के विरूद्ध दावों/आक्षेपों के संबंध में पारित आदेशों के अनुरूप मानचित्र तथा अधिकार अभिलेख में **संशोधन** किया गया है या नहीं।

(2) मानचित्र की मुद्रित तथा सॉफ्ट कापी में खेसरों से सम्बन्धित भौतिक विवरणी या चिह्नों (अलामत) जैसे—कुँआ, नलकूप, बिजली खम्भा आदि संधारण किया गया है कि नहीं। इस बात की Randomly जाँच किया जाए। यहाँ यह स्पष्ट हो लेना आवश्यक है कि वर्त्तमान में अनेक चिह्नों या भौतिक विवरणी की प्रविष्टि केवल सॉफ्ट कॉपी में संधारित होगी जबकि महत्वपूर्ण अलामत/भौतिक विवरणी को मानचित्र में उनके लिए बनाए गए चिह्न के अनुसार मुद्रण होगा।

(3) प्रपत्र 6 में फसल कॉलम 12 से 17 एवं कॉलम 19 से 23 का जाँच किया जायेगा इसी के आधार पर सर्वेक्षण बन्दोबस्त के अगले प्रक्रम में लगान दर तालिका के आधार पर लगान बंदोबस्ती दर तालिका (प्रपत्र 18 क) में तैयार की जाएगी। लगान निर्धारण एवं तालिका तैयार करने हेतु अलग से निदेश निर्गत किया जाएगा।

(4) अधिकार—अभिलेख को उसके अंतिम प्रकाशन के पूर्व, रैयतों के नाम के हिन्दी वर्णाक्रमानुसार व्यवस्थित किया जाएगा।

(5) समुचित जाँच—पड़ताल एवं तुलना के बाद खेसरा प्रशाखा के प्रभारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर प्रपत्र—18 में नए तेरीज अर्थात् नये अधिकार अभिलेख एवं प्रपत्र—19 में खेसरा पंजी को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

(6) नए तेरीज अर्थात् नये अधिकार—अभिलेख एवं खेसरा पंजी के आधार पर अंतिम प्रकाशन हेतु प्रपत्र—20 में चार प्रतियाँ में अधिकार—अभिलेख तैयार किया जाएगा। नियमावली के नियम 15 अंतर्गत प्रपत्र—20 में अंतिम रूप से तैयार किए गए अधिकार—अभिलेख एवं मानचित्र की प्रतियाँ संबंधित जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर के अधीन अंतिम रूप से प्रकाशित की जाएंगी।

द्वितीय चरण में विश्रान्ति के दौरान किये जाने वाला **कार्य को अधिकतम 15 कार्य दिवस** के भीतर किया जाएगा।

विश्वासभाजन

1/10/21

(जय सिंह)
निदेशक,
भू—अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

D:\Sanjeev-2021\Shailesh Kumar Srivastava, ASO\Director\file no -222 2019 dated-30.09.2021.doc

ज्ञापांक : 17–तक0को0(विश्रान्ति)–222 / 2019........2897..........पटना, दिनांक 01-10-2

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त / सहायक बन्दोबस्त पदाधि (मुख्यालय), बेगूसराय / सुपौल / शेखपुरा / बांका / खगड़िया / लखीसराय / जहानाबाद / अरवल / शिवहर / किशनगंज / अररिया / कटिहार / पूर्णियाँ / सीतामढ़ी / सहरसा / मधेपुरा / प0चम्पारण / जमुई / मुंगेर / नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–तक0को0(विश्रान्ति)–222 / 2019........2897..........पटना, दिनांक 01-10-2021

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना / उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–तक0को0(विश्रान्ति)–222 / 2019........2897..........पटना, दिनांक 01-10-2021

प्रतिलिपिः– श्री अनिल कुमार सिंह, अनुदेशक, चकबन्दी निदेशालय / श्री राकेश कुमार, सहायक निदेशक, भू–अर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–तक0को0(विश्रान्ति)–222 / 2019........2897..........पटना, दिनांक 01-10-2021

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप / प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा / निदेशालय स्तर के सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी / प्रभारी, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–तक0को0(विश्रान्ति)–222 / 2019........2897..........पटना, दिनांक 01-10-2021

प्रतिलिपिः– एल0आई0एस0 सलाहकार, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–तक0को0(विश्रान्ति)–222 / 2019........2897..........पटना, दिनांक : 01-10-2021

प्रतिलिपि :– जिलों से संबंधित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–तक0को0(विश्रान्ति)–222 / 2019........2897..........पटना, दिनांक : 01-10-2021

प्रतिलिपिः– श्री प्रिंस कुमार / श्री कुणाल कुमार, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–तक0को0(विश्रान्ति)–222 / 2019........2897..........पटना, दिनांक : 01-10-2021

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2021\Shailesh Kumar Srivastava, ASO\Director\file no -222 2019 dated-30.09.2021.doc

ज्ञापांक : 17–तक0को0(विश्रान्ति)–222 / 2019......2897......पटना, दिनांक : 01-10-2021

प्रतिलिपि :– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–तक0को0(विश्रान्ति)–222 / 2019......2897......पटना, दिनांक : 01-10-2021

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2021\Shailesh Kumar Srivastava, ASO\Director\file no. -222 2019 dated-30.09.2021.doc

e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
स0सं0:– 17– तक0को0–312/2018.........2984

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/
किशनगंज/अररिया/कटिहार/पूर्णियाँ/सीतामढ़ी/
सुपौल/सहरसा/मधेपुरा/प0 चम्पारण/जमुई/
मुंगेर/नालंदा/शिवहर/बांका/अरवल/शेखपुरा।

पटना, दिनांक :–07-10-2021

विषय :– विभिन्न जिलों के भ्रमण के क्रम में की गई समीक्षा एवं MIS प्रतिवेदन के अनुसार कार्य प्रगति के आलोक में विशेष सर्वेक्षण कार्य में सुधार लाए जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में स्पष्ट करना है कि किशनगंज, अररिया, शेखपुरा, जमुई एवं मुंगेर में अधोहस्ताक्षरी द्वारा की गई समीक्षा एवं जिलों से प्राप्त MIS प्रतिवेदन के विश्लेषण उपरांत विभिन्न जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए निम्नांकित निदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए:–

I. प्रथम चरण अंतर्गत 207 शिविरों के संबंध में:–

1. कार्यरत सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों विशेषतः विशेष सर्वेक्षण अमीन के क्षेत्र एवं शिविर में प्रतिदिन उपस्थिति सुनिश्चित करना। यदि कोई कर्मी लगातार एक सप्ताह तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है तो शिविर के कर्मियों के संबंध में शिविर प्रभारी द्वारा एवं शिविर प्रभारी के संबंध में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई हेतु बन्दोबस्त पदाधिकारी के समक्ष कार्रवाई की अनुशंसा निश्चित रूप से उपस्थापित की जाय।
2. सभी अमीनों द्वारा प्रतिदिन के कार्यों को अमीन डायरी में प्रविष्टि कर भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में संधारित करना सुनिश्चित किया जाय।
3. सुनवाई प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् याद्दाश्त पंजी को स्कैन कर यथाशीघ्र भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में संधारित कर दिया जाय। साथ ही शिविर कार्यालय को समर्पित कर दिया जाए। याद्दाश्त पंजी में की गई प्रविष्टि में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी एवं रैयत से प्राप्त संबंधित खेसरे के रकबा को संधारित किया जाए एवं तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने के बाद उचित रकबा का यथोचित आदेश पारित किया जाए।
4. प्रपत्र–8 में रैयतों से प्राप्त दावा/आपत्ति को प्रतिदिन भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में संधारित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए एवं प्रपत्र–10 में सुनवाई की प्रथम तिथि निर्धारित कर प्रतिदिन कम–से–कम 25 वादों की सुनवाई करना सुनिश्चित किया जाए।
5. प्रत्येक सुनवाई पश्चात् पारित आदेशों को पारित तिथि के अगले दिन तक भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाए।
6. प्राप्त दावा/आपत्ति की प्रकृति एवं उसके अनुरूप कार्रवाई में लगने वाले समय को देखते हुए सुनवाई की अगली तिथि का निर्धारण एवं यथाशीघ्र वादों का निष्पादन किया जाए।

D:\Sanjeev-2021\Birendra kumar, ASO-Director\file no_ _dated-05 10 2021 doc

7. सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् विश्रांति हेतु आलेख एवं रकबा शाखा को अभिलेखों को हस्तगत करने से पूर्व सुधार हेतु पारित आदेश के अनुरूप प्रपत्र–6 एवं मानचित्र में किए गए सुधारों का मिलान अर्थात् आदेश के अनुरूप सुधार कर लिया गया है या नहीं इसे सुनिश्चित कर लिया जाय।

8. ग्राम अभिलेखों में उद्घोषणा से प्रारूप प्रकाशन तक की गई सभी कार्रवाईयों को संधारित होना चाहिए ताकि प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् होने वाली कार्रवाईयों के संधारण में कठिनाई नहीं हो। उल्लेखनीय है कि विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में अंतिम अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र के प्रकाशन के लिए ग्राम अभिलेख एक महत्त्वपूर्ण सहयोगी दस्तावेज (Supporting Document) होता है।

II. <u>द्वितीय चरण में लिए गए शेष सभी अंचलों के संबंध में:–</u>

1. द्वितीय चरण में जिले के बचे हुए सभी अंचलों/ग्रामों के लिए शिविर का गठन एवं विशेष सर्वेक्षण अमीनों की टैगिंग सुनिश्चित की जाए।
2. जिले के बचे हुए सभी अंचलों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के लिए जिलास्तरीय उद्घोषणा का प्रकाशन कर भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोड करने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।
3. विशेष सर्वेक्षण अमीनों को खतियानी विवरणी (प्रपत्र–5) को संधारित एवं सॉफ्टवेयर में अपलोड करने के लिए प्रतिदिन खतियान के 40 पृष्ठों की प्रविष्टि का लक्ष्य निर्धारित की जाए तथा द्वितीय चरण के अंतर्गत आनेवाली सभी ग्रामों के प्रपत्र–5 का संधारण 15 नवंबर, 2021 तक करना सुनिश्चित किया जाय।
4. रैयतों से ऑनलाईन स्वघोषणा एवं वंशावली प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में स्थानीय समाचार–पत्रों एवं अन्य माध्यमों में विज्ञापन का प्रकाशन किया जाए।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 17– तक0को0–312/2018 2984 **पटना, दिनांक** : 07-10-2021

प्रतिलिपि:– अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मुख्यालय), बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/किशनगंज/अररिया/कटिहार/पूर्णियाँ/सीतामढ़ी/सुपौल/सहरसा/मधेपुरा/प0चम्पारण/जमुई/मुंगेर/नालंदा/शिवहर/बांका/अरवल/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–तक0 को0–312/2018 2984 **पटना, दिनांक** : 07-10-2021

प्रतिलिपि:– सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा/निदेशालय स्तर के सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2021\Birendra kumar, ASO\Director\file no_ _dated-05.10.2021.doc

e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

स0सं0:– 17– तक0को0–312/2018.........4166.........

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/
किशनगंज/अररिया/कटिहार/पूर्णियाँ/सीतामढ़ी/
सुपौल/सहरसा/मधेपुरा/प0 चम्पारण/जमुई/
मुंगेर/नालंदा/शिवहर/बांका/अरवल/शेखपुरा।

पटना, दिनांक :– 12-11-2021

विषय :– आपके जिले में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की प्रक्रिया में अंचल अधिकारियों द्वारा भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर अंतर्गत प्रपत्र – 5 एवं प्रपत्र – 6 का अवलोकन करना तथा दर्ज प्रविष्टियों का परीक्षण एवं उसके आलोक में सरकारी भूमि के संरक्षण हेतु आवश्यक सभी कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में स्पष्ट करना है कि आपके जिले में संचालित विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया अंतर्गत तैयार होनेवाले अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र के अंतिम रूप से प्रकाशन होने के पूर्व सरकारी भूमि के संरक्षण के लिए अंचल अधिकारियों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाए। उल्लेखनीय है कि विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत प्रपत्र–5 में विगत् सर्वेक्षण अंतर्गत तैयार किए गए अंतिम अधिकार अभिलेख (खतियान) की खतियानी विवरणी विशेष सर्वेक्षण शिविरों द्वारा तैयर कर उसे भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में संधारित किया जाता है। उक्त प्रपत्र–5 के अवलोकन से विगत् भू–सर्वेक्षण में संधारित की गई जल निकायों, सरकारी भूमि इत्यादि विभिन्न प्रकार के प्रकृति की भूमि के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसी तरह विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत किस्तवार एवं खानापुरी प्रक्रिया के समय में प्रपत्र–6 में तैयार की गई खेसरा पंजी के अवलोकन से वर्त्तमान समय में बिहार विशेष सर्वेक्षण शिविरों द्वारा संधारित सरकारी एवं अन्य सभी प्रकार की भूमि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रपत्र–5 एवं 6 के अवलोकन के पश्चात् ही किसी भी खेसरा की विगत एवं वर्त्तमान स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर प्रपत्र–6 के संधारण पश्चात् आवश्यकतानुसार विशेष सर्वेक्षण शिविरों में आपत्ति दायर किया जाना आवश्यक है। साथ ही विशेष सर्वेक्षण अंतर्गत सुनवाई की प्रक्रिया में सरकार के प्रतिनिधि की सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

उक्त के आलोक में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण शिविरों द्वारा तैयार किए गए प्रपत्र–5 (खतियानी विवरणी) एवं प्रपत्र–6 (खेसरा पंजी) के अंचल अधिकारियों के स्तर से अवलोकन करने के लिए निदेशालय स्तर से प्रत्येक अंचल अधिकारी के लिए अलग–अलग User ID एवं Password निर्धारित किया गया है, जिसकी सहायता से DLRS Bihar के वेबसाईट www.dlrs.bihar.gov.in पर जाकर भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर अंतर्गत Password एवं User ID की सहायता से प्रपत्र–5 एवं प्रपत्र–6 का अवलोकन किया जाना आवश्यक है ताकि प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र के प्रकाशन पूर्व ही त्रुटियों का निवारण किया जा सके एवं त्रुटि निवारण नहीं होने की स्थिति में प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् पुनः आपत्ति दायर करने एवं सुनवाई की प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित हो।

D:\Sanjeev-2021\Birendra kumar, ASO\Director\file no 312 2018 09.11.2021 1.doc

स्पष्ट है कि अंचल स्तर पर सरकारी भूमि का संरक्षण करना अंचल अधिकारी का मुख्य दायित्व है। नए अधिकार अभिलेख के निर्माण की प्रक्रिया में यदि सरकारी भूमि का संरक्षण सुनिश्चित नहीं हो पाता है तो अंतिम अधिकार अभिलेख के निर्माण पश्चात् सरकार को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः आवश्यक है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की सम्पूर्ण प्रक्रिया में अंचल अधिकारियों द्वारा पूर्णरूपेण सर्तकता बरती जाए एवं अपने उत्तरदायित्वों का पालन करना सूनिश्चित किया जाए। इस संबंध में अपने स्तर से सभी अंचलाधिकारियों को सरकारी भूमि के संरक्षण के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश देने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 17–. तक0को0–312 / 2018 4166 **पटना, दिनांक** 12-11-2021

प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय), बेगूसराय / खगड़िया / लखीसराय / जहानाबाद / किशनगंज / अररिया / कटिहार / पूर्णियाँ / सीतामढ़ी / सुपौल / सहरसा / मधेपुरा / प0 चम्पारण / जमुई / मुंगेर / नालंदा / शिवहर / बांका / अरवल / शेखपुरा। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17– तक0को0–312 / 2018 4166 **पटना, दिनांक** 12-11-2021

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त, बेगूसराय / खगड़िया / लखीसराय / जहानाबाद / किशनगंज / अररिया / कटिहार / पूर्णियाँ / सीतामढ़ी / सुपौल / सहरसा / मधेपुरा / प0चम्पारण / जमुई / मुंगेर / नालंदा / शिवहर / बांका / अरवल / शेखपुरा। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–तक0 को0–312 / 2018 4166 **पटना, दिनांक** 12-11-2021

प्रतिलिपिः– जिलों के संबंधित नोडल पदाधिकारी–सह–सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–तक0 को0–312 / 2018 4166 **पटना, दिनांक** 12-11-2021

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक / प्रशाखा पदाधिकारी / एल0आई0एस0 सलाहकार / विशेष सर्वेक्षण शाखा कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–तक0 को0–312 / 2018 4166 **पटना, दिनांक** 12-11-2021

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–तक0 को0–312 / 2018 4166 **पटना, दिनांक** 12-11-2021

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2021\Birendra kumar. ASO\Director\file no. 312 2018 09.11.2021 1.doc

e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
स0सं0:– 17– तक0को0–312 / 2018.........4165............

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
पटना / भोजपुर / बक्सर / कैमूर / रोहतास /
औरंगाबाद / गया / नवादा / भागलपुर / मधुबनी /
दरभंगा / समस्तीपुर / मुजफ्फरपुर / वैशाली /
सारण / सिवान / गोपालगंज / पूर्वी चम्पारण।

पटना, दिनांक :–12-11-2021

विषय :– वर्तमान में 20 जिलों में संचालित विशेष सर्वेक्षण व बन्दोबस्त कार्य के क्रम में शेष 18 जिलो में जनवरी 22 से विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के आरंभिक चरण का कार्य प्रारंभ करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में राज्य के 20 जिलों बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, बांका, जमुई, नालंदा, शेखपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णियाँ, कटिहार, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम चम्पारण, जहानाबाद एवं अरवल में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य आरंभ किया गया है। इन जिलों में किए जा रहे कार्यों का निरंतर समीक्षा एवं प्रगति से स्पष्ट है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया अंतर्गत प्रारंभ किए जाने वाले क्षेत्रीय कार्य यथा किस्तवार, खानापुरी इत्यादि को प्रारंभ करने से पूर्व आवश्यक है कि उपलब्ध कार्यबल संसाधनों की सहायता से सर्वेक्षण पूर्व गतिविधियों को संपन्न कर लिया जाए ताकि विशेष सर्वेक्षण की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम किया जा सके एवं निर्धारित अवधि के अंदर विशेष सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर अंतिम अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का प्रकाशन ससमय किया जा सके।

उक्त के आलोक में आपके जिले में सर्वेक्षण पूर्व गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई किया जाना आवश्यक है:–

(i) जिला बन्दोबस्त कार्यालय की स्वतंत्र रूप से स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण।

(ii) जिला बन्दोबस्त कार्यालय में कर्मियों की पदस्थापना / प्रतिनियुक्ति।

(iii) जिले के राजस्व संबंधी आंकड़ों यथा अंचलवार मौजों की संख्या, नगर निकाय अंतर्गत आनेवाले ग्राम, असर्वेक्षित ग्रामों का नाम, संख्या एवं क्षेत्रफल इत्यादि का संकलन।

(iv) ग्रामों के अनुपलब्ध खतियान एवं मानचित्र की समीक्षा एवं उपलब्ध कराने का प्रयास।

(v) जिले में अधिसूचित विगत सर्वेक्षण कैडेस्ट्रल / रिविजनल अंतर्गत तैयार किए गए खतियान की खतियानी विवरणी (तेरीज) का प्रपत्र–5 में संधारण (प्रपत्र–संलग्न)।

(vi) विभागवार भूमि की विवरणी संधारित करने के लिए विभागवार नोडल पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति।

(vii) जिला बन्दोबस्त कार्यालय को प्राप्त होने वाले आवंटन व्यय एवं आवश्यकता की समीक्षा।

(viii) हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा जिले में आपूर्ति किए गए ग्रामवार मानचित्र का संधारण एवं समीक्षा।

(ix) अवैध जमाबंदी के रद्द करने के संबंध में चल रहे वादों का निष्पादन।

उक्त कार्यों के संपादन के लिए आवश्यक है कि जिला स्तर पर पदस्थापित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों / कर्मियों के साथ नियमित बैठक कर कार्य के प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए। जिन जिलों में

D:\Sanjeev-2021\Birendra kumar ASO\Director\file no 312 2018 08.11.2021 1.doc

सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/कर्मी पदस्थापित नहीं हैं, वहाँ अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि राज्य में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य की सफलता के लिए इससे सम्बन्धित कार्यों का ससमय निष्पादन करते हुए अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन से भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को अवगत कराया जाए।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझे।

अनुलग्नक : यथोक्त

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 17– तक0को0–312/2018....4165.... **पटना, दिनांक**..12-11-2021

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय), पटना/भोजपुर/बक्सर/कैमूर/रोहतास/औरंगाबाद/गया/नवादा/भागलपुर/मधुबनी/दरभंगा/समस्तीपुर/मुजफ्फरपुर/वैशाली/सारण/सिवान/गोपालगंज/पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–तक0 को0–312/2018....4165.... **पटना, दिनांक**..12-11-2021

प्रतिलिपिः– जिलों के संबंधित नोडल पदाधिकारी–सह–सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, श्री सुनील कुमार एवं श्री पंकज कुमार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–तक0 को0–312/2018....4165.... **पटना, दिनांक**..12-11-2021

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी/एल0आई0एस0 सलाहकार/विशेष सर्वेक्षण शाखा कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–तक0 को0–312/2018....4165.... **पटना, दिनांक**..12-11-2021

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–तक0 को0–312/2018....4165.... **पटना, दिनांक**..12-11-2021

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2021\Birendra kumar. ASO\Director\file no 312 2018 08.11.2021 1.doc

प्रपत्र–5

(देखे नियम–9 का उप नियम–(1)

खतियानी विवरणी

राजस्व ग्राम–........................ थाना नं0–........................ अंचल........................

जिला–........................

क्र0 सं0	रैयत का नाम पिता/पति का नाम एवं पूरा पता	खतियान या अधिकार–अभिलेख का क्रम संख्या	खेसरा संख्या	चौहदी (वैकल्पिक	रकवा				लगान सेस को छोड़कर	अभ्युक्ति
					कृषित	अकृषित	अन्य	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

अमीन का हस्ताक्षर | कानूनगो का हस्ताक्षर | सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर

e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
स0सं0:– 17–विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदा0)–101/2019........4329

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
बिहार।

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
बेगूसराय/लखीसराय/शेखपुरा/मुंगेर/नालंदा/सुपौल
प्रमण्डलीय आयुक्त,
पटना/मुंगेर/कोशी
समाहर्त्ता,
बेगूसराय/लखीसराय/शेखपुरा/मुंगेर/नालंदा/सुपौल

पटना, दिनांक :– 03-12-2021

विषय :– विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त संबंधी कार्यों के अनुश्रवण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार द्वारा दिनांक–05.11.2021 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षात्मक बैठक में दिए गए निदेश के अनुपालन में राज्य के 20 जिलों यथा बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पश्चिम चम्पारण, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर, नालंदा, शिवहर एवं बांका में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने तथा अंतिम अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र की शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों का अनुश्रवण जिलों के प्रभारी सचिव, प्रमण्डलीय आयुक्तों एवं जिलों के समाहर्त्ता के द्वारा किया जाना है।

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार अद्यतन 33 राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र प्रकाशित किया जा चुका है एवं 30 राजस्व ग्रामों का प्रारूप प्रकाशन एक पक्ष के अंदर में किया जाना संभावित है। इसके अतिरिक्त लगभग 40 अन्य राजस्व ग्रामों में खेसरा पंजी के संधारण एवं भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर पर अपलोड किए जाने के पश्चात् खानापुरी पर्चा एवं L.P.M (Land Parcel Map) के निर्माण एवं वितरण का कार्य प्रक्रियाधीन है। उक्त को देखते हुए आवश्यक है कि इन राजस्व ग्रामों के अंतिम अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र की शुद्धता की जाँच भलीभाँति कर ली जाए ताकि अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र के अंतिम प्रकाशन के बाद आने वाली समस्याओं को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके।

विशेष सर्वेक्षण कार्य की प्रगति को देखते हुए जिलों के प्रभारी सचिवों द्वारा जिलों के भ्रमण के दौरान विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर ली जाए। साथ ही संलग्न प्रगति प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रारूप प्रकाशित सभी राजस्व ग्रामों के प्रगति की समीक्षा समाहर्त्ता स्तर से 15 दिसम्बर, 2021 तक कर ली जाए एवं आयुक्त स्तर से प्रत्येक जिले के दो प्रारूप प्रकाशित ग्रामों की समीक्षा 25 दिसम्बर, 2021 तक करना सुनिश्चित कर लिया जाए। साथ ही प्रत्येक सप्ताह में कम–से–कम 05 राजस्व ग्रामों की समीक्षा समाहर्त्ता के स्तर से एवं 02 राजस्व ग्रामों की समीक्षा आयुक्त के स्तर से किया जाए। प्रगति प्रतिवेदन से अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना तथा निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को अवगत कराया जाए।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

अनुलग्नक– 1. प्रगति प्रतिवेदन।
2. समीक्षा के महत्त्वपूर्ण बिन्दु।
3. विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों के प्रक्रमवार प्रगति की समीक्षा हेतु प्रपत्र

विश्वासभाजन

ह०/-
मुख्य सचिव,
बिहार।

ज्ञापांक : 17–विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदा0)–101/2019...4329... **पटना, दिनांक** :03-12-2021

प्रतिलिपिः–प्रभारी सचिव, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, नालंदा, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
मुख्य सचिव,
बिहार।

ज्ञापांक : 17–विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदा0)–101/2019...4329... **पटना, दिनांक** :03-12-2021

प्रतिलिपिः–प्रमण्डलीय आयुक्त, पूर्णियाँ, भागलपुर, मगध एवं तिरहुत को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रमण्डल अंतर्गत चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यों का अनुश्रवण अपने स्तर से किया जाए।

ह०/-
मुख्य सचिव,
बिहार।

ज्ञापांक : 17–विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदा0)–101/2019...4329... **पटना, दिनांक** :03-12-2021

प्रतिलिपिः–समाहर्त्ता, खगड़िया, जहानाबाद, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सहरसा, मधेपुरा, प0चम्पारण, जमुई, शिवहर, बांका एवं अरवल को सूचनार्थ। अनुरोध है कि जिले में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य अनुश्रवण अपने स्तर से किया जाए।

ह०/-
मुख्य सचिव,
बिहार।

ज्ञापांक : 17–विशेष सर्वेक्षण (नोडल पदा0)–101/2019...4329... **पटना, दिनांक** :03-12-2021

प्रतिलिपिः–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/चकबंदी निदेशालय/भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

ह०/-
मुख्य सचिव,
बिहार।

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अंतर्गत प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र के प्रकाशित राजस्व ग्रामों का प्रगति प्रतिवेदन

क्र0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	थाना नं0	अंचल का नाम	जिला का नाम	प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र के प्रकाशन की स्थिति	परीक्षण करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	एमा मटोकर	151	शेखपुरा	शेखपुरा	प्रारूप प्रकाशित	श्री असंगबा चुबा आओ (2003), प्रभारी सचिव
2	छोटकी मिल्की	52	शेखपुरा	शेखपुरा	प्रारूप प्रकाशित	आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर
3	अहियापुर	82	बरबीघा	शेखपुरा	प्रारूप प्रकाशित	समाहर्त्ता, शेखपुरा
4	गोविंदपुर	72	बरबीघा	शेखपुरा	प्रारूप प्रकाशित	निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप
5	शिवपुर	84	बरबीघा	शेखपुरा	प्रारूप प्रकाशित	निदेशक, भू–अर्जन
6	सजुआ जागीरदारी	61	असरगंज	मुंगेर	प्रारूप प्रकाशित	श्री सुधीर कुमार (1988), प्रभारी सचिव
7	सजुआ एराजी	54	असरगंज	मुंगेर	प्रारूप प्रकाशित	आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर
8	कामरेन एराजी	62	असरगंज	मुंगेर	प्रारूप प्रकाशित	समाहर्त्ता, मुंगेर
9	सजुआ एराजी	55	असरगंज	मुंगेर	प्रारूप प्रकाशित	निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप
10	पासीचक	101	बरियारपुर	मुंगेर	प्रारूप प्रकाशित	श्री नवल किशोर, अपर सचिव
11	बबुईचक	100	बरियारपुर	मुंगेर	प्रारूप प्रकाशित	श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव
12	मौलनाचक	95	तारापुर	मुंगेर	प्रारूप प्रकाशित	श्री कंचन कपूर, संयुक्त सचिव
13	नागदाह एराजी	176	तारापुर	मुंगेर	प्रारूप प्रकाशित	श्री चंद्रशेखर प्रसाद विद्यार्थी, संयुक्त सचिव
14	सटखरीआ एराजी	92	तारापुर	मुंगेर	प्रारूप प्रकाशित	श्री मुकुल कुमार, सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2021\Birendra kumar, ASO\Report\LPM_distributed list

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अंतर्गत प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र के प्रकाशित राजस्व ग्रामों का प्रगति प्रतिवेदन

क्र0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	थाना नं0	अंचल का नाम	जिला का नाम	प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र के प्रकाशन की स्थिति	परीक्षण करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
15	मोहनपुर	184	तारापुर	मुंगेर	प्रारूप प्रकाशित	श्री मनोज कुमार झा, उप सचिव
16	खुर्द	283	संग्रामपुर	मुंगेर	प्रारूप प्रकाशित	श्री अनिल कुमार सिंह, अनुदेशक
17	फाजीलपुर	466	वीरपुर	बेगूसराय	प्रारूप प्रकाशित	श्री मिहिर कुमार सिंह (1993), प्रभारी सचिव
18	चक यासिन	225	बेगूसराय	बेगूसराय	प्रारूप प्रकाशित	समाहर्त्ता, बेगूसराय
19	विनोदपुर	229	बेगूसराय	बेगूसराय	प्रारूप प्रकाशित	श्री राकेश कुमार, सहायक निदेशक, भू–अर्जन
20	शमशुद्दीनपुर	522	बेगूसराय	बेगूसराय	प्रारूप प्रकाशित	श्रीमती सिम्मी प्रसाद, अनुदेशक
21	बरीसंवक	232	बेगूसराय	बेगूसराय	प्रारूप प्रकाशित	श्री नवल किशोर, अपर सचिव
22	बहादूरपुर	518	बेगूसराय	बेगूसराय	प्रारूप प्रकाशित	श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव
23	चक परना	236	बेगूसराय	बेगूसराय	प्रारूप प्रकाशित	श्री कंचन कपूर, संयुक्त सचिव
24	चक फरीद	367	बेगूसराय	बेगूसराय	प्रारूप प्रकाशित	श्री चंद्रशेखर प्रसाद विद्यार्थी, संयुक्त सचिव
25	हमिरचक मिल्की	366	बेगूसराय	बेगूसराय	प्रारूप प्रकाशित	श्री मुकुल कुमार, सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप
26	रामदिरी	421	मटिहानी	बेगूसराय	प्रारूप प्रकाशित	श्री मनोज कुमार झा, उप सचिव
27	रामदिरी	419	मटिहानी	बेगूसराय	प्रारूप प्रकाशित	श्री सुबोध कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी

D:\Sanjeev-2021\Birendra kumar, ASO\Report\LPM_distributed list

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अंतर्गत प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र के प्रकाशित राजस्व ग्रामों का प्रगति प्रतिवेदन

क्र0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	थाना नं0	अंचल का नाम	जिला का नाम	प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र के प्रकाशन की स्थिति	परीक्षण करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
28	मिल्क लोसगानी	68	सूर्यगढ़ा	लखीसराय	प्रारूप प्रकाशित	श्री असंगबा चुबा आओ (2003), प्रभारी सचिव
29	अफजूनपूर	102	सूर्यगढ़ा	लखीसराय	प्रारूप प्रकाशित	समाहर्त्ता, लखीसराय
30	पकरी	130	सूर्यगढ़ा	लखीसराय	प्रारूप प्रकाशित	निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप
31	मिल्की	137	सूर्यगढ़ा	लखीसराय	प्रारूप प्रकाशित	निदेशक, भू–अर्जन
32	बुधौली मिलिक	117	सूर्यगढ़ा	लखीसराय	प्रारूप प्रकाशित	श्री नवल किशोर, अपर सचिव
33	बुधौली अराजी	113	सूर्यगढ़ा	लखीसराय	प्रारूप प्रकाशित	श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव
34	गरैया	182	शेखपुरा	शेखपुरा	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री कंचन कपूर, संयुक्त सचिव
35	भाटचक	226	शेखपुरा	शेखपुरा	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री चंद्रशेखर प्रसाद विद्यार्थी, संयुक्त सचिव
36	विस्कुरवा	54	शेखपुरा	शेखपुरा	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री मुकुल कुमार, सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप
37	डुमरी	207	शेखपुरा	शेखपुरा	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री मनोज कुमार झा, उप सचिव
38	विस्कुरवा	107	शेखपुरा	शेखपुरा	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री सुबोध कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी
39	हरीनामचक	167	शेखपुरा	शेखपुरा	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्रीमती सिम्मी प्रसाद, अनुदेशक
40	नारायणपुर	252	शेखपुरा	शेखपुरा	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री अनिल कुमार सिंह, अनुदेशक
41	बेराज अराजी	42	असरगंज	मुंगेर	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री नवल किशोर, अपर सचिव

D:\Sanjeev-2021\Birendra kumar, ASO\Report\LPM_distributed list

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अंतर्गत प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र के प्रकाशित राजस्व ग्रामों का प्रगति प्रतिवेदन

क्र0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	थाना नं0	अंचल का नाम	जिला का नाम	प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र के प्रकाशन की स्थिति	परीक्षण करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
42	चाफा मिल्कि	59	असरगंज	मुंगेर	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव
43	कौंजी	36	असरगंज	मुंगेर	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री कंचन कपूर, संयुक्त सचिव
44	पुरूषोत्तमपुर	38	असरगंज	मुंगेर	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री चंद्रशेखर प्रसाद विद्यार्थी, संयुक्त सचिव
45	पनसाय ऐराजी	46	असरगंज	मुंगेर	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री मुकुल कुमार, सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप
46	उफरौल	135	असरगंज	मुंगेर	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री मनोज कुमार झा, उप सचिव
47	राजधन एराजी	99	बरियारपुर	मुंगेर	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री सुबोध कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी
48	खड़गसरही	104	बरियारपुर	मुंगेर	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्रीमती सिम्मी प्रसाद, अनुदेशक
49	चकहेली	331	संग्रामपुर	मुंगेर	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री अनिल कुमार सिंह, अनुदेशक
50	मोलनाचक माल्डो	91	तारापुर	मुंगेर	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री राकेश कुमार, सहायक निदेशक, भू–अर्जन
51	मोल डाबर	93	तारापुर	मुंगेर	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री नवल किशोर, अपर सचिव
52	चकनी	97	तारापुर	मुंगेर	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव
53	चकरघट्टा	105	तारापुर	मुंगेर	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री कंचन कपूर, संयुक्त सचिव
54	मीराचक	185	तारापुर	मुंगेर	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री चंद्रशेखर प्रसाद विद्यार्थी, संयुक्त सचिव
55	चकबेगान	231	बेगूसराय	बेगूसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री मुकुल कुमार, सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Sanjeev-2021\Birendra kumar, ASO\Report\LPM_distributed list

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अंतर्गत प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र के प्रकाशित राजस्व ग्रामों का प्रगति प्रतिवेदन

क्र० सं०	राजस्व ग्राम का नाम	थाना नं०	अंचल का नाम	जिला का नाम	प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र के प्रकाशन की स्थिति	परीक्षण करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
56	चकफरीद	368	बेगूसराय	बेगूसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री मनोज कुमार झा, उप सचिव
57	रचियाही	415	बेगूसराय	बेगूसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री सुबोध कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी
58	राजा डुमरी	449	बेगूसराय	बेगूसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्रीमती सिम्मी प्रसाद, अनुदेशक
59	चक रहमान	233	बेगूसराय	बेगूसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री अनिल कुमार सिंह, अनुदेशक
60	हमीरचक मिल्की	366	बेगूसराय	बेगूसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री राकेश कुमार, सहायक निदेशक, भू–अर्जन
61	नारीचक	227	बेगूसराय	बेगूसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	समाहर्त्ता, बेगूसराय
62	निमा मदनपुर	239	वीरपुर	बेगूसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री नवल किशोर, अपर सचिव
63	राजापुर	420	वीरपुर	बेगूसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव
64	राजापुर	450	वीरपुर	बेगूसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री कंचन कपूर, संयुक्त सचिव
65	राजापुर	451	वीरपुर	बेगूसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री चंद्रशेखर प्रसाद विद्यार्थी, संयुक्त सचिव
66	राजापुर	452	वीरपुर	बेगूसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री मुकुल कुमार, सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप
67	एराजी रसयाहीपुर पकड़ी	437	वीरपुर	बेगूसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री मनोज कुमार झा, उप सचिव
68	एराजी पानापुर		वीरपुर	बेगूसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री सुबोध कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी
69	रामदिरी	420	मटिहानी	बेगूसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्रीमती सिम्मी प्रसाद, अनुदेशक

D:\Sanjeev-2021\Birendra kumar, ASO\Report\LPM_distributed list

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अंतर्गत प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र के प्रकाशित राजस्व ग्रामों का प्रगति प्रतिवेदन

क्र0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	थाना नं0	अंचल का नाम	जिला का नाम	प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र के प्रकाशन की स्थिति	परीक्षण करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
70	रामदिरी	422	मटिहानी	बेगूसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री अनिल कुमार सिंह, अनुदेशक
71	गरह	126	गढ़पुरा	बेगूसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री राकेश कुमार, सहायक निदेशक, भू–अर्जन
72	जगदीश नरत्तोम	125	गढ़पुरा	बेगूसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	समाहर्त्ता, बेगूसराय
73	बुधौली अराजी	119	सूर्यगढ़ा	लखीसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	समाहर्त्ता, लखीसराय
74	हकदार खान	126	सूर्यगढ़ा	लखीसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री नवल किशोर, अपर सचिव
75	कालेजपुर	104	सूर्यगढ़ा	लखीसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव
76	आदूपुर	154	सूर्यगढ़ा	लखीसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री कंचन कपूर, संयुक्त सचिव
77	संग्रामपुर	105	सूर्यगढ़ा	लखीसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री चंद्रशेखर प्रसाद विद्यार्थी, संयुक्त सचिव
78	अमरपुर	106	सूर्यगढ़ा	लखीसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री मुकुल कुमार, सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप
79	बेलौंजा	114	सूर्यगढ़ा	लखीसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री मनोज कुमार झा, उप सचिव
80	चकथानी	108	सूर्यगढ़ा	लखीसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री सुबोध कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी
81	सिरैया मिरडाह	(8)	सूर्यगढ़ा	लखीसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्रीमती सिम्मी प्रसाद, अनुदेशक
82	मसकन	139	सूर्यगढ़ा	लखीसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री अनिल कुमार सिंह, अनुदेशक
83	गौसाबाद	131	सूर्यगढ़ा	लखीसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री राकेश कुमार, सहायक निदेशक, भू–अर्जन

D:\Sanjeev-2021\Birendra kumar, ASO\Report\LPM_distributed list

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अंतर्गत प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र के प्रकाशित राजस्व ग्रामों का प्रगति प्रतिवेदन

क्र0 सं0	राजस्व ग्राम का नाम	थाना नं0	अंचल का नाम	जिला का नाम	प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र के प्रकाशन की स्थिति	परीक्षण करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
84	चकजलील	128	सूर्यगढ़ा	लखीसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	निदेशक, भू–अर्जन
85	मिल्क सूपन	133	सूर्यगढ़ा	लखीसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री नवल किशोर, अपर सचिव
86	कवैया	123	सूर्यगढ़ा	लखीसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव
87	अम्बा	124	सूर्यगढ़ा	लखीसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री कंचन कपूर, संयुक्त सचिव
88	जागीर गुलाम रसूल खान	135	सूर्यगढ़ा	लखीसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री चंद्रशेखर प्रसाद विद्यार्थी, संयुक्त सचिव
89	पुरूषोतमपुर	82	सूर्यगढ़ा	लखीसराय	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री मुकुल कुमार, सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप
90	मुंडीचक	231	हरनौत	नालंदा	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री अनुपम कुमार (2003), प्रभारी सचिव
91	पंचाने	252	चंडी	नालंदा	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना
92	महिचंदा	223	पिपरा	सुपौल	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री लोकेश कुमार सिंह (2003), प्रभारी सचिव
93	कटैया मिलिक	231	पिपरा	सुपौल	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा
94	लक्ष्मणदास चकला	252	पिपरा	सुपौल	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	समाहर्त्ता, सुपौल
95	साहेब चकला	256	पिपरा	सुपौल	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री नवल किशोर, अपर सचिव
96	भैयाराम चकला	258	पिपरा	सुपौल	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव
97	दुलारी	260	पिपरा	सुपौल	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री कंचन कपूर, संयुक्त सचिव
98	सिंहरौल	253	पिपरा	सुपौल	एक पक्ष में प्रारूप प्रकाशन	श्री मनोज कुमार झा, उप सचिव

D:\Sanjeev-2021\Birendra kumar, ASO\Report\LPM_distributed list

समीक्षा के महत्त्वपूर्ण बिन्दु

1. विशेष सर्वेक्षण शिविरों के कार्यालय एवं उनमें संधारित अभिलेख पंजी तथा सुरक्षा संबंधी स्थिति।
2. विशेष सर्वेक्षण कार्य में जनसहभगिता की समीक्षा– ग्रामसभा, प्राप्त प्रपत्र–2 एवं वंशावली, सुनवाई में रैयतों की सहभागिता।
3. सरकारी भूमि एवं बन्दोबस्त भूमि की सूची।
4. विगत् सर्वे एवं वर्त्तमान विशेष सर्वे में तैयार मानचित्र में राजस्व ग्राम के कुल रकबा की तुलनात्मक स्थिति (तकनीकी मार्गदर्शिका) के अनुसार 05 प्रतिशत तक का अंतर मान्य।
5. खेसरा पंजी (प्रपत्र–6) के कॉलम–10 में किये जाने वाले भौतिक विवरणी, कॉलम–11 में वर्गीकरण इत्यादि के प्रविष्टि की समीक्षा।
6. मानचित्र का प्लॉटवार, रकबा व खेसरा पंजी (प्रपत्र–6) के प्लॉटवार रकबा में अंतर की स्थिति।
7. खेसरा पंजी (प्रपत्र–6) में याददाश्त पंजी के आलोक में खेसरा पंजी (प्रपत्र–6) में संधारित प्रविष्टि।
8. खेसरा पंजी में सरकारी भूमि के प्रविष्टि की समीक्षा।
9. वितरित किए गए खानापुरी पर्चा एवं L.P.M के विरूद्ध की गई सुनवाई में रैयतों की सहभागिता एवं पारित आदेश की नमूना जाँच।
10. खानापुरी पर्चा एवं L.P.M वितरण की समीक्षा।
11. कानूनगो एवं विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा किस्तवार प्रक्रम में किए गए खेसरों के जाँच की समीक्षा।
12. सरकारी भूमि की गई सुनवाई एवं अंचल स्तरीय सहयोग।
13. प्रारूप प्रकाशन पश्चात् प्राप्त आपत्ति एवं उनकी सुनवाई।
14. भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में प्रक्रमवार किए गए कार्यों का संधारण।

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों के प्रक्रमवार प्रगति की समीक्षा हेतु प्रपत्र

जिला का नाम – अंचल का नाम – शिविर प्रभारी का नाम –

अंचल में कुल शिविरों की संख्या – निरीक्षण किये गये शिविर का शिविर नाम एवं संख्या –

निरीक्षण की तिथि–

शिविर में कुल मौजों की सं0	कुल मौजे जिसमें उदघोषणा कर दी गई है।	कुल मौजों की संख्या जिनका प्रपत्र–5 तैयार कर लिया गया है।	कुल मौजे जिसमें सीमांकन की कार्रवाई की गई	किश्तवार की कार्रवाई			किश्तवार के दौरान किये गए भौतिक सत्यापन			खानापुरी की कार्रवाई			प्रपत्र–6 (खेसरा पंजी) तैयार किया जाना	
				कुल मौजे जिसमें किश्तवार की कार्रवाई प्रारंभ की गई	कुल मौजे जिसमें किश्तवार की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई	अवशेष मौजे जिसमें किश्तवार की कार्रवाई लंबित है	प्रावधानुसार कुल खेतों की सं0 जिनका भौतिक सत्यापन किया जाना है।	भौतिक सत्यापन किये गए खेतो की कुल सं0	भौतिक सत्यापन हेतु लंबित खेतो की कुल सं0	कुल मौजे जिसमें खानापुरी की कार्रवाई प्रारंभ की गई	कुल मौजे जिसमें खानापुरी की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई	अवशेष मौजे जिसमें खानापुरी की कार्रवाई लंबित है	कुल मौजों की संख्या जिनका खेसरा पंजी तैयार कर लिया गया है।	कुल मौजों की संख्या जिनका खेसरा पंजी तैयार किया जा रहा है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1 शिविर में कुल कानूनगों की संख्या –

2 शिविर में कार्यरत कुल अमीनों की संख्या –

3 शिविर में कुल लिपिकों की संख्या –

कुल मौजो की सं0 जिनका प्रपत्र 7 तैयार कर वितरित कर दिया गया	प्रपत्र – 7 पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण (कानूनगो द्वारा)			कुल मौजों की सं0 जिनके कुल प्राप्त आपत्ति आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया	कुल मौजों की सं0 जिनके आपत्ति निराकरण पश्चात संपूर्ण अभिलेख जॉच हेतु प्राधिकृत जॉच पदा0 को भेजा गया (विश्रान्ति प्रथम चरण)	प्राधिकृत पदाधिकारी के स्तर पर जॉच की कार्रवाई (विश्रान्ति प्रथम चरण)			त्रुटि निराकरण हेतु वापस किये गये अभिलेखों की संख्या	कुल मौजों की संख्या जिनका प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है	प्रारूप प्रकाशन के प्रश्चात आपत्ति आवेदनों पर कार्रवाई		
	कुल प्राप्त आपत्तियों की सं0	निष्पादित आवेदनों की सं0	लंबित आवेदनों की सं0			कुल अभिलेखों की संख्या जिसपर संशोधन की कार्रवाई की जानी थी	कुल संशोधित अभिलेखों की संख्या	कुल लंबित अभिलेखों की संख्या			कुल प्राप्त आपत्तियों की संख्या	कुल निष्पादित आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

कुल मौजों की सं0 जिनके कुल प्राप्त आपत्ति आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया	कुल मौजों की सं0 जिनके आपत्ति निराकरण पश्चात संपूर्ण अभिलेख जॉंच हेतु प्राधिकृत जॉंच पदा0 को भेजा गया (विश्रान्ति द्वितीय चरण)	प्राधिकृत पदाधिकारी के स्तर पर जॉंच की कार्रवाई (विश्रान्ति द्वितीय चरण)			प्राधिकृत पदा0 के जॉंचोपरांत संशोधन हेतु भेजे गये कुल अभिलेखों पर कार्रवाई			संशोधन हेतु जॉंच पदा0 द्वारा वापस किये गए अभिलेखों पर कार्रवाई			अंतिम प्रकाशन हेतु भेजे गये मौजों की संख्या	अंतिम प्रकाशन किये गये मौजों की सं0
		कुल अभिलेखों की संख्या जिसपर संशोधन की कार्रवाई की जानी थी	कुल संशोधित अभिलेखों की संख्या	कुल लंबित अभिलेखों की संख्या	कुल अभिलेखों की सं0 जिसपर संशोधन की कार्रवाई की जानी थी	कुल संशोधित किये गए अभिलेखों की सं0	लंबित अभिलेखों की सं0	कुल अभिलेखों की सं0 जिनमें संशोधन की कार्रवाई की जानी है	कुल अभिलेखों की संख्या जिसमें संशोधन की कार्रवाई कर दी गई	लंबित अभिलेखों की सं0		
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

शिविर प्रभारी का नाम एवं एवं हस्ताक्षर–

निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर
पदनाम–
निरीक्षण की तिथि–

e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
स0सं0:–17–तक0को0–106/2011-Part-II......1372.........

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/
किशनगंज/अररिया/कटिहार/पूर्णियाँ/सीतामढ़ी/
सुपौल/सहरसा/मधेपुरा/प0 चम्पारण/जमुई/
मुंगेर/नालंदा/शिवहर/बांका/अरवल/शेखपुरा।

पटना, दिनांक :–07-12-2021

विषय :– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या Civil Appeal No.- 4850/2021 में दिए गए निर्णय के आलोक में विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत निर्मित होने वाले अधिकार अभिलेख में मंदिर, मठ आदि की भूमि के स्वामित्व निर्धारण के संबंध में।

प्रसंग भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का पत्रांक–1551 दिनांक–02.06.2021

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या Civil Appeal No.- 4850/2021 में दिए गए निर्णय को संलग्न कर स्पष्ट करना है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम/नियमावली अंतर्गत निर्मित होने वाले अधिकार अभिलेख में मंदिर, मठ, कबीर पंथ आदि की भूमि के संबंध में देवी, देवता, कबीर पंथ आदि का नाम दर्ज होगा। किसी भी परिस्थिति में सेवायत या पुजारी का नाम दर्ज नहीं किया जाएगा। सिर्फ अभ्युक्ति कॉलम में सेवायत या पुजारी का नाम दर्ज किया जा सकता है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के Civil Appeal No.- 4850 वर्ष– 2021 के कंडिका– 27 का भी अवलोकन किया जा सकता है। उक्त निर्णय में निम्न उल्लेखित है:–**"The name of the pujari cannot be mandated to be recorded either in the column of Ownership or occupancy but may be recorded in the remarks column".**

अतः विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया अंतर्गत तैयार किए जाने वाले अधिकार अभिलेख में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप कार्रवाई करने का निदेश शिविरों/कर्मियों को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझे।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(जय सिंह) 7/12/21
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

D:\Sanjeev-2021\Birendra kumar ASO\Director\file no. 106 2011 06 12 2021.doc

ज्ञापांक : 17–तक0को0–106 / 2011-Part-II.......4372....... **पटना, दिनांक** 07-12-2021

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय), बेगूसराय / खगड़िया / लखीसराय / जहानाबाद / किशनगंज / अररिया / कटिहार / पूर्णियाँ / सीतामढ़ी / सुपौल / सहरसा / मधेपुरा / प0चम्पारण / जमुई / मुंगेर / नालंदा / शिवहर / बांका / अरवल / शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–तक0को0–106 / 2011-Part-II.......4372....... **पटना, दिनांक** 07-12-2021

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक / प्रशाखा पदाधिकारी / एल0आई0एस0 सलाहकार / प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा / प्रभारी, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–तक0को0–106 / 2011-Part-II.......4372....... **पटना, दिनांक** 07-12-2021

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–तक0को0–106 / 2011-Part-II.......4372....... **पटना, दिनांक** 07-12-2021

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Saminev-2021\Birendra kumar ASO\Director\file no 106 2011 06 12 2021.doc

REPORTABLE

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO. 4850 OF 2021
(ARISING OUT OF SLP (CIVIL) NO. 33675 OF 2017)

The STATE OF MADHYA PRADESH & ORS. .....APPELLANT(S)

VERSUS

PUJARI UTTHAN AVAM KALYAN SAMITI & ANR. .....RESPONDENT(S)

J U D G M E N T

HEMANT GUPTA, J.

1. The order dated 14.06.2016 passed in an intra-court appeal by the Division Bench of the Madhya Pradesh High Court is the subject matter of challenge herein at the instance of State of Madhya Pradesh. The learned Single Bench allowed the writ petition filed by Association of Priests registered under the M.P. Society Registrikaran Adhiniyam 1973. Such society has 251 members in the Districts of Dhar, Indore, Ratlam, Shajapur, Ujjain, Jhabua etc.

Validity unknown

2. The challenge in the writ petition was to quash the circulars dated 21.03.1994 and 07.06.2008 whereby the names of Pujari were ordered

to be deleted from the revenue record. The said writ petition was allowed on 20.11.2013 relying upon the judgments of the High Court in **Ghanshyamdas** v. **State of M.P**[1] and **Kashi Bhatti through LRs** v. **State of M.P**[2]. The learned Single Bench held that the circulars dated 12.11.1992 and 21.03.1994 were already quashed by the High Court in the year 1995 and 1999 respectively and therefore there was no justification on the part of the State Government to issue circular dated 07.06.2008 directing the Revenue Commissioner to follow the circular dated 21.03.1994. Learned Single Bench held as under:

> "The name of Collector is being mentioned as manager. It is true that by mentioning the name of Collector as manager, properties owned by the Temple were saved but at the same time the properties could not be managed properly as it is not expected from the Collector to manage the properties of the Temple. To protect the interest of Pujari's who are entitled to get the benefits of the scheme which are being introduced by the Government for the benefit of the agriculturist. To protect the interest of making the law in that regard by suitable legislation as the problem is lying in the Court in number of cases for last 30 years. In result the impugned order dated 07/06/08 (Annexure P/21) is quashed."

3. In an intra-court appeal against the aforesaid findings, the High Court referred to a judgment of Division Bench in **State of M.P. v. Ghanshyamdas**[3]**,** an order passed against the order in writ petition reported as **Ghanshyamdas I**. The Court *inter alia* held that Pujaris had no right to alienate the properties of the temple.

1 1995 Revenue Nirnaya (RN) 235 (Hereinafter referred to as the 'Ghanshyamdas I)
2 2009 R.N. 179
3 1999 R.N. 25 (Hereinafter referred to as the 'Ghanshyamdas II)

They have rights only with respect to either cultivate the land or get it cultivated through servants. The High Court further held that if the temple was managed by the Pujari, then keeping in view the law laid down from time to time, his name was required to be mentioned as Pujari along with the name of the deity. The Court held as under:

> "The learned Writ Court relying on the decision of the cases of State of M.P. & others v. Ghanshyamdas & Others v. (supra), Kanchaniya v. Sheoram (supra) and Pancham Singh v. Ramkishandas (supra) has held that right of *Pujaris* continued from their forefather, cannot be taken away by executive instructions. There was no justification on the part of the State Government to advice to Revenue Commissioner to follow circular dated 21.03.1994, when the same was quashed. It is not in dispute that as per Clause 5 of the Land Records Manual in Column No.3 of Khasra Entries deals with the name of occupier; Column No.4 deals with name of bhoomiswami or lessees or his representatives while Column No.12 deals with the remarks. Undisputedly, the land, which is owned by the temple or deity or the land owned by temple or by the trust, name of the deity/temple or trust, as the case may be, is required to be mentioned in Column No.3. <u>If the temple is managed by the *Pujari*, then keeping in view the law laid down by this Court from time to time, his name is required to be mentioned as *Pujari* along with the name of the deity</u>."
>
> <u>(Emphasis supplied)</u>

4. Before this Court, the argument of Mr. Saurabh Mishra, learned counsel appearing for the appellant, is that the preparation of revenue records including as to what entry should be incorporated in such record has been prescribed in the M.P. Land Revenue Code, 1959 (for short "the

Code"). The State Government, in exercise of the powers conferred under the Code, had issued executive instructions to delete the names of Pujari from the revenue record so as to protect the temple properties from unauthorized sale by the Pujaris. Learned counsel for the appellant referred to the first circular issued by the State on 04.08.1969 in response to the complaints received that Maufi land (land exempted from payment of revenue) was being recorded in individual names and was being illegally transferred. It was directed that Maufi was granted to a deity who was the owner of the temple and the land appended was to be that of the deity alone. Thereafter, another circular dated 12.04.1974 was issued highlighting the issue that the land which belonged to the temple and not covered under the Khasgi Trust was being misused by the Pujaris by way of sale or mortgage. The Khasgi Trust was formed for the purpose of the properties of Holkar family. Therefore, to save land which belongs to the temple and not covered under the Khasgi Trust, in addition to the name of Pujari, name of the Collector was to be recorded as manager in the revenue record. The reference was made to Sections 108, 114 and 258 of the Code to support his arguments.

5. Mr. Lahoti, counsel of the respondents, submitted that the Pujaris have been conferred Bhumiswami (ownership) rights, a right which cannot be taken away by executive instructions. It was argued that in terms of proviso to Section 57, the rights granted to the Pujaris have been

protected and would remain unaffected by the Code. In terms of Section 158, every person, in respect of land held in the Madhya Bharat region as a Pakka tenant or as a Muafidar, Inamdar or Concessional holder, as defined in the Madhya Bharat Land Revenue and Tenancy Act, Samvat 2007 (Act No. 66 of 1950), confers Bhumiswami rights on the pujari, which has further been protected by a conjoint reading of Section 57 and Section 158 of the Code. The Madhya Bharat Land Revenue and Tenancy Act, Samvat 2007 (Act No. 66 of 1950) was enacted after the merger of Gwalior and Holkar State in the year 1950, prior to reorganization of State of Madhya Pradesh in the year 1956. Mr. Lahoti also refers to 'Gwalior Act' to argue that such Act conferred proprietary rights to the priest which were initially protected by the Madhya Bharat Land Revenue and Tenancy Act, Samvat 2007 (Act No. 66 of 1950) and later by virtue of Section 158 of the Code. The reliance was placed upon the judgment of the Division Bench of the High Court in **Shri Krishna** v. **State of M.P.**[4]. Mr. Lahoti relied upon Sections 57, 158 & 159 of the Code.

6. The provisions of the Code as are relevant for the present order read as under:

> "**2. Definitions**-
>
> (1) In this Code, unless there is anything repugnant to the subject or context,
>
> xxx xxx xxx

4 2012 (4) MPLJ 466

(z-3) "unoccupied land" means the land in a village other than the abadi or service land, or the land held by a Bhumiswami, a tenant or a government lessee.

57. State ownership in all lands-

(1) All lands belong to the State Government and it is hereby declared that all such lands, including Standing and flowing water, mines, quarries, minerals and forests reserved or not, and all rights in the sub-soil of any land are the property of the State Government:

Provided that nothing in this section shall, save as otherwise provided in this Code, be deemed to affect any rights of any person subsisting at the coming into force of this Code in any such property.

91A. Power to make rule-

The State Government may make rules for regulating generally the conduct of a revenue survey or Settlement under this Chapter.

108. Record of rights.- [(1)] A record-of-rights shall in accordance with rules made in this behalf be prepared and maintained for every village and such record shall include the following particulars:-

(a) the names of all Bhumiswamis together with survey numbers or plot numbers held by them and their area, irrigated or unirrigated;

(b) the names of all occupancy tenants and Government lessees together with survey numbers or plot numbers held by them and their area irrigated or unirrigated;

(c) the nature and extent of the respective interests of such persons and the conditions or liabilities, if any, attaching thereto;

(d) the rent or land revenue, if any, payable by such persons; and

(e) such other particulars as may be prescribed.

[(2) The record-of-rights mentioned in sub-section (1) shall be prepared during a [revenue survey] or whenever the State Government may, by notification, so direct.]

114. Land records.- In addition to the map and Bhoo Adhikar Pustikas, there shall be prepared for each village a khasra or field book and such other land records as may be prescribed.

116. Disputes regarding entry in khasra or in any other land records -

(1) If any person is aggrieved by an entry made in the land records prepared under section 114 in respect of matters other than those referred to in section 108, he shall apply to the Tahsildar for its corrections within one year of the date of such entry.

(2) The Tahsildar shall, after making such enquiry as he may deem fit, pass necessary orders in the matter.

121. Power to make rules for land records -
The State Government may make rules for regulating the preparation, maintenance and revision of land records required for the purposes of this Code.

158. Bhumiswami- [(1)] Every person who at the time of coming into force of this Code, belongs to any of the following classes shall be called a Bhumiswami and shall have all the rights and be subject to all the liabilities conferred or imposed upon a Bhumiswami by or under this Code namely-

(a) every person in respect of land held by him in the Mahakoshal region in Bhumiswami or Bhumidhari rights in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1954 (II of 1955);

(b) every person in respect of land held by him in the Madhya Bharat region as a Pakka tenant or as a Muafidar, Inamdar or Concessional holder, as defined in the Madhya Bharat Land Revenue and Tenancy Act, Samwat 2007 (66 of 1950);

(c) every person in respect of land held by him in the Bhopal region as an occupant s defined in the Bhopal State Land Revenue Act, 1932 (IV of 1932);

160. Revocation of exemption from liability for land revenue-

(1) Every Muafi of Inam land, wherever situate, which was heretofore exempted from payment of the whole or part of the land revenue by a special grant from the Government or under the provisions of any law for the time being in force or in pursuance of any other instrument shall, notwithstanding anything contained in any such grant, law or instrument be liable from the commencement of the revenue year next following the coming into force of this Code, to the payment of full land revenue assessable thereon.

(2) Where any such Muafi or Inam land is held for the maintenance or upkeep of any public religious or charitable institution, the State Government may, on the application of such institution, in the prescribed form [and made within such time as may be prescribed] grant to it such annuity not exceeding the amount of the exemption from land revenue enjoyed by it, as may be considered reasonable for the proper maintenance or upkeep of such institution or for the continuance of service rendered by it.

258. General rule making power.-

(1) The State Government may make rules generally for the purpose of carrying into effect the provisions of this Code.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers such rules may provide for-

xxx xxx xxx

(xii) the regulation of the conduct of revenue survey or settlement under section 91-A;

(xxii) the prescription of the form of, and the additional particulars to be entered in the papers to be included in the record of rights under section 108;

(xxv) (a) prescription of other land records under section 114(1),

(b) prescription of fee on the payment of which Rasid Bahi shall be provided under section 114 (2) and the prescription of entries which it shall contain;

(xxvii) preparation and maintenance and revision of land records under section 121"

7. We have heard the learned counsel for the parties and find that there

is lack of clarity in the High Court in regard to the legal jurisprudence. Different judgments have been referred to in respect of rights of the priests as to whether they can be treated as Bhumiswami or if they only hold the temple land for the purpose of management of the property of the temple, which actually vests with the deity.

8. One of the earliest judgments on the right of a priest was rendered by the Division Bench of Madhya Pradesh High Court reported as **Pancham Singh** v. **Ramkishandas Guru Ramdas & Ors.**[5]. Section 13 of the Qawaid Muafidaran Jujve Araji, Samwat 1991[6] was examined as to the remedy of ejectment of a pujari who claimed status of Mourushi Kashtakar as under Section 248 (1) of the Code or by way of a civil suit. It was held that a Pujari is not a Kashtkar Mourushi, i.e., tenant in cultivation or a government lessee or an ordinary tenant of the Maufi lands but holds such land on behalf of the Aukaf Department for the purpose of management. The High Court held as under:

> "7. ...... The Maufi lands all the while belonged to the Government. The former Pujari was, therefore, not a Kashtakar Mourusi or a Government lessee or an ordinary tenant of the maufi lands, but was merely holding them on behalf of the Aukaf Department for purposes of management.
>
> xx xx xx
>
> 12. On a plain reading, the definition excludes a Pujari. The former Pujari was, therefore, not a Kashtakar Mourushi of the maufi land, but was merely holding them on behalf of Aukaf Department for purposes of management. Under the 2nd Proviso to Section 365 of the Qanoon Mai, Gwalior, he had no right of

5 AIR 1972 MP 14

6 Hereinafter referred to as the 'Gwalior Act'

transfer.

xx xx xx

16. We are, therefore, of the view that the former Pujari had no other status than that of a manager of the lands on behalf of the Aukaf Department. While it is accepted before us that the former Pujari had no right of transfer by mortgage or sale, it is urged that there was no restriction on sub-letting. It is also urged that the terms "Mourushi Kashtakar" and "Dakhilkar Kashtakar Bila Lagani" were synonymous and that, as every Mourushi Kashtakar had the right to sub-let, it necessarily follows that a Dakhilkar Kashtakar Bila Lagani had also a similar right. We are unable to agree with this line of reasoning. It would be repugnant to the nature of the grant itself to clothe such a person with a right of transfer of any kind. The whole purpose of the grant, which was for the upkeep of the temple, would be frustrated if the maufi lands were allowed to be sublet by the Pujari and new rights created in favour of a stranger.

17. Where a grant of land is made in consideration for service to be rendered by a grantee, in lieu of wages, it is an implied condition of the grant that if the services are not performed or are not required, the grant can be resumed. The Parwana expressely stated that the grant in favour of the former Pujari was resumable for breach of any of the conditions set out therein, or upon his death or removal. The death of the former Pujari was, in the instant case, the terminal point. That being so, the grant lapsed with his death. As the grant created no interest in favour of the former Pujari, whatever rights the petitioners father, Thakur Murlidnarsingh had, also lapsed and he became a rank trespasser."

(Emphasis Supplied)

9. This Court in a judgment reported as **Mst Kanchaniya and Others** v. **Shiv Ram and Others**[7] considered the Gwalior Act as well as the Code. The decision of the High Court in **Pancham Singh** was approved, and it was held as under:

"15. Shri Shiv Dayal has submitted that the learned Judges of

7 AIR 1992 SC 1239

the Division Bench of the High Court were in error in holding that a Pujari was not a Kashtakar Mourushi of the maufi land and that the said finding is contrary to the language of Section 13 of Kawaid Maufidaran wherein it is clearly stated that the Pujari would have the rights of a Kashtakar Mourushi. According to Shri Shiv Dayal the only limitation on the rights of the Pujari as a Kashtakar Mourushi was that contained in Section 265 of the Qanoon Mal whereby he was precluded from selling or mortgaging the maufi lands but there was no provision restricting his right to create a lease for cultivation of the lands. We are unable to agree. Although under Section 13 of Kawaid Maufidaran, the right of a Kashtakar Mourushi have been conferred on the Pujari and under 265 of the Qanoon Mal, the restriction on his right was with regard to sale and mortgage only but it cannot be ignored that under Section 13 of Kawaid Maufidaran the right of a Kashtakar Mourushi which have been conferred on the Pujari is subject to the overriding condition that in case he does not perform his duties properly, he can be removed and another Pujari can be appointed and a patta could be issued in his favour. This is also borne out by definition of the expression 'Kashtakar Mourushi' in Section 2(29) of the Qanoon Mal which imposes the condition that the Aukaf Department would be entitled to dispossess, without an order of the court, the Pujari who obtains the right of Kashtakar Mourushi on the basis of Kawaid Maufidaran and who does not render his services properly. The matter is further made clear by the prescribed form of the Parwana which is issued to the Pujari wherein it is also clearly mentioned that Pujari does not have any right in the land and his status is that of a manager and that he could get the land cultivated either himself or through others so that the income derived therefrom could be applied towards worship and upkeep of the temple and that the grant would be resumed for breach of any of the conditions or upon the death of the former Pujari. In other words, the rights of the Pujari do not stand on the same footing as those of a Kashtakar Mourushi in the ordinary sense who was entitled to all rights including the right to sell or mortgage. We are, therefore, in agreement with the view of the Division Bench of the Madhya Pradesh High Court in *Panchamsingh* case that a Pujari had no other status than that of the manager functioning under the control of the Aukaf Department and he had no right to transfer, either by way of sale or mortgage or by lease, the land entrusted to him. In that view of the matter, it must be held that the patta granted in favour of Malkhan by Vasudev Rao, father of respondent 1, was

> not valid and did not confers any right or interest on Malkhan in the land covered by the said patta." (Emphasis Supplied)

10. This Court further held that temple land does not fall in any of the excepted categories in Section 2(z-3), therefore, it was unoccupied land and set apart for a public purpose, i.e., for the upkeep of the temple. It was thus held that Patta granted in favour of Malkhan to cultivate the land in dispute came to an end on the death of Malkhan and the possession of the appellant over the land in dispute as legal heirs of Malkhan cannot be said to be authorised by respondent No.1.

> "19. The land in dispute does not fall in any of the excepted categories mentioned in Section 2(z-3). It must, therefore, be held to be unoccupied land. Since it was set apart for a public purpose, viz., for the upkeep of temple, it can be said to be land set apart for a special purpose under clause (j) of sub-section (1) of Section 237 of the Code. What has to be seen is whether the possession of Malkhan of the same was unauthorised. It has been urged on behalf of the appellants that the possession of Malkhan could not be said to be unauthorised on the date of the filing of the application by Respondent 1 in view of the fact that Vasudev Rao, father of Respondent 1, had granted a patta permitting Malkhan to cultivate the land during his (Malkhan's) lifetime and after the death of Vasudev Rao, Respondent 1 had also granted a patta permitting Malkhan to continue in cultivation of the land in dispute and had been receiving Rs 100 annually as rent from Malkhan. ....In view of the death of Malkhan during the pendency of the writ petition in the High Court, the question whether Respondent 1 has granted a patta permitting Malkhan to cultivate the land in dispute during his lifetime, does not survive because even if it is held that the patta granted in favour of Malkhan by Respondent 1 permitted Malkhan to cultivate the land in dispute during his lifetime, the said authority under which Malkhan was in possession of the disputed land came to an end on the death of Malkhan and the possession of the appellants over the land in dispute after the death of Malkhan cannot be said to be authorised by Respondent 1."

11. A circular was issued on 28.5.1979 regarding the Devesthani land in respect to control and management of the land attached to the temples, in accordance with the manner mentioned in the circular. In the said circular, there was a restriction that the agricultural land owned by religious institutions should not be leased out for a period of more than 3 years. The priests were allowed to lease up to first 10 acres of land for self-cultivation for maintenance and for management of temple without any auction and without any lease rent. Another 10 acres could be given to the Pujari for his self-agricultural purposes but on payment of lease rent. Such rent was to be deposited in the name of the deity and could be used for the maintenance of the temple. The remaining land could be leased by auction.

12. The policy of auction was challenged by way of a writ petition. The said writ petition was allowed. The order passed by learned Single Judge was challenged in appeal in a judgment reported as **State of M.P. and others** v. **Mandir Shri Khande Rao**[8]. The Bench relied upon the earlier Division Bench judgment reported as **Ghanshyamdas II.** However, while referring to the Gwalior Act, the Court held as under:

> "13. We are of the considered opinion that the provisions contained in Regulation 13 clearly envisaged the continuance of the Muafi and the rights vesting in the deity in respect of its properties including the agricultural holdings till the vesting of the ownership thereof in the State under the Management of its

8 1999 RN 392

> department of "Aukaf" relating to 'Devasthan'. It is obvious, therefore, that so long as the rights of Muafidar were not extinguished vesting the properties including the agricultural holdings in the State and the revenue records were corrected showing the same as 'Milkiat Sarkar' under the management of department of Aukaf relating to Devasthan there could be no occasion for interfering in the management of the holding/land vesting in the Deity/Devasthan in any manner including the grant of temporary leases for the purpose of cultivation taking recourse to auction treating the holdings of the deity as 'Milkiat Sarkar' even though none of the conditions contemplated under Regulation 13 stood satisfied."

13. The Court held that, with respect to the State's right to auction property of the temple, once the land is vested with the deity/temple, the State cannot have a right to auction the property of the temple.

14. In **Ghanshyamdas I**, the learned Single Bench was not apprised of the judgments of the Division Bench in **Pancham Singh** or of this Court in **Kanchaniya,** and the same are not referred in the judgment. The Single Bench thus held that the proprietary rights conferred on a pujari could not be brought to an end by an executive instruction. The said judgment was partly overruled in **Ghanshyamdas II.**

15. The circular dated 12.11.1992 was issued wherein the name of the Collector was directed to be recorded as a manager whereas the name of the Pujari of the concerned Devasthan was to be recorded in Column No. 12. The said circular was under consideration before the Division Bench in **Ghanshyamdas II.** It was held that the Pujaris have no right to alienate the properties of the temple. They have to cultivate the land or to get the land cultivated through their servants for the

maintenance of temple and also perform the daily rituals. They do not acquire any right to alienate the property of the temple. The Court held as under:-

> "13. The rights of Pujari have been considered in the case of Pancham Singh and Kanchaniya (supra) and a bare perusal of Regulation 12 and 13 of the Regulations indicates that the Pujaris have no right to alienate the properties of the temple. They have to cultivate the land or to get the land cultivated through their servants for the maintenance of temple and its daily rituals. They do not acquire any right to alienate the property of the temple.
>
> 14. In the case of Pancham Singh (supra), it is held that the Pujaris have no right to alienate the property of the temple in any manner. Thus the Regulations 12 and 13 of the Regulations are plain and simple and must receive its legal meaning. The Pujari has no other status than that of a manager. He could get the land cultivated either himself or through servants, but he had no right to alienate them lands in any manner. It cast upon him a duty to keep the land under cultivation so that the income derived therefrom could be applied towards Pooja and upkeep of the temple. All the Muafi lands belong to the Government. Pujaris not Kashtkar Mourushi of Government lossee or even the tenants of the Muafi lands but were merely holding the land either on behalf of the Aukuf Department or on behalf of the deity of the temple for the management of the temple. Under regulations 12 and 13 of the Regulations, Pujaris do not have the absolute right of inheritance.
>
> 23. From a bare reading of Regulations 12 and 13 of the Regulations, it is apparent that the Pujari's right of inheritance is subject to his qualification and is not automatic.
>
> 24. No Pujari or trustee or manager can claim the title of religious property. The property always belongs to the temple i.e. deity.
>
> 25. In the case of *Rameshchandra* v. *Janki Ballabhji* (AIR 1970 SC 532) it is held that the Pujari claiming proprietary rights amounts to mismanagement and is not fit to remain in possession or to continue as Pujari. Therefore, the persons

claiming title over the property of the deity are not liable to continue as Pujari.

26. The executive inststruction issued by the Government is in the interest of the deity and to avoid wastage or misuse of the property of the temple. Even if the name of Pujari is recorded in column No. 12 of the Khasra it will not affect the rights of Pujari so long as he is performing his functions properly and cultivating the land or getting the land cultivated through servants.

27. It is therefore, held that placing the name of Pujari in column No. 12 of the Khasra does not affect the rights of Pujari. As discussed above and held in the cases of *Kanchaniya* and *Pancham Singh* (supra), the Pujaris do not have any right in the property of temple. Therefore, recording of their name is column No. 12 will not affect their rights since their rights are not affected as measures have been taken by the Government for the safety of the temple's property, which cannot be faulted with. The Government have always the right to issue directions or preparing *norms* for preserving the property of deity. The judgment of the learned single Bench is contrary to the judgment of *Kanchaniya's* case (supra).

28. However, the directions of the State Government that the name of Pujari be deleted from all the columns of Khasra and should not be recorded anywhere is quashed, as the learned Advocate General frankly conceded that directions is bad in law."

16. A circular dated 21.03.1994 was issued wherein it was directed that the name of the Pujari should not be recorded in any of the column of the Panchnama (revenue record). The Collector was directed to maintain a separate register for maintaining the records of the priest. The High Court in **Shri Krishna** held that all those persons who were granted land or were recognised as Inamdar (in the erstwhile Indore State) for religious services rendered by them as Pujari have been recognised as Bhumiswami under the Code. The Pujaris were holding land for

rendering religious services; therefore, a right had been created in their favour which could not be withdrawn by an executive instruction. The Court held as under:

> "5A. From the discussion above, it is evident that all those persons who were granted land or were recognised as Inamdar (in the erstwhile Indore State) for the religious services rendered by them as Pujari of the Temple have been recognised to be a Bhhomiswami under the Code and their names appeared as such in Revenue Records, since they were holding land for rendering religious services as Pujari of the Temple and the land was granted specifically for that purpose, the name of the Collector as Manager along with these pujaris was directed to be shown. This long possession and recording of their names in revenue records as Bhoomiswami or Managers has definitely created a right in their favour. It is an established principle of law that if any right has been vested in a person by certain statutory provisions, the same cannot be withdrawn by an executive instruction. Even if a person is required to be deprived of his vested right in a property, a legal procedure for the same will have to be adopted. If the State Government of MP feels that the recording of name of such persons as Bhoomiswami is *non-est*, then too it will have to give a notice to the person and an opportunity of hearing and after making due enquiry followed by a reasoned order (if it is found as such), the order for modification, corrections and change in the record can be done."

17. On the other hand, there are some judgments taking different view within the High Court including the one reported as **Sadashiv Giri & Ors.** v. **Commissioner, Ujjain & Ors.**[9] wherein an argument was raised that the temple is in possession of land. However, the Court held that how could the temple have such possession, therefore, it was the Pujari who had been conferred the right to upkeep and perform puja by the then Jagirdars. The Pujaris were the Inamdars of the land in

9 1985 RN 317

question and thus became Bhumiswami when the Code came into force on 02.10.1959. The said judgment is clearly erroneous as the presiding deity of the temple is the owner of the land attached to the temple. The Pujari is only to perform puja and to maintain the properties of the deity. In fact, the Constitution Bench in a judgment reported as **M. Siddiq (Dead) Through Legal Representatives** v. **Mahant Suresh Das and Others**[10] held as under:

> "511. .... A pujari is merely a servant or appointee of a shebait and gains no independent right as a shebait despite having conducted ceremonies over a period of time. All the evidence relied upon to support the claim of late Baba Abhiram Das is restricted to his having performed puja at the disputed premises and does not confer any shebaiti rights."

18. Hence, the Division Bench judgment in **Shri Krishna** has conferred the status of Bhumiswami on the priest but without bringing the judgment in **Pancham Singh** before the notice of the Court. Such Judgment has been rendered in ignorance of the binding Division Bench judgment which is supported by the law laid by Supreme Court in **Mst. Kanchaniya**. The judgment in **Sadashiv Giri** is in respect of action of auction without the authority of law. The judgment in **Pancham Singh** was cited but question was not examined as the petitioners were said to trespassers by the State. The High Court found that the petitioners being in possession can be deprived of possession only in accordance with law.

---

10 (2020) 1 SCC 1

19. In the present case, the question which is required to be decided is whether a priest can be treated as Bhumiswami under the Madhya Bharat Land Revenue and Tenancy Act, Samvat 2007 (Act No. 66 of 1950) and as a consequence under the Code. The reliance of the respondent is on Gwalior Act. In some of the judgments mentioned above, the provisions of Gwalior Act have been described as 'Regulations' and in some as 'Sections'. Since it appears to be issued by the then ruler of Gwalior, the same has to be treated as a statute, having a force of law applicable in the erstwhile State of Gwalior.

20. This question has already been considered by the courts in **Pancham Singh**, which has further been affirmed by **Kanchaniya**. The Law is clear on the distinction that the Pujari is not a Kashtkar Mourushi, i.e., tenant in cultivation or a government lessee or an ordinary tenant of the maufi lands but holds such land on behalf of the Aukaf Department for the purpose of management. The Pujari is only a grantee to manage the property of the deity and such grant can be reassumed if the Pujari fails to do the task assigned to him, i.e., to offer prayers and manage the land. He cannot be thus treated as a Bhumiswami. The **Kanchaniya** further clarifies that the Pujari does not have any right in the land and his status is only that of a manager. Rights of pujari do not stand on the same footing as that of Kashtkar Mourushi in the ordi-

nary sense who are entitled to all rights including the right to sell or mortgage.

21. In a judgment reported as **Ramchand (Dead) by Legal Representatives** v. **Thakur Janki Ballabhji Maharaj and Another**[11], it was held that if the Pujari claims proprietary rights over the property of the temple, it is an act of mismanagement and he is not fit to remain in possession or to continue as a Pujari.

22. The contrary view expressed by the High Court in **Ghanshyamdas I**, **Sadashiv Giri** and **Shri Krishna** does not lay down good law in view of binding precedent of the Division Bench of the High Court in **Pancham Singh** as also of this Court in **Kanchaniya**. All these judgments presenting a contrasting view had not noticed the said binding precedents dealing with the rights of priest under the Gwalior Act.

23. Taking into consideration the past precedents, and the fact that under the Gwalior Act, Pujari had been given right to manage the property of the temple, it is clear that that does not elevate him to the status of Kashtkar Mourushi (tenant in cultivation).

24. The ancillary question which arises is whether the priest is Inamdar or Maufidar within the meaning of Section 158 (1)(b) of the Code. Such

---

11 AIR 1970 SC 532

provision contemplates that the rights of every person in respect of land held by him in the Madhya Bharat region i.e. area of erstwhile Gwalior and Holkar as a Pakka tenant or as a Muafidar, Inamdar or Concessional holder shall be protected as Bhumiswami. The priest does not fall in any of the clauses as mentioned in Section 158(1)(b) of the Code. The maufi was granted to the property of temples from payment of land revenue. Such maufi was not granted to a manager. Even Inam granted by the Jagirdar or the ruler to a priest is only to manage the property of the temple and not confer ownership right on the priest. Therefore, in view of the judgment in **Pancham Singh** and also of this Court in **Kanchaniya**, the priest cannot be treated to be either a Muafidar or Inamdar in terms of Madhya Bharat Land Revenue and Tenancy Act, Samvat 2007 (Act No. 66 of 1950) or in terms of Gwalior Act. Since the priest cannot be treated to be Bhumiswami, they have no right which could be protected under any of the provisions of the Code.

25. Another question which arises is whether the State Government by way of executive instructions can order the deletion of name of Pujari from the revenue record and/or to insert the name of a Collector as manager of the temple. In **Ghanshyamdas II**, it was held that even if temple was being managed by the Pujari, his name is required to be mentioned as Pujari along with name of deity. We do not find any man-

date in any of the judgments to hold that the name of Pujari or manager is required to be mentioned in the revenue record.

26. In terms of Section 108, 109 and 110 of the Code, Rules had been framed initially as Appendix X. Form A has been prescribed as per Rule 2. Later such Rules were substituted by another Rules published on 15.5.1964 and Form I was prescribed to maintain the records of the rights. Such Rules have been further substituted on 20th December 1983, published in the Madhya Pradesh Gazette. The Column 3 of such Form is to contain name and address of the occupier, whereas Column 4 is required to contain name of the tenant or sub-lessee of an occupancy tenant of the Bhumiswami. Column 12 is meant for remarks. The relevant Rules read as under:-

Part II - KHASRA.

> "6. The Patwari shall prepare each agricultural year a khasra for each village that has been completely surveyed in his circle in Form I.
>
> 7. The khasra shall be written up in the field by the Patwari after local enquiry and actual inspections. A separate entry shall be made for every plot, and every plot, whether cultivated or not shall be entered.
>
> Provided that small baris situated within the village side and included in the village abadi plot, shall not be shown separately but included in the abadi area.
>
> 8. Entries shall be made by the Patwari according to facts found by him during local inspection.

9. (a) A fresh volume of the khasra shall be prepared every fifth year, in Form I. The Patwari shall enter each agricultural year the changes that have occurred in the columns provided for the purpose:

Provided that the Collector in his discretion may order a fresh volume of the khasra in any village to be prepared at an interval shorter than five years.

(b) The Collector shall prepare a roster and arrange the preparation of the first Khasra after settlement, so that the preparation of all the khasras in a circle shall not fall due in one and the same year."

27. In the ownership column, the name of the deity alone is required to be mentioned, as the deity being a juristic person is the owner of the land. The occupation of the land is also by the deity which is carried out by the servant or the managers on behalf of the deity. Therefore, the name of the manager or that of the priest is not required to be mentioned in the column of occupier as well. In **Ghanshyamdas II**, it was held that if the name of the Pujari is recorded in the column No. 12 i.e. column of remarks, it will not affect the rights of the Pujari so long as he is performing his functions properly and cultivating the land or getting the land cultivated through servants. Therefore, the name of the Pujari cannot be mandated to be recorded either in the column of ownership or occupancy but may be recorded in the remark's column.

28. No rule has been brought to the notice that the name of the manager has to be recorded in the land records. In the absence of any prohibition either in the statute or in the rules, the executive instruction can

be issued to supplement the statute and the rules framed thereunder. Such instructions do not contravene any of the provisions of the Code or the rules. Therefore, they cannot be said to be illegal or in excess of the authority vested in the State Government.

29. However, we find that the name of the Collector as manager cannot be recorded in respect of property vested in the deity as the Collector cannot be a manager of all temples unless it is a temple vested with the State. Still further, this Court in a judgment reported as **Deoki Nandan** v. **Murlidhar and Ors.**[12] has drawn the distinction between a public and a private temple. This Court held as under:

> "4. The question that arises for decision in this appeal whether the Thakurdwara of Sri Radhakrishnaji at Bhadesia is a public endowment or a private one is one of mixed law and fact. In *Lakshmidhar Misra* v. *Ranga Lal* [(1949) LR 76 IA 271] in which the question was whether certain lands had been dedicated as cremation ground, it was observed by the Privy Council that it was "essentially a mixed question of law and fact", and that while the findings of fact of the lower appellate court must be accepted as binding, its "actual conclusion that there has been a dedication or lost grant is more properly regarded as a proposition of law derived from those facts than as a finding of fact itself". In the present case, it was admitted that there was a formal dedication; and the controversy is only as to the scope of the dedication, and that is also a mixed question of law and fact, the decision of which must depend on the application of legal concepts of a public and a private endowment to the facts found, and that is open to consideration in this appeal.
>
> xx xx xx

12 AIR 1957 SC 133

> 7. When once it is understood that the true beneficiaries of religious endowments are not the idols but the worshippers, and that the purpose of the endowment is the maintenance of that worship for the benefit of the worshippers, the question whether an endowment is private or public presents no difficulty. The cardinal point to be decided is whether it was the intention of the founder that specified individuals are to have the right of worship at the shrine, or the general public or any specified portion thereof. In accordance with this theory, it has been held that when property is dedicated for the worship of a family idol, it is a private and not a public endowment, as the persons who are entitled to worship at the shrine of the deity can only be the members of the family, and that is an ascertained group of individuals. But where the beneficiaries are not members of a family or a specified individual, then the endowment can only be regarded as public, intended to benefit the general body of worshippers.
>
> In the light of these principles, we must examine the facts of this case. The materials bearing on the question whether the Thakurdwara is a public temple or a private one may be considered under four heads: (1) the will of Sheo-Ghulam, Exhibit A-1, (2) user of the temple by the public, (3) ceremonies relating to the dedication of the Thakurdwara and the installation of the idol with special reference to *Sankcalpa* and *Uthsarga* and (4) other facts relating to the character of the temple."

30. Another argument was raised that such circulars of the State Government shall be applicable to the public temples and not to the private temples. A bare reading of the circulars does not make out such distinction. However, a temple in a house or which is not open to the public cannot be treated to be a public temple. However, it will be a question in each case whether it is a public temple or a private temple which can be decided in the appropriate proceedings. For the purpose of the present appeal, we find that the circular is applicable to all tem-

ples unless a particular temple is able to satisfy the competent forum of it being a private temple.

31. In view of the above observations and discussions, the order of the High Court cannot be sustained. The Circulars dated 21.3.1994 and 7.6.2008 cannot be said to be illegal in any manner. The Writ petition is thus dismissed and the appeal is allowed.

..J.
(HEMANT GUPTA)

..J.
(A.S. BOPANNA)

NEW DELHI;
SEPTEMBER 6, 2021.